वार्षिक रिपोर्ट

2019-20



उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

विषय वस्तु

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ
1.	भूमिका और कार्य	1
2.	औद्योगिक संवर्धन	19
3.	विनियामक सुधार–व्यवसाय करने को आसान बनाना	28
4.	स्टार्टअप इंडिया	36
5.	बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण	45
6.	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो)	58
7.	औद्योगिक गलियारे	68
8.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी), द्वारका	74
9.	क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएँ	76
10.	विशिष्ट उद्योग और उनका विकास	86
11.	निवेश संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग	111
12.	बॉयलर अधिनियम 1923 का संचालन	117
13.	संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन	120
14.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व	163
15.	महिला कल्याण कार्यकलाप	164
16.	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	165
17.	सतर्कता मामले	168
18.	नागरिक घोषणा–पत्र	169
19.	सूचना का अधिकार (आरटीआई)	173
	परिशिष्ट I-XI	175

संक्षिप्ताक्षरों की सूची	
एकेआईसी	अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर
एपीओ	एशियाई उत्पादकता संगठन
एसोचैम	एसोसिएटिड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
बीआईआरएसी	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद्
बीएमईसी	बेंगलुरु मुंबई आर्थिक कॉरीडोर
बीआरएपी	व्यवसाय सुधार कार्य योजना
सीबीआईसी	चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरीडोर
सीईडीए	सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर डाटा ऐनालिसिस
सीजीपीडीटीएम	पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईपीएएम	आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ
सीआईपीईटी	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान
सीपीपीआरआई	केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीबीआर	डूइंग बिजनेस रैंकिंग
डीएमआईसी	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर
डीएमआरसी	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
डीपीआईआईटी	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
ईसीईसी	पूर्वी तट आर्थिक कॉरीडोर
ईओडीबी	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
फेमा	विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम
एफएफएस	स्टार्ट–अप के लिए निधि
फिक्की	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

एफआईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
जीईएम	गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस
जीआई	भौगोलिक संकेतक
जीआईआई	वैश्विक नवप्रयोग सूचकांक
जीआईआर	भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री
जीओएस	सचिवों का समूह
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आईडीसी	भारतीय डिजाइन परिषद्
आईडीईएक्स	रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवप्रयोग
आईडीएस	औद्योगिक विकास योजना
आईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
आईआईसीसी	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईआईएस	औद्योगिक सूचना प्रणाली
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईयूएस	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना
आईपी	बौद्धिक संपदा
आईपीएबी	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीआरएस	औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली
आईआरएमआरए	भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ
आईटीपीओ	अंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन
एलएएनआईडीएस	लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास योजना
एलओआई	आशय प्रत्र
एमडीआई	चिकित्सा उपकरण उद्योग
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रलय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एमआईआई	मेक इन इंडिया
एमआईआईयूएस	संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनएबीसीबी	राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड
एनएबीईटी	राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड
एनएबीएच	राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशाकन
नैसकॉम	राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ
एनबीक्यूएल	राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धनबोर्ड
एनसीसीबीएम	राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री के लिए परिषद्
एनईआईडीएस	पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना
एनईआईआईपीपी	पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईसी	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर
एनआईडी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
एनआईईआई	नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनपीसी	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
एनपीएमसी	राष्ट्रीय विनिर्माण क्लस्टर योजना
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
ओएल	राजभाषा
पीएमए	प्रेफरेंशल मार्केट एक्सेस
पीआईएस	पेटेंट सूचना प्रणाली
पीएमजी	परियोजना निगरानी समूह
पीएमआईसी	परियोजना निगरानी– इन्वेस्ट इंडिया प्रकोष्ठ

पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद्
आरजीएनआईआईपीएम	राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एससीओ	नमक आयुक्त कार्यालय
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएनजेड	विशेष अधिसूचित क्षेत्र
एसओपी	मानक परिचालन प्रक्रिया
टीआईएससी	प्रौद्योगिकी एवं नवप्रयोग सहायता केंद्र
टीएमआर	व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
टीआरआईपीएस (ट्रिप्स)	बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू
यूनिडो	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
यूटी	संघ शासित प्रदेश
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक

1
अध्याय

भूमिका और कार्य

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा वर्ष् 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इससे पहले अक्टूबर, 1999 में लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग (एसआईएंडएएंडआरआई) तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम (एचआईएंडपीई) के लिए अलग मंत्रालय बनाए गए थे। इस विभाग को पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहा जाता था; और जनवरी, 2019 में इसका नाम बदल कर डीपीआईआईटी कर दिया गया।

1.1.2 वर्ष 2018 में ई–कॉमर्स से संबंधित मामले इस विभाग को हस्तांतरित किए गए थे और वर्ष 2019 में आंतरिक व्यापार, व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों के कल्याण और स्टार्ट–अप्स से संबंधित मामलों का प्रभार इस विभाग को दिया गया। डीपीआईआईटी की भूमिका नई और भावी प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा उद्योगों के सहायक संतुलित विकास में सहायता प्रदान करके देश में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ावा देना है।

1.2 विभाग को सौंपे गए कार्य

1.2.1 अद्यतन कार्य आवंटन (एओबी) नियमावली के अनुसार, यह विभाग निम्नलिखित मामलों सहित केंद्र सरकार के स्तर पर औद्योगिक नीति के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है:

i. भारतीय उद्योग में उत्पादकता,

i. औद्योगिक प्रबंधन,

iii. ई–कॉमर्स और स्टार्ट–अप्स से संबंधित मामले,

iv. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता (ईओडीबी),

v. खुदरा व्यापार, और व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों के कल्याण सहित आंतरिक व्यापार का संवर्धन, और

vi. उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 का प्रशासन, औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करना और औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आईईएम) स्वीकार करना।

1.2.2 यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण से संबंधित मामलों और आईपीआर से संबंधित छः अधिनियमों का संचालन भी करता है। यह विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और एनआरआई निवेश से संबंधित मामलों को भी देखता है, और देश के औद्योगिक विकास में निवेश का संवर्धन करता है। अमरीका, यूरोप, सीआईएस देशों, अफ्रीका और मध्य पूर्व, तथा एशिया और ओशियाना से उत्पन्न मामलों के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और औद्योगिक संवर्धन के पांच भौगोलिक भाग हैं।

1.2.3 यह विभाग केबल्स, हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों, हल्के उद्योगों, हल्के इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योगों, कागज और अखबारी कागज, टायर और ट्यूब, नमक, सीमेंट, सिरेमिक, टाइल्स और कांच, चमड़े की वस्तुओं, साबुन और डिटरजेंट तथा अन्य मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत न आने वाले उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन और विकास के लिए उत्तरदायी है।

1.2.4 इस विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन किया जाता है:

i. उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951,

ii. विस्फोटक अधिनियम, 1884,

iii. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952,

iv. बॉयलर अधिनियम, 1923,

v. कॉपीराइट अधिनियम, 1957,

vi. पेटेंट अधिनियम, 1970,

vii. डिजाइन अधिनियम, 2000,

viii. वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999,

ix. व्यापार चिह्न अधिनियम,1999,

x. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014

1.3 डीपीआईआईटी का संगठनात्मक ढांचा

1.3.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट–I** पर है जबकि इस विभाग के अंतर्गत आने वाले संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा अन्य संगठनों की सूची **परिशिष्ट–II** पर है।

1.4 मेक इन इंडिया (एमआईआई)

1.4.1 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत निवेश में सहायता करने, नवाचार का पोषण करने, श्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करने, व्यवसाय करने को आसान बनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 25 क्षेत्रों की कार्रवाई योजना के साथ 25 सितंबर, 2014 को की गई थी है। इस पहल का भावी लक्ष्य निवेश के लिए समग्र वातावरण, आधुनिक और कुशल अवसंरचना तैयार करना, नए क्षेत्रों में विदेशी निवेश की शुरुआत करना तथा सकारात्मक सोच के जरिए सरकार और उद्योग के बीच भागीदारी का निर्माण करना है।

1.4.2 एमआईआई पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं तथा मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अब इसकी समीक्षा की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों की कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहा है जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों की कार्य योजनाओं का समन्वय कर रहा है।

1.4.3 भारत सरकार संभावित निवेशकों का पता लगाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित निवेश संवर्धन के तहत तथा मेक इन इंडिया कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत देश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों और राज्य सरकारों को कार्यक्रम, सम्मेलन, रोड–शो तथा प्रचार–प्रसार संबंधी अन्य क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। देश में एफडीआई को बढ़ावा देने तथा व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए निवेश आउटरीच क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं।

1.5 परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी)

1.5.1 परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) को वर्ष 2013 में कैबिनेट सचिवालय में स्थापित किया गया था और हाल ही में 14 फरवरी 2019 से इसे डीपीआईआईटी में शामिल कर लिया गया है जिसके कार्यान्वयन में इन्वेस्ट इंडिया सहायता प्रदान कर रही है। यह एक संस्थागत तंत्र है जो कि स्थापना करने के मामलों का समाधान करने और उसमें तेजी लाने तथा बड़े सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को शीघ्रता से स्थापित करने में सहायता करता है।

1.5.2 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक अनुमानित मूल्य की किसी परियोजना को पूरा करने में विलंब उत्पन्न करने वाले अथवा बाधा उत्पन्न होने की संभावना वाले मुद्दों को कोई भी निवेशक पीएमजी पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है,जो इन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकारों में संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाता है।

1.5.3 इसकी शुरूआत से, पीएमजी ने 1067 परियोजनाओं से संबंधित 4000 से अधिक मामले प्राप्त किए हैं और लगभग 32.00 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय निवेश को अनलॉक किया है। इनमें से 13.1.2020 तक लगभग 11.66 लाख करोड़ रुपए की वास्तविक निवेश राशि की 340 परियोजनाओं को आंशिक/पूर्ण रूप से स्थापित किया है जबकि 8.50 लाख करोड़ रुपए की 236 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

1.6 इन्वेस्ट इंडिया

1.6.1 इन्वेस्ट इंडिया की उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), सीआईआई, नैसकॉम और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (गैर–लाभकारी) के रूप में स्थापना की गई है। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सहायता एजेंसी है तथा यह भारत में निवेशकों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु है। इन्वेस्ट इंडिया निवेशकों के लिए व्यावसायिक माहौल को आसान बनाकर देश के निवेश वातावरण में बदलाव ला रही है। विभिन्न देशों, भारतीय राज्यों और क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त इनके विशेषज्ञ उनके निवेश के जीवनचक्र के दौरान निवेशकों को निवेश पूर्व से लेकर बाद तक सहायता प्रदान करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया बाजार में प्रवेश की रणनीतियां, उद्योग का गहन विश्लेषण, भागीदार की खोज तथा निर्णय निर्माता के साथ स्थान मूल्यांकन नीति की वकालत जैसी विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है।

1.7 सार्वजनिक अधिप्राप्ति

1.7.1 सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 (पीपीपी–एमआईआई आदेश) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 15.3 (iii) के अनुसरण में सार्वजनिक अधिप्राप्ति में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के समर्थकारी प्रावधान के रूप में 15 जून, 2017 को जारी किया गया था।

1.7.2 यह आदेश केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकायों तथा कंपनी अधिनियम में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और कार्यों (टर्नकी कार्यों सहित) की खरीद पर लागू है।

1.7.3 पीपीपी–एमआईआई आदेश के अंतर्गत,आदेश के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए डीपीआईआईटी के सचिव की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति का गठन किया गया है। पीपीपी–एमआईआई आदेश के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिए विभाग में एक सार्वजनिक खरीद प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है, संबद्ध उत्पाद के लिए न्यूनतम स्थानीय अधिसूचित करने के लिए 19 नोडल विभाग नामित किए गए हैं।

1.8 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी)

1.8.1 देश में व्यवसाय वातावरण में सुधार के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विनियामक प्रक्रियाओं (पंजीकरण एवं निरीक्षण प्रक्रियाओं) को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं तथा प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने वाले कारक के रूप में 'सूचना प्रौद्योगिकी की' शुरुआत की है।

1.8.2 विश्व बैंक की वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2020 में भारत का 63वां स्थान है जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत के 77वें स्थान से 14 स्थान ऊपर दर्ज की गई है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देशों को डिस्टेंस टू फ्रंटियर के आधार पर रैंकिंग में स्थान देती है, जो एक पूर्णांक है, जो 10 विशिष्ट संकेतकों पर भारत और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के बीच अंतर को मापता है। भारत के पूर्ण अंक में सुधार हुआ है जो डीबीआर 2019 के 67.32 से बढ़कर डीबीआर 2020 में 71.00 हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उपायों तथा 10 संकेतकों यथा व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट संचालन, विद्युत प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकरण, क्रेडिट प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण, कर भुगतान, विदेश व्यापार, संविदा प्रर्वतन तथा दिवालियापन का समाधान राष्ट्र की रैंक को मापने का आधार हैं।

1.8.3 इन प्रयासों की कवरेज का विस्तार करने की प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया गया है। डीपीआईआईटी व्यवसाय करने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और समग्र व्यवसायिक माहौल में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। डीपीआईआईटी में तत्काल आधार पर सुधारों के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। यह www.eodb.dipp.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

1.8.4 वर्ष 2015, 2016 और 2017–18 के लिए राज्य सुधार कार्य योजना का मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यह रैंकिंग www.eodb.dipp.gov.in पर देखी जा सकती हे। राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य सौंपा जा रहा है।

1.8.5 डीपीआईआईटी ने 218 बिंदु वाली जिला सुधार योजना भी तैयार की है तथा सभी जिलों द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन हेतु इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया है। प्रश्नावली के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिले में फीडबैक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

1.9 स्टार्ट–अप इंडिया

1.9.1 स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत में अभिनवीकरण और उद्यमिता के लिए एक सशक्त तथा समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। 16 जनवरी, 2016 को आरंभ की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत उद्यमियों को सहायता प्रदान करने, एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण तथा भारत को रोजगार खोजने वालों के स्थान पर रोजगार सृजन करने वालों के देश में रूपांतरित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सभी केन्द्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) नोडल विभाग के तौर पर कार्य करता है।

1.10 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति

1.10.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति बनाने हेतु नोडल विभाग है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संसूचित धन प्रेषणों के आधार पर भारत में एफडीआई अंतर्वाह संबंधी आंकड़ों के रख–रखाव तथा प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। अधिक से अधिक मात्रा में एफडीआई आकर्षित करने के लिए, सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में एक उदार नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। भारत एक उत्तरोत्तर आकर्षक निवेश स्थल बना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एफडीआई नीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। यह विभाग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के उदारीकरण तथा उसे युक्तिसंगत बनाने में एक सक्रिय भूमिका अदा करता है। इस उद्देश्य से यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्श के कार्य में रचनात्मक रूप से कार्यरत है।

1.10.2 इसके अलावा, पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की समाप्ति के बाद, नई व्यवस्था के तहत एफडीआई अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिसमें एफडीआई के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने का कार्य तथा उन पर सरकार का अनुमोदन मौजूदा एफडीआई नीति एवं फेमा के अधीन होता था, अब यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित किया जाता है। तथापि, अनुमोदन मार्ग के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु निवेशकों की सहायता करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) सरकार का एकमात्र केंद्र बिंदु है। इस संबंध में एक नया पोर्टल (http://fifp.gov.in/) बनाया गया है जिसे यह विभाग प्रशासित करता है तथा यह पोर्टल स्वतः अनुमोदन मार्ग वाले आवेदनों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी को लगातार सुगम बना रहा है। डीपीआईआईटी मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार, खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार, अनिवासी भारतीय/निर्यातोन्मुखी इकाइयों के निवेश के मामले में अनुमोदनों के लिए नोडल विभाग है। पूंजीगत सामानों/मशीनरी/प्रचालन–पूर्व तथा निगमन–पूर्व व्यय के लिए शेयर जारी करने से संबंधित मामलों पर भी डीपीआईआईटी द्वारा कार्यवाही की जाती है।

1.11 राष्ट्रीय आईपीआर नीतिः

1.11.1 12 मई, 2016 को अनुमोदित राष्ट्रीय आईपीआर नीति भारत में बौद्धिक संपदा के लिए भावी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह नीति भारत में मौजूद रचनात्मक और नई सोच की प्रचुरता को स्वीकार करती है तथा सभी के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए इस ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता को समझती है। राष्ट्रीय आईपीआर नीति एक विजन दस्तावेज है जिसका लक्ष्य सभी प्रकार की बौद्धिक संपदा (आईपी) संबंधी व्यवस्था और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा इसका सदुपयोग करना है। यह कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करती है। इसका लक्ष्य विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को भारतीय परिवेश के अनुरूप शामिल

करना तथा अपनाना है। यह नीति अभिनव–समावेशी वातावरण का निर्माण करने में सरकार, अनुसंधान और विकास संगठनों, शिक्षण संस्थाओं, एमएसएमई सहित कॉरपोरेट कंपनियों, स्टार्ट–अप्स और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाएगी जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मकता और नवप्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही देश में स्थिर, पारदर्शी और सेवा–उन्मुखी आईपीआर प्रशासन मिलेगा।

1.11.2 यह नीति स्वीकार करती है कि भारत में आईपीआर की सुरक्षा के लिए ट्रिप्स के अनुकूल सुव्यवस्थित विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा मौजूद है जो इसकी विकास संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उपलब्ध लचीलापन का इस्तेमाल करते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है। यह दोहा विकास कार्यसूची तथा ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराती है।

1.11.3 इस नीति के निम्नलिखित सात उद्देश्य हैं:

i. **आईपीआर जागरुकता:** समाज के सभी वर्गों में आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए पहुंच और संवर्धन।

ii. **आईपीआर का सृजन:** आईपीआर सृजन को बढ़ावा देना।

iii. **विधिक और विधायी फ्रेमवर्क:** सशक्त और प्रभावी आईपीआर कानून बनाना जो व्यापक जनहित के साथ–साथ अधिकार–स्वामियों के हितों के मध्य संतुलन बनाए रख सके।

iv. **प्रशासन और प्रबंधन:** आईपीआर के उल्लंघन से निपटने के लिए प्रवर्तन और निर्णायक तंत्र को आधुनिक एवं सशक्त बनाना।

v. **मानव पूंजी विकास:** आईपीआर संबंधी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों, संस्थानों और क्षमताओं को मजबूत करना और उनका विस्तार करना।

1.11.4 इन उद्देश्यों को विस्तृत कार्य बिंदुओं के जरिए प्राप्त किया जाना है। डीपीआईआईटी विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा जो कार्यान्वयन के समन्वय, मार्गदर्शन और निगरानी तथा भारत में आईपीआर के भावी विकास के लिए नोडल विभाग होगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति 'रचनात्मक भारत; अभिनव भारत' के लिए प्रयास करेगी।

1.12 राष्ट्रीय डिजाइन नीति

1.12.1 सरकार ने 8 फरवरी, 2007, को राष्ट्रीय डिजाइन नीति अनुमोदित की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल है :–

i. सुपरिभाषित और प्रबंधित विनियामक, संवर्धक और संस्थागत फ्रेमवर्क के जरिए भारतीय डिजाइन को बढ़ावा देना;

ii. ऑटोमोबाइल और परिवहन, आभूषण, चमड़ा, वस्त्र, मुलायम सामान, डिजिटल उत्पाद, खिलौने और रत्न जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट डिजाइन केंद्रों अथवा 'इनोवेशन हब' की स्थापना करना जो स्टार्ट–अप डिजाइन वाले उद्यमों और युवा डिजाइनरों की डिजाइनर फर्मो/ हाउसेज के लिए उद्यम निधीयन और बाजार विकास सहायता जैसे तंत्रों के जरिए उद्यम इनक्यूबेशन के साथ–साथ वित्तीय सहायता सहित सामान्य सुविधाएं और त्वरित उत्पाद विकास, उच्च कार्य निष्पादन आदि जैसे समर्थित साधन उपलब्ध कराएंगे;

iii. चुनिंदा स्थानों/ औद्योगिक क्लस्टरों/ पिछड़े राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में डिजाइन केंद्रों/ इनोवेशन हब की स्थापना के लिए स्कीम बनाना;

iv. भारत के सभी क्षेत्रों में डिजाइन संबंधी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार के मद्देनजर मौजूदा डिजाइन संस्थानों खासतौर पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और इसके नए परिसरों/ केंद्रों और संकाय संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन करने पर विशेष ध्यान देना।

v. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 (च) के तहत एनआईडी के लिए 'मानद

विश्वविद्यालय' अथवा ' विश्वविद्यालय'' का दर्जा हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू करना ताकि ये संस्थान वर्तमान डिप्लोमा की बजाय डिजाइन में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान कर सकें।

vi. सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के साथ–साथ निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थान, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में भी डिजाइन विभाग की स्थापना को बढ़ावा देना;

vii. मौलिकता, नवप्रयोग, सुरुचिपूर्ण, प्रयोक्ता केंद्रित, श्रमदक्षता, सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूलता जैसे प्रमुख डिजाइन मानदंडों को पूरा करने वाले डिजाइनों पर भारतीय डिजाइन चिह्न प्रदान करके भारतीय डिजाइनों के लिए ब्रांड इमेज बनाने में सफल उद्यमियों की पहचान करने और पुरस्कृत करने के लिए एक तंत्र तैयार करना;

viii. डिजाइन व्यवसायों के पंजीकरण और इस पेशे की मानक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मामलों को प्रशासित करने के लिए चार्टर्ड सोसायटी फॉर डिजाइनर (इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टिट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट, चिकित्सा परिषद, बार काउंसिल आदि की तर्ज पर) की स्थापना करना;

ix. विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलाकर भारतीय डिजाइन परिषद (आईडीसी) की स्थापना करना।

1.12.2 एनआईडी द्वारा देशभर में कार्यान्वित की जा रही डिजाइन क्लिनिक स्कीम परियोजना का उद्देश्य एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं में डिजाइन संबंधी कार्यक्रमों को शामिल करके उनकी विनिर्माण क्षमता को बेहतर बनाना और वैश्विक बाजार में उनके डिजाइन को ऊंचा दर्जा प्रदान करना है और इस प्रकार यह भारत सरकार की मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सहायता प्रदान करती है।

1.13 औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस):

1.13.1 व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, डीपीआईआईटी ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली विकसित की है। विभाग ने 19 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली: औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने संबंधी प्रायोगिक चरण की रिपोर्ट जारी की है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक अवसंरचना की गुणवत्ता और पर्याप्तता पर ध्यान देने के लिए औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली आईपीआरएस के प्रायोगिक चरण में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त नामांकनों पर विचार किया गया तथा प्राप्त जानकारी/ प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया। नामांकित पार्कों के कम–से–कम 25% हिस्से पर उद्योगों की मौजूदगी आवश्यक है।

1.13.2 22 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 202 औद्योगिक पार्कों के नामांकन प्राप्त हुए थे। 202 नामांकित पार्कों में से 177 पार्कों पर मूल्यांकन हेतु विचार किया गया था। नामांकित 25 पार्कों के संबंध में राज्यों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया अधूरी थी। औद्योगिक परिवेश के विकास में योगदान देने वाले चार स्तंभों यथा आंतरिक अवसंरचना और उपयोगिता, बाह्य अवसंरचना और संपर्क सुविधा, व्यवसाय सहायता सेवा तथा पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन के तहत 34 मानदंडों के आधार पर 177 औद्योगिक पार्कों का मूल्यांकन किया गया था।

1.13.3 निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली के विकसित होने की उम्मीद की जाती है:

(i) भावी किराएदार को जानकारी उपलब्ध कराना तथा विभिन्न चिह्नित मापदंडों के संबंध में पार्कों की तुलना करना

(ii) औद्योगिक पार्कों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करना

(iii) सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को मान्यता देना तथा पार्क का विकास एवं संचालन करने वालों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देना

(iv) परिवेश की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित नीतिगत सहायता की पहचान करना।

1.13.4 विकास के आगामी चरणों में, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस) को वार्षिक कवायद में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है जिसमें औद्योगिक परिवेश के विकास से संबंधित मानदंडों पर औद्योगिक पार्कों के मूल्यांकन को अधिक व्यापक रूप से शामिल किया जाना है। निवेशकों के अपेक्षित रुझानों को पूरा करने और औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली को, नीति निर्माताओं और निवेशकों, दोनों के मांग आधारित कार्यक्रमों कोप्रभावी रूप से समर्थ बनाने वाले साधन के रूप में विकसित करने के लिए इन मानदंडों को प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के साथ–साथ गहन मात्रात्मक मूल्यांकन प्रतिक्रिया देने के लिए वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

1.14 आईपीआर (बातचीत और सहयोग)

1.14.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे पेटेंट, व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, प्रतिलिप्याधिकार, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। आईपीआर से संबंधित मामलों में नोडल विभाग होने के नाते डीपीआईआईटी आईपीआर की दृष्टि से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किए जाने वाले एमओयू/एमओसी/एमओए/मंत्रिमंडल टिप्पणों/ एनडीए आदि की विधीक्षा भी करता है। डीपीआईआईटी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के तहत आईपीआर विषय पर बातचीत भी की जाती है। इसके अलावा, डीपीआईआईटी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग भी है।

1.14.2 पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) का कार्यालय, जो डीपीआईआईटी के तहत अधीनस्थ कार्यालय है, पेटेंट प्रदान करने और व्यापार चिह्न, डिजाइन और भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण से संबंधित सांविधिक कार्य करता है। कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रशासन कॉपीराइट कार्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जो सीजीपीडीटीएम के अंतर्गत कार्य करता है। इसके कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं जबकि केंद्रीय आईपी प्रशिक्षण अकादमी नागपुर में स्थित है।

1.14.3 सीजीपीडीटीएम निम्नलिखित आईपी कार्यालयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है:

i. चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेटेंट कार्यालय (डिजाइन स्कंध सहित)

ii. पेटेंट सूचना प्रणाली (पीआईएस) और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम), नागपुर

iii. अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

iv. भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (जीआईआर), चेन्नई

v. कॉपीराइट कार्यालय, दिल्ली

vi. सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटिड सर्किट ले–आउट डिजाइन रजिस्ट्री, दिल्ली

1.14.4 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी): व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 के तहत वर्ष 2003 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) की स्थापना की गई थी। यह बोर्ड पेटेंट नियंत्रक (पेटेंट अधिनियम, 1970) और व्यापार चिह्न पंजीयक (व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अंतर्गत) के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों तथा भौगोलिक संकेतक संबंधी मामलों भौगोलिक संकेतक एवं संरक्षण अधिनियम, 1999 की सुनवाई करता है। कॉपीराइट बोर्ड और पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय अधिकरण अपने संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसरण में आईपीएबी के अधीन कार्य करता है।

1.14.5 वर्तमान में, आईपीएबी का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है तथा इसकी सर्किट बैंच की बैठकें आवधिक रूप से अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में होती हैं।

1.15 आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम)

1.15.1 राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 के अनुसरण में, डीपीआईआईटी के तत्वावधान में एक विशेष पेशेवर निकाय/आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) बनाया गया था, जो नीति के उद्देश्यों और दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है। नीति को अपनाने के साथ सीआईपीएएम देश के आईपी परिदृश्य को बदलने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. 200 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में उद्योग, पुलिस, सीमा शुल्क तथा न्यायपालिका के लिए आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए, उपग्रह संचार (एडुसेट) का उपयोग करके जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस तरह का एक कार्यक्रम, 2700 से अधिक छात्रों वाले 46 ग्रामीण स्कूलों में चलाया गया। 300 से अधिक स्कूलों और 12,000 से अधिक छात्रों तक यह कार्यक्रम पहुंचा है।

iii. ई–सामग्री को विकसित करने और ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से सामग्री का प्रसार करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

iv. आईपीआर पर सामग्री को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के वाणिज्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आईपीआर को अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भी शामिल करने का काम जारी है। मोबाइल एप्स, वीडियो और ऑनलाइन गेम विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए उद्योग के साथ मिलकर प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं।

v. मोबाइल एप्स, वीडियो और ऑनलाइन गेम विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए उद्योग के साथ मिलकर प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं।

vi. भारत का पहला आईपी मैस्कॉट – "आईपी नानी" आरंभ किया गया है। यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (ईयूआईपीओ) के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एनिमेटेड वीडियो की एक श्रृंखला शुरू की गई है।

1.16 उत्पादकता और गुणवत्ता

1.16.1 डीपीआईआईटी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता तथा गुणवत्ता के संवर्धन के लिए नोडल विभाग है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) टोक्यो में स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य है तथा भारत से संबंधित एपीओ कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को कार्यान्वित करता है। एनपीसी सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट परामर्श, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनारों और सम्मेलनों, विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के उत्पादकता संबंधी अनुसंधान, निगरानी और पर्यवेक्षण तथा एपीओ के साथ सहयोग के जरिए सूचना के प्रचार–प्रसार के माध्यम से उत्पादकता में बढ़ोतरी करती है।

1.16.2 इस विभाग के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण निकाय, भारतीय गुणवत्ता परिषद, (क्यूसीआई) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001 श्रृंखला), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001 श्रृंखला), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 22000 श्रृंखला), राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा मुहैया कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के जरिए उत्पाद प्रमाणन तथा निरीक्षण निकायों से संबंधित गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एनएबीसीबी के अलावा, चार अन्य बोर्ड यथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी), अस्पताल तथा स्वास्थ्य–देखभाल प्रदाता हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच), परीक्षण एवं कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी) हैं, जो क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता संवर्धन के संबंध में प्रत्यायन प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हैं।

1.17 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) के क्रियाकलाप

1.17.1 डीपीआईआईटी भारत में यूनिडो के प्रचालनों से संबद्ध सभी मामलों के लिए एक नोडल विभाग है। यूनिडो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है।

भारत इस संगठन के प्रारंभ होने के समय से ही इसका सक्रिय सदस्य रहा है। यूनिडो ने विभिन्न अधिदेशों के साथ निम्नलिखित केन्द्रों/कार्यालयों के माध्यम से भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित की है, अर्थात्

(i) यूनिडो क्षेत्रीय कार्यालय (यूआरओ) जिसका अध्यक्ष भारत तथा एशियाई क्षेत्र में यूनिडो का प्रतिनिधि (यूआर) होता है और

(ii) इंटरनेशनल सेंटर फॉर इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट (आईसी–आईएसआईडी), नई दिल्ली।

1.17.2 यूआरओ की स्थापना 01 जनवरी, 2000 को नई दिल्ली में की गई, जिसके अंतर्गत सात देश–भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान आते हैं तथा यह इस क्षेत्र में ज्ञान, सूचना, तथा प्रौद्योगिकी को जुटाने के लिए एक केंद्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

1.17.3 यूनिडो और डीपीआईआईटी ने मिलकर यूनिडो कंट्री प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क 2018–2022 तैयार करने का कार्य किया है। प्रतिस्पर्धी और लोचशील एमएसएमई और जलवायु, पर्यावरण और संसाधन समाधान के साथ समावेशी मूल्य श्रृंखला और जवाबदेह व्यवसाय और औद्योगिक परिवर्तन की कार्यनीति के संबंध में चल रहे कार्य के जारी रहने और विस्तार होने की उम्मीद है। यह क्षेत्र डीपीआईआईटी के 2017 उद्योग नीति चर्चा पत्र के लक्ष्यों और उद्देश्यों का समर्थन करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रूपरेखा के अनुरूप हैं, जिस पर भारत में संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग के जरिए भारत सरकार के बीच 2018–22 के लिए सहमति बनी है।

1.17.4 डीपीआईआईटी ने यूसीएसएसआईसी और आईसीएएमटी के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद यूनिडो के सहयोग से एक नए केंद्र, आईसी–आईएसआईडी (इंटरनेशनल सेंटर फॉर इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट) की स्थापना की है। इस केंद्र ने 1 मई, 2015 से अपना कार्य शुरू कर दिया है। इस आईसी–आईएसआईडी में यूनिडो के 2015 के बाद वाले विकास कार्यक्रम के उद्देश्य निहित हैं अर्थात समावेशी तथा सतत प्रौद्योगिकी विकास का उद्देश्य भारतीय उद्योग में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां और नई संशोधित विनिर्माण प्रौद्योगिकी लाना तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग के फ्रेमवर्क में क्लस्टर आधारित विकास में भारत के अनुभव को साझा करना है। डीपीआईआईटी ने आईसी–आईएसआईडी के अंतर्गत चमड़ा, लुगदी और कागज, सीमेंट और साइकिल से संबंधित 4 प्रमुख परियोजनाओं को शुरू किया है। इनमें से सीमेंट और चमड़ा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दिनांक 01.01.2017 को शुरु की गई बाइसिकल परियोजना का प्रचालन दिनांक 30.11.2019 को बंद हो चुका है। दिनांक 01.08.2019 को शुरु लुगदी और कागज परियोजना अभी जारी है तथा इसके 31.07.2022 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

1.18 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का औद्योगिक विकास

1.18.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) – 2017 को अधिसूचित किया है, जो 1.4.2017 से 31.3.2022 तक प्रभावी है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन में निम्न शामिल हैं– (i) ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) (ii) केंद्रीय ब्याज सब्सिडी (सीआईएस) (iii) केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) (iv) माल और सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति (v) आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति (vi) परिवहन प्रोत्साहन (टीआई) और (vii) रोजगार प्रोत्साहन (ईआई)।

1.18.2 पूर्ववर्ती योजना पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007, के अंतर्गत जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो गई, 27,644 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई। इनसे 2,28,224 लोगों को रोजगार मिला और 31.03.2017 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 11,466.22 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। योजना की शुरुआत से अब तक, पूर्वोत्तर राज्यों को 2749.04 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) में, इस योजना के तहत 326.33 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

1.18.3 22 जनवरी, 2013 से प्रभावी मालभाड़ा सब्सिडी योजना, 5 वर्षों की अवधि के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू है। यह योजना 22.11.2016 से बंद कर

दी गई है। हालांकि, बंद करने से पहले योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी। योजना की शुरुआत से अब तक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 5312.54 करोड़ रूपए (लगभग) की राशि जारी की गई है।

1.19 लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का औद्योगिक विकासः

1.19.1 एक नई योजना, नामतः लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास योजना (एलएएनआईडीएस), 2018 को लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अधिसूचित किया गया है और यह 1.4.2018 से 31.3.2020 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन हैं (i) ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) (ii) केंद्रीय ब्याज सब्सिडी (सीआईएस) (iii) केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) (iv) माल और सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति (v) आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति (vi) परिवहन प्रोत्साहन (टीआई) और (vii) रोजगार प्रोत्साहन (ईआई)।

1.19.2 इस योजना को गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

1.20 औद्योगिक अवसंरचना विकास कार्यक्रम – संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस)

1.20.1 वैश्विक प्रतिस्पर्धा की संभावना वाले चुनिंदा कार्यात्मक क्लस्टर/अवस्थानों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान कर घरेलू उद्योगों की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में औद्योगिक अवसरंचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) की शुरूआत की गयी थी। आईआईयूएस के तहत, 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी थी और इन परियोजनाओं को मंजूर की गई 1429.25 करोड़ रूपए (दिनांक 23.12.2019 तक) के केंद्रीय अनुदान में से 1455.64 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

1.20.2 'संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना' (एमआईआईयूएस) को जुलाई, 2013 में अधिसूचित किया गया था। एमआईआईयूएस के तहत, मौजूदा औद्योगिक पार्कों/संपदाओं, क्षेत्रों में अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ भी शुरू की गयी हैं। राज्य सरकार की राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसी (एसआईए) द्वारा परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 50% तक केंद्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है जिसमें राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) का कम से कम 25% योगदान हो और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, केंद्रीय अनुदान और एसआईए का न्यूनतम योगदान क्रमशः 80% और 10% तक। इस योजना के अंतर्गत, 354.91 करोड़ रूपए के केंद्रीय अनुदान से 20 परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन हैं, जिसमें से 5 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। एमआईआईयूएस के अंतर्गत 20 परियोजनाओं को 329.58 करोड़ रुपए (31.12.2019 तक) की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। एमआईआईयूएस योजना 31.03.2017 तक वैध थी और इस योजना के तहत कोई नई परियोजना नहीं ली जा रही है। वर्ष 2019–20 में 18.00 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 11.12 करोड़ रुपए (दिनांक 31.12.2019 तक) संवितरित किए गए।

1.21 औद्योगिक कॉरिडोर

1.21.1 भारत सरकार विकास में तेजी लाने तथा विश्व स्तरीय सतत संपर्क सुविधा अवसंरचना द्वारा पोषित सुनियोजित और संसाधन–दक्ष औद्योगिक आधार के विकास को आसान बनाने, देश में नवप्रयोग, विनिर्माण, रोजगार सृजन और संसाधन सुरक्षा लाने से संबंधित महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त के उद्देश्य से औद्योगिक कॉरीडोरों का विकास कर रही है। डीएमआईसी परियोजना देश में कार्यान्वित किया जा रहा पहला औद्योगिक कॉरीडोर है। औद्योगिक कॉरीडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2016 को मौजूदा डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि (पीआईटीएफ) के कार्यक्षेत्र में विस्तार को अनुमोदित किया और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में

पुनर्निर्मित किया।

1.21.2 वर्तमान में, विकास के लिए निम्नलिखित 5 औद्योगिक कॉरिडोरों का कार्य आरंभ किया गया है:

(1) दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी);

(2) चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी), कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार सहित;

(3) अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी);

(4) पूर्वी तट आर्थिक कॉरिडोर (ईसीईसी), चरण–1 के भाग के रूप में विजाग–चेन्नई औद्योगिक कॉरीडोर (वीसीआईसी) परियोजना सहित; तथा

(5) बेंगलुरु मुंबई आर्थिक कॉरिडोर (बीएमईसी) ।

1.21.3 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी): इस परियोजना को जापान सरकार के सहयोग से शुरु किया गया था। यह परियोजना दादरी (उ.प्र.) और जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी), नवीं मुंबई के बीच 1,504 किमी लंबे वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (ड्ब्ल्यूडीएफसी) के साथ–साथ दोनों ओर विकसित की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में भविष्यदर्शी औद्योगिक शहरों को विकसित करना है जो विश्व के सबसे बेहतर विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का समावेश कर सकें जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों और आर्थिक विकास हो जिससे समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास हो। इस परियोजना में छः राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं।

1.21.4 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) को जनवरी 2008 में परियोजना के विकास, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था। इस कंपनी में जापान सरकार की 26 प्रतिशत इक्विटी है और शेष भारत सरकार तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों जैसे हुडको, आईआईएफसीएल, एलआईसी के पास है। इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने की योजना है। समस्त डीएमआईसी कॉरीडोर के लिए भावी योजना पूरी हो चुकी है। तत्पश्चात गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में चरण–1 के भाग के रूप में पहचाने गए नोडों/शहरों के लिए मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य भी पूरा हो चुका है।

1.21.5 हाल ही में, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना में काफी प्रगति हुई है क्योंकि नोड/शहर स्तरीय/ परियोजना एसपीवी को निगमित किया जा चुका है तथा निम्नलिखित चार स्थानों पर भूमि आबंटन का कार्य जारी है जहां निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है।

i. गुजरात में अहमदाबाद–धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (22.5 वर्ग किमी. एक्टीवेशन एरिया)

ii. महाराष्ट्र में शेन्द्रा–बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (18.55 वर्ग किमी. एक्टीवेशन एरिया)

iii. ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में एकीकृत औद्योगिक टाऊनशिप परियोजना (747.5 एकड़)

iv. उज्जैन, मध्य प्रदेश में 'विक्रम उद्योगपुरी' में एकीकृत औद्योगिक टाऊनशिप परियोजना (1100 एकड़)।

1.21.6 माननीय प्रधानमंत्री ने शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र (डीएमआईसी के तहत) राष्ट्र को समर्पित किया है। उपर्युक्त चारों (4) नोड्स के लिए 67 भूखंड आबंटित किए जा चुके हैं। प्रमुख निवेशकों में हायर (123.7 एकड़), ह्योसंग (100 एकड़), अमूल (12 एकड़) और टाटा कैमिकल्स (126 एकड़) शामिल हैं। चार प्रमुख उद्योगों ने पहले ही शेंद्रा में उत्पादन शुरु कर दिया है।

1.21.7 उपर्युक्त शहर/नोड स्तरीय परियोजनाओं के अलावा, डीएमआईसी परियोजना के विकास के चरण–1 के रूप में अकेले चल सकने वाली निम्नलिखित परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं:

i. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, दादरी, उत्तर प्रदेश और नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा

ii. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, साणंद, गुजरात;

iii. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (एमएमटीएच), बोराकी, ग्रेटर नोएडा;

iv. दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र।

1.21.8 चेन्नई–बंगलुरू औद्योगिक कॉरीडोर (सीबीआईसी) परियोजनाः चेन्नई–बंगलुरू औद्योगिक कॉरीडोर में सीबीआईसी राज्यों की आंतरिक क्षमता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता से लाभ लेते हुए सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से अवसंरचनात्मक कठिनाइयों को दूर करने का प्रस्ताव है। संपूर्ण सीबीआईसी क्षेत्र के लिए भावी योजना बनाई गई है और आगे विकास के लिए तीन प्राथमिकता नोडों की पहचान की गई है। ये हैं कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश), पोन्नेरी (तमिलनाडु) तथा तुमकुर (कर्नाटक)।

1.21.9 आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम नोड और कर्नाटक में टुमकुर नोड के लिए, परियोजना एसपीवी को एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार/सरकारों के बीच शामिल किया गया है। इसके अलावा, दोनों नोडों के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी है। कृष्णपटनम और तुमकुर के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

1.21.10 अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) : उत्तरी और पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (एकेआईसी) के लिए परियोजना विकास गतिविधियां शुरू कर दी है। इसे इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के आस–पास मुख्य आधार के रूप में बनाने का प्रस्ताव है। एकेआईसी के अंतर्गत सात राज्यों यथा पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर किया जाएगा।

1.21.11 संपूर्ण एकेआईसी क्षेत्र के लिए भावी योजना पूरी कर ली गई है और एकेआईसी राज्यों में प्रत्येक में एक के आधार पर सात एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) स्थलों नामतः गमहरिया (बिहार), राजपुरा–पटियाला (पंजाब), साहा (हरियाणा), प्राग–खुरपिया फार्म्स (उत्तराखंड), भौपुर (उत्तर प्रदेश), बरही (झारखंड) और रघुनाथपुर (पश्चिम बंगाल), की पहचान की गई है। पश्चिम बंगाल आईएमसी स्थल के लिए विस्तृत मास्टर आयोजना एवं प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ रघुनाथपुर के लिए शेयर धारक करार (एचएचए) और राज्य सहायता करार (एसएसए) और उत्तराखंड सरकार के साथ प्राग–खुरपिया फार्म्स के लिए और शेयरधारक करार (एसएचए) के साथ भूमि अधिग्रहण और राज्य सहायता करार (एसएसए) को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है।

1.21.12 चरण 1 के भाग के रूप में विजाग चेन्नई औद्योगिक कॉरीडोर (वीसीआईसी) परियोजना सहित पूर्वी तट आर्थिक कोरिडोर (ईसीईसी), : पूर्वी तट आर्थिक कारिडोर (ईसीईसी) भारत का प्रथम समुद्री तट कारिडोर है और विशाखापटनम–चेन्नई औद्योगिक कारिडोर (वीसीआईसी) इस परियोजना का चरण–1 है। वीसीआईसी को गोल्डन चतुर्भुज के साथ–साथ विकसित किया गया है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाने के लिए परिकल्पित किया गया है। वीसीआईसी के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा अवधारणा विकास योजना (सीडीपी) तैयार की गई है और विकास के लिए विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, दोनाकोंडा और चित्तूर की पहचान कर ली गई है। दो प्राथमिकता वाले नोड अर्थात विशाखापट्टनम और चित्तूर की मास्टर प्लानिंग पूरी हो गई है।

1.21.13 बेंगलुरू मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (बीएमईसी) परियोजना : बेंगलुरू मुंबई आर्थिक कारिडोर की परिकल्पना दो राज्यों के लिए नियोजित एवं संसाधन दक्ष औद्योगिक आधार के विकास को सुकर बनानेके लिए की गई है। भावी योजना पूरी कर ली गई है। आगामी विकास के लिए कर्नाटक में धारवाड़ नोड की प्राथमिकता नोड के रूप में पहचान की गई है।.

1.21.14 इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) द्वारकाः

1.21.14.1 भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक 25,703 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सेक्टर–25, द्वारका, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) के विकास के साथ–साथ पीपीपी और गैर–पीपीपी मोड से संबद्ध अवसंरचना (प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन स्थल, मैदान, मुख्य अवसंरचना, मेट्रो/एनएचएआई कनेक्टिविटी, होटल, कार्यालय और खुदरा व्यापार क्षेत्र सहित) को अनुमोदित किया है। सरकार ने आईआईसीसीए द्वारका परियोजना के कार्यान्वयन और

विकास के लिए डीपीआईआईटी के माध्यम से सरकार की 100% इक्विटी के साथ एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के रूप में एक नई सरकारी कंपनी के निगमीकरण को मंजूरी दी है । परियोजना के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम अर्थात् इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी लिमिटेड) को दिनांक 19.12.2017 को निगमित किया गया है जो डीपीआईआईटी के माध्यम से भारत सरकार के 100% स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है।

1.21.14.2 प्रदर्शनी–सह–कन्वेंशन सेंटर के साथ परियोजना के मुख्य अवसंरचना वाले चरण –1 को लागू किया जाएगा और इसे 2020–21 तक शुरु करने की योजना बनाई गई है। इन्हें गैर–पीपीपी घटक के रूप में लागू किया जाएगा। चरण– I के विकास के लिए ईपीसी ठेकेदार तथा प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के लिए ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। शेष प्रदर्शनी क्षेत्र से वाले परियोजना के चरण –2 को 2025 तक लागू किया जाएगा। पीपीपी डेवलपर्स द्वारा पीपीपी घटकों को लागू किया जाएगा जिसमें होटल, खुदरा व्यापार और कार्यालय शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 20 सितंबर, 2018 को इस परियोजना की आधारशिला रखी। प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के लिए ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं।

1.21.14.3 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का आईआईसीसी परियोजना तक विस्तार करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डीएमआरसी द्वारा मेट्रो कनेक्टिविटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और प्रदर्शनी हॉल – 3 के तहत टनल बनाने का कार्य डीएमआरसी द्वारा पूरा किया गया है तथा इसे आगे के निर्माण कार्यों के लिए एल एंड टी को सौंप दिया गया है। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को परियोजना के लिए ऋण जुटाने में आईआईसीसी की सहायता के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईसीसी की बोर्ड की मंजूरी से 2150.16 करोड़ रुपए का सावधि ऋण प्रदान करने के लिए 31 जनवरी, 2019 को एसबीआई को एलओए जारी किया गया है। राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम) को थर्ड–पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी (टीपीक्यूए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

1.21.14.4 आईआईसीसी द्वारका को बिजली की बड़े पैमाने पर आपूर्ति के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 15.01.2019 को पहली किस्त के रूप में बीआरपीएल को 40 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बीएसईएस द्वारा आईआईसीसी भूखंड तक फीडर केबल बिछाने और जीआईएस सबस्टेशन की खरीद का काम पूरा हो गया है। एनएचएआई द्वारा विकसित किए जा रहे आईआईसीए को बाहरी सड़क संपर्क के लिए 18.66 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए डीडीए को अग्रिम भुगतान के लिए आईआईसीसी से एनएचएआई को 92.39 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावाए इस निर्माण कार्य के लिए एनएचएआई को 87.50 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेस–वे के विकास के पैकेज –1 के लिए जे. कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एलओए प्रदान किया है (जिसमें आईआईसीसी कॉम्प्लेक्स के लिए सड़क संपर्क शामिल है)। डीडीए ने आईआईसीसी लिमिटेड को आईआईसीसी स्थल (दक्षिणी ओर) से सटे हरित क्षेत्र में 34 हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाने और सार्वजनिक पार्क के रूप में इसका रखरखाव करने की अनुमति दी है।

1.22 हिमालयी राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज–2017 (आईडीएस–2017)

1.22.1 पूर्ववर्ती योजनाएँ (विशेष पैकेज़ I तथा II): औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जून, 2002 से 14 जून, 2012 तक से जेएंडके पैकेज–I और 15 जून, 2012 से 14 जून, 2017 तक पैकेज–II के नाम कई रियायतें पेश की थीं जिसका उद्देश्य औद्योगीकरण को बढ़ावा देना था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए डीआईपीपी द्वारा 7.1.2003 से 6.1.2013 तक विभिन्न रियायतों की शुरुआत की गई थी।

तत्पश्चात संशोधित योजना अर्थात् पैकेज–II 07.03.2013 से 31.03.2017 तक प्रभावी रही।

1.22.2 वर्तमान वर्ष में हुई प्रगतिः वर्तमान वर्ष 2019–20 के दौरान 131.75 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई। 492 औद्योगिक इकाइयाँ को 79.70 करोड़ रुपए (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख), 133 औद्योगिक इकाइयों को 31.01 करोड़ रुपए (हिमाचल प्रदेश) और 107 औद्योगिक इकाइयाँ को 21.04 करोड़ रुपए (उत्तराखंड)।

1.22.3 वर्तमान स्कीमः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) 2017: हिमालयी राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, डीपीआईआईटी ने नई औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) शुरु की है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित लद्दाख प्रदेश के लिए 15.06.2017 से 31.03.2020 तक तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु आईडीएस के लिए 01.04.2017 से 31.03.2022 तक प्रभावी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए दिनांक 31.03.2020 से आगे इस योजना को जारी रखने का निर्णय मूल्यांकन के बाद लिया जाएगा। योजना में निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:

(i) ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)

(ii) केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई)

(iii) केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई) (केवल जम्मू और कश्मीर के लिए)

1.22.4 जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त लाभः भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर राज्य (अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ दिए हैं जो दिनांक 01.01.2019 को जारी अधिसूचना 2 (2)/ 2018–एसपीएस के अनुसार दि. 15.06.2017 से प्रभावी हैं।

1) जीएसटी प्रतिपूर्ति

2) आयकर प्रतिपूर्ति

3) परिवहन प्रोत्साहन

4) रोजगार प्रोत्साहन

1.22.5 की गई प्रगतिः वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित प्रगति हुई है:

क) योजना के तहत नई औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

ख) 499 (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर –87, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख– 3, हिमाचल प्रदेश– 256 और उत्तराखंड–153) औद्योगिक इकाइयां अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पंजीकृत की जा चुकी हैं।

1.23 जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सिक्किम सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित पात्र इकाइयों को बजटीय सहायता की योजना।

1.23.1 पहले से उत्पाद शुल्क छूट का लाभ उठा रही औद्योगिक इकाइयों को बजटीय सहायता प्रदान करने संबंधी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसरण में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने दिनांक 5.10.2017 को 'तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य (अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख), उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित पात्र इकाइयों को वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में बजटीय सहायता स्कीम' अधिसूचित की थी। यह स्कीम 1.7.2017 से 30.6.2027 तक लागू रहेगी।

1.23.2 इस स्कीम को सद्भावना के उपाय के तौर पर प्रदान किया गया है ताकि 10 वर्षों की कुल अवधि में से शेष अवधि के लिए प्रतिबद्ध देयता को जारी रखा जाए। इस नई स्कीम के अंतर्गत, औद्योगिक इकाइयों से एकत्र सीजीएसटी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी तक की बजटीय सहायता

प्रदान करने का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 2192 इकाइयों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्कीम के अंतर्गत 1700/– करोड़ रुपए का बजट अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में, डीपीआईआईटी ने औद्योगिक इकाइयों को रिफंड हेतु सीबीआईसी को 1700/– करोड़ रुपए प्राधिकृत किए हैं। दिनांक 24.01.2020 तक, योजना के तहत पात्र पंजीकृत इकाइयों को सीबीआईसी द्वारा 1697.63 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

1.23.3 स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, इकाइयों का एक बार निरीक्षण किया जाना है। इस विशाल कार्य को करने के लिए, डीपीआईआईटी द्वारा 95 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों, सीजीएसटी अधिकारियों और राज्य अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

1.24 विनिर्माण क्लस्टरों के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीएमसी)

1.24.1 सितंबर 2016 में सरकार द्वारा गठित वाणिज्य और उद्योग संबंधी सचिवों के समूह ने सिफारिश की कि नीति आयोग संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के सहयोग से विनिर्माण क्लस्टरों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना का समन्वय और विकास कर सकता है।

1.24.2 राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के कई मॉडल में अभिसरण लाना है ताकि बेहतर लागत दक्षता प्राप्त की जा सके और संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

1.24.3 सचिवो के समूह की अनुशंसाओं के अनुसरण में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने देशभर में औद्योगिक अवसंरचना से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रभाग और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जिओ इनफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) के सहयोग से औद्योगिक सूचना यूआरएल (URL:www.ncog.gov.in/IIS) विकसित किया। आईआईएस का बीटा वर्जन 15 मई, 2017 को आम जनता के लिए शुरु किया गया था।

1.24.4 केंद्र सरकार, मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा उक्त पोर्टल पर जानकारी डाली गई है तथा आवधिक रूप से इसे अद्यतन किया जाता है। आईआईएस देशभर में क्लस्टर, पार्क, नोड, जोन आदि सहित औद्योगिक क्षेत्रों के जीआईएस समर्थित आंकड़े उपलब्ध कराती है। यह पोर्टल प्रभावी आयोजना और औद्योगिक निवेश के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में भी कार्य करता है। कृषि और बागवानी के कच्चे माल की उपलब्धता से संबंधित जानकारी को भी जीआईएस से जोड़ दिया गया है। जीआईएस मैपिंग फीचर लाइट इंजीनियरिंग, भारी मशीनरी विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और संबद्ध पुर्जों के विनिर्माण, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे औद्योगिक क्लस्टरों की मौजूदगी; प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों से उनकी दूरी, मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए दी जा रही प्रोत्साहन योजना का पता लगाने में मदद करता है।

1.24.5 पिछले वर्षों के दौरान, आईआईएस वेब पोर्टल का विकास हुआ है तथा वर्तमान में लगभग 4.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैले करीब 3355 पार्क/ क्लस्टर इस प्रणाली से जोड़े गए है। इस संबंध में पणधारी परामर्श के लिए अनेक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी। आंकड़ों की प्रविष्टि में सुगमता लाने तथा जानकारी के अंतरण में सहायता करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा संबंधित राज्यों में कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया था।

1.24.6 आईआईएस एक स्वतंत्र वेब पोर्टल है जो विभिन्न औद्योगिक पार्कों में उपलब्ध भूमि, उनकी क्षमता, उनका कब्जा, उनमें उपलब्ध प्रोत्साहन संबंधी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराकर विभिन्न सरकारी पणधारियों, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर्स, उद्योगों और निवेशकों सहित विभिन्न पणधारियों को लाभान्वित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, इससे समुचित पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यवस्था स्थापित होगी जिससे जानकारी की विषमता की समस्या समाप्त होगी।

1.25 डीपीआईआईटी द्वारा प्रशासित विशिष्ट उद्योग

1.25.1 यह विभाग सामान्यतः औद्योगिक वृद्धि तथा

उत्पादन की निगरानी करता है तथा चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों जैसे चमड़ा, सीमेंट, कागज तथा लुगदी, टायर और रबड़, हल्के विद्युत उद्योग, उपभोक्ता वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, हल्के मशीनी उपकरण, हल्की औद्योगिक मशीनरी, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग आदि, जैसा कि कार्य आबंटन नियमावली, 1961 में उल्लेख किया गया है, की विशेष रूप से निगरानी करता है।

1.25.2 भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) 2017–18 से 2019–20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका कुल परिव्यय 2600/– करोड़ रुपये है। इस योजना का उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र के लिए अवसंरचना का विकास करना, चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, अतिरिक्त निवेश में सहायता करना, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि करना है।

1.26 निवेश संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1.26.1 यह विभाग निवेश नीतियों एवं प्रक्रियाओं तथा उपलब्ध अवसरों के बारे में संभावित निवेशकों को सलाह प्रदान कर भारत में निवेश परिवेश तथा अवसरों के संबंध में सूचना के संवितरण के माध्यम से निवेश संवर्धन में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। औद्योगिक सहभागिता हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं के माध्यम से, प्राप्त किया जाता है। यह विभाग शीर्ष उद्योग संघों यथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संबद्ध मंडल (एसोचेम), आदि के साथ भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनों पहलों के जरिए औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी क्रियाकलापों का समन्वय भी करता है।

1.27 औद्योगिक गतिविधि, उत्पादन और कीमतों की निगरानी

1.27.1 डीपीआईआईटी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम), औद्योगिक लाइसेंस, आशय पत्र (एलओआई), विदेशी निवेश के आकड़े और औद्योगिक उत्पादन विवरणी से संबंधित सूचना को क्रम–वार संकलित करने के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। विभाग मासिक आधार पर 8 प्रमुख अवसंरचना उद्योगों के उत्पादन को संकलित करता है और उनका इंडेक्स भी तैयार करता है। इसके अतिरिक्त विभाग मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) को प्रकाशित करता है जो स्फीति पर आधिकारिक सूचना के लिए आधार तैयार करता है।

1.28 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन परिषदः

1.28.1 चिकित्सा उपकरण उद्योग (एमडीआई) स्वास्थ्य देखभाल का परिवेश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य है दिसंबर, 2018 में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद स्थापित किया गया है चूंकि भारतीय विनिर्माण कंपनियां और स्टार्टअप्स नए उत्पादों के सृजन के लिए कार्य कर रहे हैं इसलिए परिषद की स्थापना से इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को गति मिलेगी।

1.28.2 इस परिषद की अध्यक्षता सचिव, डीपीआईआईटी द्वारा की जाती है। भारत सरकार के संबंधित विभागों के अलावा इसमें स्वास्थ्य देखभाल उद्योग तथा गुणवत्ता नियंत्रण संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, विशाखापत्तनम इस परिषद को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य और कार्यकलाप होंगे:

(i) भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए यह सुविधाप्रदाता और प्रोत्साहन तथा विकास निकाय के तौर पर कार्य करेगा।

(ii) यह आवधिक रूप से सेमीनारों, कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और सभी संबंधित नेटवर्किंग कार्यकलाप करेगा जिससे उद्योगों के विचार प्राप्त किए जा सके और क्षेत्र की सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटियों को समझा जा सके तथा यह चिकित्सा उपकरणों की औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों में उन्हें शामिल करने के लिए विभिन्न मानदंडों पर विचार करेगा।

(iii) यह अनावश्यक प्रक्रियाओं की पहचान करेगा और संबंधित एजेंसियों तथा विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा ताकि चिकित्सा उपकरण उद्योग संवर्धन और विकास में शामिल अनुमोदन प्रक्रियाओं को आसान किया जा सके।

(iv) नए कार्यकलापों को शामिल करने तथा विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा ताकि वैश्विक व्यापार मानदंडों के स्तर को प्राप्त किया जा सके और इस क्षेत्र में भारत को एक निर्यात आधारित बाजार बनाया जा सके।

(v) वैश्विक बाजार की बेहतर परिपाटियों को दर्ज करते हुए चिकित्सा उपकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के वितरण और दस्तावेजीकरण में सहायता प्रदान करेगा ताकि इस उद्योग की विनियामक और गैर–विनियामक आवश्यकताओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त किया जा सके।

(vi) भारतीय विनिर्माताओं की क्षमताओं की पहचान कर तथा आयात में अनुचित व्यापार परिपाटियों को हतोत्साहित करके एक सुदृढ़ गतिशील वरीयता बाजार पहुंच (पीएमए) नीति को बढ़ावा देना; साथ ही डीपीआईआईटी और डाक विभाग (डीओपी) के पीएमए दिशानिर्देशें का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश के सार्वजनिक प्राप्ति नोटिस की सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करना।

(vii) चिकित्सा उपकरण उद्योग क्षेत्र की सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) तथा अन्य ऐसी इकाइयों का वैधीकरण करना जो उद्योग का मूल्यवर्धन करे और विनिर्माण को सुदृढ़ करे ताकि नए प्रवेशकर्ताओं को आधार मिल सके।

(viii) उद्योगों के फीडबैक और नीति तथा प्रक्रिया संबंधी कार्यकलापों के बारे में वैश्विक परिपाटियों के आधार पर सरकार को सिफारिश करना ताकि संबंधित बाजारों के लिए व्यापार कार्यकलापों सहित चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके।

1.29 ई–कॉमर्स

1.29.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ई–कॉमर्स नीति के निर्माण, आचरण और ई–कॉमर्स संबंधी सचिवों के स्थायी समूह (जीओएस) की सिफारिशों के अनुपालन, स्टेकहोल्डर्स की बातचीत, ई–कॉमर्स के क्रॉस कटिंग पहलुओं संबंधी अंतर–विभागीय समन्वय तथा इनके चर्चा पत्रों के विश्लेषण सहित ई–कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ई–कॉमर्स नीति का प्रारूप 23 फरवरी, 2019 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था और अब तक इस पर लगभग 120 टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं।

1.29.2 यह विभाग अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे डब्ल्यूओ, जी20, भारत–पेरू व्यापार वार्ता, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि में भारत की स्थिति को आगे रखने तथा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में ई–कॉमर्स के लिए बातचीत का मुख्य पक्ष था।

1.30 आंतरिक व्यापार

1.30.1 दिनांक 27.01.2019 की राजपत्रित अधिसूचना का.आ 503 (अ), भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली,1961 के अनुसार जनवरी, 2019 में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) कर दिया गया था और इसे आंतरिक व्यापार के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया था। डीपीआईआईटी को खुदरा व्यापार और व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों के कल्याण सहित आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थीं।

1.30.2 निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (एनटीडब्लूबी) का गठन किया गया है:–

(i) व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करना।

(ii) व्यापारियों के लिए लागू अधिनियमों और नियमों में सरलीकरण का सुझाव देना।

(iii) व्यापारियों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सिफारिशें करना।

(iv) व्यापारियों के लिए धन तक पहुंच को बेहतर बनाना।

(v) व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे बीमाए पेंशन, स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में सिफारिशें करना।

(vi) व्यापारियों और उनके कर्मचारियों की अन्य समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए सिफारिशें करना।

1.31 तकनीकी विनियम

1.31.1 मानव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, यह विभाग विभिन्न वस्तुओं के संबंध में तकनीकी विनियम तैयार कर रहा है। तकनीकी विनियम, अन्य बातों के साथ–साथ देश में घटिया उत्पादों के आयात को रोकने में भी मदद करेंगे। तकनीकी विनियम बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत शासित हैं। वर्ष 2019 के दौरान, डीपीआईआईटी ने 42 उत्पादों के संबंध में 15 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) पारित किए हैं; 24 उत्पादों वाले 6 क्यूसीओ को अधिसूचित किया गया है जिनमें एलपीजी स्टोवए पारदर्शी फ्लोट ग्लास, प्लग एंड सॉकेट, मीटर, एयर कंडीशनर, केबल, प्रेशर कुकर आदि शामिल हैं। शेष उत्पादों जैसे सुरक्षा ग्लास, फ्लैट पारदर्शी शीट ग्लास, घरेलू उपयोग के उत्पादों, सादे कॉपियर पेपर आदि को शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

1.31.2 नए उत्पादों के लिए तकनीकी विनियमः वाणिज्य विभाग ने तकनीकी विनियम बनाने के लिए 58 नई टैरिफ लाइनें दी हैं। डीपीआईआईटी ने इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

1.31.3 उद्योगों के संवर्धन और वृद्धि के लिए विकास परिषदः औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत, नीतिगत रणनीतियों और तैयारियों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करने में मदद करने के लिए इस विभाग को अनुसूचित उद्योग विकास परिषदों की स्थापना की जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग के वृद्धि और विकास के मार्गदर्शन के विभाग के उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित विकास परिषदों का उल्लेख आवश्यक हैः–

(i) फाउंड्री विकास परिषद्: यह 2014 में फाउंड्री उद्योग के लिए गठित किया गया था और 2017 में 2 साल की अवधि के लिए फिर से अधिसूचित किया गया था। इसे फिर से अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) साइकिल विकास परिषदः दिनांक 15.11.2019 को साइकिल विकास परिषद को अधिसूचित किया गया है।

1.32 वर्ष 2019–20 के दौरान विभाग की अन्य गतिविधियाँ

1.32.1 वर्ष के दौरान डीपीआईआईटी में आयोजित अन्य क्रियाकलापों जैसे 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' ''नेशनल रन फॉर यूनिटी'' तथा 'संविधान दिवस समारोह' में प्रतिभागिता का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–III** में किया गया है।

2
अध्याय

औद्योगिक संवर्धन

2.1 मेक इन इंडिया

2.1.1 यह पहल, भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य और विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक हब बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में सितम्बर, 2014 में शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम चार स्तंभों नामतः नई प्रक्रियाओं, नई अवसंरचना, नए क्षेत्रों तथा नई सोच पर आधारित है।

2.1.2 यह पहल सभी हितधारकों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के आधार पर शुरू की गई है। 21 क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं बनाई गई थीं जिनमें मूलभूत अवसंरचनाएं, विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। इन कार्य योजनाओं में अवसंरचनाओं का सृजन; ईज ऑफ डूइंग बिजनेस; नवाचार और आर एंड डी; वित्तीय प्रोत्साहन तथा कौशल विकास शामिल है।

2.1.3 'मेक इन इण्डिया' पहल का ध्यान अब 27 सेक्टरों पर केन्द्रित है जिनमें 15 विनिर्माण क्षेत्र तथा 12 चैम्पियन सेवा क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण क्षेत्रों से संबंधित योजनाएं उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा समन्वित की जाती है जबकि सेवाओं के लिए सेक्टोरल योजनाएं चैम्पियन सेवा क्षेत्र पहल के अनुरूप वाणिज्य विभाग द्वारा समन्वित की जाती हैं।

2.2 औद्योगिक लाइसेंस

2.2.1 अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची की निरंतर समीक्षा की जाती है। वर्तमान में, कोई भी मदलघु उद्योग क्षेत्र द्वारा विशेष विनिर्माण के लिए आरक्षित नहीं हैं। वर्तमान में, केवल निम्नलिखित दो उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं:

i. परमाणु ऊर्जा (उत्पादन, पृथक्करण या विशेष विखंडनीय सामग्रियों और पदार्थों और सुविधाओं का संचालन) और,

ii. रेलवे का संचालनः रेलवे में अन्य निर्माण, संचालन और रखरखाव गतिविधियों के लिए केवल निजी निवेश की अनुमति दी गई है।

2.2.2 वर्तमान में, केवल चार उद्योगों के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता हैः

i. तंबाकू के सिगार और सिगरेट और तम्बाकू के वैकल्पिक पदार्थ; (हालांकि, स्वास्थ्य के आधार पर इन मदों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं)

ii. इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण;

iii. विस्फोटक फ़्यूज़, सुरक्षा फ़्यूज़, बारूद, नाइट्रोसेलुलोज़ और मैचों सहित औद्योगिक विस्फोटक;

iv. निर्दिष्ट खतरनाक रसायन अर्थात (क) हाइड्रोसिनेनिक एसिड और उसके व्युत्पन्न, (ख) फॉसजीन और इसके व्युत्पन्न और (ग) आइसोसाइनेट्स और हाइड्रोकार्बन के डायसोसायनेट्स, अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं (उदाहरण मिथाइल आइसोसाइनेट)।

2.2.3 औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. सामान्य तौर पर औद्योगिक लाइसेंस की वैधता की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। व्यवसाय करने में और आसानी लाने के उपाय के रूप में, औद्योगिक लाइसेंस की तीन वर्ष की प्रारंभिक

वैधता को दो वर्ष प्रत्येक के दो विस्तारण के साथ सात वर्ष तक की अनुमति दी जाएगी।

ii. औद्योगिक लाइसेंस की वैधता के विस्तार के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण को कारगर बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

iii. उत्पादन की आंशिक शुरुआत को लाइसेंस में शामिल सभी वस्तुओं के उत्पादन का प्रारंभ माना जाता है।

iv. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी–2008) के उन्नत संस्करण को अपनाया गया है, जो एक श्रेष्ठ/परिष्कृत औद्योगिक वर्गीकरण है।

v. 'लाइसेंस प्राप्त रक्षा उद्योग के लिए सुरक्षा नियमावली' जारी की गई है। सुरक्षा नियमावली जारी करने के साथ, आवेदकों से हलफनामे की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

vi. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस में वार्षिक क्षमता का प्रतिबंध हटा दिया गया है।

vii. रक्षा उत्पादन विभाग की मंजूरी के बिना गृह मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य सरकारों और अन्य रक्षा लाइसेंसधारी कंपनियों के नियंत्रण में लाइसेंसधारी को सरकारी संस्थाओं को रक्षा मद बेचने की अनुमति दी गई है।

viii. एनआईसी 2008 कोड के साथ सेक्टर विशिष्ट एफडीआई नीति का मानचित्रण पूरा हो गया है और प्रेस नोट जारी किया गया है।

ix. रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को पहले 2 वर्ष की वैधता अवधि से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है, जिसे अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत 18 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। रक्षा अनुबंधों की लंबी अवधि को देखते हुए, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में ऐसा किया गया था।

x. लाइसेंसधारी को सशस्त्र अधिनियम, 1959 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को पूर्व सूचना के साथ मौजूदा क्षमता से पंद्रह प्रतिशत तक बढ़ी हुई क्षमता के निर्माण की अनुमति दी गई है।

xi. गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1342 (अ), दिनांक 27.10.2017 के द्वारा, अन्य बातों के साथ यह प्रावधान किया गया है कि शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत हथियारों और गोला–बारूद के निर्माण और/या प्रमाण–परीक्षण के लिए प्रपत्र VII में दिया गया लाइसेंस एक लाइसेंस धारक कंपनी के जीवन काल के लिए मान्य होगा, बशर्ते कि लाइसेंसधारी को लाइसेंस देने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर हथियारों और/या गोला–बारूद के निर्माण या सबूत परीक्षण के लिए इकाई स्थापित करने, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती करने, हथियारों और गोला–बारूद के प्रूफ–टेस्ट प्रोटोटाइपों को विकसित करने, परीक्षण और किसी अन्य गतिविधि से संबंधित हथियारों और गोला–बारूद के निर्माण या प्रूफ–टेस्ट के लिए इकाई की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारी से प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व के आधार पर सात वर्ष की अवधि का, तीन वर्ष की अगली अवधि के लिए विस्तार कर सकता है और इस तरह के विस्तार को मंजूरी देने के कारणों को दर्ज कर सकता है। उपरोक्त के साथ यह शर्त जुड़ी है कि अगर सात वर्ष की अवधि के दौरान या तीन वर्ष की विस्तारित अवधि के दौरान, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारक विनिर्माण या प्रमाण–परीक्षण सुविधा स्थापित करने में विफल रहता है या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए आवश्यक अन्य संचालन कदम उठाने में असमर्थ होता है तो लाइसेंस निलंबित या निरस्त कर दिया जाएगा।

xii. उद्योग लाइसेंस (विकास एवं विनियमन)–आईडीआर अधिनियम 1951/शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा हेतु एक नया ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल का लिंक https://services.dipp.gov.in है। यह ऑनलाइन पोर्टल 16.10.2018 से,जनता द्वारा आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए उपलब्ध है।

xiii. इसके बाद गृह मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस.ओ. 6203 (अ) दिनांक 14.12.2018, के अनुसार रक्षा उत्पादों की सूची उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,1951 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के अंतर्गत डीपीआईआईटी से अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यक होता है और डीपीआईआईटी प्रेस नोट 1 (2019 सीरीज) दिनांक 01.01.2019 को जारी किया जा चुका यह डीपीआईआईटी प्रेस नोट 3 (2014 सीरीज) दिनांक 26.06.2014 के अधिक्रमण में है। प्रेस नोट 1 (2019 सीरीज) जारी कर रक्षा क्षेत्र में लाइसेंस को और उदार बनाया गया है।

xiv. औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रेस नोट 2 (2019 सीरीज) दिनांक 11.09.2019 में कारोबार करने में और आसानी प्रदान करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक प्रेस नोट 1 (2019 सीरीज) के किसी भी अनुबंध में वे विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं हों, तब तक रक्षा क्षेत्र में किसी भी भाग या सहायक उपकरण के निर्माण के लिए कोई भी औद्योगिक लाइसेंस/शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यह गृह मंत्रालय द्वारा छोटे हथियारों के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए लागू नहीं होगा।

xv. प्रेस नोट 3 (2019 सीरीज) दिनांक 11.09.2019 जारी किया गया, जिसके द्वारा प्रेस नोट 17 (1984 सीरीज) को वापस ले लिया गया।

xvi. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रम नियमों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग,1952 में संशोधन के बारे में अंतिम अधिसूचना, अधिसूचना संख्या जीएसआर 637 (ई) दिनांक 04.09.2019 को प्रकाशित की गई थी और औद्योगिक उपक्रम नियमों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग विनियम, 2019 को 2019 के शीतकालीन सत्र में संसद के सदनों में प्रस्तुत किया गया है।

2.3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

2.3.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है और भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर–ऋण वित्त का एक स्रोत है। भारत सरकार का प्रयास रहा है कि वह एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू करे। सरकार का इरादा एफडीआई नीति को और अधिक निवेशकों के अनुकूल बनाने और देश में निवेश के प्रवाह में बाधा डालने वाली नीतिगत बाधाओं को दूर करने का रहा है।

2.3.2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

2.3.2.1 भारत सरकार की एफडीआई नीति तैयार करने का कार्य डीपीआईआईटी को सौंपा गया है। डीपीआईआईटी द्वारा प्रेस नोट्स के माध्यम से एफडीआई पर नीति की घोषणा की जाती है और डीपीआईआईटी द्वारा की गई नीति घोषणाओं के आधार पर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आवश्यक सूचनाएं जारी की जाती हैं। विभाग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचित प्रेषण के आधार पर भारत में एफडीआई अंतर्वाह पर डेटा बनाए रखता है।

2.3.2.2 भारत में स्वचालित मार्ग या सरकार के अनुमोदन मार्ग से एफडीआई की अनुमति होती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और बढ़ावा देने और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का इरादा और उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और अधिक निवेशक के अनुकूल बनाने का रहा है। अपने घोषित उद्देश्य के अनुरूप, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और आसानी से समझने योग्य नीति ढांचा तैयार किया है। इसके अलावा, एफडीआई नीति प्रशासन को उन क्षेत्रों में लगातार उदार बनाया गया है जहां अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है कि भारत एक अनुकूल और आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहे।

2.3.2.3 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान देश में 62.00 अरब अमरीकी डॉलर का एफडीआई आवक प्रवाह दर्ज किया गया है। पिछले पाँच वर्षों में 284 अरब अमरीकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई, संसाधनों नवीनतम तकनीक और आर्थिक विकास को उच्च गति से आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास को लाता है।

2.3.2.4 मौजूदा एफडीआई नीति की रूपरेखा एक

नकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जिसमें केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को ही एफडीआई नीति दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है, और इन पर रोक लगाते हुए, अन्य सभी क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत100% तक एफडीआई की अनुमति है। एफडीआई नीति दस्तावेज़ में निर्धारित किए गए चयनित क्षेत्र, विनियमित क्षेत्र हैं। इनमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनमें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत लेकिन कुछ शर्तों के साथ एफडीआई की अनुमति है। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें एफडीआई सीमा 100% से कम है, और शर्तों के साथ/या बिना एफडीआई की अनुमति दी जा सकती है। अंतिम रूप से, उन क्षेत्रों में जहां एफडीआई की अनुमति सरकार के अनुमोदन मार्ग से होती है, उन्हें भी एफडीआई नीति दस्तावेज में शामिल किया गया है। उन क्षेत्रों के संबंध में जहां स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एफडीआई की अनुमति है, सरकार से किसी अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जिन क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत,लेकिन शर्तों के साथ एफडीआई की अनुमति है, निवेशकर्ता इकाई को नीति में रखी गई ऐसी शर्तों के संबंध में स्व–अनुपालन करना होगा। सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई के लिएए एक अच्छी तरह से स्थापित, पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र बनाया गया है।

2.3.2.5 एफडीआई नीति को और अधिक निवेशक–अनुकूल बनाने के लिए नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाती है। भावी निवेशकों को भारत में निवेश के माहौल और अवसरों की जानकारी के प्रसार के माध्यम से और निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं और अवसरों के बारे में सलाह देकर सरकार निवेश प्रोत्साहन में सक्रिय भूमिका निभाती है। देश में भारी मात्रा में विदेशी निवेशको बढ़ावा देने और इसे सरल और आसान बनाने के इरादे से, वर्तमान एफडीआई नीति वर्षों में विकसित हुई है। एफडीआई नीति निर्माण और उसके बाद के संशोधनों के दौरान, संबंधित हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्श किया जाता है। इनमें अन्य मंत्रालय/विभाग, आरबीआई, कानूनी फर्म, सलाहकार, उद्योग संघ आदि शामिल हैं।

2.3.3 उदारीकरण और एफडीआई नीति में सुधार

2.3.3.1 वर्ष 2015–16 में, व्यापार करने में आसानी प्रदान करने के उद्देश्य से, लाइसेंस प्राप्त और गैर–संवेदनशील गतिविधियों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखा गया था और निवेश सीमा निर्धारित की गई थी। एफडीआई नीति प्रावधानों को मौलिक रूप से निर्माण विकास, प्रसारण, खुदरा व्यापार, वायु परिवहन, बीमा और पेंशन जैसे क्षेत्रों में पुनर्व्यवस्थित किया गया था। इसके अलावा, देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में समग्र कैप की शुरूआत और एफआईपीबी अनुमोदन सीमा बढ़ाने जैसी पहल भी की गई थी।

2.3.3.2 एफडीआई नीति उदारीकरण और सुधारों की दिशा में पिछले वित्तीय वर्ष में कई उपाय जारी रहे। खुदरा और अन्य वित्तीय सेवा क्षेत्र पर एफडीआई नीति में एक बदलाव किया गया। खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार के लिएए सरकार ने इस शर्त के साथ 100% एफडीआई की अनुमति दी कि इस तरह के खाद्य उत्पाद भारत में निर्मित और/या उत्पादित किया जाए। यह उपाय घरेलू उद्योग को बढ़ावा देता है, स्थानीय रोजगार बनाता है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा के संरक्षण में मदद करता है। सरकार ने वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए वादा किया कि किसी भी वित्तीय क्षेत्र की ऐसी गतिविधि जो एक वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित होती है, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई के लिए पात्र होगी, और केवल अनियमित वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों के लिए अनुमोदन आवश्यक होगा। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, रक्षा, हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे, प्रसारण, पशुपालन और खुदरा व्यापार जैसे अन्य क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार किए गए थे। सरकार द्वारा किए गए सुधार के परिणामस्वरूप देश में एफडीआई अंतर्वाह में वृद्धि हुई है, जो वर्ष दर वर्ष नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। वर्ष 2014–2015 में भारत में एफडीआई प्रवाह 45.15 अरब अमरीकी डॉलर था और तब से इसमें वृद्धि होती रही है।देश ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अपना सबसे अधिक एफडीआई अंतर्वाह 62.00 अरब अमरीकी डॉलर का दर्ज किया, जो अब तक का सबसे उच्च अंतर्वाह है।

2.3.3.3 विगत पाँच वर्षों में एफडीआई इक्विटी और कुल एफडीआई अंतर्वाह नीचे दिया गया है:

(राशि अरब अमरीकी डॉलर में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह	कुल एफडीआई अंतर्वाह
1.	2014-15	29.74	45.15
2.	2015-16	40.00	55.56
3.	2016-17	43.48	60.22
4.	2017-18 (पी)	44.86	60.97
5.	2018-19 (पी)	44.37	62.00

स्रोत: आरबीआई (पी) अनंतिम डेटा है।

2.3.3.4 एफडीआई उदारीकरण और सरलीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, जनवरी, 2018 में, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सुधार किए हैं। एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में लगे संस्थानों के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। एफडीआई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 'रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवा' में रियल एस्टेट व्यवसाय की राशि नहीं है, इसलिए यह स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई के लिए पात्र है। सरकार ने मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी है। पावर एक्सचेंजों, पूर्व निगमन खर्चों के खिलाफ इक्विटी जारी करने/पूंजीगत वस्तुओं/मशीनों/उपकरणों के आयात (उपयोग की गई मशीनों को छोड़कर) जैसे क्षेत्रों में भी एफडीआई सुधार किए गए हैं। दिनांक 18.09.2019 के सरकारी प्रेस नोट 4 (2019) श्रृंखला के अनुसार कोयला खनन, अनुबंध विनिर्माण, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार और डिजिटल मीडिया में एफडीआई नीति को उदार बनाया गया है।

2.3.3.5 इसके अलावा, विदेशी निवेश की मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एफडीआई मंजूरी के लिए एक नया निवेश नियम लागू किया गया है। सरकार द्वारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त कर दिया गया है। एफआईपीबी एक अंतर–मंत्रालयी निकाय था जो अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता था, जिसमें वित्त मंत्री/सीसीई, द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाती थी। नए नियम के अंतर्गत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें एफडीआई के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण और मौजूदा एफडीआई नीति और फेमा के अंतर्गत सरकार की मंजूरी से संबंधित कार्य अब उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआईआईटी) के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों/विभागों संभाला जाता है। डीपीआईआईटी एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (कला और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उत्पादों के लिए), बहु ब्रांड खुदरा व्यापार, खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार, एनआरआई/ईओयू निवेश के मामले में अनुमोदन के लिए नोडल विभाग है। पूँजीगत वस्तुओं/मशीनों/संचालन पूर्व और निगमन–पूर्व खर्चों के खिलाफ शेयरों को जारी करने से संबंधित मामलों पर भी डीपीआईआईटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

2.3.4 डीपीआईआईटी द्वारा विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल: एक नया निवेश पोर्टल, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, संचालित किया गया है। विदेशी निवेश सुविधाकारक पोर्टल निवेशकों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा के लिए भारत सरकार का नया ऑनलाइन सिंगल इंटरफ़ेस है। इस पोर्टल को डीपीआईआईटी द्वारा प्रशासित किया जा रहा है और पोर्टल उन अनुप्रयोगों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा जारी रखेगा जो अनुमोदन मार्ग से होते हैं। डीपीआईआईटी ने मौजूदा एफडीआई नीति के अंतर्गत सरकार के अनुप्रयोगों और निर्णय के प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। एसओपी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा एफडीआई प्रस्तावों के समयबद्ध प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।

2.4 औद्योगिक संवर्धन

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का लगातार प्रयास रहा है कि वह अपने कामकाज को उद्योग के अनुकूल बनाए। औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन अनुभाग आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता नीति को बनाए रखने के लिए प्रमाणित है।

2.4.1 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम)

2.4.1.1 वर्ष 1991 के बाद से उदारीकृत नीति के अनुसार, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्राप्त सभी गैर–एमएसएमई औद्योगिक उपक्रमों (विनिर्माण क्षेत्र के लिए संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ और सेवा क्षेत्र के लिए 5 करोड़

से अधिक) को औद्योगिक सहायता के लिए सचिवालय में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) दाखिल करना आवश्यक है।

2.4.1.2 व्यवसाय करने में आसानी के उपाय के रूप में, जनवरी 2014 से ई–बिज़ के अंतर्गत ऑनलाइन आईईएम दाखिल करना आरंभ किया गया है और 1 नवंबर 2018 को ई–बिज़ पोर्टल के स्थान पर नया पोर्टल जी2बी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मतलब यह है कि उद्यमियों को उद्योग भवन, नई दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है और वे आईईएम के लिए 24X7 आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईईएम फॉर्म के भाग 'ए' की प्राप्ति पर 48 घंटे के भीतर एक पावती जारी की जाती है और उद्योग (डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रासंगिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के तुरंत बाद, आईईएम के भाग 'बी'को दाखिल करना आवश्यक है और यह बिना स्वीकृति के 48 घंटों के भीतर जारी किया जाता है। यह क्षमता, स्थिति निवेश और आइटम के निर्माण के बारे में सूचना की पावती है।

2.4.1.3 आईईएम दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित निवेश और औद्योगिक गतिविधि के प्रकार पर नाजुक क्षेत्र के लिए डेटा एकत्र करना है। यह मुख्य रूप से आईईएम मार्ग द्वारा अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त वस्तु के विनिर्माण को रोकने के लिए एक सीमित जांच के उद्देश्य के लिए भी उपयोगी है।

2.4.1.4 अगस्त 1991 से, 31.12.2019 तक 1,27,77,351 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ कुल 1,05,782 आईईएम रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पिछले पाँच वर्षों में एक वर्ष के आधार पर दर्ज किए गए आईईएम की राज्यवार और क्षेत्रवार सूचियाँ **परिशिष्ट–IV और V** में उपलब्ध हैं।

2.4.1.5 अगस्त 1991 से दिसंबर 2019 तक आईईएम योजना की शुरुआत से, कुल 14,742 इकाइयों ने औपचारिक रूप से व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इन आईईएम के संबंध में 29,17,554 करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया है। पिछले पाँच वर्षों से आईईएम के कार्यान्वयन की राज्यवार रिपोर्ट **परिशिष्ट–VI** में उपलब्ध है।

2.5 औद्योगिक निवेश इरादे

2.5.1 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा तैयार की गई औद्योगिक निवेश की जानकारी लाइसेंस वाले क्षेत्र के लिए गैर–एमएसएमई श्रेणी के औद्योगिक उद्यम ज्ञापन और गैर–लाइसेंस क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस (डीआईएल) को शामिल करती है।

2.5.2 इस विभाग की वेबसाइट के माध्यम से निवेशकों की जानकारी के लिए औद्योगिक निवेश पर जानकारी, दैनिक आधार पर दायर आईईएम की जानकारी आदि को प्रसारित किया जा रहा है, जिससे इस प्रभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आती है।

2.6 औद्योगिक प्रदर्शन

2.6.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के उत्पादन और प्राथमिक सामान, पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती माल, बुनियादी ढाँचा/निर्माण माल, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर टिकाऊ उपभोग सामग्री जैसे उपयोग आधारित समूहों पर नज़र रखता है। 2018–19 में बिजली उत्पादन (5.2 प्रतिशत), विनिर्माण (3.9 प्रतिशत) और खनन (2.9 प्रतिशत) वृद्धि के कारण आईआईपी ने 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। इसी अवधि के दौरान उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, प्राथमिक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती माल, आधारभूत संरचना/निर्माण सामग्री, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं में क्रमशः3.5 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

2.6.2 आईआईपी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से अक्तूबर, 2019–20 की अवधि के दौरान 0.5 प्रतिशत की संचयी वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र का सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से अक्तूबर 2019–20 के दौरान क्रमशः 0.5 प्रतिशत, (–) 0.4 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल–अक्तूबर, 2019–20 की अवधि के लिए उपयोग–आधारित वर्गीकरण के अनुसार, प्राथमिक

सामान, मध्यवर्ती माल और उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं में क्रमशः 0.2 प्रतिशत, 11.3 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि, पूंजीगत माल, बुनियादी ढांचे/विनिर्माण सामग्री, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के सूचकांक में क्रमशः (–) 12.0 प्रतिशत, (-) 2.4 प्रतिशत और (–) 7.0 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज है। क्षेत्र–वार और उपयोग–आधारित श्रेणी–वार प्रदर्शन का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिकाः 2.1 औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर

(आधारः 2011–12) (आंकड़े प्रतिशत में)

क्षेत्र	भार	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रै.अक्टू.)
खुदाई	14.37	-5.3	-0.1	-1.4	4.3	5.3	2.3	2.9	-0.4
विनिर्माण	77.63	4.8	3.6	3.8	2.8	4.4	4.6	3.9	0.5
बिजली	7.99	4.0	6.1	14.8	5.7	5.8	5.4	5.2	1.6
समग्र	100.00	3.3	3.3	4.0	3.3	4.6	4.4	3.8	0.5
उपयोग आधारित–वर्गीकरण									
प्राथमिक सामान	34.05	0.5	2.3	3.8	5.0	4.9	3.7	3.5	0.2
पूंजीगत वस्तुएं	8.22	0.3	-3.7	-1.1	3.0	3.2	4.0	2.7	-12.0
मध्यवर्ती सामान	17.22	5.1	4.6	6.1	1.5	3.3	2.3	0.9	11.3
आधारभूत संरचना / निर्माण का सामान	12.34	5.4	5.7	5.0	2.8	3.9	5.6	7.3	-2.4
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	12.84	4.9	5.6	4.0	3.4	2.9	0.8	5.5	-7.0
उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं	15.33	6.1	3.7	3.8	2.6	7.9	10.6	4.0	4.3
आईआईपी	100.00	3.3	3.3	4.0	3.3	4.6	4.4	3.8	0.5

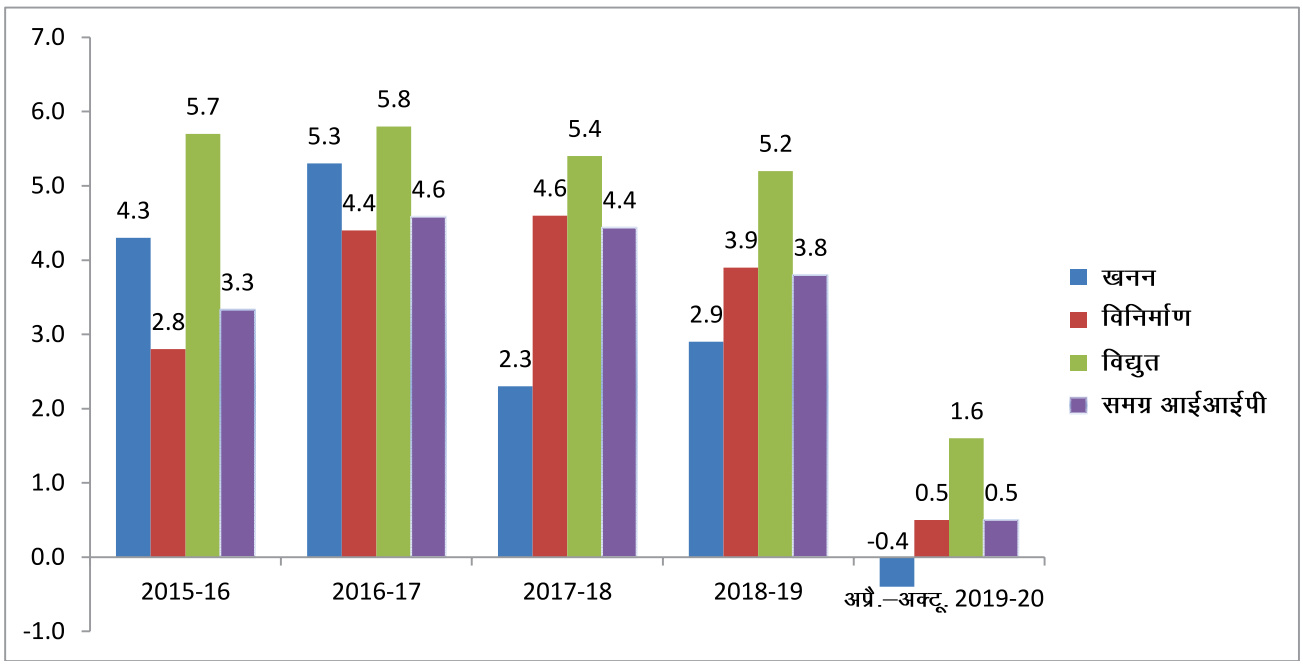
स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

2.6.3 वर्ष 2019–20 के दौरान औद्योगिक प्रदर्शन

2.6.3.1 कुल मिलाकर आईआईपी में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019–20 की अंतिम तिमाही में उद्योग की कम प्रदर्शन के कारण मूल रूप से उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट थी। वर्ष 2019–20 के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में आईआईपी के अनुसार भी 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। इसी अवधि के लिए बिजली उत्पादन में 1.6 प्रतिशत और खनन क्षेत्र में (–) 0.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एनएसओ द्वारा जारी सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, उद्योग सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के 2017–18 में पंजीकृत 5.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2018–19 के लिए 6.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। 2018–19 में विनिर्माण क्षेत्र जीवीए के भी 6.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

2.6.3.2 2–अंकों के वर्गीकरण के अनुसार, खाद्य उत्पादों का निर्माण, पेय पदार्थों का निर्माण, तंबाकू उत्पादों का निर्माण, पहनने वाले परिधानों का निर्माण, लकड़ी का निर्माण और लकड़ी और कागज के उत्पाद, फर्नीचर को छोड़कर; पुआल और प्लाटिंग सामग्री, रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण और बुनियादी धातुओं का निर्माण सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करने वाले उद्योग समूह हैं। प्रमुख क्षेत्रों के लिए वर्ष–वार आईआईपी आधारित विकास दर **ग्राफ 2.1** में दर्शाया गया है।

ग्राफ 2.1: आईआईपी आधारित वर्षवार क्षेत्र विकास दर (प्रतिशत में)



स्रोत: एनएसओ

2.6.4 आठ प्रमुख उद्योगों का प्रदर्शन

2.6.4.1 आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) का सूचकांक हर महीने आठ प्रमुख उद्योगों यानी कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन पर नज़र रखता है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) में इन आठ उद्योगों का भार लगभग 40.27 प्रतिशत है। एनएसए द्वारा आईआईपी जारी करने से 12 दिन पहले आईसीआई जारी किया गया है। 2012–13 से आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर तालिका 2.2 में दी गई है।

2.6.4.2 वर्ष 2018–19 में, आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

2.6.4.3 वर्ष 2019–20 के दौरान, आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उर्वरक, इस्पात और बिजली के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 2.2: आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर

(आंकड़े प्रतिशत में)

क्षेत्र	वजन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रै.–अक्टू.)
कोयला	10.3335	3.2	1.0	8.0	4.8	3.2	2.6	7.4	-5.8
कच्चा तेल	8.9833	-0.6	-0.2	-0.9	-1.4	-2.5	-0.9	-4.1	-5.8
प्राकृतिक गैस	6.8768	-14.4	-12.9	-5.3	-4.7	-1.0	2.9	0.8	-2.6
रिफाइनरी उत्पाद	28.0376	7.2	1.4	0.2	4.9	4.9	4.6	3.1	-1.7
उर्वरक	2.6276	-3.3	1.5	1.3	7.0	0.2	0.03	0.3	2.6
इस्पात	17.9166	7.9	7.3	5.1	-1.3	10.7	5.6	5.1	6.7
सीमेंट	5.3720	7.5	3.7	5.9	4.6	-1.2	6.3	13.3	-0.6
बिजली	19.8530	4.0	6.1	14.8	5.7	5.8	5.3	5.2	1.5
समग्र सूचकांक	**100.0000**	**3.8**	**2.6**	**4.9**	**3.0**	**4.8**	**4.3**	**4.4**	**0.2**

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी;

3
अध्याय

विनियामक सुधार– व्यवसाय करने को आसान बनाना

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 किसी व्यवसाय पर स्थित विनियामक बोझ का उसके प्रदर्शन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। विनियम के अनुपालन में समय और लागत दोनों लगते हैं और इस प्रकार, ये व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं। हालांकि, विनियम यह सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं कि बाजार प्रभावी रूप से काम करते हैं और उत्पादों में या विभिन्न खिलाड़ियों के बीच विश्वास की कमी के कारण विफलनहीं होते हैं। विनियमों को स्वीकार्यता की न्यूनतम सीमा में लाया जाता है और इससे बाजार काम करते हैं।

3.1.2 इन परस्पर विरोधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवश्यक नियम लागू किए जाने के बाद, कार्यान्वयन कुशल और प्रभावी बना रहे। नियमों द्वारा लगाए जाने वाले समय और लागत न्यूनतम होनी चाहिए। कम नियामक बोझ का अर्थ है कि उद्यमी अपना समय उत्पादक गतिविधियों के लिए समर्पित कर सकते हैं।नियामक विशेषज्ञों को संबद्ध करने की आवश्यकता कम होने से लागत भी कम होती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे सरकारी सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार किया जा सकता है।

3.1.3 भारत सरकार ने 2014 के बाद से मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और अनावश्यक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को समाप्त कर एक अनुकूल वातावरण बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ–साथ राज्यों में राज्य सरकारों के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विनियामक सुधारों की एक विस्तृत योजना लागू की गई है।

3.2 विश्व बैंक की व्यापार करने में आसानी (डीबी) रैंकिंग में भारत की रैंक में सुधार

3.2.1 विश्व बैंक इन देशों में एक छोटे आकार के व्यवसाय द्वारा सामना किए जाने वाले नियामक बोझ का आकलन करने के लिए सहभागी देशों/अर्थव्यवस्थाओं का वार्षिक अध्ययन करता है [व्यवसाय करने के रिपोर्ट (डीबीआर), 2019 और 2020 में 190]। भारत के लिए, यह अध्ययन दिल्ली और मुंबई के शहरों में आयोजित किया जाता है। डीबीआर में एक व्यवसाय के जीवनचक्र में फैले 10 संकेतक शामिल हैं।

3.2.2 विश्व बैंक ने 24 अक्तूबर, 2019 को डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 जारी की। व्यवसाय करने में आसानी टीम द्वारा आकलन किए गए 190 देशों में भारत 63 स्थान पर है। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष अपनी रैंक में काफी सुधार किया है और डीबीआर 2019 के अपने 77वें रैंक से 14 रैंक की छलांग लगाई है। विश्व बैंक की डीबीआर 2019 और डीबीआर 2020 में संकेतक के हिसाब से भारत की रैंक निम्नानुसार हैं:

तालिका 3.1 : विश्व बैंक की डीबीआर 2019–2020 में संकेतक के हिसाब से भारत की रैंक

क्रम सं.	संकेतक	रैंक	
		डीबीआर 2019	डीबीआर 2020
1.	कारोबार शुरू करना	137	136
2.	निर्माण अनुमति से निपटना	52	27
3.	बिजली प्राप्त करना	24	22
4.	संपत्ति का पंजीकरण	166	154
5.	ऋण प्राप्त करना	22	25
6.	अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा करना	7	13
7.	अदा किए जाने वाले कर	121	115
8.	सीमा पार व्यापार	80	62
9.	प्रवर्तनीय ठेके	163	163
10.	दिवालिएपन का समाधान	108	52
समग्र		**77**	**63**

3.2.3 भारत ने वर्ष के दौरान 10 में से 7 संकेतकों पर अपनी रैंक में सुधार किया है और दूरी के फ्रंटियर (डीटीएफ) के स्कोर द्वारा की गई गणना में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब पहुंच गया है। भारत का डीटीएफ स्कोर डीबीआर 2019 में 67.5 था, जोडीबीआर 2020 में 71.0 तक सुधरा है। तीन वर्षों में 67 रैंक के सुधार के साथ, भारत को लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। पहल शुरू होने के बाद से 79 रैंकों में सुधार दर्ज करते हुए भारत 2014 के 142वें रैंक से 2019 में 63वें रैंक पर पहुँच गया है।

3.3 प्रमुख संकेतक वार सुधार:

पिछले पाँच वर्षों में देश में कारोबारी माहौल को आसान बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख संकेतक वार सुधार निम्नानुसार हैं:

3.3.1 एक व्यवसाय शुरू करना:

i. कंपनी की मुहर, न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं को हटाना और प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

ii. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की आवश्यकता को दूर करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नई और सरलीकृत वेब आधारित सेवा यानी रिजर्व यूनिक नेम (आरयूएन) का शुभारंभ।

iii. एक अकेला प्रारूप एसपीआईसीई (कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्मिलित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा) पेश किया गया है, जिसमें पांच अलग–अलग एप्लिकेशन– नाम आरक्षण, कंपनी निगमन, निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती/संग्रह खाता संख्या (टैन) को शामिल किया गया है।

iv. 15 लाख भारतीय रुपए तक की अधिकृत शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए निगमन शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

v. भौतिक पैन कार्ड जारी करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, पैन और टैन का निगमन प्रमाण पत्र (सीओआई) में उल्लेख किया गया है जिसे पैन और टैन के लिए पर्याप्त प्रमाण माना जाता है।

vi. पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए आम ऑनलाइन पंजीकरण श्रम सुविधा प्रदान की जाती है।

vii. भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता को हटाते हुए एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से तुरंत मुंबई दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

3.3.2 निर्माण परमिट संबंधी कार्य

i. एक ऑनलाइन प्रणाली लागू करना, जिसने नई दिल्ली नगरपालिका और ग्रेटर मुंबई की नगर पालिका में एकल खिड़की प्रदान कर भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया

है। निर्माण की मंजूरी देने में शामिल सभी एजेंसियों को पोर्टल पर एकीकृत किया गया है और आवेदक को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक एजेंसी में जाने की आवश्यकता नहीं है।

ii. आवेदक द्वारा कई लोगों से संम्पर्क/अंतःक्रिया को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण शुरू किया गया है।

iii. नई प्रणाली से निर्माण परमिट प्रदान करने की प्रक्रियाओं की संख्या और समय में कमी की है।

3.3.3 बिजली प्राप्त करनाः

i. गैर–जरूरी प्रक्रियाओं के उन्मूलन से विद्युत कनेक्शन पाने में शामिल प्रक्रियाओं की संख्या कम हो गई है। इससे एक नए विद्युत कनेक्शन पाने में लगने वाले समय में भी कमी आई है।

ii. आवश्यक दस्तावेजों की संख्या (i) पहचान के प्रमाण, (ii) पते/स्वामित्व/ अधिभोग का प्रमाण, और (iii) कृत्रिम व्यक्तियों के लिए प्राधिकार के प्रमाण तक सीमित है।

iii. इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक लोड आधारित अनुमान पेश किया गया है।

3.3.4 ऋण प्राप्त करनाः

i. व्यापार परिसमापन के दौरान सुरक्षित लेनदारों को पहले भुगतान किया जाता है इसलिए श्रम और कर जैसे अन्य दावों को प्राथमिकता दी जाती है।

3.3.5 कर का भुगतानः

ii. ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए योगदान का भुगतान ऑनलाइन किया गया था।

iii. पूरे देश के लिए केवलएक अप्रत्यक्ष कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से कई अप्रत्यक्ष करों को स्थानांतरित कर, करों का भुगतान करना आसान बना दिया गया है। केंद्रीय बिक्री कर, सेनवैट, राज्य वैट और सेवा कर सहित पिछले बिक्री करों को जीएसटी में मिला दिया गया है। इन करों के एकीकरण से करों का प्रपाती प्रभाव कम हो जाएगा और आदानों पर भुगतान किए गए कर उच्च प्रतिशत तक विश्वसनीय हो जाएंगे।

iv. 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर 30% से घटाकर 25% कर दिया गया है

v. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफएस) पर प्रशासनिक शुल्क मार्च 2017 में मासिक वेतन के 0.85% से घटाकर 0.65% तक कर दिया गया है। कर्मचारियों के जमा लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) पर 0.01% का प्रशासनिक शुल्क हटा दिया गया है।

3.3.6 सीमा पार व्यापारः

i. कंटेनरों की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के कार्यान्वयन, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से निर्यात और आयात के लिए समय और लागत को कम किया गया है।

ii. आयात और निर्यात दोनों के लिए जोखिम–आधारित निरीक्षणों में वृद्धि की गई है, जिससे केवल लगभग 5% वस्तुओं का भौतिक निरीक्षण किया जाता है।

iii. प्रवेश के अग्रिम बिल को अपनाना जो आयातकों को जहाज के आने से पहले सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देता है।

iv. मुंबई में न्हावा शेवा पोर्ट पर 15 नए रबड़ टायर गैन्ट्री क्रेन को अपग्रेड करने के उपकरण। 2,400,000 टीईयू की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के साथ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में चौथे कंटेनर टर्मिनल का चरण–1 फरवरी 2018 में पूरा हुआ।

v. नया कंटेनर टर्मिनल, अडानी सीएमए मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड 1,300,000 टीईयू की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के साथ जून 2017 से पूरी तरह से चालू हो गया है।

vi. अप्रैल 2018 में लागू किया गया, ई–संचित सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड (स्विफ्ट) के अंतर्गत एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली है, जो व्यापारियों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सभी सहायक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

3.3.7 संविदा लागू करना

i. जिला स्तर पर वाणिज्यिक अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 1 करोड़ से घटाकर 3 लाख करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया था।दिल्ली में 75 और मुंबई में 16 अदालतों को वाणिज्यिक अदालत के रूप में नामित किया गया था।

ii. कोर्ट प्रक्रियाओं के मामले में अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता की सुविधा के लिए दोनों शहरों में ई–कोर्ट प्रबंधन के उपकरण पेश किए गए थे। ये उपकरण न्यायाधीशों और वकीलों को उपलब्ध कराए गए थे।

3.3.8 दिवालियापन का समाधान

i. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (आईबीसी) शुरु करने से कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी को संभालने में एक प्रतिमान बदलाव आया है। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि इसकी परिसंपत्ति के टुकड़े–टुकड़े की बिक्री के बजाय, व्यवहार्य इकाई को एक विषय माना जाए।

ii. आईबीसी ने कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी के निपटान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया दी है, जिससे प्रक्रिया में देरी की संभावना सीमित हो गई है।

3.4 राज्यों में विनियामक सुधार–व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)

3.4.1 विभाग ने एक गतिशील सुधार अभ्यास की शुरुआत की, जो 2014 में देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नामित सुधार मानकों के कार्यान्वयन के आधार पर रैंक करने के लिए शुरू की गई थी। इस अभ्यास का उद्देश्य नियामक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने और लाल टेप को काटकर एक निवेशक–अनुकूल व्यावसायिक माहौल तैयार कर एक अनुकूल व्यापारिक वातावरण बनाना है।

3.4.2 एक 98 सूत्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया और उसे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया। इसके बाद,सितंबर, 2015 में "व्यापार सुधारों के राज्य कार्यान्वयन का आकलन" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू सुधारों के निष्कर्षों को शामिल किया गया था। विश्व बैंक ने भी इस सुधार योजना में डीपीआईआईटी के साथ भागीदारी की और अभ्यास को गति देने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशोंके संबंधित विभागों को सुधारों के सार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ 18 संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

3.4.3 डीपीआईआईटी ने 2016 में, 340–पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया, जिसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया गया था। इसमें एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवनचक्र में फैले 10 सुधार क्षेत्रों में 58 नियामक प्रक्रियाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर सिफारिशें शामिल थीं। यह कार्ययोजना भारत में अपनी तरह की पहली योजना थी जिसने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया।

3.4.4 डीपीआईआईटी ने समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम बनाने, कानून के माध्यम से एकल खिड़की एजेंसी की स्थापना के लिए व्यवसायों द्वारा आवश्यक सभी लाइसेंसिंग के लिए संपर्क के एक बिंदु के रूप में सेवा करने के लिए नीतिगत कदम उठाए और 10 श्रम अधिनियम, आदि के अंतर्गत संयुक्त निरीक्षण को अनिवार्य बनाया। निरीक्षणों को सुव्यवस्थित करने और राष्ट्र को 'निरीक्षक राज' से मुक्त करने के लिए व्यापक कार्य किया गया। इसके लिए 10 विभिन्न देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया गया। डीपीआईआईटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया है, जिसे http://eodb.dipp.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें लागू किए गए सभी सुधार सार्वजनिक रूप से देखने के लिए सुलभ हैं। पोर्टल

डायनामिक रैंकिंग भी देता है, जो किसी भी सुधार बिंदु को अद्यतित करने के लिए मान्यता प्राप्त और स्वीकृत है।

3.4.5 31 अक्तूबर 2016 को 340 सूत्रों के कार्यान्वयन पर 48.93%, के राष्ट्रीय कार्यान्वयन औसत के साथ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की अंतिम रैंकिंग जारी की गई, जो 2015 के 32% राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी।

3.4.6 वर्ष 2016 के सुधार देखा गया कि 12 राज्यों ने 90% से अधिक कार्यान्वयन अंक प्राप्त किये और 16 राज्य में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां शामिल हैं, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करने, भुगतान और अनुमोदन के लिए कार्यक्षमता के साथ ऑनलाइन विंडो सिस्टम लागू किया, 15 राज्यों ने विवरण प्रदान करने के लिए एक जीआईएस प्रणाली विकसित की पूरे राज्य में औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के बारे में, 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

3.4.7 वर्ष 2017–18 में, केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली, व्यापार लाइसेंस, कानूनी मेट्रोलॉजी के अंतर्गत पंजीकरण और साझेदारी फर्म और सोसायटी के पंजीकरण जैसे परिवर्धन के साथ सुधार अभ्यास को 372 कार्रवाई बिंदुओं के लिए अद्यतन किया गया था। डीपीआईआईटी ने सुधार प्रक्रिया के लिए कई पहलें कीं जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. सुधारों को लागू करने की प्रासंगिकता और महत्व पर चर्चा करने के लिए 29 जुलाई, 2017 को एक राष्ट्रव्यापी कार्यशाला आयोजित की गई थी।पूरे दिन के सम्मेलन में 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। कार्यशाला में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण भी देखा गया।

ii. एक अनूठी सहायता पद्धति शुरू की गई थी जिसमें अग्रणी राज्यों को पिछड़े राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ जोड़ा गया था। पश्चिम बंगाल द्वारा नागालैंड के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के प्रयास का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

iii. पूर्वोत्तर के कम सुधार स्कोर वाले राज्यों और अन्य के लिए प्राथमिक सुधारों की पहचान की गई थी

iv. त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और कर्नाटक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संबोधित करने के लिए विश्व बैंक के साथ 8 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

v. सभी (8) उत्तर–पूर्वी राज्यों को सहायता देने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की गई थी।

vi. व्यापार सुधार कार्य योजना, 2017–18 का मूल्यांकन डीपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा 10 जुलाई, 2018 को संयुक्त रूप से जारी किया गया था। राज्यों की संबंधित स्थिति तालिका 3.2 में दी गई है।

तालिका 3.2

शीर्ष सफलता पाने वाले (95% से ऊपर)		सफल (90–95%)		तेजी से आरंभ करने वाले (80 – 90%)		आकांक्षी (80% से कम)	
श्रेणी	राज्य	श्रेणी	राज्य	श्रेणी	राज्य	श्रेणी	राज्य
1	आंध्र प्रदेश	10	पश्चिम बंगाल	16	हिमाचल प्रदेश	19	गोवा
2	तेलंगाना	11	उत्तराखंड	17	असम	20	पंजाब
3	हरियाणा	12	उत्तर प्रदेश	18	बिहार	21	केरल
4	झारखंड	13	महाराष्ट्र			22	जम्मू एवं कश्मीर
5	गुजरात	14	ओडिशा			23	दिल्ली
6	छत्तीसगढ़	15	तमिलनाडु			24	दमन एवंदीव
7	मध्यप्रदेश					25	त्रिपुरा
8	कर्नाटक					26	दादरा और नागर हवेली
9	राजस्थान					27	पुडुचेरी
						28	नागालैंड
						29	चंडीगढ़
						30	मिजोरम
						31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
						32	मणिपुर
						33	सिक्किम
						34	अरुणाचल प्रदेश
						34	लक्षद्वीप
						34	मेघालय

3.5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

3.5.1 अभ्यास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं: –

i. 19 राज्यों ने सभी स्वीकृतियों, लाइसेंस, पंजीकरण की समयसीमा, व्यवसाय/औद्योगिक इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया (पूर्व–स्थापना और पूर्व–संचालन) की जानकारी प्रदान करने वाला एक सूचना विज़ार्ड बनाया है।

ii. 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित किया है

iii. 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 45 दिनों के भीतर निर्माण की अनुमति प्रदान की है (30 दिनों में प्रदान की जाने वाली भवन योजना की मंजूरी/7 दिनों में पूरा किए जाने के लिए प्लिंथ स्तर का निरीक्षण, 8 दिनों में अंतिम अधिवास प्रमाण पत्रप्रदान किया गया)। तेलंगाना, असम और तमिलनाडु ने क्रमशः 29, 30 और 37 दिनों की छोटी समयसीमा को अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु ने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का दावा किया है

iv. 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पूरे राज्य में औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के बारे में विवरण प्रदान करने के लिए एक जीआईएस प्रणाली लागू की है

v. 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को घटाकर केवल 2 कर दिया है

vi. 18 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने केंद्रीय संरचना ढांचे के अंतर्गत श्रम, कारखानों, बॉयलर विभागों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किए गए सभी अनुपालनों का निरीक्षण किए हैं।

vii. 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने झारखंड, महाराष्ट्र, और गुजरात जैसे कुछ राज्यों के साथ एक ही लेन–देन में अदालती शुल्क और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान का विलय कर दिया है, यहां तक कि कोर्ट फीस अधिनियम से प्रक्रिया शुल्क भी वापस ले रहे हैं।

viii. 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रदूषण की मंजूरी लेने से छूट प्राप्त सफेद श्रेणी के उद्योगों की एक सूची अधिसूचित की है।

3.5.2 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 2017–18 में नए सेक्टर विशिष्ट सुधारों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू करने वाली थोक दवा लाइसेंस और खुदरा दवा लाइसेंस (फार्मेसी), 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साझेदारी फर्मों और सोसायटी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सिस्टम और 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के अंतर्गत पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की है।

3.5.3 बीआरएपी 2017–18 के अंतर्गत कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त फीडबैक अभ्यास का समावेश किया गया, जिसमें वास्तविक उपयोगकर्ताओं से 78 सुधार बिंदुओं पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वास्तुकार/वकील/नए और मौजूदा व्यवसाय और बिजली के ठेकेदार आदि विभिन्न श्रेणियों में प्रतिवादी डेटा उपलब्ध कराया गया है। सुधार योजना के कार्यान्वयन और विकास, व्यवसाय विनियामक वातावरण में सुधार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकांक्षा के अनुरूप विकसित करने में सफल रहे हैं।

3.6 व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2019–20

3.6.1 बीआरएपी 2019–20 के अंतर्गत मूल्यांकन केवल सेवा उपयोगकर्ताओं और उद्योगों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर आधारित होगा। मसौदा कार्य योजना को पूरी तरह से संशोधित किया गया है और इसमें बीआरएपी 2017–18 के 372 सूत्रों में से 80 को शामिल किया गया है। कार्रवाई बिंदुओं का चयन राज्यों से प्राप्त 100% प्रतिक्रिया आधारित स्कोरिंग और टिप्पणियों पर विचार करते हुए किया गया था। हालाँकि, जीएसटी, निरीक्षण और अनुबंध प्रवर्तन से संबंधित 7 नए बिंदु जोड़े गए हैं:

i. दुकानें और संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के नवीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना;

ii. राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं की सहायता के लिए सेवा केंद्र स्थापित करना;

iii. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाली एक हेल्पलाइन स्थापित करना;

iv. राज्य माल सेवा कर के अंतर्गत अग्रिम प्रशासन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करना और विभाग की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया और जाँचसूची का विवरण प्रकाशित करना;

v. सरकारी माल सेवा कर के अंतर्गत अग्रिम प्रशासन के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी का गठन करना और विभाग की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया और जाँचसूची का विवरण प्रकाशित करना;

vi. शिकायतों के आधार पर जनादेश अचानक निरीक्षण या संबंधित विभागाध्यक्ष से विशिष्ट अनुमति के साथ निरीक्षण करना;

vii. प्रत्येक वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग, वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन हर महीने मामलों की संख्या, आवेदन और अपील दायर करने और ऐसे मामलों की लंबितता, प्रत्येक मामले की स्थिति

और निपटारे वाले मामलों की संख्या के बारे में सांख्यिकीय डेटा बनाए रखेगा और अद्यतन करेगा।

3.6.2 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ,11 अक्तूबर 2018 को, एक 80 सूत्री व्यापार सुधार कार्य योजना 2019–20 साझा की गई थी। सभी सुधार बिंदुओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संशोधित योजना तैयार की गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्यान्वयन की स्थिति बीआरएपी पोर्टल पर साझा की है। उपयोगकर्ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का काम चल रहा है और इसके मार्च, 2020 तक पूरा होने की आशा है। बीआरएपी 2019–20 के लिए केवल उन सुधार बिंदुओं पर प्रतिक्रिया मांगी जाएगी जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू किए गए हैं, अन्य बिंदुओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी जाएगी।

3.7 जिला सुधार कार्य योजना

3.7.1 जिला स्तर के अधिकारी,एक उद्यमी के लिए, प्रमुख संपर्क बिंदु होते हैं, इसलिए सुधार के एजेंडे में एक जिला स्तरीय सुधार अभ्यास अगला तार्किक कदम है। डीपीआईआईटी ने 218 सूत्री जिला सुधार योजना तैयार की है जो 8 क्षेत्रों में फैली हुई है: निर्माण का एक व्यवसाय शुरू करना, शहरी स्थानीय निकाय सेवाएं, कर भुगतान, भूमि सुधार सक्षमकर्ता, भूमि प्रशासन और संपत्ति पंजीकरण सक्षमकर्ता, निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त करना, विविध और शिकायत निवारण/कागज रहित न्यायालय और कानून और व्यवस्था।

3.7.2 डीपीआईआईटी ने 27 फरवरी 2018 को, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उन सभी सरकारी सेवाओं पर जानकारी मांगी थी जो जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती हैं या जिनके कार्यान्वयन में जिलों की भूमिका होती है। बाद में, एक मसौदा जिला सुधार योजना को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और उद्योग निकायों के साथ के साथ साझा की गई थी और 23 मई 2018 को उनके उत्तर मांगे गए थे तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 20 जून 2018 को उनकी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया। 7 राज्यों– आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ने सुझाव दिए थे। 2 अगस्त 2018 को चयनित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों के साथ मसौदा योजना पर एक विस्तृत चर्चा आयोजित की गई थी। उपरोक्त प्रयासों से प्राप्त आदानों पर विचार करने के बाद अंतिम योजना तैयार की गई थी।

3.7.3 जिला योजना में 43 एनओसी/अनुमतियां/पंजीकरण/प्रमाण पत्र शामिल हैं, जिनसे खुदरा बिक्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य और पेय, रियल एस्टेट, रत्न और गहने, खनन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में व्यापार करने में आसानी आएगी।

3.7.4 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के फीडबैक के लिए एक डीपीआईआईटी द्वारा सुझाव प्रश्नावली तैयार की गई है। प्रश्नावली जिला सुधार योजना में सूचीबद्ध सुधारों पर आधारित है। प्रश्नावली जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन और ऑनलाइन सिस्टम के उपयोग की प्रभावशीलता, अनिवार्य समयसीमा के पालन और आवेदक और विभाग/एजेंसी के बीच भौतिक स्पर्श–बिंदुओं की कमी का आकलन करेगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रश्नावली के आधार पर जिलों में प्रतिक्रिया अभ्यास किया जाएगा।

4
अध्याय

स्टार्टअप इंडिया

4.1. दिनांक 16 जनवरी, 2016 को आरंभ की गई स्टार्टअप इंडिया कार्य–योजना उद्यमियों को सहायता प्रदान करने, एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण तथा भारत को रोजगार खोजन वालों के स्थान पर रोजगार सृजन करने वालों के देश में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरूआत की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस योजना को आगे बढ़ाने में सभी केंद्रीय सरकार के विभागों और राज्य सरकारों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए नोडल विभाग के तौर पर कार्य कर रहा है।

4.1.1. दिनांक 19.02.2019 को स्टार्टअप के कार्यक्षेत्र में और उद्यमियों को शामिल करने के लिए स्टार्टअप की परिभाषा संशोधित की गई थी। नई परिभाषा में, एक ऐसी इकाई को उसके निगमन/पंजीकरण की तारीख से दस वर्ष तक स्टार्टअप माना जाएगा, जिसका वार्षिक कारोबार निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।

4.1.2 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) 31 दिसंबर 2019 तक, 555 जिलों में 26,804 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। प्रति स्टार्टअप 12 कर्मचारियों की औसत संख्या के साथ 24,848 स्टार्टअप द्वारा 3,06,848 नौकरियों के रोजगार डेटा की सूचना दी गई है।

4.2 फंड ऑफ फंड्सः

4.2.1 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) में 10,000 करोड़ रुपए का 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (एफएफएस) कोष बनाया है। एफएफएस विभिन्न स्टार्टअप के इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के भंडार में योगदान करेगा। एफएफएस को एसआईडीबीआई द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसके लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

4.2.2 एसआईडीबीआई ने 22 दिसंबर 2019 तक, 47 सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में 3123.20 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की है। इन फंडों ने 25,728 करोड़ रुपए की समग्र कोष जुटाया है। 736.76 करोड़ रुपए एफएफएस से लिए गए हैं और 285 स्टार्टअप में 2,793.93 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

4.3 स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद में छूट वाले मानदंडः

4.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की खरीद नीति (नीति परिपत्र संख्या 1(2)(1)/ 2016–एमए दिनांक 10.03.2016) में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पूर्व अनुभव/कारोबार से संबंधित मानदंडों को शिथिल करने के लिए प्रावधान किया गया है।

4.3.2 व्यय विभाग द्वारा जारी परिपत्र (25.07.2016 और 20.09.2016 को) के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए सभी स्टार्टअप चाहे वे सूक्ष्म और लघु उद्यम हों या अन्य, को सार्वजनिक खरीद में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की स्थिति में राहत देनी है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने इन आदेशों को (08.11.2016 को) सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अग्रेषित किया है।

4.3.3 इसके अलावा, जीएफआर, 2017 में नियम 173 (i) को शामिल किया गया है, जो स्टार्टअप को पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करता है।

4.3.4 जीएफआर 2017 के नियम 170 (i) को 25.07.2017 को संशोधित किया गया है, जिससे डीपीआईआईटी द्वारा सभी स्टार्टअप को सार्वजनिक खरीद निविदाओं में बयाना राशि/बोली सुरक्षा जमा करने से छूट दी गई है।

4.3.5 सरकार को उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए स्टार्टअप के लिए एक समर्पित कोने, जीईएम स्टार्टअप रनवे आरंभ किया गया है। 2,804 स्टार्टअप ने जीईएम पर विक्रेताओं के रूप में पंजीकरण कराया है। स्टार्टअप को 13,666 ऑर्डर दिए गए हैं। स्टार्टअप द्वारा लगभग 463.50 करोड़ रुपए मूल्य के आर्डर को पूरा किया गया है।

4.4 कर प्रोत्साहन:

4.4.1 **तीन वर्ष की आयकर छूट:** भारत में स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से, डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त सभी योग्य स्टार्टअप के लाभ को आयकर अधिनियम की धारा 80आईएसी के अंतर्गत निगमन के बाद से 7 वर्ष की अवधि में से 3 वर्ष के लिए आयकर से मुक्त रखा गया है। इन लाभों का फायदा उठाने के लिए, स्टार्टअप को अंतर–मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अब तक 254 स्टार्टअप को आयकर में छूट दी गई है।

4.4.2 **उचित बाजार मूल्य से ऊपर के निवेश पर कर छूट:** डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को, शेयरों के निर्गम के लिए शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त होने पर आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiबी) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त होती है। स्टार्टअप को {जी.एस.आर. 127 (ई) अधिसूचना के अनुसार} आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viiबी) के प्रावधानों के अनुसार छूट का दावा करने के लिए डीपीआईआईटी को फॉर्म 2 में विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दाखिल करना होगा। संस्थाओं द्वारा फॉर्म 2 में जमा की गई घोषणाओं बारे में, 31 दिसंबर 2019 तक 1,867 संस्थाओं को उनकी प्राप्ति की सूचना भेजी गई है।

4.5 कम लागत पर कानूनी सहायता और फास्ट–ट्रैकिंग पेटेंट जाँच:

4.5.1 स्टार्टअप द्वारा पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन को तेजी से दायर करने की सुविधा के लिए स्टार्टअप आईपीआर प्रोटेक्शन (एसआईपीपी) योजना स्टार्टअप द्वारा दायर पेटेंट की शीघ्र जाँच की सुविधा प्रदान करती है। यह पेटेंट प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करती है। स्टार्टअप पेटेंट दायर करने के शुल्क में 80% छूट और ट्रेडमार्क दायर करने के शुल्क में 50% छूट पाने के पात्र हैं। पेटेंट दायर करने और अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 1,031 सुविधाप्रदाताओं को इस योजना में रखा गया है। सुविधादाता पेटेंट प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया में कानूनी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर, 1,630 पेटेंट आवेदनों को दायर करने के शुल्क में 80% छूट और 474 आवेदनों को त्वरित जाँच की सुविधा दी गई है। 2,895 ट्रेडमार्क आवेदनों को दायर करने के शुल्क में 50% छूट दी गई है।

4.6 स्व–प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था:

4.6.1 स्टार्टअप पर नियामक बोझ को कम करने के लिए पर्यावरण और श्रम कानूनों से संबंधित अनुपालन मानदंडों में ढील दी गई है, जिससे उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और अनुपालन लागत कम रखने की सुविधा मिलती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) ने श्वेत श्रेणी के 36 उद्योगों की एक सूची प्रकाशित की है। "श्वेत श्रेणी" के अंतर्गत आने वाले स्टार्टअप निम्नलिखित 3 पर्यावरण अधिनियमों के संबंध में अनुपालन को स्व–प्रमाणित करने में सक्षम होंगे –

i. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

ii. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर (संशोधित) अधिनियम, 2003

iii. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

4.6.2. इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने राज्य सरकारों को दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत स्टार्टअप को 6 श्रम कानूनों के संबंध में अनुपालन को स्व–प्रमाणित करने की अनुमति दी जाएगी। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहमति के बाद ये अधिनियम प्रभावी हैं:

i. भवन व अन्य निर्माण श्रमिक '(रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

ii. अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979

iii. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

iv. ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

v. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

vi. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948.

4.6.3 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 6 श्रम कानूनों के अंतर्गत स्टार्टअप द्वारा स्व–प्रमाणन की प्रक्रिया को लागू किया है। 9 राज्यों (हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली) ने अपने पोर्टलों को श्रम सुविधा पोर्टल के साथ एकीकृत किया है। कुल मिलाकर, डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त 169 स्टार्टअप ने स्व–प्रमाणन का लाभ उठाया है। स्व–प्रमाणित करने वाले 64 स्टार्टअप की एक सूची श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की गई है

4.7 इनक्यूबेटर और टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना

4.7.1 अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) ने सहायता में अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 102 इनक्यूबेटरों का चयन किया है। इसके अंतर्गत, देश भर में 38 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) और 9 स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर (ईआईसी) चल रहे हैं। इन 38 एआईसी और 9 ईआईसी को कुल 139.91 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

4.7.2 एआईसी/ईआईसी में 620 से अधिक स्टार्टअप इनक्यूबेट किए गए हैं, जिनमें से 121 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट–अप हैं। व्यावसायिक स्थिरता बनाने के लिए 150 से अधिक एमएसएमई का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप का मार्गदर्शन करने के लिए एआईसी/ईआईसी द्वारा 500 से अधिक मेंटर्स तैयार किए गए हैं।

4.7.3 इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) की स्थापना के लिए देश भर में 8,878 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 4,020 को पहले ही 12 लाख रुपए का अनुदान मिल चुका है और वे काम कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं को कुल 482.40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है।

4.7.4 नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज (एएनआईसी) के नाम से चुनौती मार्ग के नवाचार पुरस्कार आरंभ किए हैं।इसके लिए, 5 मंत्रालयों में 24 फोकस क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए आमंत्रित किया गया था और 26 आवेदकों को वित्तपोषण और समर्थन के लिए सूचीबद्ध किया गया है इसके अलावा अतिरिक्त 26 आवेदकों को समर्थन के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

4.8 राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार केंद्रों का निर्माण

4.8.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा 11 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों (टीबीआई) को स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके लिए 42.23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और विभिन्न टीबीआई को 18.69 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। 21 नए टीबीआई (परिकल्पित 15 टीबीआई के अतिरिक्त) और 5 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने का प्रस्ताव है।

4.9 अनुसंधान पार्क

4.9.1 अनुसंधान पार्क स्थापित करने का उद्देश्य शिक्षा जगत और उद्योग के बीच इन्क्यूबेशन और संयुक्त अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रयासों के माध्यम

से सफल नवाचार को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत 8 नए अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए 575 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 250 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। आईआईटी गांधीनगर में जनवरी 2020 तक अनुसंधान पार्क आरंभ होने की आशा है।

4.10 जैव–प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना

4.10.1 जैव–प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पूरे भारत के अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जैव उद्यमिता, जैव क्लस्टर, जैव इन्क्यूबेटरों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय और जैव कनेक्ट कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। पहल के अंतर्गत जैव–प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सीड फंड और इक्विटी फंडिंग सहायता भी प्रदान की जाती है।

4.10.2 कल्याणी, बैंगलोर, फरीदाबाद, और पुणे में चार जैव क्लस्टर चल रहे हैं। इनके लिए 401 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इन जैव समूहों को 300 करोड़ रुपए लिए वितरित किए गए हैं। 2019 में, ईएफसी ने 10 यूआरजेआईटी क्लस्टरों (यूनिवर्सिटी रिसर्च जॉइंट इंडस्ट्री ट्रांसलेशनल क्लस्टर) की स्थापना की मंजूरी दी है। इस मॉडल के अनुसार, क्षेत्र के विश्वविद्यालय क्लस्टर दृष्टिकोण का केंद्रीय हिस्सा बन जाएंगे। 41 जैव–इन्क्यूबेटरों का समर्थन किया गया है और ये सभी काम कर रहे हैं।इनके लिए 272. 26 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 193.88 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। निम्नलिखित पांच जैव–कनेक्ट कार्यालय स्थापित किए गए हैं:

i. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट फॉर क्वांटिटेटिव बायोसाइंसेज (क्यूबी3) के साथ सीसीएएमपी, बेंगलुरु

ii. रोजलिन इनोवेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडिनबर्ग, यूके के साथ सीसीए, एमपी–सहयोगी इनोवेशन हब

iii. यूरोपीय संघ के साथ सीईआईआईसी बायोनेस्ट

iv. टेक्नोपोर्ट एसए बीईएलवीएएल बिजनेस इनक्यूबेटर, लक्ज़मबर्ग के साथ – केआईआईटी बायोनेस्ट

v. स्टार्ट–लाइफ सेंटर, वैगननिंगन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड के साथ– केआईआईटी बायोनेस्ट

4.10.3 वर्ष 2020 – 2021 में 8 अतिरिक्त जैव–कनेक्ट कार्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हैदराबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और पुणे में पहले ही चार बीआईआरएसी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके लिए 16.95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 9.42 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

4.10.4 **बीआईआरएसी सीड फंड** – सीड फंड का मूल उद्देश्य नए और मेधावी विचारों, नवाचारों और प्रौद्योगिकियों वाले स्टार्टअप को पूंजी सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, प्रस्तावित आरंभिक समर्थन प्रमोटरों के निवेश और वेंचर निवेश के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया गया है।

4.10.5 यह निधि उन जैव–इन्क्यूबेटरों को वितरित की जाती है जो इसके बदले में अपने इनक्यूबेट को सीड फंड प्रदान करते हैं। अब तक, वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता की गई है और 25.1 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। 14 जैव–इनक्यूबेटरों के साथ सीड फंड साझेदारों के रूप में बीआईआरएसी का सीड फंड चल रहा है, बीआईआरएसी सीड फंड के लिए 26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और 18.3 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है।

4.11 स्टार्टअप इंडिया पोर्टल

4.11.1 स्टार्टअप इंडिया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किए गए और 31 मार्च, 2016 को इनका शुभारंभ किया गया। www.startupindia.gov.in पोर्टल को भी स्टार्टअप इंडिया हब प्लेटफॉर्म के साथ मिला दिया गया है, जो 19 मार्च, 2017 को आरंभ किया गया था। यह पोर्टल स्टार्टअप के लिए एक आभासी इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करता है जो स्टार्टअप समुदाय को सूचना, ज्ञान, उद्योग कार्यक्रमों, सरकारी योजनाओं और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है और स्टार्टअप के इच्छुकों, स्टार्टअप और इकोसिस्टम बनाने वालों के

लिए एकल–बिंदु डिजिटल मंच प्रदान करता है। यह पोर्टल स्टार्टअप, निवेशकों, निधियों, मेंटर्स, इन्क्यूबेटरों, एक्सेलेरेटरों, कॉरपोरेटों, शिक्षाविदों, सरकारी निकायों और अन्य की सूचना रखता है। ऑनलाइन हब सभी स्टार्टअप और स्टार्टअप के इच्छुको के लिए पूर्व–निःशुल्क सेवाएं, ज्ञान मॉड्यूल और अन्य प्रासंगिक सरकारी योजनाओं की देखरेख करता है।

i. 29 दिसंबर 2019 तक 3,67,773 उपयोगकर्ताओं ने वेबसाइट पर पंजीकरण किया है।

ii. 31 दिसंबर, 2019 तक पोर्टल द्वारा कुल 26,804 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।

iii. कुल 254 स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की धारा 80–आईएसी के अंतर्गत कर छूट प्रदान की गई है।

iv. 29 दिसंबर 2019 तक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और स्टार्टअप इंडिया की ट्विटर सेवा के माध्यम से कुल 1,63,272 प्रश्नों का समाधान किया गया है।

v. स्टार्टअप को बाजार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 31 दिसम्बर, 2019 तक 10 संबंधित देशों (पुर्तगाल, इज़राइल, नीदरलैंड, कोरिया, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, ब्रिटेन, जापान और रूस) से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थापित किए गए हैं।

4.11.2 इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा विभिन्न कॉरपोरेट कार्यक्रमों और आयोजनों हेतु सुविधा प्रदान की जाती है। कॉरपोरेट कार्यक्रमों का उद्देश्य मेंटरशिप, बाजार पहुँच कार्यक्रमों और निवेशक की रुचि या इन्क्यूबेशन अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता जैसे संसाधनों को चैनलाइज़ करना है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल परिवेश में ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए एकल बिंदु शॉप है। विभिन्न सरकारी विभागों और कॉरपोरेटों द्वारा स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर 130 से अधिक इनोवेशन हंट और कार्यक्रम होस्ट किये गये हैं

4.12 शिक्षण और विकास कार्यक्रम

4.12.1 4 सप्ताह का एक प्रशिक्षण और विकास पाठ्यक्रम स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े कार्यक्रमों में से है, जो स्टार्टअप्स और आकांक्षियों उद्यमियों को उनकी उद्यम यात्रा के विभिन्न चरणों में शिक्षित करने के लिए 7 विषयों को शामिल करता है। 2,57,660 से अधिक इच्छुक उद्यमियों द्वारा पाठ्यक्रम का उपयोग किया गया है।

4.13 स्टार्ट अप इंडिया यात्रा

4.13.1 स्टार्टअप इंडिया ने विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और गैर–मेट्रो क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2017 में स्टार्टअप इंडिया यात्रा आरंभ की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जमीनी स्तर के स्टार्टअप आकांक्षियों को इन्क्यूबेशन, सलाह और वित्त पोषण सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम के भाग के रूप में, राज्य के टियर–2 और टियर–3 जिलों में बूटकैंपों का आयोजन किया गया था, जहां प्रतिभागियों ने आइडिएशन वर्कशॉप में भाग लिया और अपने विचार रखे। इन बूटकैंप से चयनित विचार आगे के दो दिवसीय त्वरण कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं।

4.13.2 स्टार्टअप यात्रा का आयोजन 23 राज्यों के 220 जिलों में किया गया है, जिसमें 78,346 इच्छुक उद्यमी शामिल हुए। स्टार्टअप को 105.73 लाख रुपए के कुल 1,424 इन्क्यूबेशन प्रस्ताव दिए गए हैं।

4.14 राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग

4.14.1 प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने स्टार्टअप परिवेश के संवर्धन की दिशा में सक्रिय करने के उद्देश्य से, 6 फरवरी, 2018 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) विभाग द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग संरचना का शुभारंभ किया गया। कुल 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस अभ्यास में भाग लिया। रैंकिंग संरचना संबंधी कार्यकलाप के 7 क्षेत्रों में वर्गीकृत 38 एक्शन पॉइंट्स के 100 अंकों के लिए प्रतिभागी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया था।

4.14.2 एसआरएफ 2018 के परिणामस्वरूप, पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया, नई स्टार्टअप नीतियां शुरू की गईं, सरकार ने नए आदेश जारी किए और कई स्टार्टअपों का समर्थन किया गया। रैंकिंग अभ्यास के कुछ प्रमुख प्रभावों में 25 राज्यों में स्टार्टअप नीतियों का कार्यान्वयन, 3213 स्टार्टअप को सीड फंडिंग शामिल हैं; 163 स्टार्टअप को वेंचर फंड के जरिए फंडिंग; 17 राज्य महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा; राज्य सरकारों द्वारा समर्थित 10.2 लाख वर्ग फुट का इन्क्यूबेशन क्षेत्र; 340 जिलों में 596 उद्यमिता प्रकोष्ठों की स्थापना; 19 राज्यों में 1996 मेंटरों का पंजीकरण और 21 राज्यों में 233 स्टार्टअप कार्यक्रमों का समन्वय किया गया।

4.14.3 विभाग ने 2019 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्टार्टअप परिवेश को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए 'स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क' आरंभ किया है। इसकी रूपरेखा का विवरण सभी राज्य सरकारों के साथ साझा किया जा चुका है। इसके अंतर्गत 1 मई 2018 से 30 सितंबर 2019 तक की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया और मूल्यांकन शुरू हुआ, और मूल्यांकन का कार्य चल रहा है।

4.15 विनियामक सुधार

4.15.1 पूरे देश में छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप को सक्षम करने के लिए जनवरी 2016 से 32 विनियामक सुधार किए गए हैं।

4.15.2 विनियामक प्रशासन में सुधार के लिए, स्टार्टअप इंडिया के भीतर एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। स्टार्टअप के सामने आने वाली विनियामक संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति (सीओएस) का गठन किया गया है।

4.15.3 पूरे देश भर में छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप को सक्षम करने के लिए जनवरी 2016 से (31 दिसंबर 2019 तक) विनियामक सुधारों की सूची नीचे दी गई है:

4.15.3.1 आरबीआई द्वारा किए गए संशोधनः

i. स्टार्टअप उद्यमों को ईसीबी ढांचे के अंतर्गत 3 मिलियन अमरीकी डालर तक के ऋण का उपयोग करने की अनुमति दी गई। (अक्टूबर, 2016)

ii. सेबी पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) अधिसूचना संख्या एफईएमए 20/2000 की अनुसूची 6 में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में संलग्न, किसी भी क्षेत्र की भारतीय कंपनी की पूंजी में स्वतः अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% तक योगदान कर सकता है। (अगस्त, 2017)

iii. एक भारतीय स्टार्टअप जिसके पास एक विदेशी सहयोगी हो, उक्त इकाई द्वारा किए गए निर्यात/बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय और/या प्राप्य अथवा अपनी विदेशी सहायक कंपनी के निर्यात/बिक्री से उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा आय के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है। (जून, 2016)

iv. सॉफ्टवेयर निर्यातकों द्वारा दायर सॉफ्टेक्स फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया (फरवरी, 2019)

4.15.3.2 सेबी द्वारा सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 में किए गए संशोधनः

i. सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, द्वारा 04.01.2017 से किसी एंजेल फंड द्वारा किए गए निवेश की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई।

ii. सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) (संशोधन) विनियम, 2016, द्वारा 04.01.2017 से एंजेल फंड्स को विदेशी निवेश पूंजी उपक्रमों में अपने निवेश योग्य भंडार के 25% तक निवेश करने की अनुमति है।

iii. सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) (संशोधन) विनियम, 2016 के अनुसार 04.01.2017 से किसी योजना में एंजेल निवेशकों की संख्या की ऊपरी सीमा उन्नचास से बढ़ाकर दो सौ कर दी गई है।

iv. सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) (संशोधन) विनियम, 2016, के अनुसार 04.01.2017 से किसी भी उद्यम पूंजी उपक्रम में एंजेल फंड द्वारा न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकताओं को पचास लाख से घटाकर पच्चीस लाख कर दिया गया है।

v. सेबी द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वैकल्पिक निवेश कोष के लिए परिचालन दिशानिर्देश" जारी किया गया। (नवंबर, 2018)

4.15.3.3 कंपनीज अधिनियम में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनः

i. निजी कंपनी के वित्तीय विवरण के संबंध में, (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्ट–अप है) तो वित्तीय विवरण में नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं भी किया जा सकता है (जून, 2017)

ii. एक निजी कंपनी, जिसे उसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट–अप माना जाता है, उसे अपने सदस्यों से बिना किसी भी प्रतिबंध के किसी भी राशि की जमा स्वीकार करने की अनुमति है (सितंबर, 2017)

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 के उद्देश्य से परिभाषित स्टार्टअप परिभाषा के अनुसार, एक स्टार्ट–अप कंपनी का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित निजी कंपनी और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार "स्टार्ट–अप" के रूप में मान्यता प्राप्त है। (जून, 2017)

iv. शेयरधारकों से जमा बढ़ाने के लिए प्रक्रियात्मक अनुपालन से छूट (जैसे कि एक प्रस्ताव परिपत्र जारी करना या जमा पुनर्भुगतान आरक्षित करना)। (जून, 2017)

v. एक निजी कंपनी के संबंध में (यदि ऐसी निजी कंपनी स्टार्ट–अप है), वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव, या जहां कंपनी सचिव नहीं है, कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। (जून, 2017)

vi. एक निजी कंपनी (यदि ऐसी निजी कंपनी एक स्टार्ट–अप है) को एक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में निदेशक मंडल की कम से कम एक एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है और दोनों बैठकों के बीच का अंतर नब्बे दिनों से कम नहीं होना चाहिए ।(जून, 2017)

vii. कंपनी के निगमन के लिए नाम का आरक्षणः एमसीए ने कंपनियां (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 को, कंपनियां (निगमन) के 5वें संशोधित नियम, 2019 से प्रतिस्थापित किया है, जिसमें किसी मौजूदा कंपनी के नाम, कंपनी के अवांछनीय नामों की नई श्रेणियों और उन शब्दों की सूची के साथ समानता पर जिन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है, नए विनियमों का प्रावधान किया गया है ।(मई, 2019)

viii. कंपनियां (शेयर पूंजी और ऋण) नियम, 2014 में संशोधनः कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय ने 16 अगस्त, 2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें स्टार्टअप के प्रमोटरों और निदेशकों को निगमन की तारीख से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक ईएसओपी (10% से अधिक इक्विटी धारण) प्रदान किया जा सकता है और इस प्रकार डीपीआईआईटी अधिसूचना में दिनांक 19 फरवरी, 2019 को उल्लिखित प्रावधानों के साथ कंपनियां (शेयर पूंजी और ऋण) विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। अधिसूचना से कंपनी में अंतर युक्त मतदान अधिकार वाले शेयरों पर सीमा को कंपनी के जारी होने के बाद के 26% से कुल मतदान अधिकार से कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 74% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, कंपनी के लिए डीवीआर शेयरों को जारी करने के लिए पिछले तीन वर्षों के वितरण योग्य मुनाफे का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड होने की शर्त को हटा दिया गया है।

ix. सीएसआर की 2% निधि का केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों पर खर्च किया जा सकता है और

सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और एसडीजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान में लगे स्वायत्त निकायों (आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित) में योगदान किया जा सकता है।

4.15.3.4 आयकर अधिनियम में राजस्व विभाग द्वारा किए गए संशोधनः

i. ऐसी घरेलू कंपनी के मामले में, जिसका पिछले वर्ष में कुल कारोबार या सकल प्राप्ति चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, कुल आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर लगाया जाएगा (फरवरी, 2018)

ii. स्टार्ट अप की परिभाषा से सम्बद्ध धारा 80–आईएसी में पात्र व्यवसाय की परिभाषा (अप्रैल, 2018)

iii. आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 54 ईई को शामिल करनाः यदि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निधि में इस तरह के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का निवेश किया जाता है तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट। निवेश की जाने वाली अधिकतम राशि 50 लाख रुपए है।(मई, 2016)

iv. आयकर अधिनियम की धारा 54 जीबी में संशोधनः यदि विवेचना के अंतर्गत राशि का उपयोग निर्दिष्ट संपत्ति की खरीद के लिए पात्र स्टार्टअप के इक्विटी शेयरों के निर्धारित हिस्से में निवेश के लिए किया जाता है, तो आवासीय मकान या जमीन के आवासीय भूखंड की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर कर से छूट। (फरवरी, 2016)

v. मैट टैक्स क्रेडिट को दस मूल्यांकन वर्षों की बजाय पंद्रह मूल्यांकन वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति दी गई है (2017)।

vi. आयकर अधिनियम की धारा 80–एआईसी के अंतर्गत छूटः पात्र स्टार्टअप के निगमित किए जाने के वर्ष से, 7 वर्ष की अवधि (पहले 5 वर्ष) में से किसी भी 3 लगातार मूल्यांकन वर्षों के लिए पात्र स्टार्टअप को छूट। (अप्रैल, 2018)

vii. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को की गई स्व–घोषणा के आधार पर स्टार्टअप को उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करने के लिए धारा 56(2)(viiबी) के प्रावधानों के अंतर्गत कर से छूट। यहां जारी शेयर पूँजी की कुल राशि और स्टार्टअप का प्रीमियम शेयर जारी होने के बाद या प्रस्तावित जारीकरण के समय 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए (फरवरी, 2019)

viii. परिवर्तनीय नोटों का कराधान – शेयरों या डिबेंचर के रूपांतरण की अवधि को निर्धारण के लिए उस अवधि पर विचार किया जाएगा जिसके लिए रूपांतरण से पहले कोई बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर–स्टॉक या जमा प्रमाणपत्र धारित किया गया था(मार्च, 2016)

ix. आयकर अधिनियम की धारा 54 जीबी में संशोधनः (अगस्त 2019)

 क. न्यूनतम 50% शेयर पूँजी के प्रतिधारण की स्थिति या स्टार्ट–अप में मतदान के अधिकार में 25% तक छूट

 ख. उस अवधि का विस्तार जिसके अंतर्गत आवासीय संपत्ति की बिक्री से, धारा 54 जीबी के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 तक लाभ लिया जा सकता है।

x. आयकर अधिनियम की धारा 79 (अगस्त 2019) में संशोधनः स्टार्टअप निम्नलिखित दो में से किसी एक शर्त के पूरा करने पर नुकसान को आगे बढ़ा सकता है:

 क. 51% शेयरधारिता/मतदान शक्ति की निरंतरता, या

 ख. 100% मूल शेयरधारकों की निरंतरता

xi. निवेश फंड यानि श्रेणी I और II एआईएफ को आय के पास थ्रू के समान ही हानि के पास थ्रू की अनुमति होगी। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और

तदनुसार, आकलन वर्ष 2020–21 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होंगे। (जुलाई 2019)

xii. स्टार्टअप में श्रेणी I एआईएफ के वेंचर पूंजी कोष द्वारा किए गए निवेश को आईटी अधिनियम की धारा 56 (2) (अपपबी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई थी। इस छूट को श्रेणी–I एआईएफ और श्रेणी–II एआईएफ की सभी उप–श्रेणियों में विस्तारित किया गया है।(जुलाई 2019)

4.15.3.5 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)

i. इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड से खंड को हटाना जिसमें यह उल्लेख है कि अगर निधि फंड ऑफ फंड्स से निकाली जाती है तो उसे ईडीएफ से और इसके बदले में नहीं निकाल सकते हैं।(नवंबर, 2018)

4.15.3.6 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग)

i. इस संबंध में डीपीआईआईटी द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से एक स्टार्टअप की परिभाषा में संशोधन। अब, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी इकाई को निगमन/पंजीकरण और लेनदेन की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक एक स्टार्टअप माना जाएगा बशर्ते निगमन/ पंजीकरण एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हुआ है। इससे पहले, मानक अवधि सात वर्ष की थी और कारोबार की सीमा पच्चीस करोड़ रुपए थी। (फरवरी, 2019)

5
अध्याय

बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण

5.1 भारत – मजबूत, ट्रिप्स अनुपालक आईपीआर व्यवस्था

5.1.1 भारत के पास बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की सुरक्षा के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा है, जो अपनी विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रदान किए गए लचीलेपन का उपयोग करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) का एक व्यापार संबंधित पहलू है, जो मजबूत, न्याय–संगत और गतिशील आईपीआर व्यवस्था है।

5.1.2 भारतीय आईपी प्रणाली एक तरफ आईपीआर के माध्यम से निजी अधिकारों और दूसरी ओर सार्वजनिक हित के रूप में समाज के अधिकार के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखती है।

5.1.3 ट्रिप्स करार में देशों को उनकी स्थिति के बेहतर अनुकुल नीतिगत व्यवस्था प्रदान की है। यह नीतिगत व्यवस्था देश के सतत विकास के लिए अनिवार्य है।

5.1.4 भारत ट्रिप्स करार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा का एक पक्ष है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ट्रिप्स करार में सदस्यों को जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने से कोई रोकता नहीं है और नहीं रोकना चाहिए।

5.2 विभाग द्वारा प्रशासित बौद्धिक संपदा विधान

बौद्धिक सम्पदा अधिकार से संबंधित निम्नलिखित अधिनियम इस विभाग द्वारा प्रशासित है–

i. पेटेंट अधिनियम, 1970

ii. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

iii. कॉपीराइट अधिनियम, 1957

iv. वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

v. डिजाइन अधिनियम, 2000

vi. सेमीकंडक्टर लेआउट–डिज़ाइन अधिनियम, 2000

5.3 संगठन संरचना

5.3.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है जैसे पेटेंट, व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन, सामान के भौगोलिक संकेतन, कॉपीराइट, सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइन। डीपीआईआईटी आईपीआर के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय विचार–विमर्श के साथ–साथ, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा लाए गए मंत्रिमंडल आदि के लिए समझौता ज्ञापनों के पुनरीक्षण के लिए नोडल विभाग है। डीपीआईआईटी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के लिए भी नोडल विभाग है।

5.3.2 डीपीआईआईटी के अधीनस्थ कार्यालय, महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन एंड व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) का कार्यालय, पेटेंट प्रदान करने से संबंधित वैधानिक कार्य और व्यापार चिह्न, डिजाइन और भौगोलिक संकेत के पंजीकरण का कार्य करता है। कॉपीराइट का पंजीकरण सीजीपीडीटीएम के तहत कार्यरत रजिस्ट्रार, कॉपीराइट कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसके कार्यालय दिल्ली,

कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है, जबकि केन्द्रीय आईपी प्रशिक्षण अकादमी नागपुर में है।

5.3.3 सितंबर 2003 में स्थापित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), नियंत्रक, पेटेंट के फैसले के खिलाफ अपील सुनने और साथ ही रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न और भौगोलिक संकेतक के लिए अपीलीय अधिकरण हैं। वित्त अधिनियम, 2017 के अनुसार कॉपीराइट बोर्ड को भी आईपीएबी में मिला दिया गया है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है।

5.4 अन्य आईपी विधान

5.4.1 डीपीआईआईटी विभिन्न अन्य विभागों के साथ भी बातचीत करता है जो वैधानिक रूप से प्रशासन करते हैं जो नवाचार और आईपीआर जैसे घटक रखते हैं जैसे कि:

i. जैव विविधता अधिनियम, 2002 – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रशासित, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा कार्यान्वित;

ii. पौध किस्मों और किसान अधिकार अधिनियम, 2001– कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित, पादप विविधता और किसान अधिकार प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित;

iii. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 – कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित और भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लागू किया गया।

5.4.2 व्यापार संबंधित गोपनीयता भारत में समानता के सिद्धांतों और / या सामान्य कानूनी दृष्टिकोण से सुरक्षित हैं। भारतीय अदालतें नियमित रूप से गोपनीयता संबंधी / गोपनीय सूचनाओं की रक्षा करने वाले आदेश / निर्णय पारित करती हैं।

5.5 संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण

5.5.1 एक मंच के तहत सभी आईपीआर: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सेमीकंडक्टर्स कटलेआउट–डिजाइन अधिनियम, 2000 के प्रशासन को डीपीआईआईटी को हस्तांतरित कर दिया गया है। इसने विभिन्न आईपी कार्यालयों और अधिनियमों के बीच एक एकीकृत दृष्टिकोण और तालमेल को सक्षम बनाया है।

5.5.2 एक अपीलीय बोर्ड: वित्त अधिनियम 2017 के तहत, कॉपीराइट बोर्ड को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के साथ भी मिला दिया गया है।

5.6 राष्ट्रीय आईपीआर नीति

5.6.1 मई 2016 से व्यापक राष्ट्रीय आईपीआर नीति को अपनाया गया, ताकि क्षेत्रों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके और आईपीआर मुद्दों के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान की जा सके। यह नीति http://dipp.nic.in पर उपलब्ध है।

5.6.2 नीति में निहित उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. आईपीआर जागरूकता – आउटरीच और संवर्धन – समाज के सभी वर्गों के बीच आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना।

ii. आईपीआर सृजन – आईपीआर सृजन को प्रोत्साहित करना।

iii. कानूनी और विधायी ढांचा – मजबूत और प्रभावी आईपीआर कानून बनाने के लिए, जो बड़े सार्वजनिक हित के साथ अधिकार स्वामियों के हितों को संतुलित कर सकें।

iv. प्रशासन और प्रबंधन – सेवा उन्मुखी आईपीआर प्रशासन को आधुनिक और सुदृढ़ बनाना।

v. आईपीआर का वाणिज्यिकरण – वाणिज्यिकरण के माध्यम से आईपीआर को महत्व प्रदान करना।

vi. प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन– आईपीआर उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रवर्तन और न्याय निर्णय तंत्रों को मजबूत करना।

vii. मानव पूंजी विकास – आईपीआर में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधन, संस्थानों और क्षमताओं को मजबूत और विस्तार करना।

5.7 आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम)

5.7.1 सीआईपीएएम को डीपीआईआईटी के तत्वावधान में एक पेशेवर निकाय के रूप में स्थापित किया गया है ताकि आईपीआर से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और नीति के 7 चिन्हित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आईपीआर जागरूकता, व्यावसायीकरण और प्रवर्तन को आगे बढ़ाने के कदमों के अलावा, सीआईपीएएम आईपी प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाने में सहायता करता है।

5.8 आईपी जागरूकता: सीआईपीएएम की गतिविधियाँ

5.8.1 युवाओं के लिए आईपीआर जागरूकता

5.8.1.1 आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब्स सहित विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों / विश्वविद्यालयों सहित पूरे भारत में आयोजित किए गए हैं। व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इनमें से कई कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए हैं। आज तक 1 लाख से अधिक छात्रों को इसमें शामिल किया गया है।

5.8.1.2 जागरूकता कार्यक्रम के अलावा, मोबाइल ऐप, वीडियो और कॉमिक्स विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए उद्योग के संयोजन में प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया है।

5.8.1.3 कॉलेज / विश्वविद्यालयों में आईपीआर प्रकोष्ठ स्थापित किए जा रहे हैं; आज तक, 80 से अधिक प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारें भी आईपीआर शासन को मजबूत करने में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं।

5.8.1.4 आईपीआर पर सामग्री को वाणिज्य संकाय के लिए व्यावसायिक अध्ययन के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा, 'आईपीआर, इनोवेशन एंड क्रिएटिव वर्क्स' पर एक अध्याय एनसीईआरटी की "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उद्यमिता पर हैंडबुक" (एनईआर) में शामिल किया जा रहा है। आईपीआर को अन्य शैक्षणिक धाराओं में भी शामिल करने के लिए काम जारी है। सीआईएससीई में कानूनी अध्ययन विषय के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में आईपीआर पर सामग्री को भी शामिल किया गया है।



5.8.1.5 भारत का पहला बौद्धिक संपदा अधिकार शुभंकर – आईपी नानी – लॉन्च किया गया। डीपीआईआईटी ने छात्रों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एनिमेटेड वीडियो की एक श्रृंखला के लिए यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा कार्यालय (इयूआईपीओ) के साथ सहयोग किया। वीडियो cipam.gov.in/indias-first-ip-mascot/ पर देखे जा सकते हैं।

5.8.1.6 सीआईपीएएम की सामग्री का उपयोग करके बौद्धिक संपदा की बुनियादी अवधारणाओं को पढ़ाने में स्कूल के शिक्षकों की सहायता के लिए प्रशिक्षकों के मॉड्यूल (बीटा संस्करण) का एक प्रशिक्षण बनाया गया है। आईपी लॉ फर्मों के साथ मिलकर 'लेट्स हैव फन विदआईपी' शीर्षक से एक आईपीआर एक्टिविटी बुक भी प्रशिक्षकों की सहायता के लिए आईपी से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सहायता के लिए बनाया गया है।

5.8.1.7 इन संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और नवोदय विद्यालय समिति जैसे शिक्षण संस्थानों के सहयोग से किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया गया है। आज तक 700 से अधिक शिक्षकों को आईपीआर जागरूकता के विषय पर प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे छात्रों को शिक्षित कर सकें।

5.8.1.8 हाल ही में, सीआईपीएएम ने युवाओं तक पहुँचने के लिए सामुदायिक रेडियो के उपयोग की पहल की है। 7 जून, 2019 को, एनआईओएस की सामुदायिक रेडियो, रेडियो वाहिनी के साथ मिलकर आईपीआर पर पहली रेडियो वार्ता आयोजित की गई थी। जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2019 के महीने के पहले प्रत्येक शुक्रवार को रेडियो वार्ता भी आयोजित की गई थी।

5.8.1.9 आईपी नानी की विशेषता वाले आईपीआर के अवलोकन पर 20 मिनट का एक शैक्षिक वीडियो भी क्वालकॉम के सहयोग से बनाया गया है।

5.8.1.10 "शैक्षिक संस्थानों के लिए आईपीआर नीति के कार्यान्वयन संबंधी मॉडल दिशा निर्देश" का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा गया है। यह उच्च शिक्षा, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों में एक आईपी नीति / रणनीति के बनाने को प्रोत्साहित करने के राष्ट्रीय आईपीआर उद्देश्य के अनुरूप है। दिशानिर्देश संस्थागत स्तर पर स्वामित्व, व्यावसायीकरण और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करते हैं।

5.8.1.11 टीचर प्लस मैगजीन के अप्रैल, 2019 संस्करण में 'थिंकिंग बियोन्ड द आर्डिनरी' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, पत्रिका के बाद की श्रृंखला में आईपी के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हुए छह लेख प्रकाशित करने के लिए सहयोग बढ़ाया गया है।



5.8.1.12 एनएलयू, दिल्ली और क्वालकॉम के सहयोग से एक ऑनलाइन आईपी लर्निंग प्लेटफॉर्म–एल2प्रो शुरू किया गया है जो छात्रों और उद्योगों (विशेषतः लघु एवं मध्यम उद्योगों को) एक आसानी से आईपी शिक्षण मंच पर उपलब्ध करवाएगा। इससे उन्हें उन उपकरणों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी जो उन्हें बाजार में तेजी से नवप्रयोग लाने में सहायता करते हैं।

5.8.2 उद्योग और एमएसएमई में आईपीआर जागरूकता

5.8.2.1 सीआईपीएएम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सहयोग से संपूर्ण भारत के एमएसएमई अधिकारियों के लिए गहन आईपीआर प्रशिक्षण का आयोजन किया है; जिससे वे एमएसएमई को आईपीआर से संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

5.8.2.2 एमएसएमई क्लस्टरों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। 125 से अधिक ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

5.8.2.3 सीआईपीएएम ने भारतीय व्यापारों को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और स्टार्ट–अप्स को व्यापार संबंधी गोपनीयता संरक्षण के बारे में निर्देशित करने के लिए एक व्यापार संबंधी गोपनीयता टूलकिट विकसित किया है।

5.8.2.4 विभिन्न आईपीआर के लिए एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवप्रयोग और सृजनता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करते हुए, सरकार ने शुल्क कम करने का प्रस्ताव दिया है।

5.8.3 प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.8.3.1 अब तक, कानूनी फर्मों और उद्योग के विशेषज्ञों के सहयोग से सम्पूर्ण भारत में सीआईपीएएम द्वारा आईपी लागू करने पर 87 प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न कानून लागू करने वाली एजेंसियों (पुलिस, न्यायपालिका और सीमा शुल्क) के लिए आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, सभी राज्य पुलिस अकादमियों को गृह मंत्रालय द्वारा एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें नियमित और सेवारत् पुलिस अधिकारियों दोनों के लिए अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आईपीआर शामिल करना है।

5.8.3.2 सीआईपीएएम 'बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापकता, क्षेत्र महत्ता और उद्देश्य' विषय पर सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन), फरीदाबाद के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

5.8.3.3 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रवर्तन अकादमी (एनजेए), भोपाल के सहयोग से आईपी प्रवर्तन और अधिनिर्णय पर न्यायाधीशों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

5.8.3.4 सीआईपीएएम जिला और निचली अदालतों में न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न राज्य न्यायिक अकादमियों के संपर्क में है।

5.8.4 पुलिस के लिए आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट

5.8.4.1 सीआईपीएएम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से पुलिस के लिए एक आईपीआर प्रवर्तन टूलकिट बनाया है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा जारी किया गया था।

5.8.4.2 यह टूलकिट पुलिस अधिकारियों को आईपी अपराधों, विशेष रूप से, व्यापार चिह्न जालसाजी और कॉपीराइट चोरी से निपटने में मदद करता है।सीमा शुल्क के लिए एक समान टूलकिट बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है।

5.9 आईपीआर जागरूकता: सीजीपीडीटीएम के कार्यालय की आईपी आउटरीच गतिविधियाँ

5.9.1 सीजीपीडीटीएम का कार्यालय आईपी जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईपी पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ संगोष्ठी / कार्यशालाएं, पीसीटी / मैड्रिड प्रोटोकॉल पर सेमिनार डब्ल्यूआईपीओ और जेपीओ के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं ताकि भारतीय हितधारकों को वैश्विक मंच पर उनके आईपीआर की सुरक्षा करने में सुविधा मिल सके। आईपीओ कार्यालयों को विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सीएसआईआर, एनआरडीसी आदि द्वारा संचालित आईपी–जागरूकता कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में नामित किया जाता है।

5.9.2 विश्व आईपी दिवस के अवसर पर हर साल 26 अप्रैल को वार्षिक राष्ट्रीय आईपी पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं।सभी स्थानों पर बौद्धिक संपदा कार्यालय विश्व आईपी–दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।

5.9.3 आईपी जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) नागपुर में आयोजित किए जाते हैं, जो विशेष रूप से देश में आईपी जागरूकता और शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है।

5.9.4 उद्योग संघों के साथ सहयोग से स्कूलों, विश्वविद्यालयों, नवाचार केंद्रों, स्टार्टअप्स, बार एसोसिएशनों, प्रवर्तन एजेंसियों तथा उद्योगों के लिए जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में वर्ष 2018–19 में सीजीपीडीटीएम के कार्यालय द्वारा 114 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें स्कूलों के लिए 59 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

5.9.5 2019–20 के दौरान, सीजीपीडीटीएम के कार्यालय ने विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थानों / महिला विश्वविद्यालय, स्टार्टअप्स/ नवाचार केन्द्रों/ एमएसएमई / औद्योगिक कलस्टरों और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सीआईआई, फिक्की, सीडब्ल्यूईआई, ऐसोचेम और पीएचडी चेम्बर्स जैसे उद्योग संघों के सहयोग से दिसंबर 2019 तक 45 आईपी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान देश के विभिन्न स्कूलों में सीजीपीडीटीएम के कार्यालय द्वारा 30 आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित भी किए गए हैं।

इसके अलावा डब्ल्यूआईपीओ के सहयोग से अब तक पीसीटी पर 8 रोविंग सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

5.9.6 2018–19 के दौरान, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने 22 जागरूकता कार्यक्रमों / सेमिनारों का या तो आयोजन किया या भाग लिया है जिसमें विभिन्न उत्पादों से जुड़े जीआई के संरक्षण और संवर्धन के 16 कार्यक्रम शामिल हैं। एमएसएमई और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए भी 5 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

5.9.7 2019–20 के दौरान, जीआईआर ने विभिन्न उत्पादों को शामिल करते हुए जीआई के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर 18 जागरूकता कार्यक्रमों / सेमिनार / कार्यशालाओं में भाग लिया, जिसमें एमएसएमई के लिए आयोजित 6 कार्यक्रम भी शामिल हैं।

5.10 ऑनलाइन पाइरेसी की रोकथाम

5.10.1 ऑनलाइन पायरेसी का मुकाबला करने के लिए, सीआईपीएएम ने भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज (नीक्सी) और महाराष्ट्र साइबर एंड डिजिटल क्राइम यूनिट (एमसीडीसीयू) के साथ सहयोग किया, ताकि अपूर्ण केवाईसी (या डब्ल्यूएचओआईएस मानदंडों) के

आधार पर 380 से अधिक उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को निलंबित किया जा सके।

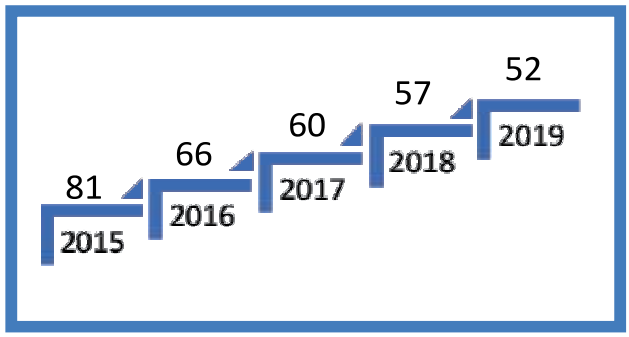
5.10.2 इसके अलावा, श्री अमिताभ बच्चन, सुश्री विद्या बालन आदि जैसे फिल्मी सितारों के साथ एंटी पाइरेसी वीडियो शूट किए गए; इन्हें सिनेमा हॉल और टीवी पर दिखाया जाता है।

5.11 प्रौद्योगिकी और नवप्रयोग सहायता केंद्र (टीआईएससी)

5.11.1 भारत में प्रौद्योगिकी और नवप्रयोग सहायता केंद्र (टीआईएससी) नेटवर्क की स्थापना के लिए डीपीआईआईटी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के बीच एक सेवा स्तर करार (एसएलए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक, 6 टीआईएससी स्थापित किए गए हैं: पीआईसी चंडीगढ़; अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई; एनआरडीसी–आईपीएफसी विशाखापत्तनम; पीआईसीकेरल; गुजकोस्ट, गुजरात और राजकोस्ट, राजस्थान। 9 और टीआईएससी को मंजूरी दी गई है।

5.12 वैश्विक नवप्रयोग सूचकांक (जीआईआई)

5.12.1 पिछले 4 वर्षों में, वैश्विक नवप्रयोग सूचकांक में भारत की रैंक 2015 में 81वीं रैंक से बेहतर होकर जीआईआई 2019 की रिपोर्ट में वर्तमान 52वीं रैंक पर पहुंच गई है।



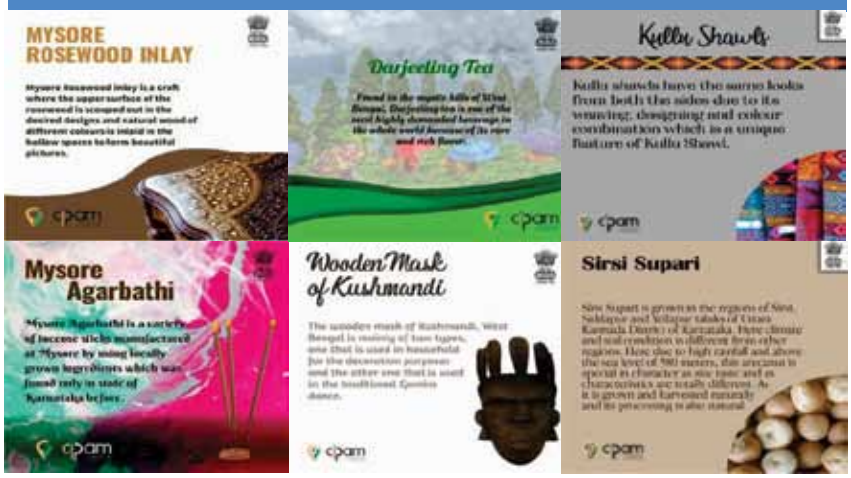
5.12.2 रिपोर्ट के अनुसार भारत मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है और आईसीटी सेवाओं का शीर्ष निर्यातक बना हुआ है।



5.13 भौगोलिक संकेतों का संवर्धन और विपणन

5.13.1 भारत के भौगोलिक संकेतों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। यह हमारे किसानों,

Special campaign to promote GIs launched



Logo and Tagline

अतुल्य भारत की अमूल्य निधि

Invaluable Treasures of Incredible India

बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने में मदद कर सकता है। आम जनता से मांगे गए सुझावों के माध्यम से सभी भारतीय जीआई के लिए एक लोगो और टैगलाइन तैयार की गई है।

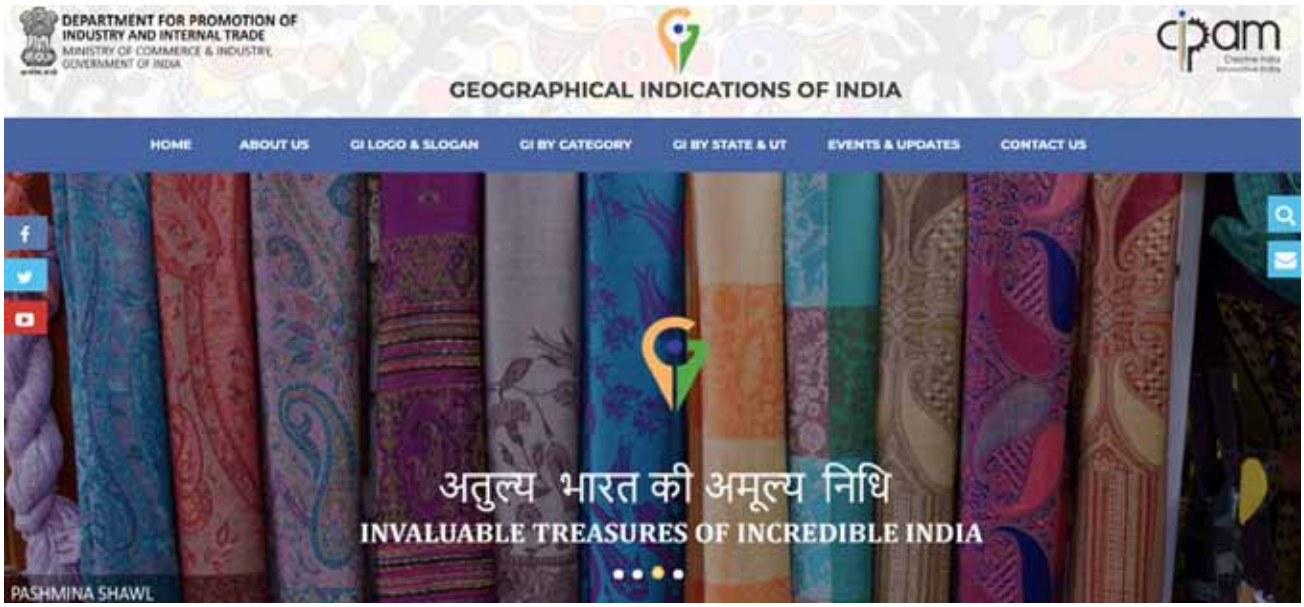
5.13.2 28 जनवरी, 2019 को डीपीआईआईटी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से काजू निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा गोवा हवाई अड्डे पर देश का पहला जीआई स्टोर खोला गया।

5.13.3 10–12 अक्टूबर, 2019 के दौरान भौगोलिक संकेतकों को हैदराबाद डिजाइन वीक के डिजाइन प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, और 26–28 अक्टूबर, 2019 को बेंगलुरू में आयोजित सर्विसेज 2019 की ग्लोबल प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

5.13.4 भारतीय जीआई पर एक नया वेब पोर्टल 'http://wahgi.ncog.gov.in' प्रारम्भ किया गया है।

5.13.5 विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के बीच जीआई के बारे में जागरूकता पैदा करें, क्षमता निर्माण में मदद करें और संबंधित जीआई उत्पादकों का समर्थन करें और जीआई उत्पादों की बिक्री और विपणन की सुविधा प्रदान करें। सीआईपीएएम ने भारत के जीआई को बढ़ावा देने के लिए 'भौगोलिक संकेत' (जीआई) पर एक सोशल मीडिया अभियान भी चलाया, जिसमें जीआईपर रोचक कहानियां और तथ्य साझा किए गए।

5.13.6 जीआई लोगो और टैगलाइन के उपयोग की अनुमति के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।



5.14 आईपीआर पर द्विपक्षीय सहयोग

5.14.1 डीपीआईआईटी ने जापान के साथ डब्ल्यूआईपीओ, साउथ सेंटर, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, फ्रांस, सिंगापुर, ब्रिटेन, स्वीडन, कनाडा के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और जागरूकता निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है।

5.15 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के साथ सहयोग

5.15.1 डब्ल्यूआईपीओ और भारत सरकार देश के आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं।इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूआईपीओ के सहयोग से कई पहल की गई हैं जिसमें डीपीआईआईटी नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। भारत में प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्रों (टीआईएससी) नेटवर्क की स्थापना के लिए डीपीआईआईटी

और डब्ल्यूआईपीओ के बीच सेवा स्तर करार (एसएलए) पर हस्ताक्षर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई थी।

5.15.2 इच्छुक पेशेवरों, छात्रों, शिक्षाविदों, वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डब्ल्यूआईपीओ समर स्कूल आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भागीदारों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। समर स्कूल जुलाई 2018 और नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था।

5.15.3 सीजीपीडीटीएम ने डेटा गुणवत्ता और डेटा आदान प्रदान पर डब्ल्यूआईपीओ के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.15.4 आईपीआर को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधियों, एमएसएमई द्वारा मैड्रिड प्रोटोकॉल के उपयोग को बढ़ाने के लिए सेमिनार और आईपी निर्माण के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना का नवीनीकरण किया गया है।

5.15.5 24 जुलाई, 2019 को वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2019 का वैश्विक लॉन्च भारत में पहली बार नई दिल्ली में डीपीआईआईटी और सीआईआई के सहयोग से डब्ल्यूआईपीओ द्वारा आयोजित किया गया था।

5.15.6 वित्त वर्ष 2019–20 में, डब्ल्यूआईपीओ के सहायता के रूप में भारत में 8 एक दिवसीय रोविंग सेमिनार आयोजित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रणाली, या डब्ल्यूआईपीओ की पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और दुनिया भर के निर्यात बाजारों में पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नवप्रयोगकर्त्ताओं की मदद करना है।

5.16 पेटेंट प्रोस्क्यूशन हाईवे कार्यक्रम

5.16.1 दिनांक 20 नवंबर, 2019 द्विपक्षीय पीपीएच कार्यक्रम के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के पश्चात 21 नवंबर, 2019 को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पहली बार जापान पेटेंट ऑफिस (जेपीओ) की सहभागिता से पेटेंट प्रॉसीक्यूशन हाईवे (पीपीएच) पर एक पायलट कार्यक्रम प्रारम्भ किया।

5.16.2 तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए जेपीओ और भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच 5 दिसंबर, 2019 को कार्यक्रम शुरू हुआ।

5.16.3 इस पायलट कार्यक्रम के तहत, भारतीय पेटेंट कार्यालय को बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी, सिविल, यांत्रिक, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और धातु विज्ञान के दस विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट आवेदन प्राप्त हो सकते हैं तथा भारतीय पेटेंट आफिस त्वरित आधार पर उनकी जांच करेगा।

5.17 पेटेंट नियमों में संशोधन

5.17.1 दिनांक 16.05.2016 से पेटेंट नियम, 2003 में प्रभावी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

5.17.2 युद्ध / प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विलम्ब के लिए प्रावधान किए गए हैं।

5.17.3 कुछ मामलों में शुल्क लौटाने की अनुमति दी गई है, साथ ही बिना किसी शुल्क के आवेदन वापस लेने की भी अनुमति दी जा रही है।

5.17.4 समय पर तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है तथा स्वीकार्य अधिनिर्णय शुरू किया गया है।

5.17.5 आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी पेटेंट कार्यालय शाखाओं से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।

5.17.6 कुछ मामलों में शीघ्र जांच की अनुमति दी गई है। पेटेंट नियमों, 2019 के संशोधन को दिनांक 17.09.2019 से लागू किया गया है और आवेदकों की 8 और श्रेणियों को शीघ्र जांच के तहत लाया गया है। वास्तव में, हाल ही में पेटेंट प्राप्त करने के लिए अनुरोध किए गए जांच के दाखिल होने की तारीख से सिर्फ 41 दिनों में पेटेंट प्रदान कर दिया गया है। 31दिसंबर, 2019 तक शीघ्र जांच के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के विरुद्ध 671 पेटेंट प्रदान किए गए हैं।

5.17.7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का उपयोग बड़ी संख्या में पेटेंट आवेदकों द्वारा किया जाता है। सभी कार्यालयों में आवेदक / एजेंट के स्थान से वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग को भी पूरी तरह से चालू कर दिया गया है।

5.17.8 स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत वे अन्य कंपनियों की तुलना में फीस में 80% की छूट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, साथ ही साथ उनके आवेदनों को तेजी से निपटाया जाता है।

5.18 व्यापार चिह्न नियमों में संशोधनः

5.18.1 व्यापार चिह्न नियम, 2017 दिनांक 6 मार्च, 2017 से अधिसूचित और प्रभावी हुए थे।

5.18.2 व्यक्तियों /स्टार्टअप्स/ लघु उद्यमों की कंपनियों द्वारा व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने के लिए शुल्क में 50% की कमी की गई है।

5.18.3 74 अलग–अलग फार्मों और आवेदन पत्रों को अब 8 समेकित प्रपत्र में परिवर्तित कर दिया गया है।

5.18.4 पहली बार 'ज्ञात चिह्न' का निर्धारण करने की प्रक्रिया रखी गई है।

5.18.5 भौतिक रुप से आवेदन पत्र फाईल करने की तुलना में ई–फाइलिंग करने पर शुल्क में 10% छूट दी गई है ताकि ई–फाइलिंग को प्रोत्साहित किया जा सके।

5.18.6 ईमेल को अब सेवा मोड के रूप में मान्यता दी गई है।

5.18.7 अब सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई है।

5.18.8 'स्टार्टअप' और 'लघु उद्यम' को परिभाषित किया गया है। यह भारतीय और विदेशी दोनों संस्थाओं पर समान रुप से लागू होता है।

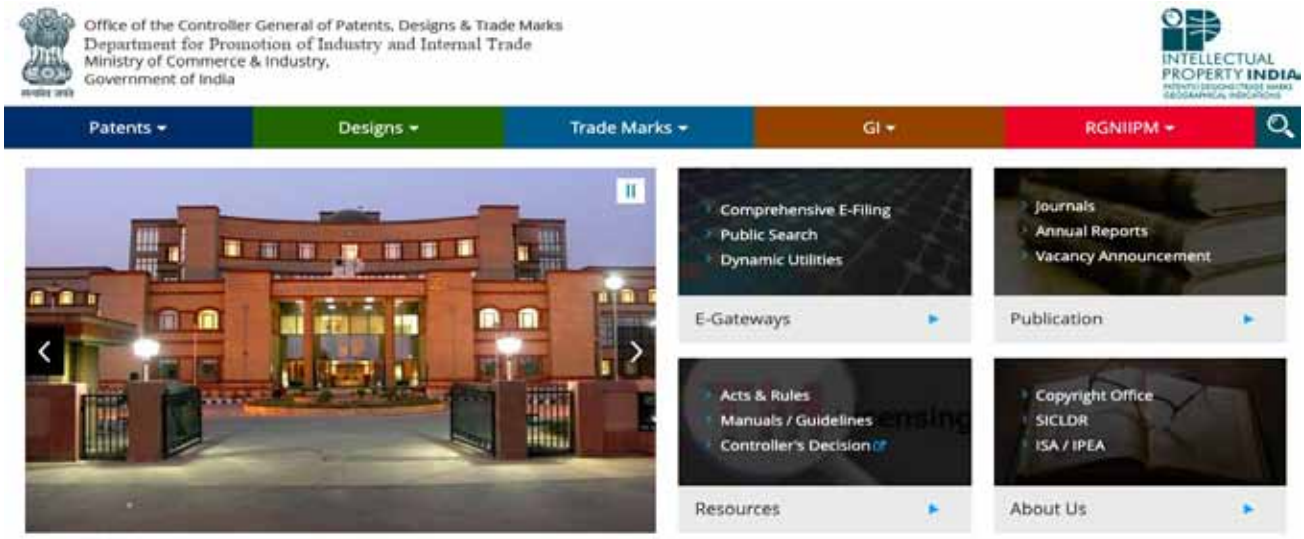
5.18.9 व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एक आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई से संबंधित प्रावधान को पंजीकरण से जांच स्तर तक बढ़ाया गया है।

5.18.10 नए नियमों में ध्वनि चिह्नों के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो अब एमपी3 फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अवधि 30 सेकंड से अधिक नहीं हो। यह ध्वनि संकेतन के चित्रमय प्रतिनिधित्व के साथ भी होनी चाहिए।इस संबंध में, डिजीटल रूप में प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए "ग्राफिकल प्रतिनिधित्व" की परिभाषा को भी संशोधित किया गया है।

5.1.9 महानियंत्रक पटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क कार्यालय

5.19.1 महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न का कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) मुख्य रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय मुंबई में है तथा यह प्राथमिक रुप से पेटेंट, व्यापार चिह्न, डिजाइन, भौगोलिक संकेतकों, और सेमी कन्डक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री (एससीआईएलडीआर) और देश में आईपी कार्यालयों के कार्यकरण से संबंधित है।

5.19.2 पुनः डिजाइन की गई आईपीओ वेबसाइटः महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) की वेबसाइट www.ipindia.nic.in है। इसे और अधिक उपयोगी इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता



के अनुरुप सुविधाजनक बनाने के लिए पुनः डिज़ाइन किया गया है। आईपीओ वेबसाइट पर एक व्यापक और गतिशील पेटेंट खोज पोर्टल विकसित किया गया है। प्रकाशन, जांच, अनुदान और नवीकरण, साथ ही सभी प्रकाशन पश्चात पेटेंट दस्तावेजों सहित पेटेंट आवेदनों की स्थिति इस पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक सूचना निःशुल्क उपलब्ध हैं।

5.19.3 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटः पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न और भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट्स और सेमी–कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट–डिजाइन कार्यालयों के लिए चार अत्याधुनिक, उत्कृष्ट और एकीकृत बौद्धिक संपदा कार्यालय भवन कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में निर्माण किया गया है।

5.19.4 आईएसए / आईपीईए भवन दिल्लीः द्वारका, दिल्ली में आईपीओ भवन के विस्तार के रूप में निर्मित आईएसए / आईपीईए भवन, पूरी तरह कार्यशील है और यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सक्षम कार्यालय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

5.19.5 टीएमआर कॉम्प्लेक्स अहमदाबादः व्यापार चिह्न कार्यालय और बौद्धिक संपदा विभाग अभिलेखागार को स्थानान्तरित करने के लिए अहमदाबाद में एनबीसीसी के माध्यम से एक नई इमारत का निर्माण किया गया है।

5.20 भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (जीआईआर)

5.20.1 जीआईआर वस्तु भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999, जो कि 15 सितम्बर, 2003 को प्रभावी हुआ, प्रशासन के लिए एक सांविधिक संगठन है। भारत में 31.03.2019 तक कुल 361 भौगोलिक संकेत (जीआईएस) पंजीकृत किए गए थे, जिसमें14 विदेशी उत्पाद भी शामिल हैं।

5.20.2 जीआई और जीआई के अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण के अलावा, रजिस्ट्री ने भारतीय जीआई, प्रदर्शनियों और सेमिनारों के प्रचार–प्रसार संबंधी कई जागरूकता कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

5.21 कॉपीराइट कार्यालय

5.21.1 संबंधित मामलों के साथ कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का प्रशासन 17.03.2016 से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के क्षेत्राधिकार में आया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन किया गया है।

5.21.2 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत कॉपीराइट कार्यालय 1958 में स्थापित किया गया था। यह दिल्ली में स्थित है। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट का पंजीकरण करना है। कॉपीराइट निम्न वर्गों या कार्यों में निपटान करता है:

i. मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्य;

ii. सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्में; और

iii. ध्वनि रिकॉर्डिंग

5.21.3 शुरूआत से अर्थात 1958 से 2015 तक की अवधि के लिए कॉपीराइट कार्यालय के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।

5.21.4 वेबसाइट (www.copyright.gov.in) में सुधार और नए आवेदनों में प्रविष्टियों के कॉपीराइट के रजिस्टर में प्रकाशन के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाया।

5.21.5 नए आवेदनों की जांच में लगने वाले विलम्ब की अवधि को घटाकर एक महीने तक कर दिया गया, जो नए आवेदनों पर आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि थी। इसे 2019–20 में भी बनाए रखा गया है।

5.21.6 भारत ने दो डब्ल्यूआईपीओ संधियों यानि डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि और डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट यानी अभिनेता और फोनोग्राम संधि स्वीकार कर ली है। ये संधियां 25 दिसंबर 2018 से लागू हुई हैं।

5.22 सेमी–कंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री (एससीआईएलडीआर)

5.22.1 सेमी–कंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम 2000 को लागू करने का उद्देश्य सेमी–कंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन से संबंधित बौद्धिक संपदा के सृजन हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। इसकी स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स

और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), पूर्ववर्ती डीईआईटीवाई के अधीन दिनांक 1 मार्च 2004 की अधिसूचना के तहत की गई थी तथा यह 1 मई 2011 से कार्य करना शुरू कर दिया था।

5.22.2 सभी आईपीआर एक साथ लाकर– संबंधित गतिविधियों के लिए, सेमी–कंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम 2000 के प्रशासन और सेमी–कंडक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम 2001 को भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन के परिणामस्वरूप दिसंबर, 2016 से इस विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

5.22.3 यह रजिस्ट्री कार्यात्मक इन्टिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइनों की जांच करती है और मूल सेमीकंडक्टर एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है। एसआईसीएलडी रजिस्ट्री सेमीकंडक्टर आईसी डिजाइन पंजीकरण के महत्व का प्रचार–प्रसार कर रही है। 2019 तक, एसआईसीएलडी के आठ आवेदन पंजीकरण के लिए आए हैं जिनमें से दो पंजीकृत दायर किए गए हैं।

5.23 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)

5.23.1 बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) वर्ष 2003 में व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 के तहत स्थापित किया गया है। यह बोर्ड महानियंत्रक, पेटेंट के निर्णयों के खिलाफ पेटेंट अधिनियम, 1970, और रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार के निर्णयों के खिलाफ व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और जियोग्राफिकल इंडिकेशन के मामलों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड प्रोटेक्शन अधिनियम, 1999 के तहत सुनवाई करता है। कॉपीराइट बोर्ड और पादप, विविधता और किसान अधिकार अधिनियम, 2001 से संबंधित अधिनियम और नियम आईपीएबी के दायरे में आते हैं।

5.23.2 वर्तमान में, आईपीएबी का मुख्यालय चेन्नई में है और अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में समय–समय पर अपनी सर्किट बेंच की बैठकें आयोजित करता है।

5.24 स्टार्टअप के लिए सुविधाएं

5.24.1 दिनांक 16 मई 2016 को लागू किए गए पेटेंट (संशोधन) नियम 2016, उनके पेटेंट आवेदनों के संबंध में स्टार्टअप को शुल्क रियायत प्रदान करता है। स्टार्टअप्स को केवल सामान्य आवेदक के रुप में सभी पेटेंट फीस का भुगतान करना होता है; अन्य कानूनी संस्थाओं की तुलना में पेटेंट फीस में 80% शुल्क रियायत प्रदान की जाती है। इसके अलावा,स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों के लिए शीघ्र जांच की भी अनुमति दी जाती है।

5.24.2 इसी तरह, 6 मार्च 2017 से प्रभावी व्यापार चिह्न नियम, स्टार्टअप आवेदनों के लिए 50% शुल्क रियायत प्रदान करता है।

5.24.3 दिनांक 31 दिसंबर 2019 तक, 2632 नए स्टार्टअप आवेदकों को पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 80% शुल्क में छूट का लाभ उठाया है, जबकि 5137 व्यापार चिह्न के लिए दायर आवेदनों में स्टार्टअप्स को 50% शुल्क रियायत दी गई है।

5.24.4 स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा सुविधा (एसआईपीपी) योजना के लिए पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न में स्टार्टअप आवेदनकर्ताओं को लाभ दिया गया है। 31 दिसंबर 2019 तक, 211 सुविधा प्रदात्ता में पेटेंट एवं डिजाइन और 241 सुविधा प्रदात्ता व्यापार चिह्न में पंजीकृत किए गए है।

5.24.5 31 दिसंबर 2019 तक, 789 स्टार्टअप ने पेटेंट (संशोधन) नियम 2016 के नियम 24 (ग) के तहत शीघ्र जांच के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। 689 आवेदनों के मामले में पहली जांच रिपोर्ट जारी की गई है और 269 पेटेंट प्रदान किए गए हैं।

5.25 व्यापारचिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण संबंधी मैड्रिड प्रोटोकॉल

5.25.1 भारत ने मैड्रिड प्रोटोकॉल को स्वीकार किया हैं जो व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए एक सरल, सुविधाजनक और किफायती प्रणाली है।

5.25.2 31 मार्च 2019 तक, भारत में ट्रेडमार्क की सुरक्षा की मांग करने वाले 62041 अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों को डब्ल्यूआईपीओ द्वारा भारत में ऐसे चिह्नों की सुरक्षा की

पुष्टि के लिए भारतीय ट्रेडमार्क कार्यालय को प्रेषित किया है।

5.25.3 इसके अलावा, 31दिसंबर 2019 तक,ऐसे 72532 आवेदनों को डब्ल्यूआईपीओ ने अग्रेषित किया है। दूसरी ओर, भारतीय व्यापार चिह्न कार्यालय को मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत व्यापार चिह्न के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए 1585 भारतीय आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से1484 आवेदन प्रमाणित किए गए और डब्ल्यूआईपीओ को भेज दिए गए और1062 ऐसे आवेदन डब्ल्यूआईपीओ के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में पंजीकृत किए गए हैं।

5.26 अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (व्यापार चिह्न और डिज़ाइन) पर संधियाँ

5.26.1 भारत ने जून 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ट्रेडमार्क और डिज़ाइन) पर इन संधियों को स्वीकार किया है तथा यह सितंबर 2019 को लागू हुआ:

i. चिह्नों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाईस समझौता (चिह्नों के पंजीकरण के उद्देश्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वस्तु एंव सेवा का वर्गीकरण)

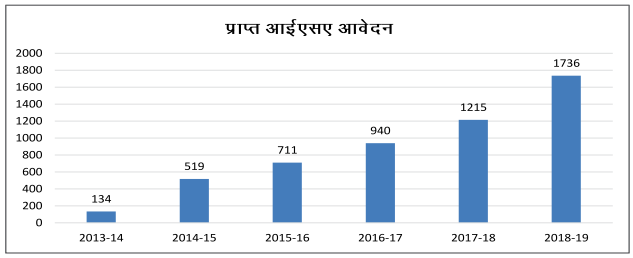
ii. वियना समझौता, चिह्नों के अंकीय तत्वों का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करता है

iii लोकार्नो समझौता औद्योगिक डिजाइनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की स्थापना करता है

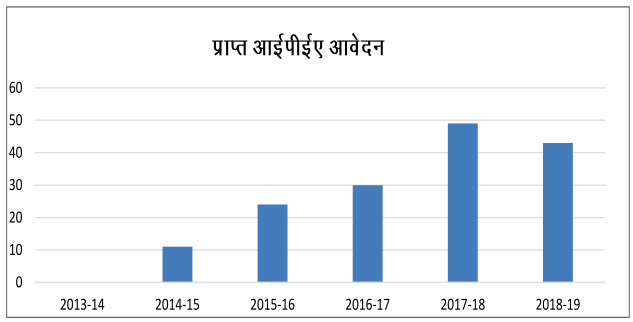
5.27 अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच प्राधिकरण

5.27.1 भारत ने 15 अक्टूबर, 2013 से पीसीटी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण / अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच प्राधिकरण (आईएसए / आईपीईए) के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। आईएसए / आईपीईए दिल्ली में नए आईपीओ परिसर में पूर्ण रूप से स्थापित है जिसमें समर्पित जनशक्ति, पेटेंट रिकॉर्ड के डिजिटल डेटाबेस की स्थापना, प्रमुख पेटेंट डेटाबेस और मॉडर्न सर्च इंजन्स सहित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

5.27.2 दिनांक 31 दिसंबर, 2019 तक, आईएसए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में आईएसए के रूप में भारत को स्वीकार करने के लिए 6483 अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्टों के लिए अनुरोध किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच हेतु आईपीए के रुप में भारत को स्वीकार करने वाले 236 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।



31 दिसंबर 2019 तक आईएसए में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या = 6483



31 दिसंबर 2019 तक आईपीईए में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या = 236

5.27.3 भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईएसए) ने कई वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) की स्थापना की समयबद्धता में सफलतापूर्वक सुधार किया है।वर्ष 2015–16 के दौरान, आईएसए द्वारा प्राप्त खोज प्रति से 3 महीने के भीतर यानी लगभग 41% खोज रिपोर्ट जारी की गईं, जबकि 2016–17 के दौरान, लगभग 68% रिपोर्ट समय पर जारी की गईं, जो 2017–18 के दौरान 97% तक सुधार हुई। आईएसआर जारी करने में समयबद्धता का प्रतिशत 2018–19 के अंत तक बढ़कर 99.3% हो गया है।

5.28 आईपी आवेदनों के प्रोसेस में गुणवत्ता प्रबंधन

5.28.1 पेटेंट – पेटेंट कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण और आईटी–सक्षम कार्यकरण और पेटेंट प्रोसेस के लिए

कम्प्यूटरीकृत कार्य–प्रवाह के परिणामस्वरूप पेटेंट प्रोसेस, जांच और अनुदान में तेजी, हितधारकों के लिए बेहतर सेवा और पारदर्शिता प्रदान करती है।

5.28.2 एक विशेष जांच समूह में दायर की गई चार शाखा कार्यालय में जांच अनुरोध (आरक्यू) को आरक्यू फाइलिंग तिथि के आधार पर एक सिंग क्यू के रूप में विलय कर दिया गया है, जो एक प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से जांच के लिए आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार, समय के संबंध में चार शाखा कार्यालयों के बीच पहले से मौजूद विसंगति जब एक ही समूह में आरक्यू को जांच के लिए हटा दिया गया है। इसके अलावा, एक विशिष्ट पेटेंट कार्यालय स्थान पर परीक्षकों / नियंत्रकों की संख्या के बावजूद, आबंटन के अनुरोधों (आरक्यू) का स्वतः आवंटन निरपेक्ष बन चुका है। इसके अलावा, एक विशेष स्थान पर एक परीक्षक की भौतिक उपस्थिति भी महत्वहीन हो गई है।

5.28.3 ट्रेडमार्क – ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सभी कार्यों के लिए कंप्यूटराइज्ड मॉड्यूल आधारित प्रणाली को अपनाया गया है। अभिलेखों में सुधार / संशोधन में भाग लेने के लिए ट्रेड मार्क रजिस्ट्री की पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर एक पूर्व–पंजीकरण संशोधन अनुभाग बनाया गया है। सुनवाई की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और केवल उन मामलों को सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है, जहां उत्तर की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जांच रिपोर्टों में आपत्ति को नकारा नहीं जा सकता है। पंजीकृत ट्रेडमार्क का प्रकाशन स्वचालित कर दिया गया है और पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं और आवेदक के ई–मेल पते पर भेज दिए जाते हैं। इसी तरह, ट्रेडमार्क के नवीनीकरण की प्रक्रिया स्वचालित हो गई है।

5.29 आईपीआर प्रवृत्ति (टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ के रूप में आईपीआर सांख्यिकी अनुलग्नक– I पर हैं)

6
अध्याय

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो)

6.1 परिचय और अवलोकन

6.1.1 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है।

6.1.2 यूनिडो का मिशन अपने 170 सदस्य देशों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास (आईएसआईडी) को बढ़ावा देना और तेज करना है। भारत शुरू से ही यूनिडो का एक सक्रिय सदस्य रहा है। भारत एक प्राप्तकर्ता होने के साथ–साथ यूनिडो के कार्यक्रमों में अपना योगदान भी देता रहा है और यह यूनिडो के सबसे बड़े तकनीकी सहयोग क्षेत्रों में से एक की मेजबानी करता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) भारत में यूनिडो के संचालन से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल विभाग है।

6.1.3 भारत में यूनिडो की गतिविधियों को एक राष्ट्र कार्यक्रम (सीपी) द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए इसके कार्यक्रमों की रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2018 के स्वतंत्र देश मूल्यांकन ने यूनिडो परियोजनाओं और सरकार की नीतियों, राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मजबूत साझेदारी की मौजूदगी के बीच प्रासंगिकता और मजबूत तारतम्य की पुष्टि की और परिणामों की व्यापक संतोषजनक प्रगति के बारे में बताया।

6.1.4 इन निष्कर्षों को सीपी 2018–2022 में शामिल किया गया और डीपीआईआईटी तथा यूनिडो द्वारा अनुमोदित और निष्पादित किया गया। सीपी 2018–2022 में 4 प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अर्थात् (i) उत्पादक और लचीला एमएसएमई; (ii) जलवायु, संसाधनों और पर्यावरण के लिए समाधान; (iii) समावेशी और उत्तरदायी मूल्य श्रृंखलाएं और व्यवसाय तथा (iv) औद्योगिक परिवर्तन के लिए रणनीतिक नीति। सीपी 2018–22 के उद्देश्य पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढांचे (यूएनएसडीएफ) 2018–2022 (नीति आयोग, भारत सरकार और भारत में सभी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच सहमत) के साथ संरेखित हैं और भारत सरकार की नीतियों, पहलों और मिशनों (जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत, स्टार्ट–अप इंडिया, आदि) के लिए सहायक है।

6.1.5 यूनिडो ने निम्नलिखित कार्यालयों और केंद्रों के माध्यम से भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित की है:

6.1.5.1 यूनिडो क्षेत्रीय कार्यालय (यूआरओ), नई दिल्ली

भारत में यूनिडो क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता यूनिडो प्रतिनिधि (यूआर) द्वारा की जाती है। यूआरओ समावेशी और सतत औद्योगिक विकास के यूनिडो के अधिदेश का समर्थन करता है। यह क्षेत्र की आम समस्याओं के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और दृष्टिकोणों को लागू करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, सूचना, कौशल और प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार का समन्वय करता है। भारत में यूनिडो की तकनीकी सहयोग सेवाओं के मुख्य तत्व राष्ट्रीय नीतिगत प्राथमिकताओं और विकास रणनीतियों के समर्थन में अपनी गतिविधियों को लागू करना; सरकारों और विनिर्माण क्षेत्र के साथ मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बनाना; यूनिडो की दृश्यता बढ़ाना; और वैश्विक, विशेष रूप से सतत विकास और अपने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए 2030 एजेंडा को प्राप्त करने वाले तरीके से इसकी सहायता पर ध्यान केंद्रित करना है।

6.1.5.2 अंतर्राष्ट्रीय समावेशी और सतत औद्योगिक विकास केंद्र (आईसी–आईएसआईडी), नई दिल्ली

डीपीआईआईटी और यूनिडो ने संयुक्त रूप से अगस्त 2015 में अन्तर्राष्ट्रीय समावेशी एवं सतत् औद्योगिक विकास केन्द्र (आईसी–आईएसआईडी) की स्थापना की। आईसी–आईएआईडी दक्षिण–दक्षिण सहयोग के ढांचे के अन्तर्गत भारतीय उद्योगों के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां और विनिर्माण प्रौद्योगिकी लाता है और अन्य विकासशील देशों के साथ क्लस्टर आधारित विकास में भारत के अनुभव को साझा करता है। चमड़ा, लुग्दी और कागज, सीमेंट और साइकिल जैसे क्षेत्रों में आईसी–आईएसआईडी के माध्यम से कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

6.2 यूनिडो के बारे में

6.2.1 डीपीआईआईटी भारत में यूनिडो के संचालन से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत सरकार में नोडल विभाग है। यूएनआईडीओ, वियना (ऑस्ट्रिया) में मुख्यालय, 1966 में स्थापित किया गया था और 1985 में यह वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रगत स्तर पर औद्योगिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई।भारत शुरू से ही संगठन का एक सक्रिय सदस्य रहा है।

6. 3 लक्ष्य और उद्देश्यः

6. 3.1 यूनिडो का मिशन, जैसा कि 2013 में यूनिडो सामान्य सम्मेलन के पंद्रहवें सत्र में अपनाई गई लीमा घोषणा में वर्णित है, विकासशील देशों और परिवर्तन के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास (आईएसआईडी) को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए है। इस जनादेश के अनुरूप, संगठन कार्यक्रम के चार रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं:

i. साझा समृद्धि उत्पन्न करना

ii. आर्थिक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना

iii. पर्यावरण की रक्षा करना

iv. ज्ञान और संस्थानों को मजबूत बनाना

6.3. 2 गतिविधि के इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में कई व्यक्तिगत कार्यक्रम शामिल हैं, जो कि यूनिडो के चार सक्षम कार्यों के माध्यम से प्रभावी परिणामों और प्रभावों को प्राप्त करने के लिए समग्र रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं: (i) तकनीकी सहयोग; (ii) विश्लेषणात्मक और अनुसंधान कार्य और नीति सलाहकार सेवाएं; (iii) मानक कार्य और मानदंड और गुणवत्ता–संबंधी गतिविधियाँ; तथा (iv) ज्ञान हस्तांतरण, नेटवर्किंग और औद्योगिक सहयोग के लिए सम्मेलन और भागीदारी।

6. 4 संगठन और इसके नीति निर्धारक अंग

6.4.1 संगठन का नेतृत्व महानिदेशक करता है। यूनिडो के मुख्य नीति निर्धारक अंग हैं (i) आम सभा; (ii) औद्योगिक विकास बोर्ड; और (iii) कार्यक्रम और बजट समिति।

6.4.2 आम सभा (जीसी)

आम सभा (जीसी) यूनिडो का सर्वोच्च नीति निर्धारण अंग है जहाँ सभी सदस्य देश हर दो साल में एक बार मिलते हैं। जीसी संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों और नीतियों को निर्धारित करता है, यूनिडो के बजट और कार्यक्रम को मंजूरी देता है। हर चार साल में, जीसी महानिदेशक को नियुक्त करती है। जीसी औद्योगिक विकास बोर्ड तथा कार्यक्रम और बजट समिति के सदस्यों का भी चुनाव करती है। 18वें सत्र का आयोजन 3–6 नवंबर 2019 को आबू धाबी में किया गया, जिसमें सुश्री सुमिता डावरा, संयुक्त सचिव (डीपीआईआईटी) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

6.4.3 औद्योगिक विकास बोर्ड (आईडीबी)

औद्योगिक विकास बोर्ड (आईडीबी) में 53 सदस्य है जिन्हें सभी सदस्य राष्ट्रों से रोटेशन आधार पर चार साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यह बोर्ड कार्यक्रम के कार्यान्वयन, नियमित और परिचालन बजट की समीक्षा करता है, नीतिगत मामलों पर आम सभा के लिए सिफारिशें करता है, जिसमें महानिदेशक की नियुक्ति भी शामिल है। आईडीबी की बैठक वर्ष में एक बार होती है।

6.4.4 कार्यक्रम और बजट समिति (पीबीसी)

कार्यक्रम निष्पादन की जांच, बजट और अन्य वित्तीय मामलों में बोर्ड की सहायता के लिए वर्ष में एक बार कार्यक्रम और बजट समिति (27 सदस्य) बैठक होती है।

6.5 संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग

6.5.1 संयुक्त राष्ट्र कन्ट्री टीम (यूएनसीटी)

6.5.1.1 राष्ट्रीय स्तर पर, यूनिडो संयुक्त राष्ट्र कन्ट्री टीम (यूएनसीटी) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें देश में निवास करने वाली एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं और यह यूएन निवासी समन्वयक (यूएनआरसी) द्वारा संचालित की जाती है। यूएनसीटी के माध्यम से, यूनिडो सक्रिय रूप से सरकार और व्यापार आउटरीच, प्रतिपालन, समन्वय बैठकों और वार्षिक रणनीतिक बैठकों में भाग लेता है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त प्रोग्रामिंग और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।

6.5.1.2 यूएनसीटी में यूएनआईडीओ का योगदान भारत–संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (यूएनएसडीएफ) 2018–2022 द्वारा निर्देशित है, जिसे 28 सितंबर 2018 को नीति आयोग (भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान) और यूएनसीटी के बीच हस्ताक्षरित किया गया था।

6.5.1.3 जनवरी 2019 से संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के लिए सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के साथ, यूनिडो भारत सहित, संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगिक एजेंसियों के साथ अपने सहयोग को मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए, यूएनआईडीओ संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र के आवास के साथ टिकाऊ शहर के विकास और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ डीडीटी के विकल्प पर परियोजना को लागू करता है, जबकि यूएनआईडीओ ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का समर्थन करने और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के कार्यान्वयन में भी योगदान दिया।

6.6 भारत का योगदान

6.6.1 भारत यूनिडो का संस्थापक सदस्य है। यह एक प्राप्तकर्ता और साथ ही यूनिडो के कार्यक्रमों में योगदानकर्ता भी है। भारत यूनिडो (निर्धारित योगदान) के नियमित बजट में योगदान देता है, जो वर्तमान में सालाना 0.8 मिलियन यूरो है। इसके अलावा, भारत यूनिडो के औद्योगिक विकास कोष (आईडीएफ) में वार्षिक स्वैच्छिक योगदान भी करता है।

6.7 यूनिडो–इंडिया कंट्री प्रोग्राम (सीपी)

6.7.1 सीपी 2013–17 में आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की प्राथमिकताएं थीं। भले ही सीपी 2013–2017 में औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है, फिर भी कई लंबी अवधि की परियोजनाएं विशेष रूप से जैसे ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक, नवाचार और रसायनों और कचरे के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन के क्षेत्रों में जारी हैं।

6.7.2 इसके अगले सीपी 2018–2022 को समावेशी और सतत औद्योगिक विकास (आईएसआईडी) तक परिवर्तन के वास्ते भारत सरकार को यूनिडो के समर्थन को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। यह सीपी यूनिडो के भारत में तकनीकी सहयोग के पाँच दशक के इतिहास से सीखी गई उपलब्धियों और पाठों का निर्माण करता है और इसे भारत में संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताओं के साथ संयोजित किया जाता है, जैसा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (यूएनएसडीएफ) 2018–22 के तहत स्थापित किया गया है। सीपी 2018–22 का उद्देश्य भारत सरकार की प्रमुख पहल का समर्थन करना है, जिसमें अन्य के साथ–साथ, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) 2011, 2017 का उद्योग नीति चर्चा पत्र और जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) शामिल हैं। साथ ही मेक इन इंडिया, कौशल भारत, स्वच्छ भारत और स्टार्ट–अप इण्डिया सहित भारत सरकार के प्रमुख संबद्ध मिशन भी शामिल हैं। सीपी 2018–22 ने चार प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को सुव्यवस्थित किया है नामतः

i. उत्पादक और लचीला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई): कुशल कार्यबल और प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और प्रबंधन के लिए एमएसएमई व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हस्तक्षेप रणनीतियों को शामिल करना।

ii. जलवायु, संसाधन और पर्यावरण समाधानः ऊर्जा, नवीकरण और वायु प्रदूषण; संसाधन, पानी और अपशिष्ट; रसायन और अपशिष्ट पर केंद्रित कार्यक्रम रणनीतियों का निर्माण करना;

iii. समावेशी और जिम्मेदार मूल्य श्रृंखलाएं और व्यवसायः हस्तक्षेप रणनीतियों के साथ स्थायी आजीविका और जिम्मेदार व्यवसाय का समर्थन करना।

iv. औद्योगिक परिवर्तन के लिए रणनीतिक नीतिः अपनी कार्यक्रम रणनीतिक अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता और सार्वजनिक निजी विकास भागीदारी और संवाद के रूप में।

6.7.3 आगे, सीपी 2018–22 में मेटा–स्तर पर संचालित क्रॉस–कटिंग संबंधी प्रमुख पहलें भी शामिल हैं, जो चार प्रमुख परिणाम क्षेत्रों से परियोजनाओं और गतिविधियों का निर्माण करती हैं तथा संभवतः अतिरिक्त रणनीतिक परियोजनाओं की पूरक हैं। ये हैं: (1) उत्तर–पूर्वी राज्यों की आजीविका के लिए उद्योग; (2) भारत नवाचार इनक्यूबेटर; और (3) भारत से वैश्विक समाधान।

6.8 समावेशी और सतत औद्योगिक विकास के लिए यूनिडो–डीपीआईआईटी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसी–आईएआईडी)

6.8.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा समर्थित समावेशी और सतत औद्योगिक विकास के लिए यूनिडो–डीपीआईआईटी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसी–आईएआईडी) को विकास की रणनीतियों के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। आईसी–आईएसआईडी प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार, महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छी नौकरियां उत्पन्न करना, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की पहुंच के माध्यम से औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए काम करता है। इस केंद्र का उद्घाटन 27 अगस्त, 2015 को किया गया और यह भारत में दो पहले से मौजूद यूनिडो केंद्र के विलय का परिणाम थाः (i) अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (आईसीएएमटी) और (ii) यूनिडो दक्षिण – दक्षिण औद्योगिकरण सहयोग केंद्र (यूसीएसएसआईसी)।

6.8.2 आईसी–आईएसआईडी 2030 सतत् विकास एजेंडा के साथ–साथ यूनिडो के समावेशी और सतत औद्योगिक विकास (आईएएसआईडी) के विषय को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रतिध्वनित करता है:

i. भारत में विनिर्माण क्षेत्र में उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों की शुरुआत को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी उन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से एसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना।

ii. भारत से विकासशील देशों (विशेष रूप से एलडीसी) के लिए सबसे अच्छे और सिद्ध प्रौद्योगिकी–उन्मुख समाधानों की पहचान करना और उन्हें दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग के तहत स्थानांतरित करना।

iii. चक्रीय अर्थव्यवस्था पर समावेशी और जिम्मेदार मूल्य श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देना।

iv. औद्योगिक परिवर्तन के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में पहल का समर्थन करना, यूनिडो के जनादेश और भारत सरकार की पहल के साथ संरेखित करना।

v. चुनिंदा औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों में लक्षित कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के मॉडल केंद्र के रूप में कार्य करना।

6.8.3 आईसी–आईएसआईडी भारत में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास के पहलुओं के समर्थन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 14 नवंबर 2019 को, यूएनआईडीओ ने डीपीआईआईटी और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर भारत में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर विनिर्माण क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए चुनौतियों का पता लगाने के लिए 'मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडिया @75' के लिए एक मंत्रिस्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की। इसके अलावा, यूनिडो ने डीपीआईआईटी समर्थित कई पहलों

में योगदान दिया, जिसमें 30 अक्टूबर 2019 को मेड इन इंडिया पर राज्य स्तरीय परामर्श शामिल है।

6.8.4 आईसी–आईएसआईडी परियोजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

6.8.4.1 आईसी–आईएसआईडी, तकनीकी प्रदर्शन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, तकनीकी क्षमता में वृद्धि और प्रमुख भारतीय तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के कौशल को बढ़ाने के माध्यम से चुनिंदा क्षेत्रों और समूहों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का काम करती है। सर्वोत्तम प्रथाओं और उपयुक्त उपायों जैसे कि सुधार और स्वच्छ विनिर्माण प्रक्रियाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता, और भारतीय उद्योगों में नवाचार क्षमता, का आकलन करती हैं। प्रत्येक परियोजनाओं के तहत की गई गतिविधियों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

6.9 बाइसाइकिल परियोजना

6.9.1 इस परियोजना का उद्देश्य साइकिल और सिलाई मशीनों के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र (आरडीसीबीएसएम), अखिल भारतीय साइकिल निर्माता संघ (एआईसीएमए) और यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए) की क्षमता को मजबूत करना है ताकि अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से भारतीय साइकिल क्षेत्र को प्रबंधन और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। इस परियोजना ने आरडीसीबीएसएम और संघों के लिए प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से व्यापक तकनीकी क्षमता और क्षमता उन्नयन की सुविधा प्रदान की (जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी कार्यशालाएं, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन टूर, फैलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रमय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी; और प्रशिक्षण कार्यक्रम) तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय (आरडीसीबीएसएम की परीक्षण सुविधा के लिए उपकरणों की खरीद) शामिल हैं।

6.9.2 2019 में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

i. परियोजना ने आरओएचएस (खतरनाक पदार्थों पर प्रतिबंध) /रीच (रसायन का पंजीकरण, मूल्यांकन प्रमाणीकरण प्रतिबंध) निर्देशों के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित कीं। यह अतिरिक्त परीक्षण सुविधा यूरोपीय बाजारों में निर्यात के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में निर्माताओं का सहयोग करती हैं।

ii. आरडीसीबीएसएम की परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में, परियोजना के तहत एक ऑप्टिकल एमिशन डायरेक्ट रीडिंग स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद की गई।

iii. आरडीसीबीएसएम की प्रोटोटाइप क्षमताओं को 3डी प्रिंटर की खरीद और इसके उपयोग पर अटेंडेंट प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत किया गया था।

iv. निम्नलिखित क्षेत्रों में तीन तकनीकी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं:

 क. सामग्री व्यवहार और विफलता विश्लेषण

 ख. परिमित तत्व विश्लेषण (एफईए)

 ग. उद्यमी दक्षता

v. फैलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम:

 क. **ई–बाइक:** आरडीसीबीएसएम के 10 अधिकारियों और उद्योग इकाइयों के 4 प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (एलईवीए) द्वारा संचालित 'इलेक्ट्रिक साइकिल' पर दो सप्ताह का तकनीकी प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण में ई–बाइक घटकों के परीक्षण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं को शामिल किया और नियंत्रक–डिस्प्ले–सेंसर सिस्टम, बैटरी और चार्जर, मोटर्स और पूर्ण ई–बाइक डेटा लॉगिंग के लिए परीक्षण स्टेशन और अपेक्षित सॉफ़्टवेयर स्थापित किए। 14 प्रतिभागियों को ई–बाइक के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम देने में सक्षम बनाने के लिए 'एलईवीए प्रशिक्षकों' के रूप में प्रमाणित किया गया था।

 ख. **साइकिल परीक्षण:** 'साइकिल परीक्षण' के क्षेत्र में एक फैलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम ईएफबीई प्रूफ टेकनिक, जर्मनी में आरडीसीबीएसएम के 3 अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था, ताकि वे वर्तमान में

किए गए परीक्षण में अपनी दक्षता बढ़ा सकें, साथ ही नए, उन्नत परीक्षण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

vi. व्यावहारिक व क्रियाशील प्रशिक्षण कार्यक्रमः विभिन्न फ्रेम मॉडल का उपयोग करके अंतिम असेंबली के लिए फ्रेम निरीक्षण और संरेखण, परिष्करण और तैयारी के बारे में प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम पद्धतियों को शामिल करते हुए 'साइकिल असेंबली' के क्षेत्र में एक व्यावहारिक व क्रियाशील प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

vii. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संस्थागत संबंधों को बढ़ाने के लिए आरडीसीबीएसएम और उद्योग संघों की ट्विनिंग को भी सुकर बनाया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित संयुक्त घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए गए थेः

क. आरडीसीबीएसएम और ईएफबीई प्रूफ टेकनिक, जर्मनी; (आरडीसीबीएसएम और ईएफबीई ने इस संयुक्त घोषणा के तहत नो–कॉस्ट बेस पर परीक्षण परिणामों की अंतर–प्रयोगशाला तुलना की है)

ख. आरडीसीबीएसएम और लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन (लीवा), संयुक्त राज्य अमेरिका

ग. आरडीसीबीएसएम और कुन्शन उत्पाद सुरक्षा निरीक्षण संस्थान (केबीटीसी), चीन

घ. आरडीसीबीएसएम, एआईसीएमए और नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ टू व्हील्स इंडस्ट्रीज, हार्डवेयर, फ़र्नीचर और संबंधित उत्पाद (एबीआईएमओटीए), पुर्तगाल

ड. एआईसीएमए, यूसीपीएमए और यूरोपीय साइकिल उद्योग परिसंघ (सीओएनईबीआई)

च. एआईसीएमए और यूरोपीय साइक्लिस्ट फेडरेशन (ईसीएफ), बेल्जियम

6.9.3 परियोजना के अंतिम मूल्यांकन पर यह पाया गया कि परियोजना को सभी हितधारकों द्वारा अत्यधिक प्रासंगिक माना गया था, और इस कारण यह भारतीय साइकिल उद्योग के विकास और तरक्की के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक कदम था। यह परियोजना 30 नवंबर 2019 को प्रारम्भ की गई थी।

6.10 कागज परियोजना

6.10.1 कागज परियोजना, जिसका शीर्षक है, 'लुगदी और कागज़ उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादकता बढ़ाने का फर्म–स्तरीय प्रदर्शन', का कार्यान्वयन अगस्त 2019 से शुरू हुआ। यह परियोजना पहले की परियोजना 'लुगदी और कागज क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि के लिए विकास और इसके लिए उपयुक्त तकनीकों को अपनाना' (2015–2018) की उत्तराधिकारी है। चल रही परियोजना का उद्देश्य भारतीय लुगदी और कागज उद्योग की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में योगदान करना है। परियोजना के दृष्टिकोण में फर्म–स्तर पर दो प्रकार के कार्यक्रम शामिल हैं: (i) प्रक्रिया अनुकूलन और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय और (ii) क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और प्रति के लिए उच्च क्षमता के साथ नई तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन। यह परियोजना केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई) और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के उद्योग संघों के घनिष्ट सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।इन हस्तक्षेपों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. प्रक्रिया अनुकूलन और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय (पीईएम)

इस गतिविधि में उत्पादकता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पेपर मिलों में शॉप–फ़्लोर कार्यक्रम का कार्यान्वयन और प्रदर्शन शामिल हैं:

क. कागज उत्पादन के तकनीकी पहलुओं से संबंधित प्रक्रिया मापदंडों का अनुकूलन

ख. विनिर्माण उत्कृष्टता उपकरण (जैसे कैज़ेन, 5 एस, टीक्यूएम, आदि) को अपनाना।

ii. पहचान की गई प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन

इस गतिविधि में पेपर मिलों पर दो तकनीकों का प्रायोगिक प्रदर्शन शामिल है:

क. **झिल्ली निस्पंदनः** रंग, कुल घुलित ठोस (टीडीएस), रासायनिक ऑक्सीजन की मांग

(सीओडी) और अन्य प्रदूषकों को निर्धारित प्रदूषण मानदंडों के अनुसार कम करने के लिए पेपर मिल अपशिष्टों के उपचार द्वारा उपचारित प्रक्रिया जल की अधिकतम रीसाइक्लिंग की सुविधा ।

ख. **ब्लेक लिकर हीट ट्रीटमेंट:** ब्लेक लिकर की चिपचिपाहट को कम करके रासायनिक पुनःप्राप्ति प्रणाली की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, कृषि आधारित लुगदी और कागज मिलों में वाष्पीकरण के दौरान उच्च ब्लेक लिकर का ठोस निष्पादन हासिल करना।

6.10.2 प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए पायलट डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स (पीडीयू) को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता दिखाने के लिए पेपर मिलों में (ट्रायल सहित, प्रक्रिया मापदंडों का अनुकूलन, स्थिर स्थितियों के तहत निरंतर संचालन और परिणामों की मान्यता) भारतीय संदर्भ में अपनाने के लिए डिज़ाइन, विकसित और संचालन किया जा रहा है।

6.10.3 परियोजना के प्राथमिक लाभार्थी देश भर में फैले लुगदी और कागज मिल हैं। परियोजना कार्यक्रम से भारतीय कागज़ उद्योग को (i) उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रक्रिया और संसाधन दक्षता में सुधार में सहायता मिलने की उम्मीद है, (ii) जल पुनर्चक्रण में वृद्धि हुई है और मीठे पानी की खपत और अपशिष्ट जल निर्वहन में कमी आई है, और (iii) नियामक अधिकारियों द्वारा कठोर निर्वहन मानक को पूरा करने की क्षमता निर्धारित की गई है।

2019 में निम्नलिखित गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं:

i. सीपीपीआरआई के वरिष्ठ प्रबंधन और परियोजना के उद्देश्यों और नियोजित प्रदर्शन गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के उद्योग संघों के साथ परियोजना प्रारंभ बैठकें आयोजित की गई।

ii. पूरे भारत में 4 प्रमुख पेपर उद्योग समूहों, कोलकाता (01 अक्टूबर 2019), लुधियाना (04 अक्टूबर 2019), वापी (15 अक्टूबर 2019) और कोयंबटूर (17 अक्टूबर 2019) में 4 संवेदीकरण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में भारतीय पेपर मिल्स, सीपीपीआरआई, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पेपर उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ–साथ राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।उद्योग के प्रतिनिधियों को परियोजना की गतिविधियों से अवगत कराया गया और परियोजना के तहत प्रदर्शित की जाने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर सुझाव मांगे गए।

iii. दो पायलट प्रदर्शन इकाइयों की प्रारंभिक तकनीकी विशिष्टताओं को वर्तमान में सीपीपीआरआई तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श भी किए जा रहे हैं।

iv. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इकाइयों और उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की दिशा में सुझाव एवं उपयोगी विचारों को मंच प्रदान करने के लिए स्वीडन और फिनलैंड के लिए एक मिशन (24–30 नवंबर 2019) अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ विस्तृत परामर्श के लिए आयोजित किया गया था, जैसे कि राइज़–इनवेंटिया (स्वीडन), आईवीएल स्वीडिश पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, वेलमेट टेक्नोलॉजीज (फिनलैंड) और टैम्पियर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (फिनलैंड)।

v. ब्लैक लिकर हीट ट्रीटमेंट पायलट डेमोंस्ट्रेशन यूनिट के विकास की दिशा में भारतीय पेपर मिलों की प्रक्रियाओं और सेट–अप का आकलन करने के लिए, लिकर हीट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दौरा भी आयोजित किया गया है।

vi. पीईएम के कार्यान्वयन के लिए चयनित मिलों का आकलन करने के लिए ऑडिट टूल का विकास भी शुरू किया गया है।

6.11 नवाचार सर्वेक्षण परियोजना

6.11.1 भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से 'इंडिया इनोवेशन एंड सिस्टम्स सर्वे 2019' नामक यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य फर्मों के स्तर पर नवाचार को मापने के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचे को विकसित करने में डीएसटी की सहायता करना है और फर्मों और एनएसआई कार्यकर्ताओं से डेटा एकत्र करके, पहले भारतीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुवर्ती के रूप में नवाचार की राष्ट्रीय प्रणाली (एनएसआई) का पहला आयोजन 2011 में डी.एस.टी. द्वारा किया गया।

6.11.2 अपेक्षित परिणाम हैं:

i. निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमताओं और योग्यताओं और नवाचार समर्थन बुनियादी ढांचे (नवाचार की प्रणाली) की बढ़ी हुई समझ।

ii. भारतीय फर्मों द्वारा उन्नत नवाचार प्रदर्शन

6.11.3 परियोजना को औपचारिक रूप से आईसी–आईएसआईडी के परियोजना पोर्टफोलियो के एक भाग के रूप में यूनिडो द्वारा कार्यान्वयन के लिए डीएसटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। परियोजना दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए हैं और धन की पहली किश्त जारी की गई है, जिसके बाद परियोजना कार्यान्वयन (दिसंबर 2019 से) शुरू हुआ है ।

6.12 फोटोग्राफ

6.12.1 डीपीआईआईटी यूनिडो सहयोग



माननीय सोम प्रकाश, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, माननीय अर्जुन मेघवाल, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री और माननीय रामेश्वर तेली, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के साथ, भारत के लिए विनिर्माण @75 कार्यक्रम में मंत्रिस्तरीय गोलमेज संवाद का आयोजन दिनांक, 14 नवंबर 2019।



सुश्री सुमिता डावरा, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी अबू धाबी में 3–6 नवंबर 2019 के दौरान यूएनआईडीओ की 18वीं आम सभा, की पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए।

6.12.2 बाइसाइकिल परियोजना



आरडीसीबीएसएम में 'ई–बाइक' पर फेलोशिप प्रशिक्षण (फरवरी 2019)



आरडीसीबीएसएम (फरवरी 2019) में 'ई–बाइक' पर फैलोशिप प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक सत्र



'सामग्री व्यवहार और विफलता विश्लेषण' पर कार्यशाला (फरवरी 2019)

6.12.3 कागज परियोजना



सुग्राह्यता कार्यशाला – कोलकाता (01 अक्टूबर 2019)



सुग्राह्यता कार्यशाला – लुधियाना (04 अक्टूबर 2019)



सुग्राह्यता कार्यशाला – वापी (15 अक्टूबर 2019)



सुग्राह्यता कार्यशाला – कोयंबटूर (17 अक्टूबर 2019)



राइज इनवेंटिया (स्वीडन) में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक



आईवीएल स्वीडिश पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की पायलट फेसिलिटी का दौरा



टैम्पियर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (फिनलैंड) में पायलट फेसिलिटी का दौरा



आईवीएल स्वीडिश पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर फेसिलिटी

7
अध्याय

औद्योगिक गलियारे

7.1 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)

7.1.1 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना ने हाल में काफी प्रगति की है क्योंकि उन सभी (04) स्थानों पर भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई है जहाँ निर्माण गतिविधियाँ पूरी होने वाली हैं। साथ ही, कई प्रमुख उद्योगों ने औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन शुरू कर दिया है।

7.1.2 प्रत्येक नोड/शहर की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

7.1.2.1 गुजरात

(क) धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर):

i. डीएसआईआर की योजना लगभग 920 वर्ग किमी भूमि के एक व्यापक क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई है और डीएसआईआर में विकास योग्य 422.42 वर्ग किमी क्षेत्र को छह (6) शहर नियोजन योजनाओं, अर्थात् टीपी स्कीम –1 से टीपी स्कीम –6 तक में विभाजित किया गया है;

ii. इसके अलावा, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक सक्रियण क्षेत्र को अंकित किया गया है, जो डीएसआईआर में विभिन्न बुनियादी ढाँचों के शीघ्र अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करेगा;

iii. इस योजना को "धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड" नाम से एसपीवी को निगमित किया गया है

iv. राज्य सरकार ने एसपीवी को 30.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हस्तांतरित किया है और एनआईसीडीआईटी द्वारा इसके अनुरूप 1745.54 करोड़ रुपए की इक्विटी जारी की गयी है।

v. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 2784.82 करोड़ रुपए के निविदा पैकेज को पांच पैकेजों में विभाजित किया है, इनकी अलग–अलग स्थिति निम्नानुसार है:

vi. सड़क और सेवा के लिए ईपीसी: अनुबंध सौंप दिया गया है। एल एंड टी चयनित बोलीकर्ता है और कार्यान्वयन गतिविधियां चल रही हैं।

vii. एबीसीडी भवन निर्माण अनुबंध के लिए ईपीसी सौंप दिया गया है। क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चयनित बोलीकर्ता है और कार्यान्वयन गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं।

viii. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) अनुबंध के लिए ईपीसी सौंप दिया गया है। एसपीएमएल चयनित बोलीकर्ता है और कार्यान्वयन गतिविधियाँ चल रही हैं।

ix. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए ईपीसी: अनुबंध सौंप दिया गया है। एल एंड टी चयनित बोलीकर्ता है और कार्यान्वयन गतिविधियां चल रही हैं।

x. केंद्रीय बहिर्वाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी) के लिए ईपीसी: अनुबंध सौंप दिया गया है। एल एंड टी चयनित बोलीकर्ता है और निर्माण गतिविधियां जारी हैं।

xi. भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और 152.71 एकड़ के 03 भूखंडों को आवंटित किया गया है; मुख्य निवेशक–टाटा केमिकल्स (126 एकड़) हैं।

xii. स्मार्ट सिटी के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) का चयन चल रहा है।

xiii. इसके अलावा, अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं यानी भीमनाथ धोलेरा रेल लिंक परियोजना और धोलेरा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए परियोजना विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने परियोजना में 51% इक्विटी लिया है और एएआई, गुजरात सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच अंशधारक अनुबंध (एसएचए) निष्पादित किया गया। एनआईसीडीआईटी ने अपनी इक्विटी (16%) के हिस्से के रूप में 19.85 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

xiv. एनएचएआई ने अहमदाबाद–धोलेरा एक्सप्रेसवे का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है और एक्सप्रेस–वे के निर्माण के लिए निर्माण निविदा जारी की है। धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण (डीएसआईआरडीए) द्वारा डीएसआईआर क्षेत्र के भीतर भूमि प्रदान की जाएगी।

(ख) सानंद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

i. एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा 30 अगस्त, 2019 को आयोजित चौथी बैठक में एनआईसीडीआईटी और गुजरात सरकार के बीच जीआईडीसी के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले शेयरधारक समझौते (एसएचए) को अनुमोदित किया गया है।

ii. उसके लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7.1.2.2 महाराष्ट्र

(क) शेंद्रा बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र (एसबीआईए):

i. "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड" नाम से नोड/शहर स्तर के एसपीवी को निगमित किया गया है

ii. राज्य सरकार ने एसपीवी को शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए 8.39 वर्ग किलोमीटर और बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 13.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हस्तांतरित कर दिया है। एनआईसीडीआईटी ने नवंबर, 19 तक इसके लिए 602.80 करोड़ रु. और 1399.90 करोड़ रु. की इक्विटी राशि भी जारी की है।

(ख) शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र

शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने बुनियादी ढांचे के विभिन्न घटकों के लिए 1533 करोड़ रुपए के निविदा पैकेजों को मंजूरी दी थी। विभिन्न पैकेज की अलग–अलग स्थिति निम्नानुसार है:

i. जिला प्रशासन (एयूआरआईसी) भवन के लिए ईपीसी गतिविधियाँ परीक्षण और चालू करने के साथ पूरी की गयी;

ii. माननीय प्रधानमंत्री ने शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्र (डीएमआईसी के अंतर्गत) राष्ट्र को समर्पित किया।

iii. सड़क, नालियों, पुलियों, जल आपूर्ति, सीवरेज और विद्युत प्रणालियों के लिए ईपीसी सौंप दिया गया है। शपूरजी पलोनजी चयनित बोलीकर्ता हैं और कार्यान्वयन गतिविधियां पूरी होनेवाली हैं।

iv. रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए ईपीसी सौंप दिया गया है। पाटिल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चयनित बोलीकर्ता है और कार्यान्वयन गतिविधियाँ पूरी होने वाली हैं

v. मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य बहिर्वाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीसी सौंप दिया गया है और कार्यान्वयन गतिविधियां जारी हैं।

vi. लैंडस्केप और सिंचाई के लिए ईपीसी सौंप दिया गया है और कार्यान्वयन गतिविधियां जारी हैं।

vii. आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) सौंप दिया गया है और विभिन्न कार्यों के साथ कमांड एवं नियंत्रण केंद्र संचालन में हैं।

viii. भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और कुल 160.30 एकड़ के 58 भूखंड आवंटित किए गए हैं; मुख्य निवेशक ह्योसंग (एचवाईओएसयूएनजी)(100 एकड़); चार(4) उद्योगों ने पहले ही शेंद्रा में उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ग) बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र

बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 31.79 वर्ग किलोमीटर के लिए 6414.21 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के पैकेजों को मंजूरी दी थी, जिन्हें 3 चरणों में पूरा किया जाना है और विभिन्न पैकेजों की स्थिति निम्नानुसार है:

i. एल एंड टी को चरण–1 अर्थात् 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों, भूमिगत सुविधाओं/सेवाओं और कार्यान्वयन गतिविधियों के लिए ईपीसी ठेकेदार नियुक्त किया गया है।

ii. केईसी को कार्यों का आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) नियुक्त किया गया है और कार्यान्वयन गतिविधियाँ चल रही हैं।

iii. एनएचएआई द्वारा शेंद्रा और बिदकिन औद्योगिक क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पैथन रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र (डीपीआईए)

i. दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (डीपीआईए) के लिए परियोजना विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग चल रही है।

ii. डीपीआईए के चरण –1 के विकास के लिए पूरी आवश्यक भूमि यानी 3000 हेक्टेयर राज्य सरकार के अधिकार में है।

7.1.2.3 मध्य प्रदेश

(क) एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' परियोजना, उज्जैन:

i. "डीएमआईसी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योग पुरी लिमिटेड" नाम से एसपीवी परियोजना निगमित की गई है।

ii. राज्य सरकार ने एसपीवी को 1100 एकड़ जमीन हस्तांतरित की है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 55.93 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी राशि भी जारी की गई है।

iii. विभिन्न अवसंरचना कार्यों के लिए ईपीसी प्रदान की गई। कार्यान्वयन गतिविधियाँ पूरी होने के करीब हैं।

iv. भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और 12 एकड़ भूमि अमूल को आवंटित की गई है।

7.1.2.4 उत्तर प्रदेश

(क) ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना:

i. "डीएमआईसी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड" के नाम से एसपीवी को निगमित किया गया है।

ii. परियोजना एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी ने 617.20 करोड़ रुपए की समतुल्य इक्विटी राशि भी जारी की है।

iii. विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए ईपीसी प्रदान की गई। कार्यान्वयन गतिविधियाँ चल रही हैं और पूरी होने के करीब हैं।

iv. आंतरिक बिजली अवसंरचना कार्यों के लिए सीमेंस को ठेकेदार नियुक्त किया गया है और कार्यान्वयन गतिविधियां जारी हैं

v. ट्रांसमिशन नेटवर्क से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) को सौंपे गये हैं।

vi. भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और 05 भूखंडों का आवंटन किया गया है जिसमें 153.89 एकड़ भूमि आवंटित की गई है; मुख्य निवेशक – हेयर (123.7 एकड़); भूमि का आवंटन पाने वालों ने निर्माण गतिविधियों को शुरू कर दिया है

(ख) दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और ग्रेटर नोएडा के बोरकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच):

- एनआईसीडीआईटी द्वारा एमएमएलएच और

एमएमटीएच में ट्रंक अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

- डीएफसीसीआईएल ने 'सैद्धांतिक रूप से' परियोजना स्थल पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्वीकृति दे दी है।
- राज्य सरकार भूमि के शेष भाग के अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ रही है।

7.1.2.5 हरियाणा

(क) नंगल चौधरी में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच):

i. परियोजना के लिए जिला महेंद्रगढ़ में अनुमानित 886 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।

ii. परियोजना एसपीवी को "डीएमआईसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड" के नाम से निगमित किया गया है।

iii. परियोजना को 1852 करोड़ रुपए की राशि के लिए एनआईसीडीआईटी और बाद में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

iv. डीएफसीसीआईएल ने परियोजना स्थल पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकृति दे दी है।

v. राज्य सरकार ने कुल 886 एकड़ में से, 666 एकड़ भूमि एसपीवी को हस्तांतरित की है और एसपीवी को इक्विटी के लिए 191.67 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

vi. राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने पर्यावरण मंजूरी के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से परियोजना के लिए सिफारिश की है।

(ख) वैश्विक शहर परियोजना:

i. परियोजना एसपीवी को "डीएमआईसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड" के नाम से निगमित किया गया है।

ii. मास्टर प्लान को राज्य सरकार द्वारा पूरा और अनुमोदित किया गया है।

iii. आंतरिक अवसंरचना घटकों की प्रारंभिक इंजीनियरिंग से संबंधित गतिविधियाँ चल रही हैं।

iv. भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है।

v. हरियाणा सरकार ने 18 अप्रैल, 2019 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि राज्य सरकार का इरादा अपने दम पर परियोजना को लागू करने का है।

(ग) मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजना:

i. परियोजना एसपीवी को "डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड" के नाम से निगमित किया गया है।

ii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

iii. परियोजना के चरण –1 के लिए भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है।

iv. परियोजना को डीएमआईसी परियोजना के लिए जेआईसीए विशेष रोलिंग योजना में शामिल किया गया है।

v. लंबे हॉल एमआरटीएस नेटवर्क के विकास की डीपीआर और व्यवहार्यता की जांच के लिए एनसीआरटीसी से परामर्श किया जा रहा है।

7.1.2.6 स्मार्ट सामुदायिक परियोजनाएं:

(क) मॉडल सौर परियोजना, नीमराना, राजस्थान:

i. 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को, 23 जुलाई, 2015 को राज्य ग्रिड से जोड़ा गया है और इसके बाद 03 सितंबर, 2015 को उसे चालू किया गया।

ii. बिजली की आपूर्ति स्टेट ग्रिड यानी 220 केवी जीएसएस नीमराना को की जा रही है।

iii. मिकुनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उच्च गुणवत्ता युक्त, स्थिर और अक्षय हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए 1 मेगावाट के माइक्रो ग्रिड सोलर पावर प्लांट को 10 जुलाई, 2017 से आरंभ किया गया है;

iv. दो साल की प्रदर्शन अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

(ख) लॉजिस्टिक डेटा बैंक (एलडीबी), डीएमआईसी क्षेत्रः

i. डीएमआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज (डीएलडीएस) की एलडीबी प्रणाली, विभिन्न एजेंसियों में कई सूचना नोड्स को एकीकृत कर भारत में ऑनलाइन कंटेनर ट्रैकिंग प्रदान करती है और इसके पीछे आरएफआईडी तकनीक का लाभ उठाकर सभी के लिए एक सामान्य दृश्यता मंच प्रदान करती है।

ii. जेएनपीटी पर 1 जुलाई, 2016 से परिचालन आरंभ हुआ। इस समय 5 जेएनपीटी पोर्ट टर्मिनल, दक्षिणी गलियारे में 6 पोर्ट टर्मिनल, दक्षिण–पश्चिमी गलियारे में 3 पोर्ट टर्मिनल, पूर्वी गलियारे में 4 पोर्ट टर्मिनल, कांडला में 1 पोर्ट टर्मिनल, मुंद्रा में 4 पोर्ट टर्मिनल और हजीरा में 1 पोर्ट टर्मिनल पर सेवा (पैन इंडिया) चालू है।

iii. इसके अलावा, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी गलियारे में कुल 55 टोल प्लाजा काम कर रहे हैं, जिनमें एनएच 3, एनएच 8, मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे मार्ग, एनएच 27, एनएच 15, एनएच 79, एनएच 4 और एनएच 6 कवर हो रहे हैं।

iv. 30 नवंबर, 2019 तक कुल 20,070,746 कंटेनरों को टैग/डी–टैग किया गया है।

7.2 चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी) परियोजना

7.2.1 समग्र गलियारे के लिए परिप्रेक्ष्य योजना पूरी हो चुकी है और विकास के लिए तीन नोड्स की पहचान की गई है:

i. कृष्णापटनम, आंध्र प्रदेश (12083 एकड़)

ii. तुमकुरु, कर्नाटक (9630 एकड़)

iii. पोंनेरी, तमिलनाडु (21966 एकड़)

7.2.2 आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम नोड के लिए, शेयरधारक समझौते (एसएचए) और राज्य सहायता समझौते (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और अगस्त, 2018 में एसपीवी को 'एनआईसीडीआईटी कृष्णापटनम औद्योगिक शहर विकास लिमिटेड' के नाम से निगमित किया गया है। विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है।

7.2.3 कर्नाटक में तुमकुरु नोड के लिए, शेयरधारक समझौता (एसएचए) और राज्य सहायता समझौता (एसएसए) निष्पादित किया गया है और परियोजना एसपीवी यानी सीबीआईसी तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड को 01 नवंबर, 2018 को शामिल किया गया है। विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है।

7.2.4 तमिलनाडु में पोनेरी नोड के लिए, शेयरधारक समझौते (एसएचए) और राज्य सहायता समझौते (एसएसए) को अंतिम रूप दिया गया है और 30 अगस्त, 2019 को आयोजित इसकी चौथी बैठक में एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा इसके निष्पादन को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1366 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।

7.3 अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) परियोजनाः

7.3.1 परिप्रेक्ष्य योजना पूरी हो गई है।

7.3.2 एक (01) एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) साइट को आगे के विकास के लिए प्रत्येक राज्य में अंतिम रूप दिया गया है:

i. पंजाब (राजपुरा–पटियाला)

ii. उत्तराखंड (प्राग–खुरपिया फार्म्स)

iii. उत्तर प्रदेश (भाऊपुर)

iv. बिहार (गम्हारिया)

v. झारखंड (बरही)

vi. पश्चिम बंगाल (रघुनाथपुर)

vii. हरियाणा (साहा)

7.3.3 एनआईसीडीआईटी की बैठक में परियोजना की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि परियोजना का विकास केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाना चाहिए जहाँ भूमि अधिकार में है और जिन्हें राज्य सरकार (सरकारें) एसपीवी को हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल (रघुनाथपुर) में आईएमसी साइट के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग चल रही है, जहाँ 2483 एकड़ जमीन उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ शेयरधारक समझौते (एसएचए) और राज्य सहायता समझौते (एसएसए) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

7.3.4 उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ प्राग–खुरपिया फार्म नोड के लिए 2935 एकड़ जमीन की पहचान, शेयरधारक समझौते (एसएचए) और राज्य समर्थन समझौते (एसएसए) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

7.4 चरण–I के भाग के रूप में विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) परियोजना के साथ पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ईसीईसी):

7.4.1 कोलकाता–चेन्नई–तूतीकोरिन को जोड़ने वाले पूर्वी तट आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में परिकल्पित;

7.4.2 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने संकल्पना विकास योजना (सीडीपी) तैयार किया है और विकास के लिए निम्नलिखित नोडों की पहचान की गई है:

i. विशाखापत्तनम (6629 एकड़)

ii. मछलीपट्टनम (15543 एकड़)

iii. डोनाकोंडा (17117 एकड़)

iv. चित्तूर (26731 एकड़)

7.4.3 उपरोक्त नोडों में विशाखापत्तनम और चित्तूर प्राथमिकता वाले नोड हैं। इन नोड की प्रारंभिक मास्टर प्लानिंग एडीबी द्वारा पूरी की गई है।

7.4.4 आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारत सरकार से वीसीआईसी को एनआईसीडीआईटी ढांचे के दायरे में शामिल करने का अनुरोध किया है।

7.4.5 एनआईसीडीआईटी के न्यासी बोर्ड द्वारा 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में विशाखापत्तनम और चित्तूर नोड्स को शामिल किए जाने का अनुमोदन किया गया है।

7.5 बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी) परियोजना:

7.5.1 बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारे को (बीएमआईसी) दोनों राज्यों के लिए एक सुनियोजित और संसाधन–सक्षम औद्योगिक आधार के विकास की सुविधा के लिए बनाया गया है।

7.5.2 संदर्श योजना पूरी हो गई है

7.5.3 कर्नाटक में धारवाड़ नोड को आगे के विकास के लिए प्राथमिकता नोड के रूप में चिह्नित किया गया है

7.5.4 महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों से उनके संबंधित राज्य में चिन्हित मुख्य जिलों में कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे के साथ भूमि की उपलब्धता से संबंधित विवरण मांगा गया है।

8
अध्याय

इण्डिया इन्टरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी), द्वारका

8.1 भारत सरकार ने सेक्टर –25, द्वारका, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) और पीपीपी तथा गैर–पीपीपी मोड में उसकी संबद्ध अवसंरचना (प्रदर्शनी और कन्वेंशन स्थल, मैदान, मुख्य अवसंरचना, मेट्रो / एनएचएआई कनेक्टिविटी, होटल, कार्यालय और खुदरा व्यापार स्थान आदि सहित) को वर्ष 2025 तक विकसित करने के लिए 25,703 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दे दी है।

8.2 सरकार ने आगे आईआईसीसी के कार्यान्वयन और विकास के लिए डीपीआईआईटी के माध्यम से सरकार से 100% इक्विटी के साथ द्वारका परियोजना के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के रूप में एक नई सरकारी कंपनी को शामिल करने को मंजूरी दी है।

8.3 परियोजना के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम यानी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी लिमिटेड) को 19.12.2017 को निगमित किया गया था, जो डीपीआईआईटी के माध्यम से भारत सरकार के 100% स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है।

8.4 परियोजना के चरण –1 में प्रदर्शनी–सह कन्वेंशन सेंटर सहित मुख्य अवसंरचना का कार्यान्वयन प्रगति पर है। इन्हें गैर–पीपीपी घटक के रूप में लागू किया जाएगा। चरण–1 के विकास के लिए ईपीसी ठेकेदार और प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के लिए ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं।

8.5 शेष प्रदर्शनी क्षेत्र को परियोजना के चरण –2 में 2025 तक लागू किया जाएगा। पीपीपी मोड में चरण–2 में डेवलपर्स द्वारा होटल, रिटेल क्षेत्र और कार्यालयों वाले पीपीपी घटकों को लागू किया जाएगा।

8.6 माननीय प्रधानमंत्री ने 20 सितंबर, 2018 को इस परियोजना की आधारशिला रखी।

8.7 चरण– 1 के विकास के लिए ईपीसी ठेकेदार और प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के लिए ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं।

8.8 प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर के लिए ऑपरेटर नियुक्त किया गया है।

8.9 आईआईसीसी परियोजना के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डीएमआरसी द्वारा मेट्रो कनेक्टिविटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और प्रदर्शनी हॉल–3 के तहत सुरंग बनाने का कार्य डीएमआरसी द्वारा पूरा किया गया है और आगे के निर्माण कार्यों के लिए लॉर्सन एंड टुब्रो को सौंप दिया गया है।

8.10 आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को परियोजना के लिए ऋण जुटाने में आईआईसीसी की सहायता के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई को 31 जनवरी 2019 को 2150.16 करोड़ रुपये की ऋण की राशि प्रदान करने के लिए आईआईसीसी के बोर्ड की मंजूरी के साथ एलओए जारी किया गया है।

8.11 राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम) को तृतीय–पक्ष गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी (टीपीक्यूए) के रूप में नियुक्त किया गया है।

8.12 आईआईसीसी द्वारका को थोक बिजली आपूर्ति के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड

(बीआरपीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बीआरपीएल को इस कार्य के निष्पादन के लिए रु. 40 करोड की भुगतान राशि की पहली किस्त के रूप में 15.01.2019 को जारी की गई है। बीएसईएस द्वारा आईआईसीसी प्लॉट तक फीडर केबल बिछाने और जीआईएस सबस्टेशन की खरीद का काम पूरा हो गया है।

8.13 एनएचएआई द्वारा विकसित की जा रही आईआईसीसी को बाहरी सड़क संपर्क के लिए 18.66 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए डीडीए को अग्रिम भुगतान के लिए आईआईसीसी से एनएचएआई को 92.39 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा, इस निर्माण कार्य के लिए एनएचएआई को 87.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

8.14 एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेसवे (जिसमें आईआईसीसी कॉम्प्लेक्स के लिए सड़क संपर्क शामिल है) के विकास के पैकेज–II के लिए जे. कुमार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एलओए प्रदान किया गया है।

8.15 डीडीए ने आईआईसीसी स्थल (दक्षिण क्षेत्र) से सटे ग्रीन बेल्ट में 34 हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाने और सार्वजनिक पार्क के रूप में अनुरक्षित करने के लिए आईआईसीसी लिमिटेड को अनुमति दी है।

9
अध्याय

क्षेत्रीय विकास के लिए योजनाएँ

9.1 परिचय

9.1.1 भारत सरकार की औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य देश भर में संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु संघ सरकार विभिन्न नीतियों/स्कीमों और प्रोत्साहन पैकेजों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती रही है। उद्योगों के विकास के लिए कुछ ऐसी नीतियां/योजनाएं/प्रोत्साहन पैकेज तथा जो वर्तमान में इस विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, इस अध्याय में दिए गए हैं।

9.2 परिवहन राजसहायता योजना:

9.2.1 यह योजना औद्योगिक इकाइयों द्वारा वहन की गई परिवहन लागत में राजसहायता देकर दूरस्थ, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकरण के विकास हेतु दिनांक 23.7.1971 को शुरू की गई थी। यह योजना सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में उनके आकार को ध्यान में रखे बिना बागवानी, रिफाइनरी तथा विद्युत उत्पादन इकाइयों को छोड़कर सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू है। इस योजना में पूर्वोत्तर के आठ राज्य (सिक्किम सहित), हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, लक्षद्वीप प्रशासन, तथा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला शामिल है।

9.2.2 पात्र औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है जो इकाई के स्थल से निर्धारित रेल स्टेशन तक तथा वहां से इकाई स्थल तक कच्चे माल तथा तैयार माल की ढुलाई परिवहन हेतु मालमाड़ा लागत का 50 से 90 प्रतिशत रैंज में होती है।

9.3 मालभाड़ा राजसहायता योजना

9.3.1 22.01.2013 को परिवहन राजसहायता योजना को मालभाड़ा राज सहायता योजना (एफएसएस), 2013 के रूप संशोधित और अधिसूचित किया गया था। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

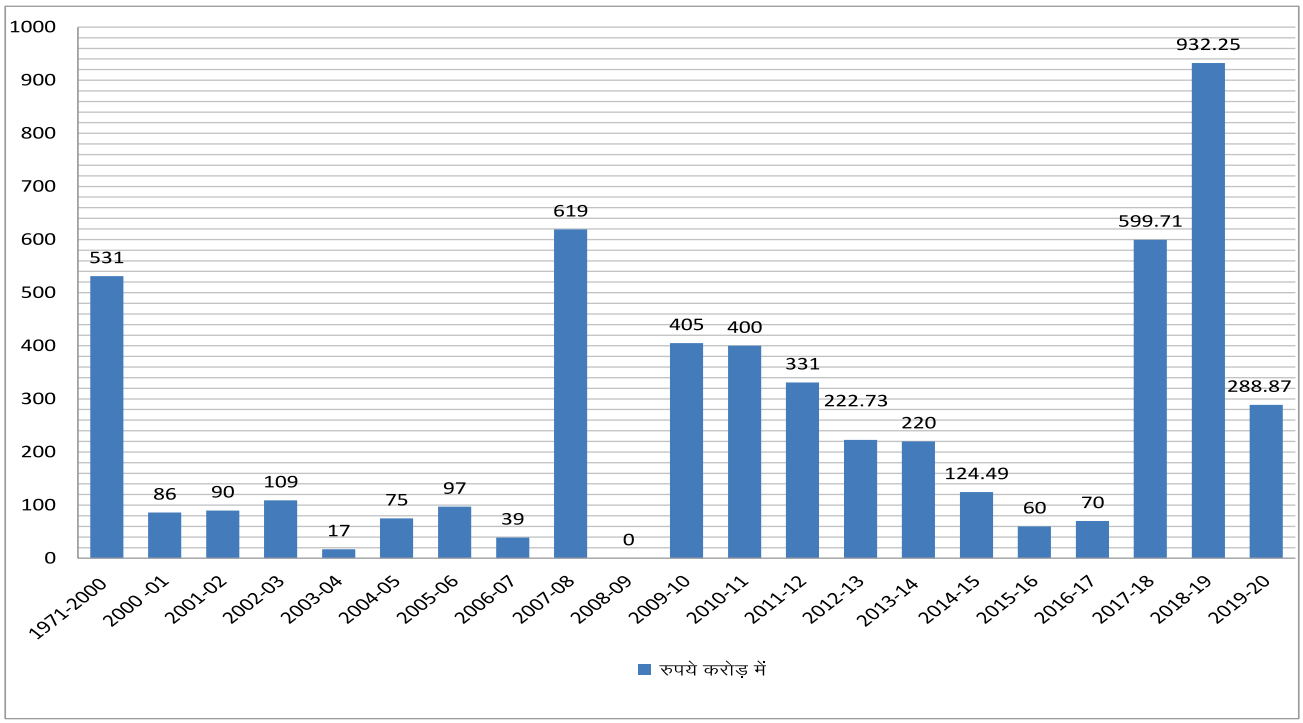
i. 'विनिर्माण कार्य' की परिभाषा केन्द्रीय बजट, 2009–10 से ली गई है;

ii. फ्लाई एश के परिवहन पर राजसहायता की अनुमति नहीं है;

iii. एमएसएमई के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए राजसहायता का प्रावधान;

iv. पौधा रोपण, रिफाइनरी, बिजली उत्पादक इकाइयां, कोक उद्योग (केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित) तथा तम्बाकू तथा तम्बाकू से बनी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयों, पान मसाला तथा 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की थैलियों को निषेध सूची में रखा गया है।

ग्राफ 9.1: टीएसएस /एफएसएस के तहत जारी किए गए फंड



9.3.2 मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस), 2013 को दिनांक 22.11.2016 से समाप्त कर दिया गया है। तथापि, दिनांक 22.11.2016 डीपीआईआईटी की अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले इस योजना के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां 21.11.2021 तक इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

9.3.3 टीएसएस/एफएसएस योजना की शुरुआत से रु. 5312.54 करोड़ (लगभग) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2019–20 में, 31.01.2020 तक रुपये 293.31 करोड़ के कुल आवंटन में से रु. 288.87 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

9.4 पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007

9.4.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पूर्ववर्ती पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 में संशोधन किया गया तथा पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 नामक एक नई नीति 1.4.2007 से अधिसूचित की गई थी जो 31.03.2017 तक लागू रही। विनिर्माण क्षेत्र मे उद्योगों के अलावा एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत पहली बार लाभ चुनिंदा सेवा क्षेत्र इकाइयों, जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों तथा विद्युत उत्पादक इकाइयों (10 एमडब्ल्यू तक) को भी दिया गया है। यह नीति एनईआईपी, 1997 की जगह लागू हुई।

9.4.2. एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत योजनाएं, तम्बाकू तथा तम्बाकू से बने उत्पादों का उत्पादन करने वाली, पान मसाला तथा 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैली, रिफाइनरी तथा भंडारण के दौरान संरक्षण, सफाई प्रचालन, पैकिंग, री–पैकिंग, लेबलिंग अथवा लेबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य आदि में बदलाव संबंधी इकाईयों को छोड़कर आठ पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) की सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू हैं।

9.4.3 एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. **केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2007**:– इस योजना में प्लांट और मशीनरी में निवेश की 30% की राजसहायता अथवा प्लांट और मशीनरी में अतिरिक्त निवेश के साथ नई इकाइयों के साथ–साथ मौजूदा इकाइयों के लिए पर्याप्त विस्तार की व्यवस्था है। इस योजना को 22.11.2016 को

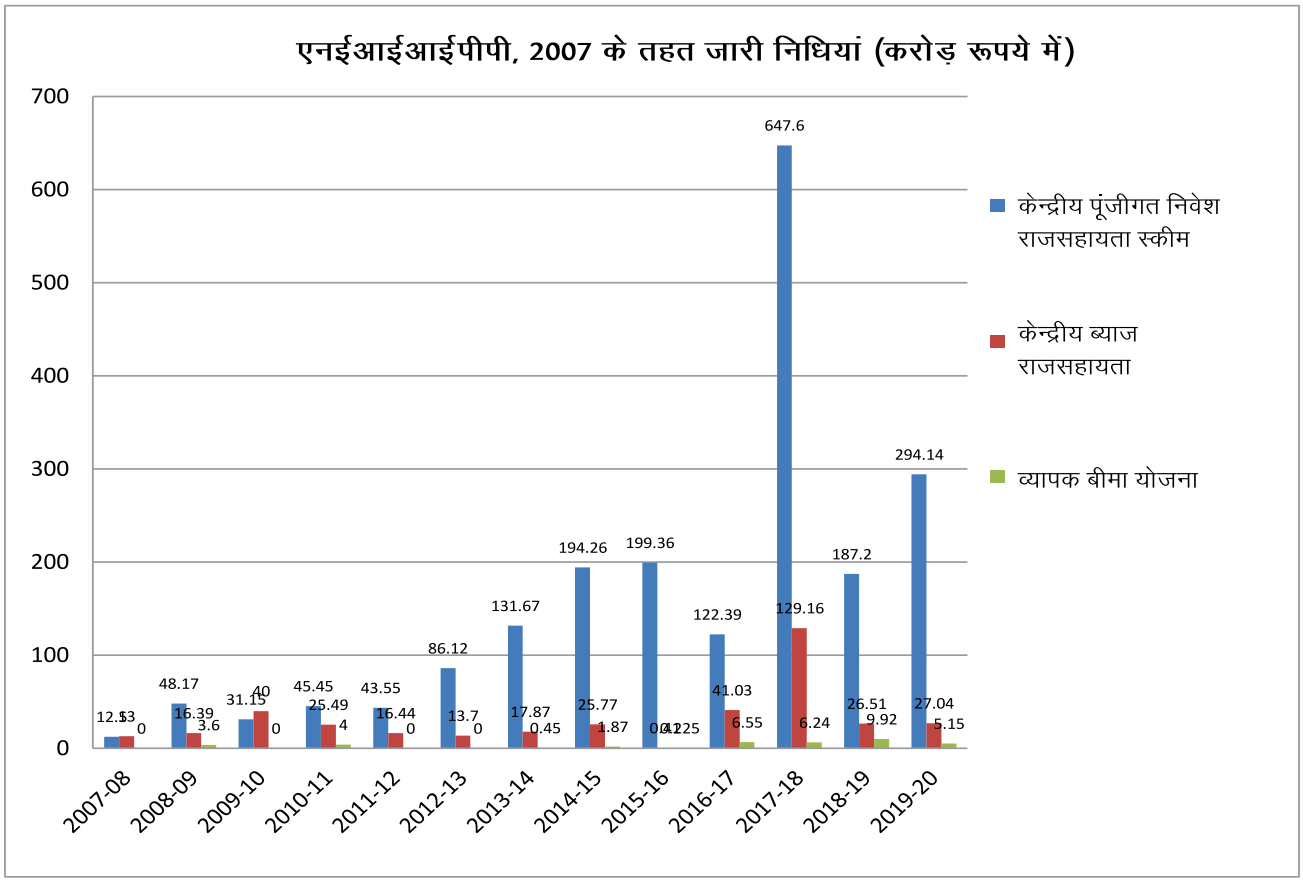
संशोधित किया गया था और इस राजसहायता को विनिर्माण क्षेत्र में प्रति औद्योगिक इकाई 5.00 करोड़ रु. और सेवा क्षेत्र में प्रचालित प्रति औद्योगिक इकाई के लिए 3.00 करोड़ रुपये तक सीमित कर दी गई।

ii. **केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजनाः** इस स्कीम में पात्र इकाई द्वारा अनुसूचित बैंकों अथवा केन्द्रीय/राज्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए पूंजीगत कार्यशील ऋण पर उत्पादन शुरू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता प्रदान की गई है। इस स्कीम को 22.11.2016 को संशोधन किया गया तथा ब्याज राजसहायता केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अथवा व्यापक उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी व्यय के वित्त पोषण हेतु लिए गए 5 से 10 वर्ष की परिपक्वता वाले आवधिक ऋणों पर ही उपलब्ध थी। यह ब्याज राजसहायता मुख्य ऋण दर (पीएलआर) से अधिक की ऋण की लागत में राजसहायता प्रदान करने हेतु 10 करोड़ रूपये तक के आवधिक ऋणों पर प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की सीमा तक सीमित थी ताकि राजसहायता के बाद ब्याज–दर संबंधित बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पीएलआर से नीचे न आ सके।

iii. **केंद्रीय व्यापक बीमा योजनाः** – इस योजना के तहत उत्पादन शुरू होने की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों के लिए 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाती है।

9.4.4 योजना की शुरूआत से रु. 2779.04 करोड़ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को जारी किए गए हैं। 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2019–20 में, 483.53 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन में से 326.33 करोड़ रुपये जारी किए गए।

ग्राफ 9.2 एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत जारी निधियां (करोड़ रूपये में)



9.5 पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017:

9.5.1 पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने और रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को 12.04.2018 को अधिसूचित किया गया है जो 01.04.2017 से पाँच साल के लिए लागू हो गयी है।

9.5.2 यह योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को कवर करेगी। यह विनिर्माण, सेवाओं में एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह सूचना प्रौद्योगिकी प्रस्तावों का अनुमोदन और भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को लाभकारी बनाएगी।

9.5.3 इस योजना के तहत प्रदान किए गए विभिन्न लाभ तालिका 9.1 में दिए गए हैं:

तालिका 9.1: योजना के तहत प्रदान किए गए लाभ

1	क्रेडिट पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)	संयंत्र और मशीनरी में 5 करोड़ रू की ऊपरी सीमा के साथ निवेश का 30%।
2	केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई)	अनुसूचित बैंकों या केंद्रीय / राज्य के वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यावसायिक उत्पादन / संचालन शुरू होने की तारीख से प्रारंभ के 5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3%। यह प्रोत्साहन इतना सीमित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजसहायता ब्याज दर उधार देने वाली संस्था की ऋण आधारित दरों (एमसीएलआर) की सीमांत लागत से कम नहीं है।
3	केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई)	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति।
4	आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के वर्ष सहित पहले 5 वर्षों के लिए केन्द्र के आयकर हिस्से की प्रतिपूर्ति।
5	माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति	5 वर्षों के लिए सीजीएसटी एवं आईजीएसटी में केंद्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति।
6	रोजगार प्रोत्साहन (ईआई)	प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में सरकार द्वारा वहन किए जा रहे 8.33% के योगदान के अलावा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में नियोक्ता का 3.67% अतिरिक्त योगदान।
7	परिवहन प्रोत्साहन (टीआई)	● वर्तमान रेलवे / रेलवे पीएसयू द्वारा रेलवे द्वारा तैयार माल की आवाजाही के लिए औद्योगिक यूनिट से निकटतम रेलवे स्टेशन से खरीददार के अवस्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन तक के प्रोत्साहन सहित परिवहन लागत का 20%। ● भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से आवागमन के लिए तैयार माल की ढुलाई के लिए औद्योगिक इकाई के स्थल बंदरगाह से खरीददार के स्थल से निकटतम बंदरगाह तक लागत का 20%। ● देश के भीतर उत्पादन स्थल से निकटतम किसी भी हवाई अड्डे के लिए खरीददार के निकटतम स्थल तक माल की ढुलाई (आईएटीए द्वारा परिभाषित के अनुसार) की लागत का 33%।

9.5.4 संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधीन सभी घटकों के तहत लाभ के लिए 200 करोड़ रुपये प्रति यूनिट की कुल अधिकतम सीमा।

9.5.5 इस योजना के तहत की गई प्रगतिः

i. एनईआईडीएस संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में हितधारकों के साथ विचार विमर्श सत्र गुवाहाटी, ईटानगर और त्रिपुरा में आयोजित किए गए थे।

ii. एनईआईडीएस के तहत पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल को विकसित और प्रचालित किया गया है।

iii. एनईआईडीएस वेब पोर्ट पर प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 471 है।

iv. इस योजना के तहत अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 104 औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण प्रदान किए गए है।

9.6 हिमालयी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष पैकेज योजना/ औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस–2017) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख

पूर्ववर्ती योजना

9.6.1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (पैकेज I और II)

9.6.1.1 14 जून, 2002 को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए डीपीआईआईटी द्वारा अन्य रियायतों के साथ औद्योगिक नीति की शुरूआत दस वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। 14 जून, 2012 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए प्रोत्साहन का पैकेज समाप्त हो गया। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय अनुदान की संशोधित योजना/जेएंडके पैकेज– II की घोषणा की गई जो 15.06.2012 से लागू हुई और 14.06.2017 तक लागू रही।

9.6.1.2 पैकेज ने निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए:–

i. **केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजनाः** सभी नई औद्योगिक इकाइयाँ और मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ उनके पर्याप्त विस्तार के लिए, संयत्र एवं मशीनरी के निवेश का 15% की दर से पूंजी निवेश राजसहायता प्राप्त करने की पात्र हैं, जो 30 लाख रूपये की सीमा के अध्यधीन होगी। पैकेज II में नया लाभ यानि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संयत्र और मशीनरी के निवेश का 30% पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगे, जो क्रमशः विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए 3.00 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन होगा।

ii. **केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजनाः** सभी नए औद्योगिक इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से दैनिक कार्यशील पूंजी ऋण के औसत पर 3% की ब्याज राजसहायता प्रदान की जाएगी।

iii. **केंद्रीय व्यापक बीमा राजसहायता योजनाः** सभी नई इकाइयों के लिए विस्तारित पैकेज के दौरान और मौजूदा इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पर्याप्त विस्तार पर 100% की सीमा तक बीमा राजसहायता स्वीकार्य होगी।

9.6.2 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (पैकेज I और II)

9.6.2.1 डीपीआईआईटी द्वारा 7 जनवरी, 2003 को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक नीति और अन्य रियायतें 7.1.2003 से 6.1.2013 तक दस वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई थीं। यह योजना 06.01.2013 को समाप्त हो गई है। इसके बाद हिमाचल

प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों के लिए केंद्रीय अनुदान की संशोधित योजना, अर्थात् पैकेज–II की घोषणा की गई जो 07.01.2013 से प्रभावी हुई और 31.03.2017 तक लागू रही।

9.6.2.2 इस पैकेज में केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान गई की है। सभी नई औद्योगिक इकाइयाँ और मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ अपने पर्याप्त विस्तार के लिए, संयत्र एवं मशीनरी के निवेश का 15% निवेश राजसहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगी जो 30 लाख रूपये की सीमा के अध्यधीन है।

9.6.2.3 पैकेज II में दिया गया नया लाभ यानि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संयत्र और मशीनरी के निवेश का 15% पूंजी निवेश राजसहायता के लिए पात्र होंगे, जो 50 लाख रुपये की सीमा के अध्यधीन होगी।

9.6.3 योजना के तहत की गई प्रगति

चालू वर्ष के दौरान

9.6.3.1 चालू वर्ष 2019–20 (अब तक) के दौरान 131.75 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई –79. 70 करोड़ रुपये 492 औद्योगिक इकाइयों (जम्मू–कश्मीर), 31.01 करोड़ रुपये 133 औद्योगिक इकाइयों (हिमाचल प्रदेश) और 21.04 करोड़ रुपये करोड़ 107 औद्योगिक इकाइयां (उत्तराखंड) को प्रदान किया गया।

तालिका 9.3 योजना की शुरूआत से की गई प्रगति

राज्य	जारी केंद्रीय सहायता की राशि (रु. करोड़ में)	लाभान्वित औद्योगिक इकाइयों की संख्या
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	474.87	1160
हिमाचल प्रदेश	371.67	2365
उत्तराखंड	350.42	1876
कुल	**1196.96**	**5401**

जारी योजनाएं

9.6.4 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस), 2017

9.6.4.1 हिमालयी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग सवंर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 31.03.2017 से 31.03.2020 तक नई औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) शुरू की है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यह आईडीएस योजना 01.04. 2017 से 31.03.2022 तक शुरु की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए योजना का विस्तार 31.03.2020 के बाद मूल्यांकन के आधार पर विचार किया जाएगा।

9.6.4.2 इस योजना में निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं: –

i. ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी स्थित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उनके पर्याप्त विस्तार पर सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में 5.00 करोड़ की ऊपरी सीमा के साथ 30% ऋण तक पहुंच (सीसीआईआईएसी) के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

ii. केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई)

सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयाँ और मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी स्थित हैं, वे वाणिज्यिक उत्पादन /संचालन शुरू होने की तारीख से 5 साल की अधिकतम अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

iii. केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई) (केवल संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के लिए)

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी स्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को उनके पर्याप्त विस्तार पर अनुसूचित बैंकों या केंद्रीय / राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन / संचालन शुरू होने की तारीख से पहले 5 साल तक उन्नत कार्यशील पूंजी क्रेडिट पर 3% की दर से ब्याज प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन इतना सीमित होगा कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजसहायता ब्याज दर उधार देने वाली संस्था की ऋण आधारित दरों (एमसीएलआर) की सीमांत लागत से कम नहीं हो।

9.6.4.3 भारत सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिनांक 15.06.2017 की अधिसूचना 2(2)/2018–एसपीएस दिनांक 01.01.2019 के माध्यम से निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ प्रदान कर दिए हैं।

iv. जीएसटी प्रतिपूर्ति

जम्मू–कश्मीर और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त विस्तार करने वाली सभी नई औद्योगिक इकाइयाँ और मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ सीजीएसटी और आईजीएसटी के केंद्रीय हिस्से की पात्र होगी ये इकाईयां निर्मित और तैयार किए गए उत्पादों पर भुगतान किए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित स्थिति के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए पात्र होंगी।

तैयार माल पर जीएसटी प्रतिपूर्ति केवल कुल जीएसटी भुगतान पर लागू है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स, 2017 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग द्वारा भुगतान की गई कर राशि के अलावा है।

v. आयकर प्रतिपूर्ति

इस योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाई पहले 5 वर्षों के लिए आयकर के केंद्रीय हिस्से की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है, जिसमें इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला वर्ष भी शामिल है।

vi. परिवहन प्रोत्साहन

सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयाँ और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ व्यावसायिक उत्पादन/प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए रेलवे या रेलवे सार्वजनिक उपक्रम, अंतर्देशीय जलमार्ग या अनुसूचित एयरलाइनों के माध्यम से केवल तैयार माल के परिवहन पर संचालन, वास्तविक प्राप्ति के उत्पादन की वास्तविक रसीद प्रस्तुत करने पर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं। विभिन्न प्रकार के माध्यमों से परिवहन प्रोत्साहन के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: –

क. वर्तमान में रेलवे / रेलवे पीएसयू द्वारा रेलवे द्वारा तैयार माल की आवाजाही के लिए औद्योगिक यूनिट से निकटतम रेलवे स्टेशन से खरीददार के स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक के प्रोत्साहन सहित परिवहन लागत के 20% तक।

ख. भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से आवागमन के लिए तैयार माल की ढुलाई के लिए औद्योगिक इकाई के स्थल के निकट बंदरगाह से खरीददार के स्थल से निकटतम बंदरगाह तक लागत का 20%।

ग. खराब होने वाली वस्तुओं/माल (आईएटीए) के लिए डीजीसीए द्वारा अनुमोदित अनुसूचित एयरलाइंस और गैर अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी) धारकों द्वारा एयरफ्रेट के परिवहन की लागत का 33%, जो कि देश के भीतर किसी भी हवाई अड्डे से उत्पादन स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से या खरीदार के स्थान के सबसे नजदीक है।

vii. रोजगार प्रोत्साहन

डीपीआईआईटी प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) में नियोक्ता के अंशदान में सरकार के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का 3.67% अतिरिक्त भुगतान कर रही है, जिसमें पहले से ही पीएमआरपीवाई के तहत किए गए दावों को शामिल नहीं किया गया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मामले में, केवल एक इकाई 200 करोड़ रु तक कुल लाभ उठा सकती है।

9.6.4.4 प्रगति

i. इस योजना के तहत नई औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

ii. 489 (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर –87, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख– 3, हिमाचल प्रदेश– 248 और उत्तराखंड –151) औद्योगिक इकाइयां पहले से ही अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पंजीकृत हैं।

9.7 2019–20 के दौरान भारतीय फुट वियर चमड़ा और सहायक वस्तु विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) का विवरण

9.7.1 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) उप–योजना: वर्ष 2019–20 के लिए 1,70,000 प्रशिक्षुओं के कुल प्रशिक्षण लक्ष्य का लाभ, 90,608 व्यक्तियों को प्राईमरी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और 33,278 व्यक्तियों का प्रशिक्षण चल रहा है। (आज की स्थिति के अनुसार)। इसके अलावा, चमड़े और फुट वियर के क्षेत्र में 20,000 श्रमिकों के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का काम चल रहा है। उप–योजना के तहत 67.17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

9.7.2 चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप–योजना: 2019–20 के दौरान 106 इकाइयों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 40.73 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई हैं। इसके अलावा, 31 इकाइयों के संबंध में 15.13 करोड़ रू. की सहायता राशि प्रक्रियाधीन है।

9.7.3 संस्थागत सुविधाओं की संस्थापना उप–योजना: नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, जोधपुर, पटना, कोलकाता और रोहतक में सात फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) के उन्नयन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) में129.62 करोड रू. की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है। पहली किस्त रुपये 38.88 करोड़ की राशि एफडीडीआई के लिए जारी की गई है।

9.7.4 मेगा लेदर, फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर (एमएलएफएसी) उप–योजना: 'मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर की कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स, बंटाला, कोलकाता में स्थापना परियोजना' के लिए 178.84 करोड़ रू. की परियोजना लागत को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है। 'रत्नागिरी, महाराष्ट्र में मेगा लेदर फुटवियर और एक्सेसरीज क्लस्टर की स्थापना' के लिए परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है।

9.7.5 चमड़ा प्रौद्योगिकी, नवाचार और पर्यावरणीय मुद्दे उप–योजना: तमिलनाडु के डिंडीगल, रानीपेट, अंबुर, वानीयंबादी, वेल्लोर, पल्लावरम, त्रिची और ईरोड जिलों में 11 सीईटीपी के उन्नयन के लिए 506.47 करोड़ रू. की कुल परियोजना लागत का अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें से भारत सरकार द्वारा 354.53 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। अब तक, 9 सीईटीपी यानी रानीपेट, मालीगीथोप, थुटिपेट, वनीटेक पर्टेक, सिडको–I, सिडको–II, डिंटेक और पीटीआईईटीसी सीईटीपी के संबंध में 65.48 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई है। त्रिची और प्लाईस में दो सीईटीपी परियोजनाएं परियोजना प्रबंधन सलाहकार यानी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के मूल्यांकन के अंतर्गत प्रक्रियाधीन हैं।

9.7.6 लेदर, फुटवियर और ऐसेसरीज सेक्टर उप–योजना के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन: कार्यान्वयन एजेंसी यानी फुटवेअर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) द्वारा उप–योजना के तहत कुल

48 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पात्र 48 इकाइयों/ आवेदनों के संबंध में भौतिक निरीक्षण और वित्तीय पुनरीक्षा के बाद, रु. 92,27,971/– की प्रतिपूर्ति जारी की गई।

9.8 औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस) और संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (एमआईआईयूएस)

9.8.1 औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) 2003, उन चयनित कार्यात्मक क्लस्टर/ स्थानों के लिए, जो कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता रखते हैं, हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान कर घरेलू उद्योग की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्रत्येक परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता परियोजना की कुल लागत का 75% तक थी, जो 50 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन दी गई थी। कार्यान्वयन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर फरवरी, 2009 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था। दो चरण की स्वीकृति प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद प्रारंभिक अनुमोदन के छह महीनों में 'अंतिम अनुमोदन' दिया जाना था। केंद्रीय अनुदान की सीमा को 50 करोड़ रू. से बढ़ाकर 60 करोड़ रु किया गया। आईआईयूएस के तहत, 10 वीं और 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 37 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, इनमें से 31 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं **(परिशिष्ट–VIII)** और 6 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं **(परिशिष्ट– IX)**। इन परियोजनाओं को 1455.64 करोड़ रू. के कुल स्वीकृत केंद्रीय अनुदान में से 1429.25 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता (23.12.2019 तक) प्रदान की गई थी।

9.8.2 2011 में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा 12 वीं योजना अवधि में इसकी प्रभावशीलता और निरंतरता के लिए पुर्नगठित आईआईयूएस का मूल्यांकन किया गया था। एनपीसी ने मूल्यांकन किया और निम्नलिखित का बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया था:

i. आईआईयूएस हस्तक्षेप ने क्लस्टरों के तकनीकी उन्नयन में काफी योगदान दिया;

ii. आईआईयूएस के हस्तक्षेप के बाद निर्यात सहित क्लस्टर आधारित उद्योगों के राजस्व के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है;

iii. सामान्य सुविधाओं जैसे अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, कौशल उन्नयन केन्द्र, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया गया है;

iv. परियोजनाओं में लगभग 80% औद्योगिक इकाइयाँ लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसई) श्रेणी के अंतर्गत हैं, इसलिए, बुनियादी सुविधाओं में उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से निवेश करना उनकी वित्तीय क्षमता से परे है।

v. अधिकांश क्लस्टरों ने पर्यावरण को बचाने के लिए हरित पहल की है।

vi. अधिकांश उद्योग क्लस्टर आत्म निर्भर हैं।

9.8.3 जुलाई, 2013 से इस योजना का नाम बदलकर एमआईआईयूएस (संशोधित औद्योगिक अवसंरचना –उन्नयन योजना) के नाम से जारी रखा गया था।

9.8.4 एमआईआईयूएस के तहत, मौजूदा औद्योगिक पार्कों/संपदा/ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में भी शुरू किए गए हैं। परियोजनाएं राज्य सरकार की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। एमआईआईयूएस के तहत 50 करोड़ रुपये की सीमा के साथ परियोजना लागत का 50% तक केन्द्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें राज्य कार्यान्वयन एजेंसी का कम से कम 25% योगदान हो। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, केंद्रीय अनुदान और एसआईए का न्यूनतम योगदान क्रमशः 80% और 10% तक है। वर्तमान में, एमआईआईयूएस के तहत 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं **(परिशिष्ट–VIII)** और शेष 15 कार्यान्वयन के तहत हैं **(परिशिष्ट–IX)**।

इन परियोजनाओं को 354.91 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान में से 329.58 करोड़ रुपये (23.12.2019 तक) प्रदान किए गए हैं।

9.8.5 इसके अलावा, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद एमआईआईयूएस को जारी रखने के लिए, विभाग ने 2017–18 से 2019–20 की अवधि के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन तैयार किया। हालांकि, ईएफसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि चालू परियोजनाओं (आईआईयूएस /एमआईआईयूएस) के पूरा होने के बाद योजना का विस्तार किया जा सकता है।

10
अध्याय

विशिष्ट उद्योग और उनका विकास

10.1 सीमेंट उद्योग

10.1.1 सीमेंट उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योगों में एक है। भारतीय सीमेंट उद्योग क्षमता के हिसाब से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जो देश के आर्थिक विकास और इसकी बढ़ोत्तरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग आर्थिक क्षेत्र में हाउसिंग और अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस उद्योग का अवसंरचना, निर्माण, हाउसिंग, परिवहन, कोयला, विद्युत, स्टील आदि अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत सम्पर्क है। यह उद्योग सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सभी के लिए आवास, स्मार्ट सिटी, कंक्रीट सड़कों, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर्स, स्वच्छ भारत अभियान, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, जल मार्ग आदि को कार्यान्वित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सीमेंट की मांग 2025 तक 550–600 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुंचने की आशा की गई है।

10.1.2 भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में क्लिंकर स्पेसिफिकेशन के अलावा 14 प्रकार की सीमेंट को विनिर्दिष्ट किया है। इनमें से ओर्डीनरी पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी), पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (पीपीसी), पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (पीएससी), कम्पोजिट सीमेंट और अन्य विशेष प्रयोजन वाली सीमेंट शामिल है। इनमें से भारत में उत्पादित 3 सबसे आम सीमेंट के प्रकार हैं ओपीसी, पीपीसी, पीएससी।

10.1.3 सीमेंट की क्षमता तथा उत्पादन

10.1.3.1 सीमेंट देश में अत्यधिक प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत उद्योगों में से एक है। आधुनिक भारतीय सीमेंट संयंत्र अत्याधुनिक सीमेंट संयंत्र हैं तथा इनकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम संयंत्रों से की जा सकती है।

10.1.3.2 भारतीय सीमेंट उद्योग वैश्विक प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ गति बनाए रखने में सक्षम रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी के समावेश से इस उद्योग को ऊर्जा व ईधन के संरक्षण और पर्यावरणीय चिन्ताओं के निवारण से अपनी दक्षता में सुधार करने में अत्यधिक सहायता मिली है।

10.1.3.3 भारतीय सीमेंट उद्योग की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 537 मिलियन टन है। भारतीय सीमेंट उद्योग की क्षमता उपयोगिता पिछले 10 वर्षों के दौरान 83 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत रह गई है। सक्षमता उपयोगिता में निरंतर गिरावट का यह रुख 200 मिलियन टन से अधिक की निष्क्रिय क्षमता का सूचक है जो वर्ष–दर–वर्ष बढ़ रहा है। सीमेंट उद्योग में 144 बड़े सीमेन्ट संयंत्र, 107 ग्राइंडिंग इकाइयां, 62 छोटी सीमेंट इकाइयां और 5 क्लिंकर स्टेशन इकाई शामिल हैं। भारत में सीमेंट का उपयोग प्रति व्यक्ति 240 किग्रा. है जबकि वैश्विक औसत 530 किग्रा. प्रति व्यक्ति है जो उद्योग के विकास की संभावना को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 में सीमेंट का उत्पादन 337.32 मिलियन टन और वर्ष 2019–20 (अक्टूबर 2019 तक) यह 189.74 मिलियन टन (एमटी) रहा।

10.1.3.4 इस उद्योग द्वारा विद्युत सह–उत्पादन के लिए कई सारे वेस्ट हीट रिकवरी (डब्ल्यूएचआर) सिस्टम के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। सीमेंट उद्योग में सह–उत्पादन प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने की मुख्य बाधा उच्च निवेश लागत है।

10.1.3.5 देश में सीमेंट संयंत्रों से सीमेंट की क्षमता, उत्पादन, आदि से संबंधित आंकड़ों को समेकित करने के लिए वर्ष 2014 में सीमेंट सूचना प्रणाली (सीआईएस) पोर्टल की शुरुआत की गई थी; जटिल आंकड़ों की आवश्यकता को

आसान बनाने के लिए आंकड़ा संग्रह के प्रारूप को आसान बनाया गया है और अब यह उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए उपलब्ध है। उद्योग के उपयोगकर्ता इस पोर्टल पर अपने मासिक उत्पादन के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत सीमेंट इकाइयां अपने सीमेंट उत्पादन संबंधी आंकड़े सीआईएस पोर्टल पर मासिक आधार पर प्रस्तुत कर रही हैं।

10.1.3.6 माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड नई दिल्ली में दिनांक 03.12.2019 को आयोजित 16वें एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में संशोधित कमपेंडियम ''सीमेंट उद्योग –भारत 2019'' जारी किया गया है। सीमेंट उद्योग संबंधी कमपेंडियम का संशोधित वर्जन एनसीसीबीएम द्वारा तैयार किया गया। इस कमपेंडियम का उद्देश्य भारतीय सीमेंट उद्योग के सभी स्टेक होल्डरों को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी दर्जा प्रदान करना, अनुसंधान तथा नवाचार आवश्यकताओं को पूरा करना, स्थायित्व, भावी आउटलुक, जलवायु परिवर्तन कार्य आदि जैसी चुनौतियों और मुद्दों के साथ–साथ सीमेंट संयंत्र की अद्यतन निर्देशिका उपलब्ध कराना है। इस कमपेंडियम में भारतीय सीमेंट सेक्टर की व्यापक जानकारी होगी और उद्योग, नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, मशीनरी विनिर्माणकर्ता, शिक्षाविदों द्वारा उपयोग की जाने वाली भारतीय सीमेंट उद्योगों की जानकारी भी होगी।

10.1.3.7 राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद् (एनसीसीबीएम) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन है। यह परिषद् भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योगों से संबंधित सीमेंट को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक सेवा सहायता प्रदान करती है और यह सब गतिविधियां बल्लभगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद और भुवनेश्वर स्थित अपनी इकाइयों के माध्यम से करती है।

10.2 विस्फोटक उद्योग

10.2.1 मध्यम और लघु क्षेत्र में विस्फोटकों के उत्पादन में 138 उच्च विस्फोटक विनिर्माण और 154 स्थल मिश्रित विस्फोटक लाइसेंसधारी संयंत्र लगे हुए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान संस्थापित क्षमता और विस्फोटकों के उत्पादन का विवरण इस प्रकार हैं:

तालिका 10.1 पिछले 5 वर्षों के दौरान विस्फोटकों का उत्पादन

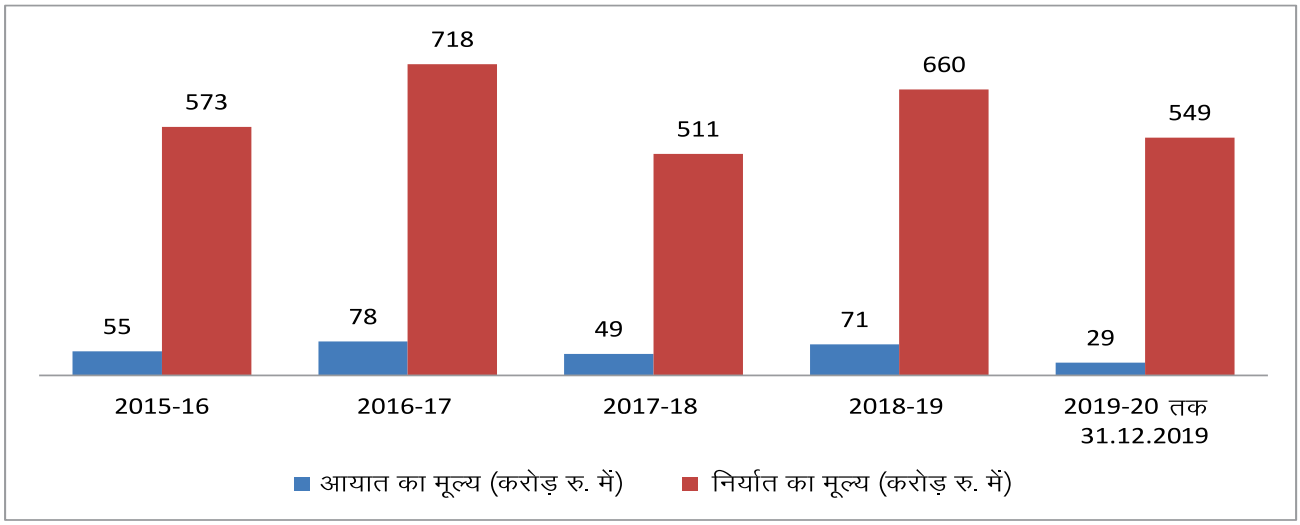
विवरण	वार्षिक संस्थापित लाइसेंसशुदा क्षमता (मी.टन)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2019	2019-20 31.12.2019 तक
श्रेणी 1 गन पाउडर (मीट्रिक टन)	855.55	552.165	662.038	684.914	636.986	381.92
श्रेणी 2 (क) कार्टरीजेज (ख) साइट–मिक्सड (मीट्रिक टन)	691046 1633675.5	378989.95 762850.37	409488.87 802238.10	475957.172 844193.966	538652.527 857266.694	330878.12 536945.65
श्रेणी 3 डिवि. 2 बूस्टर व पी ई टी एन* (मीट्रिक टन)	21149.67	7996.384	9079.647	9207.044	10203.326	6868.499
श्रेणी 6 डिवि. 1 सेफ्टी फ्यूज (मिलियन टन)	261.6	61.1	53.26	58.952	53.098	24.11
श्रेणी 6 डिवि. 2 डेटोनेटिंग फ्यूज (मिलियन टन)	708	479.6	612.828	674.976	696.401	481.95
श्रेणी 6 डिवि. 3 डेटोनेटर (मिलियन टन)	1166.15	969	1120.731	983.962	1034.129	831.99

* *पीईटीएन – पेंटा एरीथ्रीटल टेट्रा नाइट्रेट*

10.2.2 विस्फोटकों का निर्यात और आयात

10.2.2.1 पेसो ने विस्फोटकों के आयात के लिए 108 लाइसेंस और उनके निर्यात के लिए 442 लाइसेंस जारी किए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान इन विस्फोटकों के निर्यात और आयात का मूल्य निम्न प्रकार से है:–

ग्राफ 10.1



10.3 चमड़ा उद्योग

10.3.1 चमडा उद्योग अपने वास्तविक समग्र उत्पादन, निर्यात आय और रोजगार क्षमता की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत से चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के निर्यात ने पिछले दो दशकों में ढांचागत बदलाव किये हैं, मूल्य संवर्धित चमड़ा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नीति के परिणामस्वरूप कुल चमड़ा निर्यात में चमड़ा फुटवियर, चमड़ा परिधान, चमड़ा सामान, फुटवियर घटकों तथा चमड़ा के अनेक वस्तुओं के हिस्से में व्यापक बढ़ोतरी हुई।

तालिका 10.2 भारत का पिछले पांच वर्षों के दौरान चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में निर्यात निष्पादन इस प्रकार है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल–अक्टूबर 2019
तैयार चमड़ा	1329.05	1046.45	886.39	874.24	721.73	326.73
चमड़ा फुटवियर	2278.18	2147.98	2128.87	2193.86	2195.47	1244.99
फुटवियर घटक	361.29	284.34	298.69	335.24	319.10	156.72
चमड़े के परिधान	604.35	553.11	535.66	518.96	468.48	264.78
चमड़े के सामान	1452.83	1370.04	1316.63	1365.79	1434.24	811.77
काठी एवं साज़	162.7	146.38	142.35	155.97	159.35	92.41
गैर–चमड़ा फुटवियर	306.44	306.74	338.21	296.91	392.63	186.45
कुल	**6494.84**	**5855.04**	**5646.80**	**5740.97**	**5691.00**	**3083.85**
%वृद्धि	**9.37%**	**-9.85%**	**-3.56%**	**1.67%**	**-0.87%**	**-6.66%**

10.4 हल्के विद्युत उद्योग क्षेत्र

हल्के विद्युत उद्योग अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण उत्पाद और उप–उत्पाद सहित एक विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इसमें विद्युत तार व केबल, ट्रांसमिशन टावर, क्रेन, लिफ्ट और एस्केलेटर, रैफ्रीजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, स्टोरेज बैटरी, ड्राई सेल बैटरियां, विद्युत लैम्प व ट्यूब आदि सामान शामिल हैं। इनमें से कुछ उद्योगों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है–

10.4.1 विद्युत तार और केबल

10.4.1.1 विद्युत तार और केबल उद्योग विद्युत उत्पादों के क्षेत्र में देश में सबसे पहले स्थापित पुरातन उद्योगों में से एक है। देश में कई किस्म की तारों और केबलों का विनिर्माण किया जाता है, जिनमें संचार केबल्स जैसे कि जैली फिल्ड टेलीफोन केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क केबल, स्विचबोर्ड केबल, कोएक्सल केबल, वीएसएटी केबलें, विद्युत केबलें, जैसे कि विद्युत तार, वाइंडिंग तार, आटोमोटिव/बैटरी केबल, यूपीएस केबल, फ्लैक्सिबल तार, लो वोल्टेज पावर केबल तथा ईएचटी पावर केबल शामिल हैं। विद्युत केबल उद्योग मुख्यतः चार भागों में बांटा जा सकता है अर्थात घरेलू वायरिंग (440 वोल्ट तक), एलटी (1.1 से 3.3 केवी तक), एचटी (11 से 66 केवी), इएचवी (66 केवी एवं उससे अधिक)। इस उद्योग के विकास के लिए सुस्थापित अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं मुख्य कारक हैं। भारत में विख्यात प्रयोगशालाएं, जैसे कि केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), विद्युत अनुसंधान एवं विकास संघ (ईआरडीए) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अति उन्नत उत्पाद परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

वर्ष 2018–19 और 2019–20 में विभिन्न प्रकार की केबलों का उत्पादन निम्न प्रकार है–

तालिका 10.3 विभिन्न प्रकार की केबलों का उत्पादन

क्र. सं.	मद/मद समूह	ए/सी यूनिट	2018–19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
1.	फाइबर ऑप्टिक्स/ऑप्टिकल्स फाइबर केबल्स	हजार किलो मीटर	20,018.93	5,592.83
2.	इलेक्ट्रोनिक/इलेक्ट्रीकल कंडक्टर तार (सिंगल अथवा बहु रेशें)	टन	5,84,106.09	3,40,847.64
3.	पीवीसी इंसुलेटेड केबल	हजार कोर किलो मीटर	5,313.61	3,324.62
4.	रबड़ इंसुलेटेड केबल्स	किलो मीटर	67,862.79	48,520.72
5.	जेली युक्त केबल्स	हजार कोर किलो मीटर	3,390.46	2,365.33
6.	एसीएसआर कंडक्टर	टन	1,23,470.57	68,562.48

10.4.1.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में तारों व केबलों (एचएस कोड 7413 तथा 8544) का निर्यात क्रमश 651,721.76 लाख तथा 534,623.99 लाख हुआ था जबकि तार केबलों का आयात 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में क्रमशः 802,962.37 लाख रुपये और 476,512.89 लाख रुपये का रहा।

10.4.2 ट्रांसमिशन टावर्स

10.4.2.1 ट्रांसमिशन टावर्स उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सहायता करते है जो विद्युत को लंबी दूरी तक पहुंचाते हैं। ये लाइनें आमतौर पर उप–स्टेशनों में विद्युत पहुंचाती है ताकि इस विद्युत वोल्टेज को ग्राहकों के उपयोग के अनुसार कम किया जा सके। भारत में बड़े पावर स्टेशनों विशेष रूप से मेगा तथा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप जहां कम लेकिन अधिक विद्युत सृजन करने वाले बड़े स्टेशन होंगे वहीं ऊर्जा के ट्रांसमिशन के लिए मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अंतर्क्षेत्रीय ट्रांसमिशन लाइनों के राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क को एकीकृत करने से उर्जा के अंतरण से अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सुविधा होगी। इस उद्योग के पास देश में संचरण प्रणालियों

के भावी विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्यात की मांग को भी पूरा करने के उद्देश्य से 1000 केवी तक ट्रांसमिशन टावरों के परीक्षण की सुविधाएं हैं।

10.4.2.2 पिट प्रोप्स सहित टावरों के निर्माण के लिए स्टील फ्रेमवर्क अथवा स्केलटन्स का उत्पादन वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में क्रमशः 930.72 हजार टन और 559.15 हजार टन था। टावरों और लेटीस मेस्ट्स (एचएस कोड 730820) का निर्यात 2018–19 और 2019–20 में क्रमशः 208,482.62 लाख रुपये तथा 162,192.93 लाख रूपये था जबकि 2018–19 के दौरान आयात क्रमशः 3594.89 और 2019–20 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान 1851.82 लाख रुपये का रहा।

10.4.3 क्रेन्स

10.4.3.1 क्रेन और होइस्ट सामान उठाने के उपकरणों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी है जिनकी आवश्यकता इस उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों में होती है। देश में कई किस्मों की क्रेनों का निर्माण होता है तथा इनमें इलैक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग (ईओटी) क्रेनें, मोबाइल क्रेनें, लेडल क्रेनें, हाइड्रोलिक डेक, क्रेब क्रेनें, फ्लोटिंग क्रेनें तथा कन्ट्रोलर क्रेनें आदि शामिल हैं। निर्माण उद्योग के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ जाने के मद्देनजर इस क्षेत्र के विकास की अच्छी संभावना है।

10.4.3.2 वर्ष 2018–19 में सभी प्रकार की क्रेनों का उत्पादन 13292.04 टन तथा वर्ष 2019–20 (अप्रैल–नवंबर) में 6616.87 टन हुआ। वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में सभी प्रकार की क्रेनों (एचएस कोड 8426) का निर्यात क्रमशः 77,397.55 लाख रुपये तथा 54287.42 लाख रुपये का हुआ जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल–नवंबर) में इनका आयात क्रमशः 289,106.56 लाख रुपये तथा 175,632.33 लाख रुपये का था।

10.4.4 लिफ्ट एवं एस्केलेटर

10.4.4.1 लिफ्टों तथा एस्केलेटरों का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा बहुमंजिला आवासीय परिसरों, विशाल मॉल्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों वाले सुपर मार्केट्स के निर्माण, हवाई अड्डों एवं रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में पर्याप्त निवेश के कारण तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कई किस्म की लिफ्टों तथा एस्केलेटरों का विनिर्माण किया जाता है। इनमें सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, गियरलैस, हाइड्रोलिक, सर्वो तथा वेरिएबल बोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) एलीवेटर शामिल हैं।

10.4.4.2 लिफ्टिंग, हैंडलिंग, लोडिंग/अनलोडिंग, मशीनरी आदि (एचएस कोड 8428) का निर्यात वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में क्रमश 130,481.85 लाख और 87,290.90 लाख रुपये का था। जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 435,174.43 लाख रुपये और 296,877.22 लाख रुपये रहा।

10.4.5 रेफ्रीजरेटर

10.4.5.1 भारत में, रेफ्रीजरेटरों का सभी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में से टेलीविजन को छोड़कर सर्वोच्च आकांक्षा मूल्य है। रेफ्रिजरेटर उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाला उद्योग बन गया है। बाजार में कई प्रकार के ब्रांड्स ने प्रवेश कर लिया है और उपभोक्ताओं के पास काफी विकल्प है। वर्तमान में देश में विनिर्मित रेफीजरेटरों में दो मूलभूत डिजाइन अपनाए जा रहे हैं। इन्हें प्रायः डायरेक्ट कूल (डीसी) और फ्रोस्ट फ्री (एफएफ) रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। उपभोक्ता धीरे–धीरे फ्रोस्ट फ्री सेग्मेंट को तरजीह दे रहे हैं। दोहरी आय वाले परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण इनकी मांग परंपरागत 180 लीटर के रेफ्रीजरेटरों के स्थान पर 220 लीटर या अधिक क्षमता के दो दरवाजे वाले रेफ्रीजरेटरों की ओर बढ़ रही है।

10.4.5.2 घरेलू उपयोग के लिए रेफ्रीजरेटर का उत्पादन वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में क्रमशः 15,635.61 हजार टन और 10,210.84 हजार टन था। रेफ्रीजरेटरों, फ्रीजर और अन्य रेफ्रिजरेटिंग उपकरणों (एचएस कोड 8418) का निर्यात 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में क्रमशः 156,852.95 लाख रुपये और 100,218.16 लाख रुपये का था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 391,971.77 लाख रुपये और 281,421.77 लाख रुपये का रहा।

10.4.6 वाशिंग मशीनें

10.4.6.1 भारत में वाशिंग मशीन के बाजार को सेमी–आटोमेटिक और फुली आटोमेटिक दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रयोज्य आय बढ़ने तथा उच्च आकांक्षाओं के कारण उच्च क्षमता की वाशिंग मशीनों की तरफ और फुली आटोमेटिक वाशिंग मशीनों की तरफ भी धीरे–धीरे रूझान बढ़ रहा है। चूंकि इन डिजाइनों में माइक्रोकंट्रोलर शामिल किए गए है इसलिए कंट्रोल पूर्ण यांत्रिक से बदलकर पूर्ण इलैक्ट्रोनिक हो रहा है। माइक्रोकंट्रोलर जानकारी उपलब्ध कराने के साथ–साथ विश्वसनीयता बढ़ाता है, लागत भी कम करता है एवं ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करता है।

10.4.6.2 संगठित क्षेत्र में वाशिंग यूनिटों द्वारा वाशिंग मशीनों/लांड्रियों का उत्पादन वर्ष 2018–19 में 6892.62 हजार टन था और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 4651.64 हजार टन था। वाशिंग मशीनों (एचएस कोड 8450) का निर्यात वर्ष 2018–19 में क्रमशः 28,624.16 लाख रु. और 2019–20 (अप्रैल–नवंबर) में 20,724.71 लाख था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 167,078.58 लाख रु. और 118,738.29 लाख रु. रहा।

10.4.7 एयर कंडीशनर

10.4.7.1 एयर कंडीशनर परिवर्तनशील जीवन शैली के कारण सामाजिक–आर्थिक परिवेश में उत्तरोत्तर एक आवश्यकता समझा जा रहा है। एयर कंडीशनर के बाजार को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः अर्थात विण्डो एसी, स्प्लिट एसी तथा सेंट्रल एसी। सीमित जगह तथा बहुमंजिला इमारतों में फ्लैटों में रहने वालों की संख्या बढ़ने तथा साथ ही कम आवाज करने के कारण भी स्प्लिट एसी को लोकप्रियता बढ़ रही है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.) ने एयर कंडीशनरों के लिए ऊर्जा दक्षता आधारित स्टार रेटिंग की शुरुआत की है, ताकि उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम ऊर्जा दक्षता उत्पाद खरीदने में मदद मिल सके।

10.4.7.2 संगठित क्षेत्र में इकाइयों द्वारा एयर कंडीशनरों का उत्पादन वर्ष 2018–19 में 3515.88 हजार टन और वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 2036.16 हजार टन था। एयर कंडीशनरों (एचएस कोड 8415) का निर्यात वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में क्रमशः 115,269.95 लाख रु. और 86,055.82 लाख रुपये का था। जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 834,369.59 लाख और 428,555.91 लाख रुपये का रहा।

10.4.8 लैड एसिड स्टोरेज बैटरियां

10.4.8.1 लैड एसिड बैटरियां करंट एवं विद्युत की संचायक होती है जिसे वह एक समय सीमा तक विसर्जित करती है। इनका उपयोग वाहनों में तथा यूपीएस एप्लीकेशन हेतु बैक अप पावर, कंट्रोल रूम, पावर स्टेशन, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न औद्योगिक उपयोग के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा, इसका प्रयोग घरों में आपातकालीन रोशनी के लिए, टेलीफोन सिस्टम, तथा खनन आदि के लिए विद्युत स्रोत के तौर पर भी किया जाता है। आज इलेक्ट्रिक वाहनों में लैड एसिड बैटरियों का प्रयोग भी सामने आया है। इस बैटरी का औसत जीवन काल लगभग 2 वर्ष होता है और इसलिए वाहन के अथवा मशीनरी के प्रयोग में रहने तक इन बैटरियों को बदलते रहने की जरूरत होती है। यद्यपि, भारत में इस उत्पाद के कुछ बड़े विनिर्माता हैं, फिर भी अनेक छोटी इकाइयां सर्वाधिक असंगठित तरीके से इस उत्पाद के विनिर्माण में लगी हैं। इनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद सामान्यतः भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपेक्षित मानकों को पूरा नहीं करते। लैड एसिड बैटरियों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक अधिसूचना बैटरी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2001 जारी की है।

10.4.8.2 संगठित क्षेत्र की इकाइयों द्वारा लैड एसिड बैटरियों का उत्पादन क्रमशः वर्ष 2018–19 में 146,806.28 हजार टन और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 100,674.05 हजार टन था। लैड एसिड बैटरियां (एचएस कोड 8507) का निर्यात क्रमशः वर्ष 2018–19 में 263,175.01 लाख

और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 199,277.19 लाख रुपये का था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 119,677.42 लाख रु. और 852,475.39 लाख रुपये रहा।

10.4.9 शुष्क सेल बैटरियां

10.4.9.1 शुष्क सेल बैटरियां सामान्यतया उपयोग में आने वाली मदों में से एक है। अभी तक उपयोग की जा रही बैटरियां सबसे पुराने किस्म की हैं। शुष्क सेल बैटरियों का कार्य–निष्पादन प्रौद्योगिकीय विकास के जरिये उत्तरोत्तर सुधरा है। नए प्रकार की शुष्क सेल बैटरियां जिनकी मियाद लंबी और अधिक विश्वसनीयता होती है, और रिचार्जेबल सैल भी आ गए हैं। देश में रक्षा, दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिक्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए निकल कैडमियम बैटरियां और अन्य पुनः रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियां बनाई जाती हैं। सेल्युलर फोन, लैपटाप तथा आयातित खिलौनों की बढ़ती हुई लोकप्रियता से नई किस्म की ऐसी बैटरियों के लिए बाजार खुल सकता है, वर्तमान में जिनका उत्पादन नहीं होता है।

10.4.9.2 शुष्क सैल और प्राइमरी सैल बैटरियों का उत्पादन वर्ष 2018–19 में 12,93,403.48 हजार टन और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 839,299.12 हजार टन था। शुष्क सैल बैटरियों (एचएस कोड 8506) का निर्यात क्रमशः वर्ष 2018–19 में 6,943.02 लाख और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) 9,097.16 लाख रुपये का था जबकि: 2018–19 के दौरान आयात 57,611.33 लाख रु. और 2019–20 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान 28,400.02 लाख रुपये का रहा।

10.4.10 इलेक्ट्रिकल लैंप और ट्यूब्स

10.4.10.1 देश में विभिन्न प्रकार के लैम्प तथा ट्यूबों का विनिर्माण किया जाता है जिनमें जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प अर्थात इंकैंडिसेंट बल्ब, हेलोजन लैम्प, गैस डिस्चार्ज लैम्प जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, काम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, हाई प्रेसर मरकरी वेपर लैम्प, मैटल हैलाइड लैम्प, लो प्रेसर तथा हाई प्रेसर सोडियम वेपर लैम्प तथा अनेक प्रकार के स्पेशल लैम्पों की किस्में शामिल हैं। ऊर्जा की ज्यादा लागत ने विद्युत की कम खपत करने वाले तथा दिन जैसी रोशनी देने वाले उर्जा दक्ष लैम्पों के विकास को प्रोत्साहित किया है। काम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल), जो बिजली की 20 प्रतिशत खपत में समान मात्रा में रोशनी देते हैं और जीएलएस से 8 गुना तक ज्यादा चलते हैं, जो ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। अत्यधिक दक्ष प्रकाश उपलब्ध कराने में एलईडी की क्षमता बहुत अधिक होती है, जबकि इन्केनडीसैंट लैम्प (आईसीएल) तथा फ्लोरोसेंट लैंम्प (एफटीएल, सीएफएल) की तुलना में इनसे पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा कम होता है। भारत में एलईडी के आने से प्रकाश भार पर काफी कमी आ सकती है, क्योंकि लगभग 22–25 प्रतिशत बिजली की खपत प्रकाश करने के लिए किया जाता है, जो कि शीर्ष मांग का एक बहुत बड़ा कारक भी है। अधिक लागत होने की वजह से एलईडी बहुत लोकप्रिय नहीं हैं, यद्यपि भारत में इनका उत्पादन आरंभ हो चुका है।

10.4.10.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 में संगठित क्षेत्र की इकाइयों द्वारा फ्लोरोसेंट ट्यूबों एवं सीएफएल, इन्केनडीसैंट लैम्पों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा:–

तालिका 10.4: वर्ष 2018–19 और 2019 –नवम्बर 2020 में संगठित क्षेत्र की इकाइयों द्वारा फ्लोरोसेंट लैम्प/ट्यूबों एवं इन्केनडीसैंट लैम्पों का उत्पादन

क्र.सं.	मद/मद समूह	ए/सी यूनिट	2018–19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
1.	फ्लोरेसेंट लैम्प्स	हजार टन	1,62,257.16	88,258.81
2.	इन्केनडीसैंट लैम्प्स	हजार टन	5,45,535.01	3,07,446.70

10.4.10.3 इलैक्ट्रिक लैम्पों और लाइटिंग फिटिंग्स और ट्यूबों (एचएस कोड 9405) का निर्यात क्रमशः वर्ष 2018–19 में 105,725.64 लाख और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 81,088.03 लाख रुपये का था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 455,899.82 लाख और 276,226.52 लाख रुपये का हुआ।

10.5 हल्का इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्रः

हल्का इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्र एक विविध प्रकार का उद्योग है जिसमें कई विशिष्ट क्षेत्र आते हैं। इस उद्योग में कास्टिंग और फोर्जिंग से लेकर अत्यधिक जटिल माइक्रो–प्रोसेसर पर आधारित प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण तथा नैदानिक चिकित्सीय उपकरण जैसे सभी उद्योगों की जननी शामिल हैं। इस समूह में बीयरिंग, स्टील पाइप व ट्यूब्स, फास्टनर आदि भी शामिल हैं। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पाद प्रायः पूंजीगत माल उद्योग के इन्पुट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र की मांग सामान्यतः पूंजीगत माल उद्योग पर निर्भर करती है।

10.5.1 रोलर बेयरिंग उद्योग

10.5.1.1 रोलर बेयरिंग वास्तव में ऑटोमोबाइल, इलैक्ट्रिक मोटर, डीजल इंजन, औद्योगिक मशीनरी, मशीनी औजार आदि जैसी सभी मशीनों के घूमने वाले पुर्जों के लिए अनिवार्य घटक हैं। विविध क्षेत्रों में बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उत्पादों की विस्तृत और विविध श्रेणियां हैं। स्वदेशी विनिर्माता सामान्य प्रयोजन की विविध श्रेणी में विश्व के प्रख्यात विनिर्माताओं के बराबर गुणता तथा सूक्ष्मता के बेयरिंगों का विनिर्माण कर रहे हैं जहां आर्थिक आधार पर स्वदेशी उत्पादन को तर्कसंगत बनाने की मांग ज्यादा है। आमतौर पर विशेष अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त बेयरिंगों जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी की अपेक्षा होती है, का अभी भी आयात किया जा रहा है। उच्च अथवा निम्न तापमान जैसी कठिन संचालनात्मक दशाओं में बेहतर कार्य निष्पादन वाली लघु आकार तथा हल्के वजन के बेयरिंग को तैयार करने की पर्याप्त संभावना है। इस उद्योग की कुल मांग में एक बड़ा हिस्सा आटोमोबाइल उद्योग का है, जिसका अनुमानित हिस्सा 35 प्रतिशत, विद्युत उद्योग का हिस्सा 12 प्रतिशत, बिक्री के बाद (प्रतिस्थापन) के बाद हिस्सा 40 प्रतिशत तथा शेष 13 प्रतिशत खपत अन्य उद्योगों में होती है।

10.5.1.2 वर्ष 2018–19 में बाल और रोलर बेयरिंग का उत्पादन 17,477.58 लाख और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 11,293.09 लाख था। वर्ष 2018–19 में बाल और रोलर बेयरिंग (एचएस कोड 8482) का निर्यात क्रमशः 4,11,439.91 लाख और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) 264,239.31 लाख रुपये का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 867,902.67 लाख और 498,625.80 लाख रुपये का था।

10.5.2 लौह (फेरस) कास्टिंग

10.5.2.1 फेरस कास्टिंग इंजीनियरिंग उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल, औद्योगिक मशीनरी, विद्युत संयंत्रों, रसायन एवं उर्वरक संयंत्रों आदि के लिए अनिवार्य मध्यवर्ती सामान होता है। भारतीय ढलाईखाना उद्योग का विश्व में तीसरा स्थान है। यह उद्योग देश में भली–भांति स्थापित हो चुका है और इसका क्षेत्र व्यापक है, जिसमें बड़े, मझौले, लघु और सूक्ष्म क्षेत्र आते हैं। भारत में ढलाईखाना उद्योग की मुख्य विशेषता इसकी भौगोलिक क्लस्टरिंग है। सामान्यतः प्रत्येक ढलाईखाना क्लस्टर कुछ विशिष्ट प्रकार के बाजारों की जरूरत पूरा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरणार्थ, कोयम्बटूर क्लस्टर पंप सेट कास्टिंग के लिए, कोल्हापुर एवं बेलगाम क्लस्टर ऑटोमोटिव कास्टिंग के लिए, राजकोट क्लस्टर डीजल इंजन कास्टिंग के लिए तथा बटाला और जालंधर क्लस्टर मशीन पुर्जों तथा कृषि संबंधी उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे उन्नत देशों में प्रदूषण नियंत्रण के कड़े मानदंड होने के कारण वहां और अधिक क्षमता के बढ़ने की संभावना नहीं है। इस प्रकार इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति प्रबल हो सकती है और यह विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण कास्टिंग आपूर्तिकर्ता बन सकता है।

तालिका 10.5: संगठित क्षेत्र की इकाइयों द्वारा वर्ष 2018–19 और 2019–20 में कास्ट आयरन कास्टिंग और कास्टिंग आयरन उत्पादों/स्टील सेनेटरी फिटिंग्स का उत्पादन

क्र.सं.	मद/मद समूह	ए/सी यूनिट	2018–19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
1.	कास्ट आयरन कास्टिंग	हजार टन	1,291.73	684.79
2.	लोहे के कास्टिंग उत्पाद/सेनेटरी के लिए स्टील	करोड़ रु.	2,608.13	1,664.13

10.5.2.3 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में आयरन/स्टील की कास्ट वस्तुओं (एचएस कोड 7325) का निर्यात क्रमशः 801,444.93 लाख रु. और 499,452.54 लाख रुपये का हुआ था जबकि 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 107,197.03 लाख रु. और 55,356.13 लाख रुपये का हुआ था।

10.5.3 प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण उद्योग

10.5.3.1 प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण के अंतर्गत कई प्रकार के उपकरण तथा प्रणालियां आती हैं जिनकी आवश्यकता भौतिक, रसायानिक एवं जैविक गुणों की निगरानी व मापन के लिए होती है। इनका प्रयोग दबाव, तापमान, आद्रता, द्रव स्तर, बहाव, विशिष्ट घनत्व, पी एच सहित रासायनिक संघटन तथा स्पेक्ट्रोमेट्री एवं स्पैक्ट्रोफोटोमेट्री जैसी परिवर्तनशील प्रक्रिया के माप एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण आधुनिक औद्योगिक कार्यकलाप का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। यह उद्योग एक प्रमुख उद्योग है जो आटोमेशन के लिए औजार उपलब्ध कराता है। उच्च लागत वाले बड़े तथा उन्नत प्रक्रिया उद्योगों जैसे उर्वरक, इस्पात (स्टील) विद्युत संयंत्र, रिफाइनरियां, पैट्रो रसायन, सीमेंट तथा अन्य प्रक्रिया उद्योगों में इनका उल्लेखनीय महत्व है। मौजूदा प्रौद्योगिकी माइक्रोप्रोसेसर आधारित एक केंद्रीयकृत नियंत्रण प्रणाली है।

10.5.3.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण (एचएस कोड 9032) का निर्यात क्रमशः 187,278.96 लाख रु. और 132,865.19 लाख रुपये था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 656,326.68 लाख रु. और 411479.31 लाख रुपये का था।

10.5.4 जोड़–रहित स्टील पाइप और ट्यूब

10.5.4.1 विभिन्न साइज के जोड़–रहित स्टील पाइप और ट्यूब का विनिर्माण होता है। विस्तृत आकार रेंज इनको एक बड़े क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। विनिर्माण प्रक्रिया से पाइपों को मजबूत तथा टिकाऊपन प्राप्त होता है इस प्रकार ह्रास–रोधी अनुप्रयोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पाइपों का एयरक्राफ्ट, मिसाइल एवं घर्षणरोधी बेयरिंग तथा आयुध आदि में व्यापक प्रयोग किया जाता है। अत्यंत उच्च शक्ति व ह्रास–रोधी गुणों की वजह से यह तेल व गैस उद्योग, रसायन उद्योग और आटोमोबाईल उद्योग के लिए उपयुक्त होते हैं। जोड़ रहित पाइपों की कुल जरूरत में से लगभग 60 प्रतिशत आवश्यकता तेल क्षेत्र में होती है। बेयरिंग तथा बॉयलर क्षेत्र मांग का लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है। यह उद्योग 14'' बाहरी व्यास तक की ट्यूबों का विनिर्माण करने में सक्षम है।

10.5.4.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में जोड़ रहित ट्यूब, पाइप तथा होलोप्रोफाइल्स (एचएस कोड 7304) का निर्यात क्रमशः 247,743.00 लाख रु. और 156,783.63 लाख रुपये का था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 686,192.19 लाख रु. और 506,517.19 लाख रुपये का था।

10.5.5 विद्युत प्रतिरोधी वेल्डेड (ई आर डब्ल्यू) स्टील पाइप व ट्यूब्स

10.5.5.1 ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप और टयूब विभिन्न गुणवत्ता, दीवार की मोटाई और तैयार पाइपों के व्यास में उपलब्ध

हैं। उच्च निष्पादनकारी ईआरडब्ल्यु स्टील पाईप और ट्यूबें अधिक ह्रास–रोधी, अधिक लचीले, अधिक मजबूत और अधिक सख्त होती हैं। इन पाइपों का प्रयोग फेन्सिंग, लाइनिंग पाइप, आयल कंट्री ट्यूबलर, स्केफोल्डिंग, जल व गैस संप्रेषण, आदि के लिए किया जाता है। तेल तथा गैस उद्योग, अवसंरचना और आटोमोबाइल प्रयोगों में अधिक मांग के कारण ईआरडब्ल्यू स्टील पाइपों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एमएसएमई क्षेत्र में इसकी कई इकाइयां हैं।

10.5.5.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में ईआरडब्ल्यू स्टील पाइपों व ट्यूबों (एचएस कोड 73059021, 73059029, 73069011 और 73069019) का निर्यात क्रमशः 26,682.24 लाख रु. और 13,292.83 लाख रुपये का था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 5,088.87 लाख रु. और 994.95 लाख रुपये का था।

10.5.6 सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड (एसएडब्ल्यू) पाइप्स

10.5.6.1 दो प्रकार की एसएडब्ल्यू पाइप हैं नामतः– लांगिट्यूडिनल और हेलीकल वेल्डेड एसएडब्ल्यू पाइपें हैं। लांगिट्यूडिनल एसएसडब्ल्यू पाइपों को वहां वरीयता दी जाती है जहां पाइप की मोटाई 25 एमएम से ज्यादा हो और जहां उच्च दाब वाली गैस पाइप लाइन हो। हेलीकल वेल्डेड एसएडब्ल्यू पाइपें कम दाब के उपयोग हेतु प्रयोग की जाती हैं। हेलीकल एसएडब्ल्यू पाइपों की लागत लॉगिट्यूडिनल पाइपों से कम होती है। तेल व गैस के परिवहन और पानी को पहुंचाने के लिए देश में एसएडब्ल्यू पाइपों की भारी मांग है।

10.5.6.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में एसएडब्ल्यू पाइपों और अन्य ट्यूबों तथा पाइप उद्योग (एचएस कोड 7305) का निर्यात क्रमशः 277,358.06 और 223,569.38 लाख रुपये का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 14,430.82 लाख रु. और 16,768.36 लाख रुपये का था।

10.5.7 औद्योगिक फास्टनर

10.5.7.1 भारत में फास्टनर उद्योग को दो खण्डोंः उच्च तन्यता तथा नरम स्टील फास्टनर में वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च तन्यता तथा नरम स्टील फास्टनरों में मुख्यतः नट, बोल्ट, स्टड, रिवटें तथा स्क्रू सम्मिलित हैं। नरम स्टील फास्टनर मुख्यतः असंगठित क्षेत्र द्वारा विनिर्मित किये जाते हैं जबकि उच्च तन्यता वाले फास्टनरों में बेहतर प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है तथा इन पर संगठित क्षेत्र की कंपनियों का आधिपत्य है। इस उद्योग की कुल मांग में से अधिकांश मांग आटोमोबाइल उद्योग से आती है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के प्रयोक्ता तथा रेलवे उच्च तन्यता फास्टनरों के अन्य प्रमुख प्रयोक्ता है। आटोमोबाइल उद्योग से फास्टनर उद्योग की वृद्धि होने की संभावना है।

10.5.7.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में संगठित क्षेत्र में फास्टनरों (उच्च तन्य)/ बोल्ट एवं नटों का उत्पादन क्रमशः 3,197.17 करोड़ रु. और 1,696.37 करोड़ रूपए था। वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में स्क्रूज, बोल्ट्स, नट्स कोच स्क्रूज/ हुक्स उद्योग (एचएस कोड 7318) का निर्यात क्रमशः 420,802.67 लाख और 263,470.08 लाख रूपए का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 666,288.03 लाख रु. और 397,101.06 लाख रुपए का था।

10.5.8 स्टील फोर्जिंग

10.5.8.1 फोर्जिंग मध्यवर्ती उत्पाद हैं जिनका टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने में मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारतीय फोर्जिंग उद्योग के संघटन को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है – बड़ा, मझौला, लघु और सूक्ष्म। इस उद्योग का एक बड़ा भाग लघु और मध्यम इकाइयों/उद्यमों (एसएमई) से बना है। पहले यह उद्योग अधिक श्रम गहन था, किन्तु अब बढ़ते वैश्वीकरण के साथ यह ज्यादा पूंजी गहन हो रहा है। फोर्जिंग पर निर्भर उद्योगों में आटोमोटिव; कृषि मशीनरी और उपकरण; वाल्व, फिटिंग और पैट्रो रसायन अनुप्रयोग; हैंड टूल और हार्डवेयर; आफ–हाईवे और रेल

रोड उपकरण; सामान्य औद्योगिक उपकरण; आयुध निर्माण और मरीन; और एयरोस्पेस शामिल हैं। फोर्जिंग की मांग मुख्यतः ऑटोमोबइल उद्योग से होती है। कुल फोर्जिंग उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है।

10.5.8.2 संगठित क्षेत्र में वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में टूल्स एवं मशीनरी के लिए फोर्ज्ड बैलंक्स तथा अन्य आयरन और स्टील वस्तुओं सहित फैब्रिकेटिड धातु उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 156,597.25 टन तथा 98,591.76 टन था। फोर्ज्ड बैलंक्स तथा अन्य आयरन और स्टील उद्योग वस्तुओं सहित फैब्रिकेटिड धातु उत्पादों (एचएस कोड 7326) का निर्यात वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में क्रमशः 817,439.41 लाख रु. और 494,902.46 लाख रुपए का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 627,133.44 लाख रु. और 401,798.27 लाख रुपए का था।

10.5.9 साइकिल उद्योग

10.5.9.1 भारत में साइकिल उद्योग प्रमुख प्रतिष्ठित उद्योगों में से एक है। चीन के बाद, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साईकिल उत्पादक है। अधिकांश विनिर्माणकारी इकाइयां पंजाब और तमिलनाडु में हैं जिनमें लुधियाना, (पंजाब) एक बड़ा साइकिल उत्पादन केन्द्र है। यह उद्योग निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारतीय साइकिलों, साइकिल के पुर्जों तथा साइकिल के सहायक सामान के निर्यात की अपार संभवना है। भारत में साइकिल कंपनियां अब शहरी बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और व्यवसायिक व साहसिक वर्गों में अपना आधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

10.5.9.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में सभी प्रकार की साइकिलों का उत्पादन 10,246.01 हजार और 5,552.34 हजार था। वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में साइकिलों और अन्य साइकिल उद्योग (एचएस कोड 8712) का निर्यात क्रमशः 33,735.69 लाख रु. और 21,840.53 लाख रूपए का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 36,494.90 लाख रु. और 14,707.71 लाख रुपए का था।

10.6 हल्के औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र

10.6.1 खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी

10.6.1.1 खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के लिए भारतीय बाजार पिछले कुछ वर्षों में आय स्तर में वृद्धि, रोजगार में आने वाली महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या, तीव्र शहरीकरण, बदलती जीवनशैली तथा जन संचार के संवर्धन के कारण प्रसंस्कृत खाने तथा पेय पदार्थों के लिए मजबूत घरेलू मांग द्वारा निरंतर बढ़ रहा है। बढ़ने वाले सबसे बड़े क्षेत्र फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मांस, पोल्ट्री, डेयरी तथा समुद्री भोजन, पैकेटयुक्त/सुविधाजनक खाद्य, शीतल पेय तथा अनाज प्रसंस्करण हैं। खाने की आदतों में तीव्र बदलाव तथा देश में विकसित हो रही उपभोक्ता संस्कृति को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तीव्र गति से बढ़ने की आशा है। मशीनरी विनिर्माताओं ने डेरी मशीनरी तथा खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के अन्य मुख्य उपकरणों के विनिर्माण में दक्षता हासिल कर ली है।

10.6.1.2 संगठित क्षेत्र में वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में टूल्स एवं मशीनरी और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के लिए फोर्ज्ड मेटल उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 9,598.18 करोड़ रु. और 4,797.04 करोड़ रुपए था। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी (एचएस कोड 8438) का वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में निर्यात क्रमशः 108,248.27 लाख और 64,457.99 लाख रुपए था। जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 148,890.78 लाख और 89,644.09 लाख रुपए का था।

10.6.2 पैकेजिंग मशीनरी उद्योग

10.6.2.1 उपभोक्ता उत्पादों अथवा औद्योगिक उत्पादों की पैकेजिंग एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विपणन रणनीति की विशेषता के रूप में उभरकर सामने आ रही है। पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में विकास न केवल उत्पादों की सौंदर्य अपील में सुधार के लिए योगदान देता है अपितु सामग्री के भंडार और

उपयोग होने तक की अवधि में भी योगदान करता है। कुछ मामलों में विशिष्ट पैकेजिंग तकनीकी रूप से आवश्यक हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि संभावनाओं तथा पैकेजिंग के बारे में बढ़ती जागरूकता को देखते हुए ऐसी आशा है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास होगा। देश में पैकेजिंग, मशीनरी की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध है, जिसमें अनेक प्रकार की पैकेजिंग मदें शामिल हैं। आमतौर पर उपलब्ध पैकेजिंग मशीनरी की कुछ मदों में शामिल हैं – कोडिंग के लिए मशीनें तथा ऑनलाइन प्रिंटिंग मशीनें, फीडिंग और लेबलिंग मशीनें, स्ट्रिप पैकेजिंग, फार्म फिल, और सील मशीनें, कार्टन फिलिंग, बैग बनाने की पूर्णतः स्वचालित मशीनरी और स्वचालित माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित पैकेजिंग मशीनें।

10.6.2.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में पैकेजिंग मशीनरी उद्योग (एचएस कोड 842220, 842230 एवं 842240) का निर्यात क्रमशः 103,993.87 लाख रु. और 68,261.14 लाख रुपए का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 284,365.66 लाख रु. और 151,175.85 लाख रुपए का था।

10.6.3 जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

10.6.3.1 जल प्रदूषण रोकने के संबंध में बढ़ती हुई जागरूकता तथा प्रसंस्करण उद्योगों सहित विभिन्न प्रयोगों के लिए लागू किए जा रहे पर्यावरण संबंधी कड़े नियंत्रण मानदंडों के कारण जल/अपशिष्ट जल शोधन उद्योग में काफी वृद्धि होने वाली है। विभिन्न किस्म के जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हैं जिनमें मौटे तौर पर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, पेय जल उपचार संयंत्र तथा बहिःस्राव उपचार संयंत्र शामिल हैं। जल/अपशिष्ट जल उपचार संदूषकों (कंटेमिनेंटस) को दूर करने की प्रक्रिया हैं और इसमें भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संदूषकों को दूर करने के लिए भौतिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रारंभिक उपचार, उपचार प्रक्रिया का पहला कदम है और इसमें उन प्रदूषकों को हटाया जाता है जो नीचे बैठ जाते हैं या तैरते रहते हैं। सामान्य औद्योगिक उपकरण सफाई और तेल–जल पृथक करने के साधन होते हैं। द्वितीय उपचार वाहित मल की जैविक अंतर्वस्तु को पर्याप्त मात्रा में कम करने के लिए तैयार किया गया है। सामान्य उपकरण उत्प्रेरित गाद फिल्टर, जैविक रियक्टर्स आदि होते हैं। तृतीयक उपचार प्रारंभिक और द्वितीय उपचार में रह गए संदूषकों को दूर करने तथा निलम्बित ठोस पदार्थों, रिफ्रेक्टरी कार्बनिक तथा विषैले घटकों को दूर करने की प्रक्रिया है। तृतीयक भौतिक प्रकियाएं छानने और कार्बन अन्तर्लयन की प्रक्रियाएं हैं। रसायन प्रक्रियाओं में अवेक्षण, आक्सीकरण तथा निष्प्रभावन शामिल हैं। जैविक प्रक्रियाओं में जैव–निम्नीकरण शामिल होता है। कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए प्रायः जीवाणु, फफूंदनासी, खमीर तथा शैवाल जैसे जीवों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कोशिका टिशु को सफाई जैसी भौतिक प्रणाली से उपचारित जल से अलग किया जाता है। पूरे संयंत्र अधिकतर संगठित क्षेत्र में विनिर्मित किए जाते हैं और बहुत से उपकरण एमएसएमई क्षेत्र में भी बनाए जाते हैं।

10.6.3.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में जल फिलटरिंग/शुद्धीकरण उपकरणों (एचएस कोड 842121) का उत्पादन क्रमशः 96,109.69 लाख रु. और 76,296.63 लाख रूपए था, जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान इनका आयात क्रमशः 78,414.16 लाख रु. और 54,189.91 लाख रुपए का रहा।

10.6.4 वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण

10.6.4.1 औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के परिणामस्वरूप भारत की वायु की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब हुई है। वायु प्रदूषण, विशेषरूप से महानगरों तथा बड़े कस्बों में औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण बढ़ रहा है। भारत की पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्या के अनेक रूप हैं, जिसमें वाहन उत्सर्जन और अनुपचारित औद्योगिक धुंआ शामिल हैं। विभिन्न उद्योगों के लिए कठोर पर्यावरण नियंत्रण मानक अपनाए जाने के साथ ही देश में विशेषतः महानगरों और बड़े शहरों में वायु प्रदूषण उपकरणों का बहुत महत्व हो गया है। अतः प्रदूषण नियंत्रण उपकरण उद्योग महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा, न्यायिक निर्णयों से, प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए

निश्चित निर्देश तथा आकस्मिकता समक्ष हैं। नियंत्रण की विधि का विकल्प प्रदूषकों के स्वरूप, प्रवाह–दर (निकलने वाले संदूषक की मात्रा), कणों के आकार और वांछित एकत्रण दक्षता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषण उपकरणों को मुख्यतः सेटलिंग चैंबर, साइक्लोन एवं मल्टी साइक्लोन, बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर, स्प्रे टावर, वेंचुरी स्क्रबर, आयनाइजिंग स्क्रबर तथा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर श्रेणियों में बांटा जाता है। यह उद्योग प्राथमिक और विस्तृत इंजीनियरी व संयंत्रों की आपूर्ति तैयार अवस्था के आधार पर करने में सक्षम है।

10.6.4.2 वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एचएस कोड 842139) का निर्यात क्रमशः 89,408.30 लाख रु. और 62,452.29 लाख रूपए का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में इनका आयात क्रमशः 202,919.36 लाख रु. और 150,322.74 लाख रुपए का था।

10.6.5 औद्योगिक गियर

10.6.5.1 औद्योगिक गियर में मुख्यतः गियर और गियर बॉक्स आते हैं। गियरों का प्रयोग मूलतः दो कार्यों के लिए होता है: परिक्रमण वेग को बढ़ाना या घटाना और पावर अथवा टोर्क को बढ़ाना या घटाना। चूंकि गियर मशीन का महत्वपूर्ण भाग होता है, अतः इसका विभिन्न उद्योगों में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में आटोमोटिव उद्योग, कोयला संयंत्र उद्योग, स्टील संयंत्र उद्योग, कागज उद्योग, खनन उद्योग एवं बहुत से दूसरे उद्योग शामिल हैं। इन उद्योगों में इनके बहुत से अनुप्रयोग हैं। इनका प्रयोग कन्वेयरों, एलीवेटरों, भट्टियों, सेपरेटरों, क्रेनों और लुब्रिकेंट प्रणालियों में किया जाता है। गियर बॉक्स का आशय एक धातु केसिंग से होता है जिसके भीतर गियरों की श्रृंखला सील की हुई रहती है। गियर एवं गियर बॉक्सों के विनिर्माण में अत्यधिक सूक्ष्म मशीनिंग और सटीक असेम्बलिंग शामिल होती है क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का संचरण बिना आवाज किए और कम से कम नुकसान के साथ होना अपेक्षित होता है। देश में स्पर गियर, हेलिकल गियर, वार्म गियर, स्पाइरल गियर और कई अन्य प्रकारों और आकारों के गियरों का विनिर्माण होता है। गियर तथा गियर बॉक्सों की मांग मुख्यतः औद्योगिक मशीनरी, मशीन औजार तथा उपभोक्ता और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास पर निर्भर करती है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए, गियरों और गियर बॉक्सों की मांग काफी तेजी से बढ़ने की आशा है।

10.6.5.2 वर्ष 2018–19 में सभी प्रकार के गियर बॉक्सों का उत्पादन 1,586.50 हजार तथा वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) में 1,044.42 हजार लाख था। वर्ष 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) में गियर तथा गियरिंग (एचएस कोड 848340) का निर्यात आयात क्रमशः 324,877.13 लाख रुपए तथा 245,097.44 लाख रूपए का हुआ था जबकि 2018–19 और 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) में यह क्रमशः 256,948.24 लाख रुपए तथा 15,57,070.96 लाख रुपए का था।

नोटः स्रोतः 1. आयात निर्यात डाटा– आयात निर्यात डाटा बैंक, वाणिज्य विभाग (https://commerce-app.gov.in/eidb/)

2. उत्पादन डाटा– औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.7 सिगरेट उद्योग (एचएस कोड : 24)

10.7.1 सिगरेट उद्योग कृषि–आधारित श्रम गहन उद्योग है। सिगरेट, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में शामिल है तथा इसके लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है।

10.7.2 वर्ष 2018–19 के दौरान सिगरेटों, बिड़ी तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 83305.96 मिलियन नग, 840495.34 लाख नग और 2918.20 करोड़ रु. था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान यह उत्पादन क्रमशः 59155.71 मिलियन नग 547246.36 लाख नग और 1911.27 करोड़ रु. रहा।

10.7.3 वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान सिगार, चरूट, सिगारीलो तथा तम्बाकू के सिगरेट अथवा तम्बाकू उत्पाद (एच एस कोडः 2402) का निर्यात तथा आयात निम्नवत हैं:

तालिका 10.6 तम्बाकू तथा इसके सह–उत्पादों से बने सिगार, चिरुट, सिगरिलोस और सिगरेट का निर्यात और आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
2402	68,100.92	43,723.63	17,284.54	9,319.86

स्रोतः

निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट

उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.8 पेंट तथा संबद्ध उत्पाद उद्योग (एचएस कोडः 32)

10.8.1 पेंट तथा संबद्ध उत्पाद उद्योग जिसे अनिवार्य लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है, में मुख्यतः पेंट, इनेमल, वार्निश, पिगमेंट, मुद्रण–स्याही, आदि शामिल हैं। यह उत्पाद राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों को खराब होने से बचाकर अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये मदें संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र दोनों में विनिर्मित की जाती हैं।

10.8.2 पेंट (सभी प्रकार), मुद्रण–स्याही तथा वार्निश (सभी प्रकार) का उत्पादन (2018–19) क्रमशः 809200. 27 टन, 196923.18 टन तथा 258833.52 टन था। चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल से नवंबर) के दौरान इन उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 500779.57 टन, 134512.19 टन तथा 20541.50 टन रहा।

10.8.3 पेंट तथा संबद्ध उत्पाद का वर्ष 2018–19 और चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल–नवम्बर) (एचएस कोडः 3208, 3209, 3210 और 3215) में उत्पादन निम्न प्रकार हैः

तालिका 10.7 पेंट और संबद्ध उत्पाद का निर्यात और आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
3208	42,110.63	27,080.89	154,425.85	104,852.38
3209	15,377.19	9,041.98	38,177.85	20,831.57
3210	4,801.01	1,535.92	13,021.11	7,194.47
3215	118,913.51	80,493.04	184,168.29	83,225.60
कुल	**181,202.34**	**118,151.83**	**389,793.10**	**216,104.02**

स्रोतः

निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट

उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.9 साबुन तथा डिटर्जेंट उद्योग (एचएस कोड:34)

10.9.1 साबुन तथा डिटर्जेंट लाइसेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा इन्हें लघु तथा संगठित क्षेत्र दोनों में बनाया जाता है। इसमें कपड़े धोने के साबुन, सिंथेटिक डिटर्जेंट, प्रसाधन साबुन, नहाने के साबुन आदि शामिल हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रसाधन साबुन के विनिर्माण में अग्रणी हैं। इस क्षेत्र की विनिर्माण कंपनियों की सफलता कई कारकों अर्थात गुणवत्ता, विपणन, प्रौद्योगिकी तथा वितरण रणनीति पर निर्भर करती है।

10.9.2 वर्ष (2018–19) के दौरान साबुन को छोड़कर आर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट/सर्फेक्टेंट, टॉयलेट सोप (बेबी सोप को छोड़कर) लिक्विड सोप और फोम सहित, डिटर्जेन्ट केक, वाशिंग सोप केक/बार, डिटर्जेन्ट पॉवडर एवं वाशिंग पॉवडर का उत्पादन क्रमशः 3726.70 टन, 779918.43 टन, 439005.49 टन तथा 1517.48 हजार टन था। चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान यह उत्पादन क्रमशः 3501.27 टन, 536113.00 टन, 263556.37 टन तथा 1008.57 हजार टन रहा।

10.9.3 वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल से नवंबर) (एचएस कोडः 3401 तथा 3402) के दौरान साबुन, ऑर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट, धुलाई संबंधी पदार्थों आदि का निर्यात और आयात निम्नवत है:

तालिका 10.8 साबुन, ओर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट्स, वाशिंग प्रिपेरेशन का आयात और निर्यात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
3401	79,719.96	51,133.71	93,971.25	47,838.75
3402	244,492.31	167,551.17	200,013.54	132,331.08
कुल	**324,212.27**	**218,684.88**	**293,984.79**	**180,169.83**

स्रोतः
निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट
उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.10 लकड़ी आधारित उद्योग (एचएस कोडः 44)

10.10.1 भारत में लकड़ी आधारित उद्योग में प्लाईवुड, सभी प्रकार की परती लकड़ी और अन्य लकड़ी आधारित उत्पाद जैसे, पार्टिकल बोर्ड, मध्यम घनत्व के फाइबर बोर्ड शामिल हैं। यह उद्योग लाइसेंसमुक्त श्रेणी के अंतर्गत आता है। तथापि, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 27.8.1998 के प्रेस नोट संख्या 9 (1998 श्रृंखला) की शर्तों के अधीन जो उद्यमी कोई लकड़ी आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रशासनिक मंत्रालय/एसआईए के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिए गए 'सिद्धांततः' अनुमोदन की प्रति संलग्न करनी होगी।

10.10.2 2018–19 के दौरान प्लाइवुड ब्लैकबोर्ड, लेमिनेशन लकड़ी शीट/वीनर शीट तथा पार्टिकल बोर्ड का उत्पादन क्रमशः 77065.86 हजार वर्ग मीटर; 82151.93 हजार वर्ग मीटर तथा 9076.29 हजार वर्ग मीटर था और चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान इन उत्पादों का उत्पादन क्रमशः 51673.87 हजार वर्ग मीटर; 37457.34 हजार वर्ग मीटर तथा 6164.16 हजार वर्ग मीटर रहा है।

10.10.3 वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवंबर) (एच एस कोडः 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4415 तथा 4416) के दौरान लकड़ी तथा लकड़ी की मदों का निर्यात तथा आयात निम्नवत है:

तालिका 10.9 लकड़ी और लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात और आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
4408	15,885.15	10,122.78	174,936.91	134,080.88
4409	2,724.16	1,361.02	25,413.63	17,468.78
4410	4,682.27	1,896.52	28,018.54	20,747.59
4411	15,763.92	15,087.77	79,314.76	50,071.19
4412	22,604.10	15,523.58	82,525.14	51,410.63
4415	9,932.33	5,681.52	8,562.93	7,593.36
4416	153.48	17.14	1,660.28	1,089.89
कुल	**71,745.41**	**49,690.33**	**400,432.19**	**282,462.32**

स्रोतः
निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट
उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.11 कांच उद्योग (एचएस कोडः70)

10.11.1 कांच उद्योग लाइसेंसमुक्त उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कांच उद्योग के अंतर्गत कांच की सात मदें आती हैं, नामतः शीट एवं चपटा कांच (शीट, चपटा, आकार युक्त,तारयुक्त, सुरक्षा, दर्पण कांच) (एनआईसी–26101), ग्लास फाइबर एवं ग्लास वूल (एनआईसी–26102), खोखला कांच सामान (एनआईसी–26103), प्रयोगशाला कांच का सामान (एनआईसी–26104), मेज एवं रसोई का कांच सामान (एनआईसी–26105), कांच की चूडियां (एनआईसी–26106) तथा अन्य कांच का सामान (एनआईसी–26109)। विश्व बाजार में भारतीय चपटा कांच उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारतीय विनिर्माताओं ने नए बाजारों की तलाश की है। कांच तंतु उत्पादों की, खासकर, पेट्रोरासायन क्षेत्र तथा सम्बद्ध उत्पादों में वृद्धि की वजह से, मांग में काफी अवसर उपलब्ध हैं।

10.11.2 वर्ष 2018–19 के दौरान कांच की शीट, फाइबर कांच, कांच की चुडियों तथा कांच से बने सामान का उत्पादन क्रमशः 91748.07 हजार वर्ग मीटर, 116743.29 टन, 39.76 करोड़ रूपए, तथा 3973.05 करोड़ रूपए था तथा चालू वित्त वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान यह क्रमशः 60200.42 हजार वर्ग मीटर, 89178.01 टन, 26.38 करोड़ रूपए तथा 2812.78 करोड़ रूपए रहा है।

10.11.3 वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवंबर) (एचएस कोडः7005,7007,7008,7009 तथा 7010) के दौरान कांच तथा कांच से बने सामान के निर्यात एवं आयात निम्नवत हैं:

तालिका 10.10 ग्लास और ग्लास के बने सामानों का निर्यात और आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
7005	51,591.90	28,790.85	111,900.91	65,354.48
7007	86,326.34	29,948.84	101,501.85	75,426.93
7008	6,259.94	4,488.05	4,573.44	3,162.44
7009	31,008.04	24,346.30	49,893.64	29,806.66
7010	168,742.56	113,665.47	47,822.83	44,011.23
कुल	**343,928.78**	**201,239.51**	**315,692.67**	**217,761.74**

स्रोतः

निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट

उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.12 धातु कन्टेनर उद्योग (एचएस कोडः7310)

10.12.1 मुख्य प्रकार के धातु (टिन) कन्टेनरों के अन्तर्गत खाद्य सामग्रियों सम्बन्धी कन्टेनर, जिन्हें सामान्यतः ओ.टी.एस. (ओपन टॉप सेनेटरी) कैन कहा जाता है और पेन्ट, ल्यूब्रीकेंट, पेस्टीसाइड आदि जैसी गैर–खाद्य सामग्रियों की पैकेंजिंग के लिए सामान्य लाइन कन्टेनर आते हैं। धातु कन्टेनर उद्योग लाइसेंसमुक्त है।

10.12.2 (2018–19) के दौरान बैरल, ड्रम सहित स्टील बर्तन/कंटेनरों का उत्पादन 101812.21 टन था तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान यह 58814.11 टन रहा है।

10.12.3 वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल से नवम्बर) (एचएस कोडः 7310) के दौरान कंटेनरों का निर्यात और आयात निम्नवत हैः

तालिका 10.11 कंटेनरों का निर्यात और आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
7310	57,170.05	36,322.35	79,436.26	47,695.92

स्रोतः

निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट

उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.13 घड़ी उद्योग (एचएस कोडः 91)

10.13.1 भारत में घड़ी उद्योग में संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्र दोनों में शामिल है। कुल मांग का 40% संगठित क्षेत्र पूरा करता है जबकि शेष मांग असंगठित क्षेत्र पूरा करता है। अधिकांश घडियां विद्युत प्रणाली के अंतर्गत विनिर्मित की जा रही हैं।

10.13.2 2018–19 के दौरान ऑटोमेटिक क्वार्टज और घडियों, साइंटिफिक/डिजिटल तथा स्पीड घड़ियों का उत्पादन 39843.05 (संख्या हजार में) तथा लगभग 51.81 (करोड़ रूपए में) था। चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल से नवम्बर) के दौरान यह उत्पादन क्रमशः 29001.96 (संख्या हजार में) तथा लगभग 38.30 (करोड़ रूपए में) रहा है।

10.13.3 वर्ष 2018–19 तथा चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवम्बर) (एच एस कोडः 91) के दौरान दीवार घडियों तथा कलाई घड़ियों का आयात तथा निर्यात निम्नवत है:

तालिका 10.12 घड़ियों का आयात और निर्यात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
91	70,510.41	42,006.36	266,461.98	177,037.12

स्रोतः

निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट

उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी इकाई, डीपीआईआईटी

10.14 खिलौना उद्योग (एचएस कोडः 95)

10.14.1 भारत में खिलौना उद्योग में संगठित और लघु स्तर की दोनों इकाइयां शामिल हैं। भारतीय खिलौना उद्योग अलग–अलग बंटा हुआ है और क्षेत्र आधारित है।

10.14.2 खेल तथा खिलौनों का उत्पादन (वीडियो गेम्स मशीनें तथा अन्य मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल खेल उपकरण/मेलों को छोड़कर) वर्ष (2018–19) के दौरान 99.64 करोड़ रुपये का था। चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान यह उत्पादन 74.06 करोड़ रुपये का रहा है।

10.14.3 खिलौनों, खेल तथा खेल उपकरणों, पार्ट्स और उनके साज सामान का आयात और निर्यात वर्ष (2018–19) और चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवम्बर) (एचएस कोडः95) में निम्न प्रकार है:

तालिका 10.13 खिलौनों, खेल तथा खेल उपकरणों, पार्ट्स और उनके साज सामान का आयात और निर्यात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
95	292,427.42	207,943.79	451,949.25	283,340.65

स्रोतः

निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट

उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी यूनिट, डीपीआईआईटी

10.15 प्रेसर कूकर उद्योग (एचएस कोडः 73237310)

10.15.1 भारत में किचनवेयर केटेगरी (प्रेसर कूकर, कुकवेयर, स्टोव्स तथा लघु किचन इलेक्ट्रीकल उपकरण) बड़े पैमाने पर बंटा हुआ है यह न केवल विनिर्माताओं की संख्या के हिसाब से, बल्कि उत्पाद सीमा के मामले में भी बंटा है। असंगठित विनिर्माताओं की इस श्रेणी के महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण है।

10.15.2 प्रेसर कूकर का वर्ष (2018–19) के दौरान उत्पादन 12376.06 (हजार की सं. में) था। चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान यह उत्पादन 8409.48 (हजार की सं. में) रहा है।

10.15.3 प्रेसर कूकर का वर्ष (2018–19) में आयात और निर्यात और चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) (अप्रैल–नवम्बर) (एचएस कोडः 73239310) में निम्न प्रकार हैः

तालिका 10.14 प्रेसर कूकर का आयात और निर्यात

(मूल्य लाख रुपए में)

एचएस कोड	निर्यात		आयात	
	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)	2018-19	2019–20 (अप्रैल से नवम्बर)
73239310	2,703.27	1,461.14	894.99	253.72

स्रोतः

निर्यात एवं आयात डाटा–वाणिज्य विभाग वेबसाइट

उत्पादन डाटा–औद्योगिक सांख्यिकी यूनिट, डीपीआईआईटी

10.16 रबड़ वस्तु उद्योग

10.16.1 टायर और ट्यूबों को छोड़कर, रबड़ वस्तु उद्योग में 4550 लघु और सूक्ष्म इकाइयां आती हैं जो लगभग 5.50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं। रबड़ उद्योग में व्यापक किस्म के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे रबड़ कोट एवं एप्रन, गर्भनिरोधक, फुटवियर, रबड़ मौजे, केबल, केमलबैक, बैटरी बॉक्स, लेटेक्स उत्पाद, कनवेयर बेल्ट, सर्जिकल दस्ताने, गुब्बारे एवं रबड़ की ढ़ाली गई वस्तुएं आदि। रबड़ वस्तु विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य कच्ची सामग्री में प्राकृतिक रबड़, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रबड़, कार्बन ब्लैक, रबड़ रसायन आदि शामिल हैं। रबड़ वस्तुओं का निर्यात 2018–19 के 8994.6 करोड़ रूपए की तुलना में 2019–20 में 8853.9 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रबड़ वस्तुओं का आयात 2018–19 के 16726.25 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 14946.24 करोड़ रूपए होने का अनुमान है।

10.16.2 रबड़ की वस्तुओं के उद्योग के निष्पादन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य से लेकर फुटवेयर तक उच्च निष्पादन वाले टायरों से लेकर कनवेयर बेल्टों तक देश की अवसंरचना में अपरिहार्य है।

10.17 टायर और ट्यूब उद्योग

10.17.1 देश के संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में यात्रियों और आवश्यक सामान के लाने ले जाने के साथ–साथ आवागमन में टायरों की अभिन्न भूमिका होती है, जो सभी प्रकार के वाहनों जैसे कारों, ट्रैक्टरों, ट्रकों और बसों से लेकर नवीनतम पैसेंजर कारों तक, जो आधुनिक एक्सप्रेस मार्गों पर दौड़ती हैं, में उपयोग किये जाते हैं! घरेलू मांग को पूरा करने हेतु अपेक्षित सभी प्रकार के टायर भारत में ही बनाए जाते हैं। भारत में विनिर्मित विभिन्न प्रकार के टायरों में 1.5 कि.ग्रा. भार तक के मोपेड टायरों से लेकर अर्थमूवरों के ऑफ रोड टायरों तक जिनका भार 1.5 टन तक होता है, बायस प्लाई टायरों से लेकर रग्ड औल स्टील रेडियल ट्रक टायर तथा उच्च–निष्पादन पैसेंजर कार रेडियल तथा ट्यूबरहित टायर, आदि शामिल हैं। भारत विश्व–भर के उन चंद देशों में से एक है जिन्होंने सभी अनुप्रयोगों के लिए विस्तृत रेंज के टायरों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है।

10.17.2 टायर उद्योग की मुख्य विशेषताएं

i. भारतीय टायर उद्योग में 62 टायर विनिर्माणकारी संयंत्रों के साथ 41 कंपनियां हैं।

ii. वर्ष 2018–19 में लगभग 274 लाख (संख्या में) टायरों का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2019–20 में इनका उत्पादन 253 लाख संख्या में होने का अनुमान है। चार भारतीय कम्पनियां (एमआरएफ लि., अपोलो टायर्स, सीएट तथा जेएंडके टायर्स) 35 शीर्षस्थ

वैश्विक टायर कंपनियों की सूची में शामिल हैं।

iii. मूल्य और टनेज के हिसाब से बड़ी टायर कंपनियों का उद्योग कारोबार में हिस्सा लगभग 92% है।

iv. भारतीय टायर उद्योग का उत्पादन वर्ष 2019–20 के दौरान 63,000 करोड़ रुपए (लगभग) होने का अनुमान है।

10.17.3 टायरों और ट्यूबों का निर्यातः भारतीय टायर विश्वभर के लगभग 75 देशों को निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान 13347.64 करोड़ रुपए के टायरों का निर्यात किया गया। वर्ष 2019–20 के लिए टायर एवं ट्यूबों के निर्यात का अनुमानित मूल्य 13154.42 करोड़ रूपये है।

10.17.4 टायरों और ट्यूबों का आयातः टायरों का आयात 10% सीमा शुल्क की दर से किया जाता है (ट्रक और बस रेडियल (टीबीआर) टायरों और पैसेंजर कार रेडियल (पीसीआर) टायरों को छोड़कर, जिन्हें 15% के सीमा शुल्क की दर से आयात किया जाता है)। टायरों का आयात विभिन्न समझौतों जैसे एशिया प्रशांत महासागर व्यापार समझौता (टीबीआर और पीसीआर टायरों के लिए 12.9%, अन्य टायरों के लिए 8.6%), आसियान एफटीए (5%) और भारत–मलेशिया व्यापार समझौता (5%) के तहत रियायती सीमा शुल्क पर भी किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान भारत में 33127.20 करोड़ रुपए के टायरों का आयात किया गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान टायर एवं ट्यूबों का अनुमानित आयात मूल्य 2860.15 करोड़ रुपए है।

10.17.5 स्वचालित वाहनों के वायुचलित टायरों तथा टयूबों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश : स्वचालित वाहनों के लिए वायुचलित टायरों तथा ट्यूब्स के लिए गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश बीआईएस अधिनियम, 1986 की धारा 14 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 19 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। यह आदेश उन वायुचलित टायरों तथा टयूब्स के आयात, बिक्री अथवा वितरण को प्रतिबंधित करता है जो विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुरूप नहीं हैं और जिन पर मानक छाप नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि विनिर्माताओं को वायुचलित टायरों तथा ट्यूब्स के विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप बिक्री अथवा वितरण के लिए मानक छाप के उपयोग के लिए बीआईएस से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2009 दिनांक 13 मई, 2011 से लागू हो गया है। उक्त गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के खंड 3 (1) (च) के अनुसार ऐसे टायर, जो स्वदेश में विनिर्मित नहीं किए जाते हैं और मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएमएस) द्वारा आयात किए जाते हैं, की सूची को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। भारत से बाहर निर्मित टायरों के आकार की आवधिक समीक्षा और उसे अंतिम रुप देना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार किया जाता है और इसकी अद्यतन सूची डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इस समिति ने हाल ही में जून, 2019 में ऐसे 667 आकार के टायरों (स्वदेश में विनिर्मित नहीं) की सूची की समीक्षा की और इसे अंतिम रूप दिया गया है जिन्हें ओईएमएस द्वारा आयात किया जा सकता है। संशोधित सूची डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

10.18 पेपर, पेपर बोर्ड तथा अखबारी कागज उद्योग

10.18.1 भारतीय पेपर उद्योग विश्व के पेपर, पेपर बोर्ड और अखबारी कागज का लगभग 4.29 प्रतिशत उत्पादन करता है। भारत सरकार की सिगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने की नीति ने पेपर क्षेत्र के भविष्य पर सकारात्मक पर प्रभाव डाला है, विशेष रूप से पेकेजिंग उद्योग में। कागज की मांग एफएमसीजी उत्पादों, रेडी टू ईट फूड के लिए गुणवत्ता पेकेजिंग की मांग को बढ़ाकर भी पूरी की जाती रही है, और सरकार द्वारा विभिन्न सूक्ष्म आर्थिक पहलें शुरू की जा रही हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), महिला समाख्या कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु सुदृढ़ीकरण (एसपीक्यूईएम), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), साक्षर भारत (प्रौढ़ शिक्षा) ने भी पेपर का उपयोग बढ़ाने में योगदान दिया है। आश्चर्यजनक रूप से ई–कॉमर्स तथा ऑनलाइन व्यापार शुरू होने से पेपर तथा पैकेजिंग की मांग में वस्तुतः

वृद्धि हुई है।

10.18.2 भारतीय पेपर उद्योग एक लाइसेंस मुक्त क्षेत्र है तथा ऑटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018–19[1] में 71.2 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। इस औद्योगिक संरचना में 850 से अधिक पेपर यूनिट्स हैं जो पल्प, पेपर, पेपर बोर्ड और अखबारी कागज का विनिर्माण करती हैं, जिनकी स्थापित क्षमता लगभग 27 मिलियन टन है जिसमें से 4.72 मिलियन टन का उपयोग नहीं होता है। अद्यतन स्थिति के अनुसार लगभग 501 मिले प्रचालनरत हैं जिनकी कुल प्रचालन क्षमता 21.81[2] मिलियन टन है। वर्ष 2018–19 में लगभग 90% कुल क्षमता उपयोग हुआ और पेपर, पेपर बोर्ड तथा अखबारी कागज की कुल खपत 21.12[3] मिलियन टन रही। वर्ष 2018–19 में वर्ष 2017–18 की तुलना में कुल उत्पादन कमोबेश (+2.38% वृद्धि) 19.36[4] रहा है पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार, पेपर, पेपर बोर्ड और अखबारी कागज का उत्पादन वर्ष 2019–20 में लगभग 19.9 मिलियन टन होने का अनुमान है।

10.18.3 भारत में, प्रति व्यक्ति पेपर की खपत लगभग 15.75 किलोग्राम है, जो कि विश्व औसत (2018 में 53 किलो) से कम है। यह विश्व के प्रति व्यक्ति खपत के औसत तक पहुंचने में इस सेक्टर के विकास के बड़े अंतर को सूचित करता है।

10.18.4 इस क्षेत्र को समेकित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन भारतीय कागज उद्योग अभी भी बंटा हुआ है। इसमें लघु, मध्यम तथा बड़ी पेपर मिलें शामिल हैं जिनकी क्षमता 5 से 2000 टन प्रति दिन तक है। यह क्षेत्र उत्पादन के लिए लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और वेस्ट पेपर का इनपुट सब्सट्रेट्स के रूप में उपयोग करता है। लकड़ी, कृषि और अपशिष्ट वेस्ट पेपर आधारित मिलों की हिस्सेदारी क्रमशः 19 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 73 प्रतिशत है।

10.18.5 पेपर और पेपर बोर्ड सेगमेंटः स्वदेशी कागज और पेपर बोर्ड खंड सभी मुख्य किस्म के कागज का उत्पादन करते हैं जिनकी बाजार में मांग है जैसे लेखन और मुद्रण (35%), पैकेजिंग ग्रेड पेपर (55%), अखबारी कागज (6%) और विशेष पेपर (<4%)। तथापि, कुछ विशेष प्रकार के पेपर जैसे कि कोटेड पेपर, सिक्योरिटी पेपर तथा चेक के पेपर आदि का देश में आयात किया जाता है। पिछले वर्ष (2017–18)[5] में पेपर और पेपरबोर्ड (अखबारी कागज को छोड़कर) के 17.54 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 2018–19 में लगभग 18.31 मिलियन टन[6] रहा।

10.18.6 वर्ष 2018–19 के दौरान, आईटीसी के अध्याय 48 के अंर्तगत 1.89 मिलियन टन पेपर और पेपर बोर्ड आयात किया गया था, जबकि पिछले वर्ष (2017–18) में यह आंकड़ा 2.13 मिलियन टन[7] रहा। इस प्रकार यह आयात में 11% की की कमी को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर, वर्ष 2018–19 में 1.89 मिलियन टन पेपर और पेपर बोर्ड निर्यात किया गया था, जो कि वर्ष 2017–18 से काफी अधिक है।

10.18.7 **अखबारी कागज उद्योग[8]** – भारत में अखबारी कागज क्षेत्र गांव के भीतरी क्षेत्रों के साथ–साथ शहरों में सूचना वाहक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके महत्व को देखते हुए सरकार ने अखबारी कागज नियंत्रण आदेश (एनसीओ), 2004 लागू किया जो सभी प्रिंटरों और प्रकाशकों उपयोगकर्ता को अखबारी कागज की उपलब्धता तथा निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है। अखबारी कागज क्षेत्र से कतिपय विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार ने अखबारी कागज का आयात करने पर वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त रखी है और अब से सभी आयातकों को अखबारी कागज के आयात पर 10 प्रतिशत बीसीडी अदा करनी होगी।

10.18.8 वर्तमान में, एनसीओ की अनुसूची के तहत 124 मिलें पंजीकृत हैं। हालांकि केवल 62 मिल ही प्रतिवर्ष 1.59

[1] https://www.statista.com/statistics/971606/paper-industry-fdi-india/

[2] सांख्यिकी सेलः सीपीपीआरआई

[3] खपतः उत्पादन + आयात – निर्यात

[4] 163 कागज मिलों के सेम्पल आकार पर आधारित

[5] त्वरित अनुमान, सांख्यिकी सेलः सीपीपीआरआई

[6] सांख्यिकीय रिपोर्ट, सीपीपीआरआई

[7] आयात–निर्यात डाटा बैंक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

[8] यह डाटा इंडियन न्यूजप्रिंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली से लिया गया हैं

मिलियन टन स्थापित क्षमता से अखबारी कागज उत्पादित कर रही हैं जो कि अनुसूची के तहत पंजीकृत 2.5 मिलियन टन की कुल क्षमता का 63% है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से 36 मिलों ने अखबारी कागज का उत्पादन बंद कर दिया है और 23 मिलें बंद हो गई हैं। अखबारी कागज का घरेलू उत्पादन वर्ष 2018–19 में 1.05 मिलियन टन[9] रहा जो कि पिछले वर्ष (2017–18, 1.37 मिलियन टन) की तुलना में लगभग 23% अधिक है। उद्योग स्रोतों के अनुसार यह गिरावट सस्ते अखबारी कागज के आयात के कारण रही है। तथापि, 2018–19 में अखबारी कागज का कुल 1.36 मिलियन टन आयात किया गया था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत कम है।

10.18.9 **पेपर सेक्टर हेतु पहलः** हाल ही में सरकार द्वारा भारतीय पेपर उद्योग की सहायता के लिए विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं इनमें से कुछ पहलें निम्न प्रकार हैं–

i. सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), आदेश, 2017–अधिसूचना पेपर आदेश जुलाई, 2018 तक आगे बढ़ाने के लिए। इस अधिसूचना के जरिए भारत सरकार ने घरेलू पेपर विनिर्माण आपूर्ति में तेजी लाने के लिए स्थानीय सामग्री मानदंड निर्धारित किए हैं।

ii. अधिसूचना संख्या 56/2018–सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत अनकोटेड कोपियर पेपर (ए4 साइज) पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

iii. वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त, जिसमें अखबारी कागज के निःशुल्क आयात की अनुमति है, को बजट 2019–20 में हटा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अखबारी कागज के आयात पर 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क ड्यूटी लगी है।

iv. वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) डिग्रेडेड वनों में वनरोपण में सार्वजनिक भागीदारी के विस्तार पर कार्य कर रहा है। इससे पेपर उद्योग को पेपर उत्पादन के लिए एक टिकाऊ फाइबर बेस मिलने में भी मदद मिलेगी।

10.18.10 **विलय/ अधिग्रहणः** पिछले वर्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण उद्योग का अधिग्रहण और विलय हुआ है।

i. सिरपुर पेपर मिल, जो बंद पड़ी थी, जे.के. पेपर द्वारा ले ली गई और इसका प्रचालन शुरू हुआ। इस संयंत्र के पूर्ण रूप से शीघ्र कार्यात्मक होने की संभावना है।

ii. एक अन्य समेकित प्रयास में अंतरर्राष्ट्रीय पेपर (एपीपीएम) लि. की 52 प्रतिशत के नियंत्रण को वेस्ट कोस्ट पेपर मिल द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया।

तालिका 10.15 पेपर और पेपर बोर्ड का उत्पादन

क्र. सं.	उद्योग का नाम	2018-19		2019-20	
1	कागज	इकाईयों की सं (संचालनरत)	उत्पादन (मिलियन टन)	इकाईयों की सं (संचालनरत)	उत्पादन (मिलियन टन)
		501	19.36	501	19.9*

स्रोतः सीपीपीआरआई

* प्रक्षेपित अनुमान

10.19 नमक उद्योग

10.19.1 प्रस्तावना

10.19.1.1 भारत लगभग 294 लाख टन के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ चीन और अमेरीका के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। यह लगभग 68 लाख टन औसत उत्पादन के साथ चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयोडीन युक्त नमक का उत्पादक देश है। स्वतंत्रता के समय, नमक उत्पादन में कमी हुआ करती थी जिसे आयात से पूरा किया जाता था। तब से 1953 में आत्मनिर्भरता प्राप्त

9 आईएनएमए द्वारा उपलब्ध कराए गए त्वरित अनुमान

करके तथा अन्य देशों को नमक का निर्यात करते हुए भारत ने नमक उत्पादन में अत्यधिक प्रगति की है।

10.19.1.2 नमक मानव उपभोग की अनिवार्य मदों में से एक है। देश में नमक की प्रति व्यक्ति अनुमानित खपत लगभग 14 कि.ग्रा. है, जिसमें खाद्य और औद्योगिक नमक शामिल है। देश में नमक की वर्तमान आवश्यकता 63 लाख टन खाद्य प्रयोजनों (पशुओं के लिए आवश्यकता सहित) के लिए और 118 लाख टन औद्योगिक उपयोग के लिए है। वर्ष 2018–19 के दौरान भारत ने 1370 करोड़ रुपए मूल्य के 103.48 लाख टन नमक का निर्यात किया और 2019–20 (नवम्बर, 2019 तक) के दौरान 688.89 करोड़ रुपए मूल्य के 60.74 लाख टन नमक का निर्यात किया।

10.19.1.3 नमक मुख्यतः समुद्री पानी, अवमृदा खारे पानी, झील के खारे पानी के सौर वाष्पीकरण द्वारा बनाया जाता है। देश में कुल नमक उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा समुद्री नमक का है। नमक विनिर्माण संबंधी कार्यकलाप गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा राज्यों तथा राजस्थान की पश्चभूमि में किए जाते हैं। नमक उत्पादन करने वाले तीन प्रमुख राज्य गुजरात (81.4%), राजस्थान (8.57%) और तमिलनाडु (8%) हैं जो अन्य राज्यों की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं।

10.19.1.4 निजी क्षेत्र देश में कुल नमक उत्पादन में लगभग 94.1% उत्पादन का योगदान देता है, सरकारी क्षेत्र लगभग 1.5% उत्पादन करता है; सहकारी क्षेत्र का योगदान लगभग 4.4% है।

10.19.2 उत्पादनः

नमक के आयोडीनीकरण तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज्यादा शुद्धता वाले नमक की आवश्यकता होती है। कच्चा नमक की गुणवत्ता को उन्नत बनाकर शुद्धता का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिए नमक आयुक्त का कार्यालय (एससीओ) ने अब तक 147.16 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली 131 नमक वाशरीज/रिफाइनरियों की स्थापना को सुकर बनाया है। सभी इकाइयां नमक आयुक्त संगठन के पास पंजीकृत हैं।

तालिका 10.13 नमक का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

(लाख मी. टन)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
2015-16	270	276.43
2016-17	270	291.92
2017-18	296	289.49
2018-19	292	300.33
2019-20 (दिस. 2019 तक)	292	204.68

10.19.3 नमक कारखाने और नमक उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफलः नमक कारखानों की संख्या लगभग 11220 है, जिनमें से केवल 6% अर्थात 679 बड़े कारखाने हैं, जिनका देश के कुल नमक उत्पादन में 70.64% योगदान है। कुल नमक उत्पादन का शेष 29.36% योगदान लघु नमक विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। नमक उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र लगभग 6.48 लाख एकड़ है (पट्टा भूमि, राज्य सरकारी भूमि, बंदरगाह भूमि, नमक विभाग की भूमि) इसमें से 59865 एकड़ नमक उत्पादक भूमि नमक के उत्पादन हेतु नमक विभाग की है। नमक बनाने के कार्यकलापों से लगभग 92,474 व्यक्तियों को सीधे रोजगार मिलता है।

10.19.4 नमक का वितरणः रेलवे तीन बड़े नमक उत्पादक राज्यों से दूसरे राज्यों में नमक के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खाद्य नमक का औसतन लगभग 62% का परिवहन उत्पादन केन्द्रों से रेल द्वारा किया जाता है तथा शेष नमक सड़क/समुद्री मार्गों से ले जाया जाता है। जरूरत के आधार पर अधिमान्य ट्रैफिक तथा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत रेल द्वारा नमक का परिवहन किया जाता है। रेलवे ने साधारण आयोडीनयुक्त नमक के परिवहन के लिए मालभाड़े में ग्रेडिड रियायत दी है जो उस दूरी पर निर्भर करता है जहां नमक ले जाया जाना है।

10.19.5 आयोडीनयुक्त नमकः आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों (आईडीडी) को दूर करने व नियंत्रित करने के लिए खाद्य नमक को मानव उपभोग हेतु आयोडीनयुक्त बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नेशनल आयोडीन डेफीसेंसी डिसआर्डर

कन्ट्रोल प्रोग्राम (एनआईडीडीसीपी) के तहत उत्पादन केन्द्रों पर आयोडीनयुक्त नमक की पर्याप्त क्षमता का सृजन करने, आयोडीनयुक्त नमक के उत्पादन और गुणवत्ता की निगरानी करने और पूरे देश में आयोडीनयुक्त नमक के वितरण की निगरानी के लिए नमक आयुक्त कार्यालय की नोडल एजेंसी के रूप में पहचान की गई है। नमक आयुक्त कार्यालय ने मार्च, 2019 तक 228 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता के वाली 131 नमक रिफाइनरियों/वाशरीज (147.2 लाख टन क्षमता) सहित 604 आयोडीनयुक्त नमक इकाइयों की स्थापना को सुकर बनाया है। सभी आयोडीनयुक्त नमक की इकाइयां नमक आयुक्त के कार्यालय में पंजीकृत हैं। नमक आयुक्त का कार्यालय राज्य सरकारों, आयोडीनयुक्त नमक विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता, मूल्य तथा गुणवत्ता की आवधिक समीक्षा करता है।

तालिका 10.17 आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन और आपूर्ति

(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन	आपूर्ति
2015-16	64.76	62.43
2016-17	69.11	64.37
2017-18	68.29	64.69
2018-19	67.38	66.97
2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	49.80	50.36

10.19.6 निर्यात : साधारण नमक और आयोडीनयुक्त नमक को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत अनुमति दी गई है। भारत नमक का निर्यात जापान, वियतनाम, यूएई, कतर, कोरिया, चीन, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भूटान, हांगकांग तथा सिंगापुर आदि को करता है।

तालिका 10.18 नमक का निर्यात

वर्ष	मात्रा लाख मी.टन में	मूल्य (लाख रूपए में)
2015-16	65.67	78945.42
2016-17	82.74	85007.03
2017-18	91.63	89010.00
2018-19	103.48	137020.96
2019-20 (दिस. 2019 तक)	76.55	83889.92

10.19.7 मजदूर कल्याण कार्यकलाप तथा विकास कार्य

10.19.7.1 नमक आयुक्त का कार्यालय वित्तीय सहायता प्रदान करके नमक उद्योग में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करने पर विशेष ध्यान दे रहा है, नामतः

i. नमक कामगारों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं
ii. नमक कार्य स्थलों में पीने के पानी की सुविधाएं
iii. नमक श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता
iv. नमक कार्य स्थलों में आराम गृह तथा क्रेच
v. श्रमिकों तथा उनके बच्चों को मनोरंजन संबंधी सुविधाएं
vi. नमक कामगारों के बच्चों को नकद पुरस्कार

10.19.7.2 इसके अलावा, नमक उद्योग के लाभ के लिए विभिन्न योजना शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

तालिका 10.19 विकास और श्रमिक कल्याण कार्यों पर हुआ व्यय

(आंकड़े लाख रु. में)

वर्ष	विकास कार्य	श्रम कल्याण कार्य	अन्य कार्य	कुल व्यय
2015-16	9.49	25.80	-	35.29
2016-17	2.58	2.45	33.91	38.94
2017-18	2.12	9.35	18.98	30.45
2018-19	2.5	2.38	33.50	38.3
2019-20 (दिस. 2019 तक)	0.13	1.29	17.55	18.97

10.19.7.3 स्वास्थ्य शिविर, खेल समारोह तथा बच्चों के लिए पुरस्कार योजना : वित्तीय वर्ष 2018–19, में 5 स्वास्थ्य शिविर तथा 2 खेलकूद समारोह आयोजित किए गए। पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुमोदित स्कीम के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान नमक श्रमिकों के 2410 प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों हेतु 32.85 लाख रूपये मंजूर किए गए थे जिसमें वर्ष 2018–19 के दौरान बालिकाओं हेतु 50% पुरस्कारों का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान 3 स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविर नावा, राजस तथा हलवाड में 23.09.2019, 24.09.2019 और 29.12.2019 को आयोजित किए गए थे और इन पर 94,384/– रुपये का व्यय हुआ।

10.19.7.4 मॉडल नमक फार्म

i. नमक आयुक्त के कार्यालय ने सामान्य रूप से नमक विनिर्माताओं तथा विशेष रूप से छोटे नमक उत्पादकों को औद्योगिक नमक के सख्त मानकों को पूरा करने के लिए नमक की गुणवत्ता में सुधार करने तथा अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु शिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।

ii. नमक निर्माण कार्यों के लिए वैज्ञानिक जानकारी तथा उचित ब्राइन प्रबंधन प्रदान करने तथा नमक विनिर्माताओं के प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिए तीन मॉडल नमक फार्मों (एमएसएफ) की स्थापना की गई है, एक उड़ीसा के गंजम में दूसरा राजस्थान के नवा में तथा तीसरा मरकानम (तमिलनाडु) में। सभी मॉडल नमक फार्म उपयुक्त लवण प्रबंधन के अच्छे गुणवत्ता नमक के उत्पादन के प्रदर्शन के लिए स्थापित किए गए हैं। इनका उपयोग नमक विनिर्माताओं/कामगारों को मौजूदा नमक कार्यों की रिमॉडलिंग तथा रिएलाइनमेंट के जरिए सेंट्रल सॉल्ट मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएमसीआरआई) भावनगर के वैज्ञानिकों के सहयोग से नमक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

10.19.7.5 प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रशिक्षण: औद्योगिक तथा खाद्य नमक के निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए नमक की गुणवत्ता में सुधार हेतु नमक कामगारों/कारीगरों को शिक्षित करने के विचार से, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा 'प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रशिक्षण' योजना कार्यान्वित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत 2014–15 के दौरान प्रति आयोजन 1.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), भावनगर द्वारा 5.00 लाख रूपये की लागत की दर से दो बैचों में 40 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए दो मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये मास्टर प्रशिक्षक नमक कामगारों को प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, इसके अतिरिक्त 2015–16 के दौरान आंध्र प्रदेश के नमक श्रमिकों हेतु दो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। वर्ष 2016–17 के दौरान तमिलनाडु के नमक श्रमिकों हेतु 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 13.77 लाख रुपए व्यय हुए थे। वर्ष 2018–19 के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु नमक श्रमिकों के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। दो राजस्थान के नावा और फलौदी में, एक गुजरात में तथा एक चेन्नई क्षेत्र में आयोजित किया गया। इनमें 120 लाभार्थियों पर 9,82,999/– रुपये व्यय हुआ। 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए नमक कामगारों के लिए एक नमक प्रशिक्षण कार्यक्रम वलिनोक्कम में 09.09.2019 से 14.09.2019 तक आयोजित किया गया था। इसमें 30 लाभार्थी थे और उन पर 2,50,366/– रुपये व्यय हुआ।

11
अध्याय

निवेश संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.1.1 बाहरी आर्थिक संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। उक्त कार्यों को करने के लिए डीपीआईआईटी में चार आईसी डिवीजन हैं, अर्थात् आईसी–एशिया (एमई और सीआईएस को छोड़कर) और ओशिनिया, आईसी–यूरोप और सीआईएस, आईसी–अमेरिका और आईसी–अफ्रीका और मध्य पूर्व।

11.1.2 आईसी प्रभाग भारत में निवेश के माहौल तथा अवसरों और निवेश सुविधा के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

11.1.3 आईसी डिवीजन भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न मंचों, जैसे संयुक्त आयोगों / संयुक्त समितियों, अन्य द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से जैसे देश का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों के साथ बातचीत, पारस्परिक लाभ के मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए दूसरे देशों के दौरों का आयोजन और भारत तथा विदेशी उद्यमियों के बीच व्यापार / निवेश बैठकों के माध्यम से परस्पर लाभ के लिए विकासशील के साथ–साथ विकसित देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। डीपीआईआईटी सभी द्विपक्षीय के साथ–साथ बहु–पक्षीय सीईओ के फोरा के लिए नोडल विभाग भी है जो मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बी2बी अनुबंध को बढ़ावा देता है।

11.1.4 आईसी प्रभाग निम्नलिखित संयुक्त आयोगों / अंतर सरकारी आयोगों के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है:

i. भारत–लीबिया संयुक्त आयोग

ii. आर्थिक सहयोग संबंधी भारत–हंगरी संयुक्त आयोग।

iii. आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत–बेलारूस अंतर सरकारी आयोग।

iv. आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत–स्वीडन संयुक्त आयोग।

v. आर्थिक सहयोग के लिए भारत–पोलैंड संयुक्त आयोग।

11.2 विदेश में आयोजित प्रमुख निवेश संवर्धन कार्यक्रम/सम्मेलन/ जेसीएमः

i. पीएमओ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र में भारतीय निवेशकों के लिए निवेश क्षमता का पता लगाने के लिए 12 से 13 अगस्त, 2019 तक रूस के व्लादिवोस्तोक का दौरा किया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात चार राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। श्री विनोद एल. चावड़ा, संसद सदस्य, कच्छ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, भी सीआईएम सहित, केंद्रीय मंत्रालयों और उद्योग प्रतिनिधियों के अधिकारियों की टीम के साथ इस दल के सदस्य थे।

ii. पूर्वी आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 4–6 सितंबर, 2019–भारत ने पूर्वी आर्थिक मंच, व्लादिवोस्तोक, रूस में 4–6 सितंबर, 2019 के दौरान एक अतिथि देश के रूप में भाग लिया। पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) रूसी राष्ट्रपति के सानिध्य में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ–साथ सचिव (डीपीआईआईटी) और श्री अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी सहित केन्द्रीय मंत्रालयों से कुछ केन्द्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने 04–05 सितंबर, 2019 को पूर्वी आर्थिक मंच, व्लादिवोस्तोक का दौरा किया। भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी को इस महत्वपूर्ण आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। व्लादिवोस्तोक में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान लगभग 50 वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की संयुक्त मीडिया में उपस्थिति के दौरान, 15 महत्वपूर्ण दस्तावेजों का आदान–प्रदान किया गया। इनमें ऐतिहासिक संयुक्त वक्तव्य "विश्वास एवं साझेदारी के माध्यम से सहयोग की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना" और भारत–रूस व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यनीति शामिल थी। इसके अलावा, विभिन्न रूसी और भारतीय संस्थाओं द्वारा 35 वाणिज्यिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से लगभग 10 खनन, खनिज और बहुमूल्य खनिजों के क्षेत्र से संबंधित हैं और शिक्षा, संस्कृति, उद्यमशीलता और नवाचार से संबंधित उतने ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। शेष समझौतों / समझौता ज्ञापनों द्वारा शामिल किए गए अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा, आईटी, कृषि, निवेश फंडिंग, लकड़ी, स्वास्थ्य सेवाएं, हीरे, मीडिया, रक्षा, रसायन और जनशक्ति आदि थे। इसके अलावा, ईईएफ के दौरान निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी अलग से हस्ताक्षर किए गए थे:

क. हाइड्रोकार्बन फाइल नंबर 5(5)/ 2019–आईसी (सीआईएस) सेक्टर 2019–2024 में भारत और रूस के बीच सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य।

ख. 2020–2025 के लिए रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारतीय–रूसी सहयोग के कार्यक्रम की तैयारी के तहत, सुदूर पूर्व और आर्कटिक के विकास मंत्रालय और नीति आयोग के बीच समझौता ज्ञापन।

iii. **भारत–रूस आधुनिकीकरण संबंधी उप–समूह:** उपसमूह की 8 वीं बैठक 21 नवंबर, 2019 को मास्को (रूस) में हुई। भारत की ओर से बैठक की सह–अध्यक्षता श्री अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी और श्री एलेक्सी ए. उचेनोव, निदेशक, सामरिक विकास और कॉर्पोरेट नीति विभाग, उद्योग और व्यापार मंत्रालय, रूसी संघ ने की। बैठक में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग संबंधी भारत–रूस कार्यकारी समूह की बैठक में रखा गया।

iv. **आईआरआईजीसी–टेक के तहत आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत–रूस कार्यकारी समूह:** इस कार्य समूह की 8 वीं बैठक 22 नवंबर 2019 को मास्को (रूस) में आयोजित की गई थी जिसकी सह–अध्यक्षता भारतीय पक्ष से सचिव (डीपीआईआईटी) डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा ने की और रूसी पक्ष से रूसी संघ के उद्योग और व्यापार मंत्री श्री एलेक्सी ग्रुज़देव ने की। बैठक में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

v. व्यापार और नवप्रयोग शिखर सम्मेलन 9–10 सितंबर, 2019 को सिंगापुर में आयोजित किया गया।

vi. दिसंबर, 2019 में भारत जापान बिजनेस लीडर्स फोरम (आईजेबीएलएफ) का पुनर्गठन

vii. **भारत–यूएई उच्च स्तरीय निवेश टास्क फोर्स (एचएलटीएफआई):** निवेश पर भारत–यूएई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफआई) का गठन निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने और दोनों देशों, भारत–यूएई में सहयोग और निवेश के अवसरों पर विचार–विमर्श करने के लिए किया गया था।

एचएलटीएफआई मौजूदा निवेशों से जुड़े आपसी मुद्दों के समाधान और दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के साथ–साथ एक मंच के रूप में कार्य करता है। एचएलटीएफआई की 7 वीं बैठक 21–22 सितंबर, 2019 को अबू धाबी में आयोजित की गई जिसकी सह–अध्यक्षता भारत की ओर से श्री पीयूष गोयल, सीआईएम और यूएई की ओर से महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कोर्ट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने राजमार्गों, हवाई अड्डों, तेल और गैस, नागरिक उड्डयन, निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना, जहाजरानी और रेलवे में निवेश के अवसरों पर सेक्टरवार प्रेजेंटेशन दीं। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के सफल परिणामों का संज्ञान लिया। दोनों पक्षों ने विरासती मुद्दों पर चर्चा की और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों को नोट किया। बैठक में भावी सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच स्थायी व्यापार प्रवाह और निवेश को सक्षम बनाने के लिए सहयोग को और बढ़ावा देगा।

viii. न्यूयॉर्क में 21 से 27 अक्टूबर, 2019 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान, निम्नलिखित उद्योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:–

क. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा 21 सितंबर, 2019 को कॉन्सुलेट जनरल ह्यूस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ऊर्जा क्षेत्र से उद्योग के प्रमुखों / सीईओ की गोलमेज बैठक का आयोजन।

ख. 25 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग के संयोजन में सीईओ राउंडटेबल का आयोजन किया गया।

ix. सीआईआई और इन्वेस्ट इंडिया आपसी सहयोग से माननीय सीआईएम के नेतृत्व में भारतीय दल ने 21 से 24 जनवरी, 2020 तक स्विट्जरलैंड के दावोस–क्लोस्टर में आयोजित 50वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, भारत लाउंज के लिए स्थान किराए पर लिया गया था और दावोस–कोलस्टर्स, स्विट्जरलैंड में 21 से 24 जनवरी, 2020 तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी।

x. 84 वें थेसालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला (टीआईएफ), 2019 का आयोजन दिनांक 7 से 15 सितंबर, 2019 तक ग्रीस के थेसालोनिकी में आयोजित किया गया, जिसमें भारत सम्मानित देश था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय एच.एस. पुरी, राज्य मंत्री (वाणिज्य और उद्योग) और श्री रविंद्र, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी इस दल के हिस्सा थे। आईटीपीओ, 75 भारतीय प्रदर्शकों के साथ भारतीय पक्ष की प्रमुख एजेंसी थी।

xi. आर्थिक सहयोग संबंधी भारत–स्वीडन संयुक्त आयोग (जेसीईसी) के 19 वें सत्र के लिए प्रोटोकॉल पर 22–23 अक्टूबर, 2019 को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित बैठक में हस्ताक्षर किए गए। स्टॉकहोम, स्वीडन में 22 और 23 अक्टूबर, 2019 को आर्थिक औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत–स्वीडन संयुक्त आयोग के 19 वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री पीयूष गोयल, माननीय सीआईएम द्वारा किया गया था।

11.3 भारत में आयोजित प्रमुख सम्मेलन, द्विपक्षीय / संयुक्त आयोग की बैठकें और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम

i. जापान औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना के लिए बैठक – 26.07.2019 को सचिव, डीपीआईआईटी

और राजदूत, जापान की सह–अध्यक्षता में निवेश प्रोत्साहन और अन्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित।

ii. जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की प्रगति रिपोर्ट दिसंबर, 2019 में जापानी पक्ष के साथ साझा की गई थी।

iii. सचिव, डीपीआईआईटी ने 02.12.2019 को संबंधित राज्य सरकारों के साथ जापान औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की स्थिति की समीक्षा की।

iv. सचिव डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में डीपीआईआईटी और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा चीनी निवेशकों की राउंड टेबल बैठक का 3 दिसंबर, 2019 को आयोजन किया गया।

v. स्वीडन के राजा की भारत की यात्रा के दौरान चौथे भारत स्वीडन बिजनेस लीडर्स राउंड टेबल (आईएसबीएलआरटी) का आयोजन 03.12.2019 को किया गया था। माननीय सीआईएम ने माननीय इब्राहिम बेलेन, व्यापार, उद्योग और नवाचार मंत्री के साथ बैठक में भाग लिया।

vi. श्रीमती सिग्रीड काग, विदेश व्यापार और विकास सहयोग मंत्री, नीदरलैंड ने सचिव, डीपीआईआईटी के साथ एक बैठक की। माननीय मंत्री काग अपने साथ 5 डच स्टार्टअप इकोसिस्टम व्यापारियों को लाईं थीं जो भारतीय कॉरपोरेट, स्टार्ट–अप और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक थे ताकि आगे युवा उद्यमिता सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

11.4 भारत में विदेशी प्रतिनिधिमंडलों / गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

i. श्री लियोनिदपेतुकोव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रूस के सुदूर पूर्व निवेश और निर्यात एजेंसी और एजेंसी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों ने 25 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में सचिव (डीपीआईआईटी) से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान इन्वेस्ट इंडिया और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के अलावा विदेश मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। श्री लियोनिदपेटुखोव और उनकी टीम ने रूसी सुदूर पूर्व में उपलब्ध निवेश परियोजनाओं पर एक प्रस्तुति दी।

ii. माननीय सीआईएम ने निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा की:

क. दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में महामहिम श्री हेंग स्वी केट, माननीय डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री,सिंगापुर के साथ माननीय सीआईएम की बैठक।

ख. दिनांक 10.12.2019 को जापान के एमईटीआई–मंत्री, श्री कजियामा हिरोशी के साथ माननीय सीआईएम की बैठक।

ग. माननीय सीआईएम के साथ डॉ. सुरजीत, एस. बल्ला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (भूटान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका) की 24 दिसंबर, 2019 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में बैठक।

iii. सचिव, डीपीआईआईटी ने निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा की:

क. 18 जुलाई, 2019 को श्री मनु कुमार जैन, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्याओमी के साथ सचिव, डीपीआईआईटी की बैठक।

ख. 19.11.2019 को जापान के राजदूत श्री सतोशी सुजुकी के साथ सचिव, डीपीआईआईटी की बैठक।

ग. 22.11.2019 को सचिव, डीपीआईआईटी के साथ श्री तनाका शीगीरो, उप–मंत्री, एमईटीआई, जापान की बैठक।

iv. महामहिम एच.एम. किंग कार्क XVI, गुस्ताफ स्वीडन के ने 2–4 दिसंबर, 2019 तक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा किया।

v. सचिव, डीपीआईआईटी ने श्रीमती सिग्रीड, विदेश

व्यापार और विकास सहयोग मंत्री, नीदरलैंड के साथ दिनांक 14 से 18 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित भारत में व्यापार मिशन के तहत दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 को बैठक की।

vi. डॉ. एंजेला मर्केल, जर्मन चांसलर ने मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल और जर्मन सीईओ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा किया। द्विपक्षीय बैठक माननीय केन्द्रीय मंत्रियों और सचिवों के बीच आयोजित की गई थी। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उनके समकक्ष मंत्री के साथ दिनांक 01.11.2019 को द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। 5 वीं अंतर सरकारी परामर्श के एक भाग के रूप में संयुक्त घोषणापत्र पर भारत की ओर से श्री सोम प्रकाश, राज्य मंत्री और जर्मनी की ओर से श्री क्रिस्टन हिरते, संसदीय राज्य सचिव, जर्मनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

vii. माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ माननीय टॉमस पेट्रीसेक, चेक गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री की दिनांक 15.01.2020 को एक बैठक हुई।

viii. माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ श्री पीटर सिज्जार्तो, विदेश और व्यापार मंत्री, हंगरी की बैठक का आयोजन दिनांक 16.01.2020 को किया गया।

11.5 अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

i. **अन्य मंत्रालयों द्वारा आयोजित जी 2 जी बैठकों में भागीदारी:** इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 8 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में, 9 वीं भारत–चीन वित्तीय वार्ता 25 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में, और 11.10.2019 को कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली में आयोजित भारत–जापान निवेश संवर्धन भागीदारी पर सचिवों के कोर ग्रुप की 8वीं बैठक।

ii. **'मेक–इन–इंडिया' (एमआईआई) रोड शो का आयोजन:** टोक्यो जापान में 9 से 11 अक्टूबर, 2019 तक 'मेक–इन–इंडिया' (एमआईआई) रोड शो का आयोजन किया गया।

iii. **भारत अमेरिकी स्पॉटलाइट श्रृंखला वेबिनार के साथ राज्य**

क. महाराष्ट्र में 28.06.2019 को आयोजित किया गया था।

ख. न्यू जर्सी में 14.11.2019 को आयोजित किया गया था।

iv. **फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म (एफटीएम) मीटिंग:** यूएस कंपनियों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत–अमेरिका फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म मीटिंग 16.07.2019 को आयोजित हुई।

v. इंडो–जर्मन एफटीएम के तहत लंबित मामलों को हल करने के लिए और इस संबंध में एक समीक्षा बैठक दिनांक 4 जून, 2019 को श्री रविन्द्र, संयुक्त सचिव, की अध्यक्षता में जर्मनी दूतावास के साथ बैठक आयोजित की गई थी। सात जर्मन कंपनियों फ्रेसेनियस काबी, बीएमडब्ल्यू, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल, बॉश, थाईसनकुरुप इलेक्ट्रिकल स्टील, वोथ हाइड्रो और हेअर के मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। सभी मामलों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। इसके अलावा, पोलावरम बांध (आंध्र प्रदेश) के लिए डायाफ्राम दीवार के निर्माण के लिए बकाया भुगतान न करने से संबंधित नये मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया, और उस पर आंध्र प्रदेश सरकार से अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था।

vi. भारत–इटली फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया गया है और तंत्र की पहली बैठक 16 जुलाई, 2019 को आयोजित की गई थी, जिसकी सह–अध्यक्षता सचिव, डीपीआईआईटी और भारत में इटली के राजदूत एच ई लोरेंजो एंजेलोनी ने की थी। बैठक में पाँच इतालवी कंपनियों, कैम्पारी, सीएनएच,फेरेरो, फिनकांतिरी और लेघोर्न के मुद्दों पर चर्चा की गई।

vii. माननीय सीआईएम ने 22–23 अक्टूबर 2019 को स्वीडन की अपनी यात्रा के दौरान स्टॉकहोम में आयोजित 19 वें इंडो–स्वीडिश संयुक्त आयोग में

भारत में स्वीडिश निवेशकों के लिए अपनी पसंद के स्थान पर तैयार अवसंरचना के साथ 'इन्वेस्टमेंट एन्क्लेव' आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित एन्क्लेव स्वीडिश कंपनियों के लिए स्वीडिश शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और मनोरंजन तक पहुंच के साथ एक सक्षम ईकोसिस्टम सृजित करेगा। स्वीडिश पक्ष की प्रतिक्रिया के बाद प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

viii. भारत–यूके फास्ट ट्रैक तंत्र की की तीसरी बैठक दिनांक 13 दिसंबर, 2019 को सचिव, डीपीआईआईटी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की सह–अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। एफटीएम में छह ब्रिटिश कंपनियों, डी ला रूए, जी 4 एस सिक्योर सॉल्यूशंस, एसआईएस लाइव, डियाजियो, विलियम ग्रांट एंड संस और पर्किन्स के मुद्दे उठाए गए थे। इसके अलावा, एफडीएम में एफडीआई की स्वीकृति में देरी से संबंधित एक नया मुद्दा भी एफटीएम में शामिल किया गया था।

ix. जर्मन चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल की यात्रा के दौरान पहली इंडो–जर्मन सीईओ की वार्ता 1 नवंबर, 2019 को होटल ताज महल, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

12
अध्याय

बॉयलर्स एक्ट, 1923 का संचालन

12.1 बॉयलर प्रभाग के कार्य: बॉयलर प्रभाग का अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) होता है और यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

i. बॉयलर अधिनियम, 1923 के संचालन और भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 (आईबीआर) के तहत संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

ii. उन मामलों में कार्रवाई करना जिनमें भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाने हैं।

iii. बॉयलरों की सामग्री, डिजाइन और निर्माण के लिए मानकों को निर्धारित करने और बॉयलरों के निरीक्षण और जांच को विनियमित करने के लिए नियमों के निर्धारण या संशोधन से संबंधित कार्य।

iv. केंद्रीय बॉयलर्स बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए ड्राइंग, डिज़ाइन, गणना और विशिष्टताओं सहित विनियमों में संशोधन के प्रस्तावों की जांच करना।

v. भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के तहत बॉयलरों और इसके घटकों की सुरक्षा और गुणवत्ता में कमी किए बिना बॉयलर घटकों के निरीक्षण में देरी को कम करने और उपलब्धता बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारियों, प्रसिद्ध स्टील विनिर्माताओं, ढलाई, फोर्ज, ट्यूब और पाइप निर्माताओं, सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं और अवशेष जीवन मूल्यांकन संगठनों के रूप में उनकी मान्यता के लिए भारत और विदेशों में विभिन्न फर्मों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों और उत्पादन सुविधाओं का मूल्यांकन करना।

vi. भारत और विदेशों में बॉयलर और बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए निरीक्षण प्राधिकारियों के रूप में उनकी मान्यता के लिए निरीक्षण प्रणालियों और फर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन करना।

vii. इन उप–समितियों के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय बॉयलर बोर्ड की सभी तकनीकी उप–समितियों की बैठक आयोजित करना।

viii. बॉयलर अधिनियम के संबंध में विभिन्न मामलों पर कार्रवाई करना अर्थात सम्पूर्ण दुनिया में नवीनतम तकनीकी विकास के अनुरूप भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के संशोधन संबंधी प्रस्तावों की जांच करना।

ix. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के प्रावधानों की व्याख्या करना।

x. बॉयलरों के विनिर्माताओं और उपयोगकर्ताओं और अन्य संबंधितों द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान करना और आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना।

xi. निर्माण, प्रतिस्थापन और उपयोग के दौरान भारत में बॉयलर और बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए "सक्षम व्यक्तियों" को अधिकृत करना।

12.2 बॉयलर अधिनियम 1923 (1923 का 5) और इसके तहत बनाए गए नियमों / विनियमों का संचालन

12.2.1 बॉयलरों के विस्फोट के खतरे से जीवन और

संपत्ति की सुरक्षा और पूरे देश में बॉयलरों के संचालन और रखरखाव के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से बॉयलर्स अधिनियम 1923 में लागू किया गया था। वर्ष 2007 तक, इस अधिनियम में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया और कानून में बदलाव और बॉयलर के निर्माण, परीक्षण, निरीक्षण और संचालन की तकनीक में बदलाव की आवश्यकता थी।

12.2.2 भारतीय बॉयलर (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 49) ने सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए, निरीक्षण के मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने, निरीक्षण में तेजी लाने और स्वतंत्र निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन की अनुमति देकर, उनके निर्माण, संस्थापन और उपयोग के दौरान बॉयलरों के निरीक्षण के विकेंद्रीकरण द्वारा देरी को कम करने के लिए कानून के प्रावधानों में सुधार की शुरुआत की।

12.2.3 तीसरे पक्ष के लिए निरीक्षण के नियम और कानून लागू हैं; और तीसरे पक्ष निरीक्षण प्राधिकारियों और सक्षम व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण देश में लागू है। केंद्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा ग्यारह तीसरे पक्ष के निरीक्षण प्राधिकारियों को देश में बायलर के मुख्य निरीक्षक / निदेशक के अलावा, निर्माण और उपयोग के दौरान बॉयलर और बॉयलर घटकों के निरीक्षण के लिए सक्षम व्यक्तियों का नियोजन कर कार्य करने को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा, बॉयलरों के प्रचालन काल के दौरान निरीक्षण के लिए 26 सक्षम व्यक्तियों को बॉयलर्स अधिनियम की धारा –8 के तहत व्यक्तिगत क्षमता में काम करने के प्राधिकृत किया गया है । इसके परिणामस्वरूप बॉयलर्स अधिनियम के प्रशासन हेतु एक सरलीकृत और अधिक सुलभ, उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार किया गया है और बॉयलरों की सुरक्षा को छोड़े बिना भी निर्माताओं / उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा की है।

12.2.4 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के लिए, बॉयलरों के स्व–प्रमाणन और तीसरे पक्ष के निरीक्षण की अवधारणा को राज्य सरकारों के साथ प्रारम्भ किया गया था। इस पहल से बड़े और छोटे दोनों क्षेत्रों में उद्योगों के व्यापक स्पेक्ट्रम को फायदा हुआ है जिसमें बिजली संयत्र, रसायन संयत्र, रिफाइनरी, कागज संयत्र, स्टील संयत्र, चीनी मिल और अन्य प्रोसेस उद्योग शामिल हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने उपयोग के दौरान बॉयलरों के स्व–प्रमाणन / तीसरे पक्ष के निरीक्षण को लागू किया है। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने बॉयलरों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदनों के जमा करने और उनके निपटान का प्रावधान किया गया है। बॉयलर्स एक्ट 1923 और भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ 14 जून, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

12.2.5 मान्यता प्राप्त निरीक्षण प्राधिकरण के साथ केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड रोजगार छीने बिना सक्षम व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से बॉयलरों के तीसरे पक्ष के निरीक्षण करने की अनुमति देकर प्रक्रिया को सरल बनाकर नियमों में संशोधन किया गया है। बॉयलर्स अधिनियम /आईबीआर के तहत सभी अनुमोदन / मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए विनियमों में प्रावधान किया गया है, जिसके बाद स्वीकृतियों को मंजूर माना जाएगा।

12.2.6 आईबीआर, 1950 के तहत बॉयलरों और बॉयलरों के घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए "सक्षम व्यक्तियों (सीपी)" की मान्यता के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। अब तक वर्ष 2011, 2012, 2015, 2017 और 2018 में आयोजित पाँच परीक्षाओं के आधार पर 172 सक्षम व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। सीपी की मान्यता के लिए छठी परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी, 2020 को किया जा रहा है।

12.3 केंद्रीय बॉयलर बोर्ड

12.3.1 बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 27 क के तहत गठित केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड, अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें सामग्री, डिजाइन, निर्माण के साथ–साथ बॉयलर के पंजीकरण और निरीक्षण के लिए मानक शामिल हैं। केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय मानक ब्यूरो, बॉयलर और बॉयलर घटक विनिर्माता, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एजेंसियों, बॉयलर के उपयोगकर्ताओं और बॉयलर उद्योग से जुड़े अन्य हितधारक एवं प्रतिनिधि शामिल हैं।

12.3.2 सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग पदेन अध्यक्ष और तकनीकी सलाहकार (बॉयलर) बोर्ड के पदेन सदस्य–सचिव हैं।

12.3.3 बोर्ड उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं दोनों की समस्याओं को देखता है और देश में बॉयलर विनिर्माण उद्योग के उचित विकास के लिए नीतिगत फैसले लेता है। बोर्ड देश भर में बॉयलर उद्योग में होने वाले नवीनतम विकास को शामिल करते हुए भारतीय बॉयलर विनियम तैयार करता है। बोर्ड की जिम्मेदारियां बॉयलरों और बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण अधिकारियों और सक्षम व्यक्तियों की शुरूआत के साथ बढ़ गई हैं।

12.3.4 बोर्ड की मूल्यांकन समिति / समीक्षा समिति ने भारतीय बॉयलरों विनियम 1950 के तहत तेईस (23) मामलों में रिपोर्ट की अवधि के दौरान निरीक्षण प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, प्रसिद्ध स्टील उत्पादक, ट्यूब / पाइप उत्पादक, प्रसिद्ध फाउंड्री / फोर्ज, सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला और अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन संगठनों को मान्यता / नवीनीकरण प्रदान किया है। निर्माण, प्रतिस्थापन और उपयोग के दौरान भारत में बॉयलर और बॉयलर घटक के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए 51 सक्षम व्यक्तियों को प्राधिकरण कार्ड भी जारी किए गए हैं।

12.3.5 ऊर्जा संरक्षण के लिए उपायों को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से बॉयलरों के स्वामियों को अपने कार्यशील बॉयलरों की दक्षता को ईष्टतम बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए दक्ष बॉयलर संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित एक दिवसीय/दो दिवसीय कार्याशालाएं निरंतर आयोजित की जा रही हैं।

13
अध्याय

संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय और अन्य संगठन

13.1 आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

13.1.1 आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (ओईए) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है। वर्ष 1937 में स्थापित यह कार्यालय भारत सरकार के सबसे पुराने कार्यालयों में से एक है। यह स्वतंत्रता–पूर्व के समय से थोक मूल्य सूचकांक का एकमात्र संरक्षक रहा है।

13.1.2 इस कार्यालय के कार्यों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) तथा प्रायोगिक व्यवसाय सेवा सूचकांक (बीएसपीआई) का संकलन और उसे जारी करने का कार्य शामिल है। यह आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का कार्य भी करता है। एक संबद्ध कार्यालय के रूप में, यह देश के औद्योगिक विकास हेतु नीतियां बनाने के संबंध में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को सलाह प्रदान करता है। यह उद्योग नीतियों और उसके संवर्धन से संबंधित व्यापार, वित्तीय, निवेश, प्रतिस्पर्द्धा एवं श्रम से संबंधित मुद्दों के विश्लेषण में विभाग को सहायता प्रदान करता है। यह विभाग के बाहर एवं अन्दर किए जाने वाले प्रयासों में समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है।

13.1.3 विशिष्ट कार्य और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं

13.1.3.1 सांख्यिकी संबंधी कार्य

i. थोक मूल्य सूचकांक को समेकित करना और उसे जारी करना।

ii. आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक को समेकित करना और उसे जारी करना ।

iii. प्रायोगिक व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक का विकास।

iv. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 47.5 प्रतिशत आंकड़ों का समेकन।

v. औद्योगिक उत्पादन तथा वृद्धि और मैक्रो वैरिएबल संबंधी रुझानों का विश्लेषण ।

13.1.3.2 नीति संबंधी कार्यकलाप

i. देश में औद्योगिक नीति और उद्योगों के संवर्धन हेतु आर्थिक सुझाव।

ii. नई औद्योगिक नीति का मसौदा तैयार करना

iii. डीपीआईआईटी की नई और मौजूदा पहलों के लिए अनुसंधान सहायता।

iv. उद्योग से संबंधित वित्तीय मुद्दों में परिवर्तन के संबंध में प्रस्तावों की जांच करना और सलाह देना (क) इनवर्टेड ड्यूटी (एमएफएन और एफटीए दोनों) के मामलों सहित माल और सेवा कर (जीएसटी), ड्यूटी ड्राबैक आदि की प्रशुल्क संरचना में परिवर्तन (ख) कर नीति, प्रक्रियाओं तथा वित्तीय प्रोत्साहन में परिवर्तन।

v. द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) से संबंधित मुद्दे।

vi. उद्योग से संबंधित व्यापारिक मुद्दों में परिवर्तन के संबंध में प्रस्तावों की जांच करना और सलाह देना। (क) विदेश व्यापार नीति में परिवर्तन; (ख) सुरक्षा उपाय तथा एंटी डंपिंग शुल्क से संबंधित मामले;(ग) बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापार समझौतों से संबंधित मामले।

13.1.3.3 समन्वय संबंधी कार्य

i. नीतिगत नोट्स पर कार्यवाही–कैबिनेट नोट, सीओएस नोट्स, ईएफसी नोट्स आर्थिक निहितार्थ वाले विषयों पर संदर्भित होते हैं।

ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नीति आयोग और वाणिज्य विभाग द्वारा संदर्भित मामले।

iii. व्यापार बोर्ड (बीओटी) की बैठकों, व्यापार विकास तथा संवर्धन परिषद की बैठकों, डब्ल्यूटीओ की व्यापार नीति की समीक्षा, गैर–प्रशुल्क बाधाओं पर अंतरमंत्रालयी समिति, एक्जिम बैंक के बोर्ड में डीपीआईआईटी की प्रमुख भूमिका का निर्वहन करना।

iv. मासिक रिपोर्ट, मासिक डीओ तैयार करना,

v. ई–समीक्षा, प्रगति, आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दे।

vi. अन्य विभागों के साथ साझा की जाने वाली सामग्री जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, बजट भाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण।

13.1.4 थोक मूल्य सूचकांक

13.1.4.1 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) कारोबार के प्रारंभिक स्तर पर थोक बिक्री वाली वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति का प्रमुख मापक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसका उपयोग उन क्षेत्रों के लिए लेखों की अवस्फीति के लिए किया जाता है जहां उत्पादन की गणना मूल्य स्तर पर उपलब्ध होती है। इसका उपयोग विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा कच्चे माल, मशीनरी तथा निर्माण कार्य की आपूर्ति के लिए करार करने के दौरान होने वाली मूल्य वृद्धि संबंधी मामलों के निपटान के लिए किया जाता है।

13.1.4.2 डब्ल्यूपीआई की इंडेक्स बास्केट में प्राथमिक वस्तु, ईंधन और विद्युत तथा विनिर्मित उत्पाद नामक तीन प्रमुख समूहों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसमें शामिल किए जाने वाले मूल्यों में विनिर्मित उत्पादों का एक्स–फैक्टरी मूल्य, कृषि संबंधी वस्तुओं के लिए कृषि–उपज (मंडी) और खनिजों के लिए खान के स्तर पर उसके मूल्यों को लिया जाता है। डब्ल्यूपीआई में शामिल प्रत्येक वस्तुओं को दिए जाने वाले वेटेज का आधार निवल आयातों के लिए समायोजित उत्पादन के मूल्य पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई बास्केट में सेवा को शामिल नहीं किया जाता है।

13.1.4.3 अर्थव्यवस्था में समय के साथ होने वाले आधारभूत परिवर्तनों को देखते हुए उत्पादों और उसकी विशिष्टिता में तेजी से और परिवर्तन आ रहें हैं। फिक्स्ड बास्केट दृष्टिकोण के तहत आधार वर्ष को नियमित अंतराल पर परिवर्तित किया जाता है। इसी के साथ–साथ सूचकांक श्रृंखला को प्रतिनिधित्व के रूप में बनाए रखने के लिए इंडेक्स बास्केट वेट तथा सोर्स एजेंसियों को भी अद्यतन किया जाता है। अब तक, नए आधार की शुरूआत करके 1952–53, वर्ष अर्थात 1961–62, 1970–71, 1981–82, 1993–94 और 2004–05 में छः संशोधन किए गए हैं। इसके नियमित शुरूआत से मौजूदा संशोधन सातवां है।

13.1.4.4 नए डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में संकल्पना, कवरेज तथा पद्धति में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। संशोधित डब्ल्यूपीआई बास्केट में, वस्तुओं की संख्या 676 से बढ़कर 697 हो गई है। 5482 से कोटेशन की संख्या बढ़ाकर 8331 करने का प्रयास किया गया है। व्यापक कवरेज तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख समूहों में कोटेशन की संख्या में वृद्धि की गई है। वित्तीय नीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रमुख समूह में कोटेशन की संख्या बढ़ाई गई है। इससे नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला उत्पादक मूल्य के सूचकांक के निकट आ गई तथा वैश्विक प्रथाओं के अनुकूल भी हो गई है। वस्तु स्तर के संकेतक को डब्ल्यूपीआई 2004–05 श्रृंखला में प्रयुक्त अर्थमेटिक औसत के स्थान पर सांख्यिकीय रूप से सशक्त ज्योमैट्रिक औसत के आधार पर समेकत किया जा रहा है।

13.1.4.5 इसके अलावा, डब्ल्यूपीआई की निरंतर, गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार के लिए उचित पद्ध तिगत हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए पहली बार एक तकनीकी समीक्षा समिति का गठन किया गया है। नई श्रृंखला अलग से डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक' भी प्रस्तुत करती है, जो एनएसओ द्वारा प्रकाशित सीपीआई खाद्य मूल्य सूचकांक के साथ खाद्य मुद्रास्फीति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में मदद करती है।

13.1.4.6 समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के कारण, विभिन्न समूहों / उप समूहों और वस्तुओं की भारिता में भी परिवर्तन किए गए हैं जो उनके संबंधित महत्व को दर्शाते हैं। डब्ल्यूपीआई बास्केट में संशोधित भार आधार वर्ष अर्थात 2011–12 में अर्थव्यवस्था की संरचना को दर्शाता है। संशोधित डब्ल्यूपीआई बास्केट में प्राथमिक वस्तु समूह का भार 20.1 प्रतिशत से बढ़कर 22.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि ईंधन और बिजली समूह का भार 14.9 प्रतिशत से घटकर 13.2 प्रतिशत हो गया है। विनिर्मित उत्पादों के वजन में 64.9 प्रतिशत से 64.2 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है।

13.1.4.7 थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला के संशोधन के लिए कार्य समूह का गठनः आधार वर्ष के रूप में 2011–12 के साथ थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वर्तमान श्रृंखला मई 2017 में पेश की गई थी। वर्ष 2011–12 से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक की सूचकांक संख्या की मौजूदा श्रृंखला से संबंधित वस्तुओं, भारित आरेख और संबंधित मुद्दों की कवरेज की जांच करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, भारत सरकार ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता में थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) की वर्तमान श्रृंखला के संशोधन के लिए कार्यकारी समूह का गठन किया है।

13.1.4.8 तालिका 13.1 वर्ष 2004–05 और 2011–12 की श्रृंखला के बीच उत्पादों की संख्या और कोटेशन की संख्या और भार की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है। सारणी 13.2 चालू वित्त वर्ष 2019–20 (यानी अप्रैल –19 से दिसंबर 2020) के लिए सभी जिंसों और प्रमुख समूहों के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12 = 100) को दर्शाती है।

तालिका 13.1: पुरानी डब्ल्यूपीआई (2004–05) और नई डब्ल्यूपीआई (2011–12) श्रृंखला भार, संख्या और वस्तुओं तथा कोटेशन की संख्या की तुलनात्मक स्थिति

प्रमुख समूह/ समूह	भारिता		मदों की संख्या		कोटेशन की संख्या	
	2011-12	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12	2004-05
सभी वस्तुएं	100	100	697	676	8331	5482
प्राथमिक वस्तुएं	22.6	20.1	117	102	983	579
ईंधन और बिजली	13.2	14.9	16	19	442	72
विनिर्मित उत्पाद	64.2	65	564	555	6906	4831

भार को एक दशमलव स्थान तक प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 13.2: सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011 = 100)

(अप्रैल–2019 से दिसंबर 2019 तक)										
प्रमुख समूह	भार	अप्रैल–19	मई –19	जून–19	जुलाई–19	अगस्त–19	सितम्बर–19	अक्टूबर–19	नवम्बर 19*	दिसम्बर 19*
सभी वस्तुएं	100	121.1	121.6	121.5	121.3	121.5	121.3	122	122.3	122.8
प्राथमिक वस्तुएं	22.62	139.3	140.3	141.0	142.8	144.0	143.0	145.5	147.3	148.8
ईंधन और बिजली	13.15	102.8	104.4	102.2	100.6	101.2	100.6	102.3	101.3	101.3
विनिर्मित उत्पाद	64.23	118.5	118.6	118.5	118.0	117.8	117.9	117.8	117.8	118.0

* *नवम्बर–19 एवं दिसंबर–19 के आंकड़े अनंतिम हैं*

13.1.5 व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक का विकास

13.1.5.1 90 के दशक से भारत के जीडीपी में हुई वृद्धि में सेवा क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र से वर्ष 2014–15 में 9.8% और बुनियादी कीमतों पर 2018–19 (पीई) में 7.5% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 के दौरान लगातार कीमतों पर यह जीवीए का 51.8% रहा और इसके अलावा, जीवीए में इसका हिस्सा 2018–19 (पीई) में 54.3% हो गया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) केवल वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है ना कि सेवाओं में परिवर्तन को दर्शाता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कुछ सेवाओं को शामिल करता है, लेकिन यह व्यवसाय से उपभोक्ता लेनदेन है, व्यवसाय से व्यवसाय स्तर पर नहीं है।

13.1.5.2 सेवा क्षेत्र में स्पष्ट मूल्य परिवर्तनों का अनुमान लगाने के लिए, प्रो. सी.पी. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में सेवा मूल्य सूचकांक के विकास संबंधी एक विशेषज्ञ समिति अप्रैल, 2007 में व्यवसाय सेवा–मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) संबंधी अवधारणा और पद्धति संबंधी मुद्दों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) परिवहन, वित्त, संचार आदि जैसी चुनिंदा सेवाओं के मूल्यों में औसत बदलाव को मापता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से संरचनात्मक परिवर्तन और सेवा क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति का एक अधिक सटीक उपाय है। सूचकांक सेवा क्षेत्र के लिए एनएएस में अपस्फीति कारक के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण सांख्यिकीय भूमिका निभाएगा।

13.1.5.3 वर्तमान में, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (ओईए) ने प्रयोगात्मक व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक के विकास के प्रारंभिक चरण में ग्यारह क्षेत्रों की पहचान की गई थी। इन ग्यारह क्षेत्रों को मोटे तौर पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

परिवहन क्षेत्र	रेल परिवहन, हवाई यातायात, बंदरगाह सेवाएँ और सड़क परिवहन
वित्तीय क्षेत्र	बीमा, बैंकिंग क्षेत्र और प्रतिभूति लेनदेन
संचार क्षेत्र	दूरसंचार और डाक तथा कूरियर सेवा
अन्य	व्यापार और व्यवसाय सेवाएँ (आईटी)

13.1.5.4 इन ग्यारह सेवाओं में से, छह क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक सेवा मूल्य सूचकांक (एसपीआई), अर्थात, वायु, रेलवे, बंदरगाह, बैंकिंग, दूरसंचार (सेलुलर) और डाक को आर्थिक सलाहकार के कार्यालय (ओईए) की आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन और अपलोड किया गया है।शेष सेवाओं के लिए प्रायोगिक एसपीआई प्रगति पर हैं।सभी प्रायोगिक सेवाओं के मूल्य सूचकांकों में फिक्स्ड बेस लासपेयर्स की पद्धति का उपयोग किया गया है।

13.1.6 व्यापार, वित्तीय तथा निवेश नीति संबंधी कार्य

13.1.6.1 आर्थिक सलाहकार का कार्यालय वित्तीय नीतियों तथा व्यापारिक मामलों सहित उद्योग जगत की चिंताओं की जांच करता है और इसे समझने के लिए समय–समय पर औद्योगिकी परामर्श करता है। ये उद्योग परामर्श केंद्रीय बजट के लिए जब और जो भी आवश्यक हो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर माल एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क सहित अप्रत्यक्ष कर ड्यूटी तथा प्रकियाओं के परिवर्तन संबंधी विशिष्ट सुझावों के लिए भी किए जाते हैं।

13.1.6.2 घरेलू विनिर्माण को समान अवसर प्रदान करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या प्रीफ़रेन्शियल ट्रेड अग्रीमेंट के तहत इनवर्टेड शुल्क संरचना सहित सभी प्रशुल्क संबंधी मुद्दों को भी टीएफपी अनुभाग द्वारा किया जा रहा है।

13.1.6.3 नई औद्योगिक नीति को और अधिक विशिष्ट और कार्रवाई योग्य बनाने के लिए, अक्टूबर, 2019 में केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और उद्योग संघों के प्रतिनिधित्व में एक कार्य दल का गठन किया गया। कार्य समूह की पहली बैठक 24 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई। समूह की पहली बैठक में प्राप्त सुझावों / विचारों पर टिप्पणियों संकलित की जा रहीं है और मसौदा औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने के लिए समूह की अगली बैठक में रखा जाएगा।

13.2 प्रशुल्क आयोग

13.2.1 मौजूदा प्रशुल्क आयोग का गठन 1997 में एक सरकारी संकल्प के माध्यम से किया गया था, जो देश के बड़े आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न उत्पादों और विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशुल्क के उचित स्तर की जाँच करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव स्तर के एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव द्वारा की जाती है। प्रशुल्क आयोग अपनी बहु–विषयक संरचना और आधारभूत अध्ययन पद्धति के साथ, भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों को उनके द्वारा प्रशुल्क आयोग को संदर्भित अध्ययनों में सूचित निर्णय के लिए विनिर्माण के संबंध में अध्ययन आधारित इन्पुट्स प्रदान कर रहा है।

13.2.2 सरकार के दिनांक 08 सितंबर 1998 के संकल्प के अनुसार प्रशुल्क आयोग के संशोधित अधिदेश इस प्रकार है :

i. उत्पादन, व्यापार और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संदर्भित वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार संबंधी प्रशुल्क और सभी प्रशुल्क संबंधी मुद्दों के निर्धारण के बारे में एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में सिफारिशें करने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग को एक समग्र प्रशुल्क संरचना विकसित करने का लक्ष्य रखना चाहिए और प्रशुल्क युक्तिकरण के मुद्दे को देखना चाहिए।

ii. डब्ल्यूटीओ ढांचे के हिस्से के रूप में व्यापारिक साझेदारों से प्राप्त महत्वपूर्ण बाजार पहुंच प्रस्तावों का अध्ययन करना और इन प्रस्तावों से पैदा हुए अवसरों और चुनौतियों पर सरकार को सलाह देना।

iii. एक बहु–विषयक टीम के माध्यम से कपड़ा, कृषि और ऑटोमोबाइल सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, इस्पात और इंजीनियरिंग सामान जैसे चुनिंदा क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव विश्लेषण करना।

iv. सुधार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह आयोग सरकार द्वारा समय–समय पर इसके लिए संदर्भित प्रशुल्क के अलावा चरणबद्ध सिफारिश करने के लिए चुनिंदा उद्योगों के लिए आवश्यक लेन–देन अवधि की जांच कर सकता है।

v. अन्य देशों के संबंध में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत और उनकी प्रतिस्पर्धा पर तकनीकी अध्ययन करना।

vi. प्रतिस्पर्धी और व्यापार–भागीदार देशों में प्रशुल्क परिवर्तनों की निगरानी करना और पर्याप्त विस्तृत प्रशुल्क दरों की एक सूची बनाए रखना।

vii. बीआईसीपी का मुख्य कार्यों में मूल्य निर्धारण, दक्षता, सुधार और लागत में कमी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मामले, औद्योगिक उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं :

 क) प्रशासनिक मूल्य तंत्र (एपीएम) के अंतर्गत वस्तुएं

 ख) राज्य की एकाधिकार / सार्वजनिक उपयोगिता

 ग) सरकारी अधिप्राप्ति

 घ) मूल्य की निगरानी

 ड़) अन्य

viii. ऐसे माल और उत्पादों पर लागू प्रशुल्क के साथ सामान और उत्पाद के वर्गीकरण पर सरकार द्वारा इसे संदर्भित मुद्दों पर सलाह प्रदान करना

ix. सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य शुरू करना।

13.2.3 प्रशुल्क आयोग निर्णय लेने के लिए क्षेत्र से एकत्रित वास्तविकता पर आधारित आंकडों का प्रयोग करके गहन अध्ययन के आधार पर मंत्रालयों/विभागों को अनुसंधान आधारित इन्पुट्स उपलब्ध कराने वाला एक संगठन है। इस अध्ययन दल में निम्नलिखित शामिल हैं: –

i. प्रशुल्क आयोग संवर्ग से जुड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के इंजीनियर्स

ii. भारतीय लागत और लेखा सेवा (आईसीओएएस) के कॉस्ट अकाउंटेंट/चार्टेड अकाउंटेंट

iii. भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अर्थशास्त्री;तथा

iv. भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) से सांख्यिकीविद् ।

13.2.4 प्रशुल्क आयोग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के मानकीकरण के इस्तेमाल की जानकारी और विशेषज्ञता वाला एकमात्र सरकारी संगठन है । मानकीकरण प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण प्रक्रियाओं आदि को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध इन्पुट्स (जैसे मानव, सामग्री, ऊर्जा और मशीन) के उत्पादकता मानदंड के मूल्यांकन पर आधारित है । इस क्षेत्र/इकाइयों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मानकीकरण विश्लेषण का इस्तेमाल किया जा सकता है । मानकीरण के माध्यय से निर्णय लिए जाने के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. किसी व्यक्ति और/अथवा समूह द्वारा निष्पक्ष मानना ।

ii. निविष्टयों (जन शक्ति, सामग्री, ऊर्जा और पूंजी) के इष्टतम/कुशल स्तर पर माल / सेवाओं की लागत का निर्धारण तथा दक्षता में सुधार पर उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर जोर देना ।

iii. यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए वास्तविक सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है

iv. सामान्यीकरण एक मौलिक प्रबंधन उपकरण है जो गुणवत्ता / उत्कृष्टता और नवाचार का समर्थन करता है । यह वास्तव में किसी के स्वयं के प्रदर्शन को मापने की एक निरंतर प्रक्रिया है और सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों के खिलाफ अभ्यास करता है । इस प्रकार यह प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन का एक प्रमुख साधन है ।

v. मानकीकरण उपभोक्ता हित का संरक्षण करते हुए सभी हितधारकों के हितों में संतुलन स्थापित करता है ।

vi. यह एक ऐसा माध्यम है जो औद्योगिक दक्षता में सुधार के लिए रोड मैप प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है ।

vii. वक्त के साथ–साथ यह माध्यम समय की कसौटी में सफल रहा है तथा यह उभरते हुए वैश्विक बाजार परिदृश्य और अत्याधुनिक प्रतिस्पर्धा में आवश्यक हो गया है ।

13.2.5 प्रशुल्क आयोग सदैव चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समय सीमा में अध्ययन रिपोर्ट देने का प्रयास करता है ताकि परिणाम समयपरक हो और नीतिगत निर्णय लेते समय प्रासंगिक हो और समय के साथ अनावश्यक न हो जाए । इस अध्ययन को समयपरक करते हुए इनका राज्य मूलक तथा क्षेत्र / इकाई / उत्पाद मूलक बनाकर सुनिश्चित किया जाता है । सतत प्रकृति के ऐसे अध्ययन जिनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है उन्हें निम्न रुप में सूचीबद्ध किया गया हैं:

i. इन्वर्टेड शुल्क संरचना पर अध्ययन जो शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने में बजट पूर्व अभ्यास के लिए उपयोग किए जाते हैं और जो सरकार के "मेक इन इंडिया" पहल में सहायक होते हैं ।

ii. विभिन्न देशों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर मुक्त व्यापार करारों के प्रभाव मूल्यांकन ।

iii. विभिन्न क्षेत्रों/उद्योग, फर्म / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता (व्यापार प्रतिस्पर्धा सहित) का अध्ययन ।

iv. घरेलू निर्माताओं और उद्योग प्रतिस्पर्धा पर प्रचलित प्रशुल्क ढांचों का प्रभाव ।

13.2.6 वर्ष 2019–20 के दौरान, 31.12.2019 तक प्रस्तुत की गई अध्ययन रिपोर्ट का क्षेत्रवार विवरण, तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्र /अध्ययन का प्रकार	रिपोर्ट की सं
1	**विनिर्माण क्षेत्रः** क) इन्वेर्टेड शुल्क संरचना /विश्व व्यापार संगठन / बाजार पहुंच पेशकश / मुक्त व्यापार करार /प्रशुल्क से संबंधित अध्ययन ख) मूल्य संबंधी अध्ययन	12 1
2	**सामाजिक क्षेत्र** ग) मूल्य अध्ययन	-
	कुल योग	**13**

13.2.7 2019–20 के दौरान दिनांक 31.12.2019 तक प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट की विस्तृत सूची **परिशिष्ट–X** में दी गई है

13.3 नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर

13.3.1 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की मद संख्या 58 के तहत नमक केंद्र का विषय है। नमक आयुक्त कार्यालय (एससीओ) इस विभाग का संबद्ध कार्यालय है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका अध्यक्ष नमक आयुक्त होता है। सभी नमक उत्पादक राज्यों में फील्ड कार्यालयों के अलावा चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एससीओ मुख्य रूप से नमक उप कर अधिनियम, 1953 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को प्रशासित करने के लिए उत्तदायी हैं परंतु नमक उपकर अधिनियम 1953 को वित्तीय बिल 2015–16 में निरस्त कर दिया गया है। नमक आयुक्त का कार्यालय नमक उत्पादन की योजना बनाने और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने, समान वितरण की व्यवस्था करने और नमक की गुणवत्ता और कीमत की निगरानी, विभागीय नमक भूमि, अभिरक्षा एवं निरीक्षण, निर्यात को बढ़ावा देने, लदानपूर्व जांच करने, लदान शुल्क, जमीन का किराया, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नमक कामगारों के कल्याण, पुनर्वास करने आदि के लिए भी उत्तरदायी है।

13.3.2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृति नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। नमक आयुक्त कार्यालय को उत्पादन स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन एवं गुणवत्ता की निगरानी तथा उपभोक्ता केन्द्रों पर इसके संवितरण से संबंधित घटकों के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। नमक आयुक्त कार्यालय गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात जांच अधिनियम, 1963 के तहत नमक निर्यात हेतु निर्यात–योग्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच एजेंसी है।

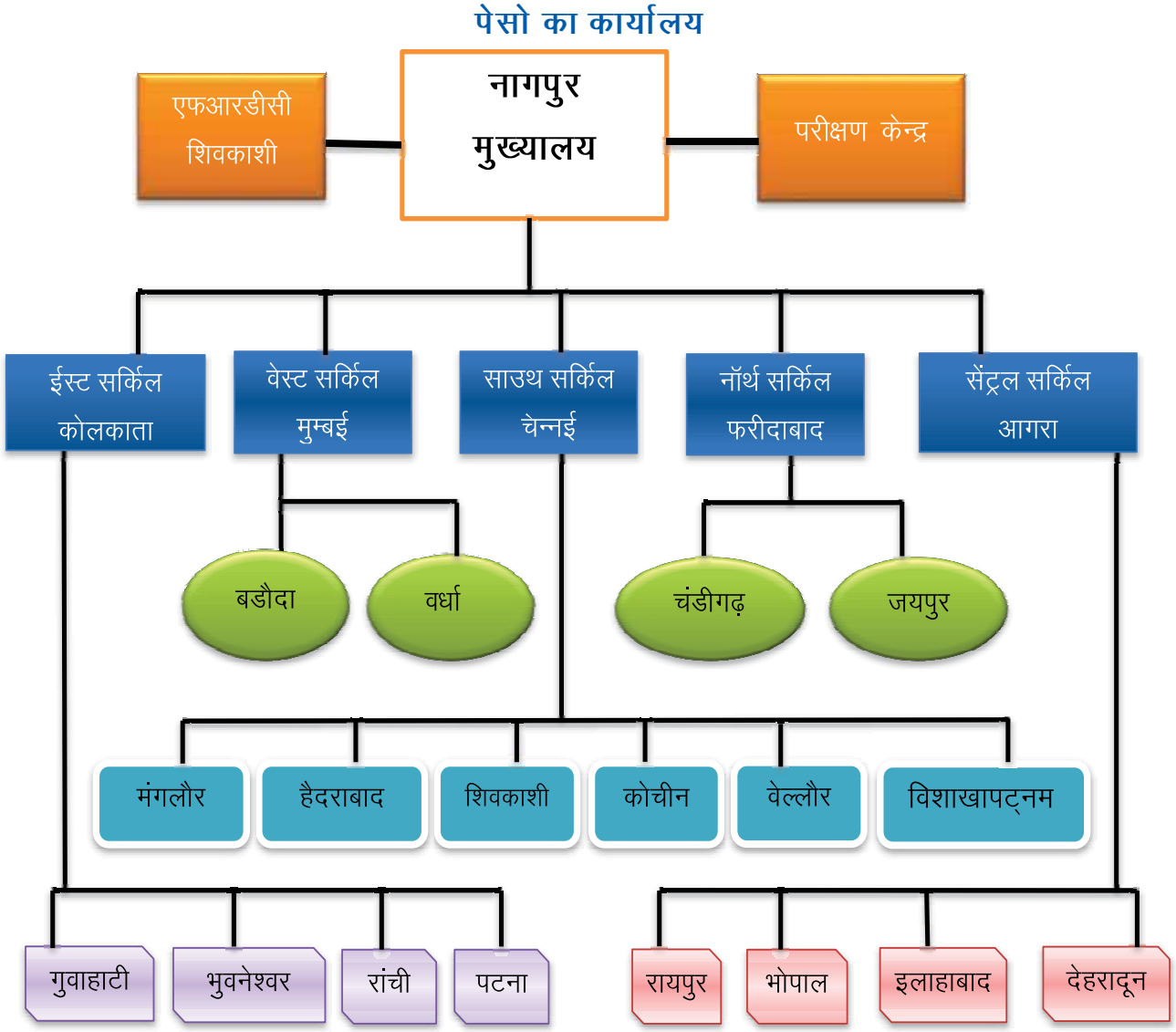
13.4 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर

13.4.1 परिचय

13.4.1.1 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष मुख्य विस्फोटक नियंत्रक होते है, जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। यह विस्फोटकों और पेट्रोलियम के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और प्रयोग के संबंध में सुरक्षा आवश्यकताओं की देखरेख करने के लिए नोडल संगठन है। देश में इसके पांच मण्डल कार्यालय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, फरीदाबाद और आगरा में स्थित हैं और 18 उप–मण्डल कार्यालय हैं।

13.4.1.2 इसकी पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा जांच केंद्र अकादमी (एनएपीईएस–टीएस) नागपुर के गोंडखैरी में स्थित है। इसमें विस्फोटकों, सड़क टैंकरों की सुरक्षा फिटिंग की सांविधिक जांच के साथ–साथ पेसो के अधिकारियों तथा स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षण, कौशल विकास संबंधी कार्य किए जाते हैं। अग्नि तथा विस्फोटक से जान और माल की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यायवरण अनुकूल पटाखे आदि के परीक्षण तथा

विकास के लिए लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा शिवकाशी तमिलनाडु पटाखा अनुसंधान और विकास केंद्र (एफआरडीसी) की स्थापना की गई है। पेसो का संगठन चार्ट इस प्रकार है:



13.4.1.3 इस संगठन के पास संवैधानिक प्राधिकार है तथा इसे विस्फोटक अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जिम्मेदारी सौंपी गई है।

13.4.1.4 पेसो को ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए विनिर्माण, भंडारण, आयात संबंधी घातक रासायनिक नियमावाली, 1989 के प्रावधानों को प्रशासित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। पेसो द्वारा प्रशासित नियम निम्नानुसार हैं:

विस्फोटक अधिनियम 1884

- विस्फोटक नियमावली 2008
- अमोनिया नाइट्रट नियमावली, 2012
- गैस सिलेंडर नियमावली, 2016
- दी स्टेटिक एण्ड मोबाइल प्रेशर वैसेल्स (अनफायर्ड) रूल्स, 2016

पेट्रोलियम अधिनियम 1934

- पेट्रोलियम नियमावली 2002
- कैल्शियम कार्बाइड नियमावली, 1987
- दी सिनेमेटोग्राफी रूल्स, 1948 (अंडर रिपील)

13.4.2 पेसो के प्रमुख कार्य तथा क्रियाकलाप :

i. पेट्रोलियम रिफाइनरियों, पेट्रोलियम भंडारण डिपो, भंडारण शेड, संपीड़ित गैस भंडारण परिसर, कैल्शियम कार्बाइड भंडारण परिसर, एसिटिलीन उत्पादन संयंत्रों, विस्फोटक निर्माण इकाइयों, विस्फोटक भंडारण मैग्जीन, अमोनियम नाइट्रेट भंडारण परिसर, स्टीवर्ड के लिए निर्माण योजनाएं अमोनियम नाइट्रेट, आतिशबाजी निर्माण इकाइयाँ और आतिशबाज़ी भंडारण मैग्जीन के निर्माण के अनुमोदन के लिए साइट लेआउट की जांच करना और अनुमोदन प्रदान करना।

ii. पेट्रोलियम खुदरा दुकानों, सीएनजी वितरण स्टेशनों, ऑटो एलपीजी वितरण स्टेशनों, आतिशबाजी की दुकानों, गैस सिलेंडर भरने और भंडारण परिसर की जांच और अनुमोदन प्रदान करना।

iii. पेट्रोलियम रोड टैंकरों, संपीड़ित गैस दबाव वैसल्स, स्थिर दबाव वैसल्स, अमोनियम नाइट्रेट परिवहन वाहनों, बल्क मिक्स डिलीवरी पोत और विस्फोटक परिवहन वैन के डिजाइनों को मंजूरी देना।

iv. पेट्रोलियम, संपीड़ित गैसों के लाने ले जाने के लिए सीमा पार पाइपलाइनों को मंजूरी देने के लिए, एमएसआईएचसी नियमों के तहत परिसर, पेट्रोलियम और संपीड़ित गैसों को उतारने / लोड करने के लिए पोर्ट और जेटी को अनुमोदन प्रदान करना।

v. गैस सिलेंडर निर्माण इकाइयों को मंजूरी लेने के लिए, सिलेंडर, सुरक्षा फिटिंग, वाल्व, नियामक, पूर्व–विद्युत उपकरण, विस्फोटक, गैस सिलेंडर, दबाव वैसल्स के आयात / निर्यात, सुरक्षा फिटिंग, संकुचित गैसों और पेट्रोलियम के लिए दबाव वैसल्स के निर्माण के लिए कार्यशालाओं और रोड टैंकरों को मंजूरी प्रदान करना।

vi. एसएमपीवी (यू) नियम, 2016 और पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत सक्षम व्यक्तियों विस्फोटक नियम 2008 के तहत फायर और फोरमैन को मान्यता प्रदान करना।

vii. नए विस्फोटकों को अधिकृत करने के लिए, नष्ट और लावारिस / अप्राप्य / जब्त विस्फोटकों को नष्ट करना और विस्फोटकों और अमोनियम नाइट्रेट के विवरणियों की जांच करना।

viii. तप्त कर्मण, जलयान टैंकों में आदमी के प्रवेश और ऐसे जहाजों के डॉक में प्रवेश करने की अनुमति के लिए गैस मुक्त प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समुद्र के जहाजों / जहाजों में पेट्रोलियम टैंकों की जांच करना ।

ix. पेसो द्वारा प्रशासित अधिनियमों और नियमों के दायरे में लाइसेंस प्राप्त परिसर की दुर्घटना संबंधी जांच करना।

x. केंद्र / राज्य सरकार / मंत्रालयों / विभाग / हितधारकों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे, रक्षा मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो को परामर्श / विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना और विभिन्न समितियों के लिए अध्यक्ष / सदस्यों के रूप में भाग लेना।

13.4.3 प्रमुख उपलब्धियां:

13.4.3.1 ई–गवर्नेंस:

13.4.3.1.1 पेसो ने हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध ई–सेवाएं और ई–भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दिनांक 11.11.2019 से प्रभावी भारत सरकार की डिजिटल भुगतान योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।

13.4.3.2 पहले आओ पहले जाओ (एफआईएफओ):

लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले आओ पहले जाओ ("फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) (एफआईएफओ)" के आधार पर रसीदों पर कार्यवाही की अनुमति देने के लिए पेसो में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाया गया है। किसी भी समय अधिकारी और कर्मचारी केवल शीर्ष 25 मामलों को देख सकते हैं और उन्हें मंजूरी देने के बाद अगले 25 मामले मंजूरी के लिए प्राप्त हो जाते हैं।

13.4.3.3 ई–निवेश: पेसो की लाइसेंसिंग प्रणाली को प्रधानमंत्री कार्यालय के परियोजना निगरानी समूह: ई–निवेश के साथ एकीकृत किया गया है। 21 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की समय–समय पर निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेसो को प्रस्तुत आवेदनों के निपटान में किसी प्रकार का विलंबन हो।

13.4.3.4 ऑनलाइन पर कार्यवाही आवेदन प्रक्रिया : पेसो ने निम्नलिखित नियमों के तहत मामलों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल और ई–आवेदन सुविधाएं विकसित की हैं: (i) पेट्रोलियम नियमावली, (ii) गैस सिलेंडर नियमावली, (iii) एसएमपीवी (यू) नियमावली, (iv) विस्फोटक नियमावली, (v) अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, (vi) कैल्शियम कार्बाइड नियमावली।

13.4.3.4.1 आवेदक पोर्टफोलियों जैसी सुविधाओं के साथ वास्तविक समय आधार पर आवेदन की स्थिति देख कसते हैं जहाँ लेन–देन और अनुमोदनों को आगे की प्रक्रिया तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए स्टोर किया जा सकता है।

13.4.4 एक्सप्लोसिव रिटर्न सिस्टम (ईआरएस) और अमोनियम नाइट्रेट रिटर्न सिस्टम (एएनआरएस):

13.4.4.1 पेसो ने विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट निर्माताओं, विक्रेताओं, उपयोगकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों, निर्यातकों और आयातकों के लिए ऑनलाइन एक्सप्लोसिव रिटर्न सिस्टम (ईआरएस) और अमोनियम नाइट्रेट रिटर्न सिस्टम (एएनआरएस) विकसित किया है, जो दैनिक आधार पर अपने ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के लिए तैयार करते हैं। विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट, परिवहन पास और अन्य रिटर्न की खरीद के लिए विस्फोटक नियम, 2008 और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के तहत आवश्यक रूप से ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए देश भर में लेन–देन की पूरी श्रृंखला के माध्यम से उत्तरदायी हैं। गृह मंत्रालय और डीपीआईआईटी के साथ–साथ अपने संबंधित जिलों में होने वाली विस्फोटक की आवाजाही, नष्ट करने और विस्फोटक लेनदेन की निगरानी के लिए सभी डीएम और एसपी को एक इंटरफेस प्रदान किया गया है।

13.4.4.2 ईआरएस और एएनआरएस ने न केवल विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट लेनदेन रिकॉर्ड को बनाए रखने और लाइसेंसधारियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों को रिटर्न जमा करने की बोझिल प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया है, बल्कि पेसो की इन–बिल्ट सुविधाओं में रिटर्न की ऑनलाइन जांच का भी प्रावधान है। हर लेन–देन करने वाले के लिए एसएमएस अलर्ट और संदेश देने की सुविधा भी है।

13.4.5 एक्सप्लोसिव ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम (सेट) संबंधी परियोजना:

13.4.5.1 जब्त किए गए/लावारिस विस्फोटक के अंतिम कानूनी स्रोत और आपूर्ति श्रृंखला के दौरान वास्तविक समय के आधार पर विनिर्माता से अंतिम उपयोगकर्ता तक न्यूनतम पैकेज और यूनिट स्तर पर हर विस्फोटक की प्रभावी ट्रैकिंग के लिए फुलप्रूफ सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से, प्रोजेक्ट एसईटीटी को विकसित किया गया है।

13.4.5.2 इस प्रणाली को 108 विस्फोटक विनिर्माण इकाइयाँ जिनमें 800 से अधिक ब्रांड के विस्फोटक हैं, 9000 से अधिक विस्फोटक उपयोगकर्ता और विक्रेता, निर्यातक और आयातक जैसे सभी हितधारकों को शामिल करते हुए विकसित किया गया है।

13.4.5.3 इस परियोजना को 2016–17 में 62.45 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है और इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा।चरण–I (बाहरी बॉक्स पर बार कोड) को 01.01.2019 को शुरू किया गया है। चरण–II और III को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

13.4.6 जिला प्राधिकारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली (एलएसडीए):

13.4.6.1 पेसो के साथ, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को विस्फोटकों, अमोनियम नाइट्रेट, ट्रैक्टर कंप्रेसर और अमोनियम नाइट्रेट के भंडारण के लिए और अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए वाहन लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है। ऐसे लाइसेंस के राष्ट्रीय डेटाबेस को वास्तविक समय के आधार पर बनाए रखने के लिए, लेनदेन की पूरी श्रृंखला को ट्रैक करने के लिए, ऐसे लाइसेंस और उनके कम्प्यूटरीकरण की निगरानी करने के लिए; पेसो द्वारा एक ऑनलाइन वेब सक्षम मॉड्यूल विकसित किया गया है।

13.4.7 नाइट्रोग्लिसरीन के विनिर्माण के लिए अधिसूचनाएं:

13.4.7.1 केंद्र सरकार ने 21.01.2004 को नाइट्रोग्लिसरीन के कब्जे, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। हालाँकि रक्षा विस्फोटकों के लिए डबल–बेस और ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट के निर्माण में "आत्मनिर्भरता" हासिल करने के लिए; दिनांक 13.02.2016 को निजी फर्मों को नाइट्रो ग्लिसरीन के उपयोग से छूट दी गई थी। इस तरह के विस्फोटक विशेष रूप से सशस्त्र बलों, आयुध कारखानों या अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

13.4.7.2 इसी तरह, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत लाइसेंस रखने वाली औषध इकाइयों को 06.05.2015 को 10% पतले नाइट्रोग्लिसरीन की बिक्री, कब्जे और उपयोग के लिए छूट दी गई है। यह छूट नाइट्रोग्लिसरीन के विनिर्माण के लिए भी लागू है, जिसमें अधिकतम बैच साइज किसी भी स्तर पर 1 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

13.4.8 स्वयं के उपयोग के लिए एएनएफओ की छूट:

13.4.8.1 अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल (एएनएफओ) विस्फोटक को औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत स्वयं के उपयोग के लिए और धात्विक खदानों / पट्टियों में ब्लास्ट करने के उद्देश्य से गृहित खपत के लिए औद्योगिक लाइसेंस से छूट दी गई थी। इससे खदान मालिकों, सीमेंट उद्योग और निर्माण क्षेत्र को फायदा हुआ है।

13.4.9 प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन सृजित करना:

13.4.9.1 पेसो ने सुरक्षा वाल्व जांच प्रमाण पत्र, हाइड्रो जांच प्रमाण पत्र, स्थिर/ मोबाइल दबाव वैसल्स के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र और दबाव वैसल्स के निर्माण के लिए चरणवार जांच करने के लिए 184 सक्षम व्यक्तियों/निरीक्षकों को मान्यता दी है। इसी प्रकार पेट्रोलियम संस्थापनों के लिए टैंक परीक्षण प्रमाण पत्र और सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के तहत 312 सक्षम व्यक्तियों को मान्यता दी गई है। ऐसे प्रमाण पत्र पेसो के मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन बनाए जाते हैं।

13.4.9.2 पेसो ने पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए फैब्रिकेशन सर्टिफिकेट जारी करने, कंप्रेस गैस रोड टैंकरों के लिए डिस्प्रेशन सर्टिफिकेट और सिलेंडर टेस्टिंग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मॉड्यूल भी विकसित किए हैं।

13.4.9.3 इस पहल ने काफी हद तक सक्षम व्यक्तियों के साथ–साथ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नकली प्रमाण पत्र बनाने को सुव्यवस्थित किया है।इस सुविधा ने प्रमाणन प्रक्रिया में जालसाजी के दायरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

13.4.10 विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट के लिए विवरणी प्रपत्र:

13.4.10.1 पेसो द्वारा विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट के लिए एक विवरणी प्रपत्र शुरू किया गया था ताकि इसके उपयोग से पहले या शॉट फायरर या ब्लास्टर द्वारा इसके उपयोग के दौरान विस्फोटकों / अमोनियम नाइट्रेट के दुरुपयोग से बचा जा सके। इस प्रपत्र में विस्फोटक / अमोनियम नाइट्रेट के उपयोगकर्ता व्यक्ति का नाम, ब्लास्ट का स्थान, विस्फोटकों की मात्रा / अमोनियम नाइट्रेट, परिवहन के लिए उपयोग किए गए वाहन की जानकारी दर्ज होती है। यह प्रपत्र प्रोजेक्ट एसईटीटी के विकास की एक प्रमुख कड़ी है।

13.4.11 नियमों में संशोधन:

13.4.11.1 तकनीकी विकास, हितधारकों की सुरक्षा परिदृश्य और मांगों को ध्यान में रखते हुए, पेसो द्वारा प्रशासित नियमों की समीक्षा करने के लिए एक व्यापक प्रयास किया गया था।

13.4.11.2 गैस सिलेंडर नियम –2016 को नए नियमों, एलएनजी को मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने और एलपीजी भंडारण शेड और सीएनजी वितरण स्टेशनों के लिए एनओसी की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

13.4.11.3 एलएनजी मोटर वाहन ईंधन के रूप में और ऑटो एलपीजी वितरण स्टेशनों के लिए एनओसी की छूट के लिए, नए नियमों को शामिल करने के एसएमपीवी (यू) नियमों को अधिसूचित किया गया था।

13.4.11.4 कैल्शियम कार्बाइड के आयात के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लाइसेंस और अधिसूचना जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार देने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 में संशोधन किया गया था।

13.4.11.5 विभिन्न रिटर्न फॉर्म को सरल करने और 1 टन/एम^2 से 1.5 टन/एम^2 तक अमोनियम नाइट्रेट शेड की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियमावाली, 1987 को संशोधित किया गया था।

13.4.11.6 रिटर्न फॉर्म के सरलीकरण, आतिशबाजी के लिए अतिरिक्त प्रावधान, प्रदर्शन आतिशबाजी की शुरूआत और अनापत्ति प्रमाणपत्र के खंड के सरलीकरण के लिए विस्फोटक नियमों में संशोधन किया गया।

13.4.11.7 पोर्टेबल सर्विस स्टेशनों की शुरुआत, अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप और ईंधन को घर घर तक पहुंचाने की शुरूआत करने के लिए पेट्रोलियम नियमों में संशोधन किया गया।

13.4.12 वैकल्पिक और हरित ईंधनः

i. गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीड़ित बायो गैस और एलएनजी का शुरूआत करना।

ii. माननीय प्रधान मंत्री के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए पेट्रोलियम श्रेणी ए के रूप में इथेनॉल की शुरुआत की गई है। इसी प्रकार उन संस्थापनों को सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ जारी की गईं, जिन्होंने इथेनॉल के सुरक्षित संचालन के लिए पेट्रोलियम नियमों का पालन नहीं किया।

iii. नीति आयोग के निर्देशों के अनुरूप रिटेल आउटलेट्स पर स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन / बैटरी स्वैपिंग / चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत।

iv. खुदरा दुकानों और गैर लाईसेंसीकृत क्षेत्र के पेट्रोलियम/संपीड़ित गैस भंडारण परिसर, बॉटलिंग प्लांट, आदि में सोलर पैनलों की स्थापना की अनुमति।

अ. एयरक्राफ्ट्स, स्थिर उपकरणों, मशीनरी और भारी वाहनों में ईंधन भरने के लिए पेट्रोलियम क्लास बी को घर–घर तक पहुंचाने की शुरुआत।

3.14.13 नई प्रौद्योगिकियों का परिचयः

i. खुदरा केंद्रों से प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए खुदरा दुकानों पर वाष्प रिकवरी सिस्टम की शुरआत की है।

ii. वाष्प रिकवरी सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुरूप बाटम लोडिंग टैंकर और बाटम लोडिंग फिटिंग की शुरूआत करना।

iii. रोड टैंकरों से पेट्रोलियम की चोरी को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग उपकरणों की शुरूआत करना।

iv. दुर्घटनाओं के मामले में कम्प्रेस्ड गैसों के रिसाव से बचने के लिए मोबाइल दबाव वैसल्स के लिए आंतरिक अतिरिक्त प्रवाह वाल्व की शुरूआत करना।

v. संकट के समय में सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोण से एलपीजी और कच्चे तेल के भूमिगत केवर्न भंडारण की शुरूआत करना।

vi. धातु सिलेंडरों के साथ मिश्रित फाइबर और हल्की धातुओं जैसे एल्यूमीनियम के सिलेंडरों के निर्माण की शुरूआत करना।

13.4.14 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः

13.4.4.1 माननीय प्रधान मंत्री की प्रत्येक घर के लिए एलपीजी सिलेंडर की पहल को बढ़ावा देने के लिए,पेसो ने पहल को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. एलपीजी के उतारने, परिवहन और भंडारण के लिए बंदरगाहों, जेटीज, पाइपलाइनों और परिसरों का अनुमोदन।

ii. एलपीजी सिलेंडर बॉटलिंग प्लांटों में सिलेंडर भरने के लिए परिचालन की अनुमति चौबीसों घंटे होती है।

iii. सिलिंडर में एलपीजी की बॉटलिंग के लिए निजी संगठनों को अनुमोदन।

iv. अतिरिक्त सिलेंडर को पूरा करने के लिए नई सिलेंडर निर्माण इकाइयों की स्वीकृति।

v. स्थानीय दुकानों, खुदरा दुकानों और सामान्य दुकानों से 100 किलोग्राम तक के एलपीजी सिलिंडर की स्वीकृति।

vi. एलपीजी भंडारण शेड के लिए जिला प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र में छूट।

13.4.14.2 मोबाइल ऐपः स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए ''स्वच्छ पेट्रोल पंप'' लॉन्च किया गया है।ऐप का उपयोग अखिल भारतीय स्तर पर रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) पर वॉशरूम की सफाई पर प्रतिक्रिया / शिकायत देने के लिए किया जाता है।

13.4.4.3 खुदरा दुकानों पर पीओएस मशीनों का उपयोगः सरकार की कैशलेस लेनदेन और डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देने के लिए; पेसो ने भुगतान स्वीकार करने के लिए खुदरा दुकानों पर पीओएस मशीनों के संस्थापन के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

13.4.14.4 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):

पेसो ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वित्तीय भुगतान के साथ–साथ लाभार्थियों को सीधे भुगतान के लिए पीएफएमएस लागू किया है। योजना और गैर–योजना व्यय को ट्रैक किया जाता है, वास्तविक समय के आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

13.4.14.5 सरकारी ई–बाज़ार (जैम) :

सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जैम) सरकार द्वारा और सरकार के लिए एक ऑनलाइन पारदर्शी खरीद मंच प्रदान करता है। पेसो में सभी वस्तुओं की खरीद और सेवाओं का संचालन जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

13.4.15 वित्त वर्ष 2019–20 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पेसो की गतिविधियां:

13.4.15.1 अधिकारों का प्रत्यायोजनः

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी; पेसो ने हितधारकों के लाभ के लिए लगभग सभी लाइसेंस शक्तियों को मण्डल और उप मण्डल कार्यालयों को सौंप दिया है। संपूर्ण भारत में हितधारकों और लाइसेंसधारियों को नागपुर आने की आवश्यकता नहीं है और वे अपने काम के लिए निकटतम मण्डल / उप मण्डल कार्यालय जा सकते हैं और केवल नीतिगत निर्णय या नई तकनीकों के संबंध में मुख्यालय से दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

13.4.15.2 स्वतः ऑनलाइन नवीनीकरणः

13.4.15.2.1 हितधारकों द्वारा सांविधिक लाइसेंसों के स्व–नवीनीकरण के लिए पेसो द्वारा शुरू की गई पहल शायद किसी भी सरकारी विभाग में अपनी तरह का पहला कदम है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। पेट्रोलियम और गैस उद्योग को सांविधिक लाइसेंसों के इस ऑनलाइन नवीनीकरण से अत्यधिक लाभ होगा।

13.4.15.2.2 पेसो द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों का लगभग 60% अपने घर या कार्यालय में बैठकर एक माउस के क्लिक के साथ हितधारक द्वारा ऑनलाइन नवीनीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2019–20 में, पेट्रोलियम नियमों के तहत 15609 लाइसेंस और गैस सिलेंडरों के नियमों के तहत 1737 लाइसेंस हितधारकों द्वारा नवीनीकृत किए गए थे।

13.4.16 शुल्क का ई भुगतान

13.4.16.1 प्रधानमंत्री की डिजिटल भुगतान योजना को बढ़ावा देना; पेसो ने लाइसेंस फीस के ई–भुगतान की सुविधा शुरूआत की है और यह 11.11.2019 से प्रभावी है; पेसो ने ई–भुगतान के माध्यम से लाइसेंस फीस जमा करना अनिवार्य कर दिया है; इसे पेसो के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से या बिना कर रसीद पोर्टल (भारत कोष) के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। आज तक पेसो को प्राप्त कुल राजस्व में से 85% से अधिक राजस्व ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से या भारत कोष के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

13.4.17 पेपरलेस अनुमोदनः

पेसो ने पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए कागज रहित आवेदन और कागज रहित लाइसेंस देना शुरु किया है, जिससे 1 लाख से अधिक पेट्रोलियम रोड टैंकर मालिकों को फायदा हुआ है। पेसो ने इस सुविधा को अन्य लाइसेंस के लिए भी विस्तारित करने की योजना बनाई है।

13.4.17.1 पाइपलाइनों के माध्यम से क्लोरीन का परिवहनः

मुख्य नियंत्रक विस्फोटक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन पाइपलाइनों के माध्यम से क्लोरीन के परिवहन के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए किया गया था और तदनुसार पेसो ने औद्योगिक परिसर के भीतर पाइपलाइनों के माध्यम से शुष्क क्लोरीन के परिवहन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे।

13.4.18 जिला प्राधिकरण के लिए लाइसेंस प्रणाली (एलएसडीए):

मौजूदा एलएसडीए मॉड्यूल में पेसो ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को पटाखों / गनपाउडर के विनिर्माण/ भंडारण के लिए लाइसेंस प्रदान करने, पटाखों की दुकानों और आतिशबाजी के प्रदर्शन के लाइसेंस के लिए अतिरिक्त सुविधाएं शुरू की हैं।

13.4.19 पर्यावरण अनुकूल पटाखे (ग्रीन क्रैकर्स) :

सीएसआईआर–एनईईआरआई ने पर्यावरण अनुकूल पटाखे के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के डब्ल्यूपी (सी) 728 के निर्णय के अनुपालन के अनुसार फॉर्मूलेशन विकसित किया है जो पारंपरिक आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण को कम कर सकता है, ने फॉर्मूलेशन को मंजूरी दी थी। सीएसआईआर–नीरी से प्राप्त प्रमाण पत्र और समझौते के आधार पर, पेसो के मण्डल और उप–मण्डल कार्यालयों को फॉर्मूलेशन अनुमोदित करने और ग्रीन क्रैकर्स विनिर्माण के लिए निर्देश दिए गए हैं।

13.4.20 पब्लिक डोमेन :

पेसो ने रियल टाइम आधार पर पेसो को प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिए हितधारकों के लाभ के लिए पब्लिक डोमेन सुविधा की शुरूआत की गई है। पेसो द्वारा प्रदान की जाने वाली लगभग 46 सेवाओं को पब्लिक डोमेन के माध्यम से देखा जा सकता है।

13.4.21 समाप्त हो चुके लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधाः

13.4.21.1 हितधारकों के लाभ के लिए, पेसो ने लागू नियमों के अनुसार विलंब शुल्क के भुगतान के लिए लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए समाप्त लाइसेंस के मामले में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की है।

13.4.22 पेसो से संबंधित अन्य विवरणः

13.4.22.1 राजस्व और व्ययः

13.4.22.1.1 पेसो हमेशा राजस्व अधिशेष में रहा है। 31.12.2019 तक पेसो ने लाइसेंस / अनुमोदन शुल्क के माध्यम से 184.23 करोड़ रु. प्राप्त किए और व्यय (योजना और गैर–योजना) के रूप में 47.57 करोड़ रु. प्राप्त किए हैं।

13.4.22.2 लाइसेंस प्राप्त परिसर :

13.4.22.2.1 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 तहत 123536 परिसर और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत 203991 परिसर हैं। इसी प्रकार वर्ष 2019 के दौरान जिला प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त) ने विस्फोटक नियम के तहत 8105 और अमोनियम नाइट्रेट नियम के तहत 193 लाइसेंस जारी किए हैं।

13.4.23 विस्फोटक का उत्पादनः

वर्ष 2019 में 138 निर्माण इकाइयों ने श्रेणी 2 के 330878 एमटी विस्फोटक का निर्माण किया है और 154 साइट मिश्रित विस्फोटक संयंत्रों ने 536945 एमटी साइट विस्फोटक का निर्माण किया है। इसी तरह देश में 832 मिलियन डेटोनेटर और 382 एमटी बारूद का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 549 करोड रुपये मूल्य के विस्फोटक निर्यात किए गए और देश में 29 करोड़ रु. मूल्य के विस्फोटक आयात किए गए।

13.5 महानियंत्रक, पेटेंट्स, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम)

13.5.1 परिचय

13.5.1.1 पेटेंट महानियंत्रक, डिजाइन और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 और वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 का प्रशासित करता है। इसके अलावा, कॉपीराइट अधिनियम, 1958 और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट–डिज़ाइन्स अधिनियम, 2000 का प्रशासन भी इस वर्ष के दौरान सीजीपीडीटीएम के अधीन लाया गया है। पेटेंट सूचना प्रणाली और राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरएनआईआईपीएम), दोनों नागपुर में स्थित हैं, सीजीपीडीटीएम के क्षेत्राधिकारी में आते हैं।



13.5.1.2 महानियंत्रक पेटेंट्स, डिज़ाइन्स एंड व्यापार चिह्न का कार्यालय मुंबई में स्थित है।यह सीजीपीडीटीएम बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देता है।सीजीपीडीटीएम निम्नलिखित आईपी कार्यालयों के कामकाज का पर्यवेक्षण करता है:

i. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1999, 2002 और 2005 में संशोधित) के संबंध में कोलकाता (मुख्यालय), मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में पेटेंट कार्यालय।

ii. डिजाइन अधिनियम, 2000 के संबंध में कोलकाता (मुख्यालय), मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में पेटेंट कार्यालय।

iii. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (2010 में संशोधित) के संबंध में मुंबई (मुख्यालय), चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री।

iv. वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के संबंध में चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री।

v. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के संबंध में रजिस्ट्रार कॉपीराइट कार्यालय, आईपीओ द्वारका कार्यालय, नई दिल्ली।

vi. सेमी–कंडक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट लेआउट–डिजाइन एक्ट, 2000 के संबंध में रजिस्ट्रार, एसआईसीएलडी, आईपीओ द्वारका कार्यालय, नई दिल्ली।

13.5.2 सीजीपीडीटीएम कार्यालय के मुख्य कार्य:

महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के पास अर्ध–न्यायिक कार्य हैं। यह सीजीपीडीटीएम पेटेंट अधिनियम और डिजाइन अधिनियम के तहत पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है, और व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 के तहत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत भौगोलिक संकेत के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है। सीजीपीडीटीएम के कार्यालय के कार्यों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. आईपी आवेदनों की जांच और प्रदान करना / पंजीकरण

ii. संबंधित आईपी कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जारी निर्णयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना

iii. आईपीओ के लिए गुणवत्ता नीति तैयार करना और आईपीओ में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन और निगरानी

iv. आईपी–मुकदमों के परिणाम का विश्लेषण, और आईपी आवेदनों की जांच व निपटान के लिए दिशानिर्देशों को अद्यतन करना

v. मंत्रालय को आईपी कानूनों और नियमों के संशोधन के लिए इनपुट प्रदान करना।

vi. पेटेंट और व्यापार चिह्न एजेंट परीक्षा आयोजित करना।

vii. आईपीओ अधिकारियों को निरंतर शिक्षा प्रदान करने और उनके कौशल और विशेषज्ञता को उन्नत करने के लिए आईपी–प्रशिक्षण, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और शिक्षा संबंधी गतिविधियों का आयोजन और निगरानी।

viii. अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़े विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना और ऐसे मामलों के लिए इनपुट तैयार करना।

ix. आईपीआर में आपसी सहयोग के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय / बहुपक्षीय संधियों / समझौतों के लिए एक पक्ष के रूप में कार्य करना, इसके लिए बैठकों में भाग लेना, समय–समय पर इनपुट प्रदान करना और संबंधित गतिविधियों का कार्यान्वयन करना।

x. आईपीओ के लिए आईटी नीति की निगरानी और उस का कार्यान्वयन करना।

xi. आईपीआर में सार्वजनिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और इस तरह की गतिविधियों में सहायता करना।

13.5.3 गतिविधि के प्रमुख क्षेत्र

13.5.3.1 पेटेंट कार्यालय और व्यापार चिह्न में अतिरिक्त जनशक्ति की भर्ती के मद्देनजर, अतिरिक्त कार्यालय स्थान की आवश्यकता और आईपीओ स्थानों पर वर्तमान आईपीओ भवनों का विस्तार आवश्यक हो गया है। आईपीओ नई दिल्ली में, नए जांचकर्ताओं को समायोजित करने का लिए आवश्यक कार्यालय स्थान और आईटी अवसंरचना को नवनिर्मित आईपीओ भवन में उपलब्ध कराया गया था। मौजूदा आईपीओ भवनों के नवीनीकरण से आईपीओ मुंबई और कोलकाता में अतिरिक्त स्थान बनाया गया था, जबकि आईपीओ चेन्नई में, उपलब्ध एफएसआई का उपयोग करके वर्तमान आईपीओ भवन में अतिरिक्त निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को पूरा किया गया है।

पेटेंट कार्यालय में नए भर्ती किए गए 180 जांचकर्ताओं को समायोजित करने के लिए, द्वारका एनेक्सी भवन में पेटेंट कार्यालय दिल्ली में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जा रहा है।

13.5.4 आईपी कार्यालय राजस्व

13.5.4.1 वर्ष 2018–19 के दौरान, पेटेंट कार्यालय ने 515.18 करोड़ रु. डिजाइनिंग स्कंद ने रू.6.06 करोड़, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु.341.19 करोड़, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री रु.0.07 करोड़ और आरजीएनआईआईपीएम / पीआईएस 0.43 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इस प्रकार, 2018–19 के दौरान सीजीपीडीटीएम के कार्यालय द्वारा सृजित कुल राजस्व 862.93 करोड़ रु. था, जो 2017–18 के दौरान अर्जित 769.73 करोड रुपये के राजस्व से 12.11% अधिक है। 2018–19 के दौरान कुल व्यय 188.3 करोड़ रुपये था जिसमें गैर–योजना के तहत व्यय के रूप में 77.85 करोड़ रुपये और योजना व्यय के तहत 110.46 करोड़ रुपये था।

13.5.4.2 वर्ष 2019–20 के दौरान, सीजीपीडीटीएम के कार्यालय द्वारा दिसंबर 2019 तक कुल राजस्व 732.34 करोड़ रुपये अर्जित किया गया था, जिसमें 464.30 करोड़ रुपये पेटेंट कार्यालय, डिजाइन विंग 5.20 करोड़ रुपये, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का 262.57 करोड़ रुपये, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का 0.11 करोड़ रुपये और एनआईआईपीएम / पीआईएस द्वारा 0.16 करोड़ रुपये शामिल हैं।अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान कार्यालय का कुल गैर–योजना व्यय 76.80 करोड़ रुपये था।

सीजीपीडीटीएम के तहत विभिन्न कार्यालयों की गतिविधियाँ

13.5.5 **भारतीय पेटेंट कार्यालयः** पेटेंट कार्यालय आविष्कारों के लिए पेटेंट देने, पेटेंट का नवीनीकरण, संशोधन, लैप्स किए गए पेटेंट की बहाली, अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करना, पेटेंट एजेंटों का पंजीकरण आदि पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) के तहत सांविधिक कार्य अपने क्षेत्राधिकार में करते हैं।

13.5.5.1 फाइलिंग

i. 2018–19 के दौरान कुल 50659 पेटेंट आवेदन दायर किए गए थे, जिनमें से 46293 पेटेंट आवेदन ई–फाइलिंग सुविधा के माध्यम से प्राप्त हुए थे।वर्ष 2018–19 के दौरान जांचे गए आवेदनों की संख्या 85426 थी, जबकि 15283 पेटेंट प्रदान किए गए थे और उपरोक्त अवधि के दौरान आवेदनों के निपटान की संख्या 50884 थी।

ii. 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के दौरान दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या 41800 है, जिसमें से 38,345 पेटेंट आवेदनों को ई–फाइलिंग की सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इस अवधि के दौरान जांचे गए आवेदनों की संख्या 59544 है, जबकि दिए गए पेटेंट की संख्या 18109 है और आवेदनों के निपटान की संख्या 43718 है।

13.5.5.2 स्टार्टअप

i. दिनांक 16–5–2016 को अधिसूचित पेटेंट (संशोधन) नियम 2016 स्टार्टअप को अपने पेटेंट आवेदनों के संबंध में शुल्क में रियायत प्रदान करता है। स्टार्टअप को अपने पेटेंट आवेदनों के लिए एक सामान्य आवेदक के बराबर पेटेंट फीस का भुगतान करना होता है; जिससे स्टार्टअप को अन्य कानूनी संस्थाओं की तुलना में 80% शुल्क रियायत प्रदान की जा रही है। दिसंबर 2019 तक, स्टार्टअप द्वारा 2632 नए पेटेंट आवेदनों को इस लाभ के अन्तर्गत दायर किया गया है जबकि 510 पेटेंट आवेदनों ने संशोधित नियमों की अधिसूचना से पहले आवेदन दायर कर दिया था, जो कि अन्यथा शुल्क संबंधी लाभ के लिए पात्र नहीं थीं, उन्हें स्टार्टअप स्टेटस दिया गया। स्टार्टअप द्वारा दायर आवेदन शीघ्र जांच के लिए पात्र हैं और, तदनुसार 31–12–2019 तक स्टार्टअप द्वारा 789 आवेदन पत्र (अनुरोधों) शीघ्र जांच के लिए दायर किए गए। स्टार्टअप को पेटेंट, डिजाईन और व्यापार चिह्न के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान करने वाली योजना एसआईपीपी को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

13.5.5.3 पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी)

i. भारतीय आवेदक अन्य देशों में पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) का उपयोग तेजी से कर रहे हैं। वर्ष 2018–19 में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रुप में दायर अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या 966 है; जबकि अप्रैल– दिसंबर 2019 के दौरान इस तरह के दायर आवेदनों की संख्या 711 है।

13.5.5.4 अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय।

i. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ने जिनेवा में सितंबर–अक्टूबर 2007 में आयोजित अपनी आम सभा की बैठक में भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट सहयोग संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए), अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में मान्यता दी। यह भारत को आईएसए और आईपीईए के रूप में मान्यता प्राप्त 21 पेटेंट कार्यालयों के एक कुलीन समूह में रखता है। पेटेंट कार्यालय ने दिल्ली में स्थित अपने कार्यालय में आईएसए / आईपीईए के रूप में 15 अक्टूबर, 2013 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

ii. 31 दिसंबर 2019 तक, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने 6483 अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त किए हैं, जिन्होंने भारत को आईएसए के रूप में चुना है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के लिए अनुरोध किया है और 236 आवेदनों ने अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक जांच के लिए भारत को आईपीईए के रूप में चुना है।

iii. 2018–19, के दौरान भारत के चार पेटेंट कार्यालयों में 1736 अंतरराष्ट्रीय आवेदन प्राप्त हुए जो जिन्होंने भारत को आईएसए चुना है, जबकि 2019–20 के दौरान, दिसम्बर, 2019 तक इस तरह के 1229

आवेदन पेटेंट कार्यालय के चार स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं।

iv. भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईएसए) ने गत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) की स्थापना की समयबद्धता में सफलतापूर्वक सुधार किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, समय–सीमा के भीतर अर्थात आईएसए द्वारा प्राप्त खोज अनुरोधों से 3 महीने के भीतर लगभग 41% खोज रिपोर्टें जारी की गई थी, जबकि 2016–17 के दौरान, लगभग 68% रिपोर्टें समय पर जारी की गई थीं। 2017–18 के दौरान, आईएसआर जारी करने में समयबद्धता का प्रतिशत लगभग 97% तक बढ़ गया है, जो आगे वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक बढ़कर 99.3% हो गया।

13.5.5.5 डायनेमिक आईपीओ वेबसाइट और पेटेंट सर्च

i. प्रत्येक आईपी के लिए अलग पोर्टल सहित डायनेमिक वेबसाइट स्थापित की गई है, जो सामग्री के संदर्भ में नियमित रूप से अपडेट की जाती है ताकि सूचना के प्रसार में सुधार हो और अधिक पारदर्शिता आए। वेबसाइट में विवरण, जो स्वतंत्र रूप से डाउनलोड करने योग्य हैं में प्रकाशन, सभी आईपीआर के लिए ई–पत्रिकाएं, खोज पोर्टल, गतिशील उपयोगिताओं, प्रोसेसिंग की स्थिति और आवेदनों के निपटान, सुनवाई के विवरण, विवादित मामलों में कार्यालय के फैसले, आईपी अधिनियम और नियम, मैनुअल अभ्यास और प्रक्रियाओं के आवेदनों का आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलनों, प्रतिक्रिया तंत्र, शुरु की गई नई योजनाएं, प्रशिक्षण, प्रशासनिक मामलों और व्यावसायिक सूचनाओं सहित आईपीओ के बारे में समाचार और अपडेट आदि शामिल हैं।

ii. एक व्यापक और गतिशील पेटेंट खोज पोर्टल आईपीओ वेबसाइट में उपलब्ध है। वेबसाइट में सार्वजनिक खोज के लिए प्रकाशन, जांच और प्रदान करने के साथ–साथ सभी प्रकाशनोत्तर पेटेंट दस्तावेजों सहित पेटेंट आवेदनों की स्थिति निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। साथ ही, पेटेंट कार्यालय के सभी स्थानों पर जारी "प्रथम जांच रिपोर्ट (एफईआर)", क्षेत्राधिकार और समूह–वार देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।पेटेंट कार्यालय द्वारा आवेदक / एजेंट के नाम और ई–मेल आईडी के साथ जारी की गई एफईआर की साप्ताहिक सूची आवेदकों के लाभ के लिए वेबसाइट में प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा, नवीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के कारण समाप्त / रोके गए पेटेंट को प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान की गई है।

iii. पेटेंट के लिए कई गतिशील उपयोगिताओं को जनता के लाभ के लिए वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है जैसे, जांच के लिए अनुरोध दाखिल करने का महीना प्रदर्शित करना जिसके लिए पहली जांच रिपोर्ट जारी की जा रही है; जांच के अनुरोध (आरक्यू) के समूह–वार और स्थान–वार तिथियों को जानना, जिसके लिए आवेदकों को पहली जांच रिपोर्ट (एफईआर) भेजी गई है; निर्दिष्ट अवधि के दौरान संबंधित जांच समूहों द्वारा पेटेंट आवेदनों के निपटान पर स्थिति प्रदर्शित करना।

13.5.5.6 ई–फाइलिंग

i. ई–फाइलिंग मॉड्यूल को 2014 और 2016 के संशोधित पेटेंट नियमों की पहली अनुसूची की प्रविष्टियों और सभी फॉर्मों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए पूरी तरह से संगत बनाया गया है;साथ ही व्यापार चिह्न नियम को 6–3–2017 से संशोधित किया गया है। संशोधित पेटेंट्स (संशोधन) नियम 2016 के नए प्रावधान जैसे कि आवेदनों की वापसी, शीघ्र जांच, आदि और ऑनलाइन दाखिल करने के लिए व्यापार चिह्न नियम और अन्य प्रावधानों को व्यापक ई–फाइलिंग मॉड्यूल में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

ii. पेटेंट (संशोधन) नियमावली 2016 के माध्यम से पेटेंट एजेंटों के लिए पेटेंट आवेदन को ऑनलाइन दाखिल करना और सभी संबंधित प्रपत्रों को अनिवार्य कर दिया गया है। व्यापार चिह्न का ऑनलाइन दायर

करने और व्यापार चिह्न के अन्य प्रपत्रों को जमा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

iii. ऑनलाइन फाइलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिजिकल फाइलिंग पर फीस में 10% का अंतर लाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पेटेंट और व्यापार चिह्न दोनों में ऑनलाइन फाइलिंग 90% से अधिक हो गई है।

13.5.5.7 व्यापक भुगतान गेटवे

ई–फाइलिंग प्रणाली से जुड़े पेटेंट और व्यापार चिह्न शुल्क के भुगतान के लिए व्यापक भुगतान गेटवे (इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित) पेटेंट और व्यापार चिह्न के लिए फोकल और मान्यता प्राप्त बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) के साथ कई बैंकों (लगभग 70 बैंकों) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान गेटवे की सुविधा का विस्तार करने के लिए और सुव्यवस्थित किया गया है।

13.5.5.8 जांच अनुरोधों (आरक्यू) का स्वतः आवंटन

i. एक विशेष जांच समूह में चार शाखा कार्यालय में दायर जांच के अनुरोधों (आरक्यू) को आरक्यू फाइलिंग तिथि के आधार पर एक कतार में विलय कर दिया गया है, जो एक प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से जांच के लिए आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार, चार शाखा कार्यालयों के बीच पहले से मौजूद विसंगति, जो कि उस समय के संबंध में है जब एक ही समूह से आरक्यू को जांच के लिए उपयोग किया जाता था, हटा दिया गया है।

ii. पेटेंट (संशोधन) नियमावली 2016 के माध्यम से लागू किए गए नए प्रावधानों में आवेदन वापस लेने की अनुमति और जांच के लिए अनुरोध के लिए भुगतान किए गए शुल्क की वापसी, स्टार्टअप्स द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों की शीघ्र जांच और आवेदकों को अपने पीसीटी आवेदनों के रूप में आईएसए / आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन करना, वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो–विजुअल संचार उपकरणों के माध्यम से सुनवाई की अनुमति देना, तो भारत में नैशनल फेज एण्ट्री में प्रवेश करते समय, यदि वे चाहते हैं, पीसीटी आवेदकों को कुछ दावों को हटाने की अनुमति देना, प्रत्येक पक्ष के लिए अधिकतम दो बार विपक्षी कार्यवाही में सुनवाई के स्थगन को प्रतिबंधित करना, अनुक्रम लिस्टिंग के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा निर्धारण, पेटेंट आवेदन के लिए अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग और पेटेंट एजेंटों के लिए फॉर्म आदि शामिल हैं।

iii. पेटेंट प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र अब स्वचालित रूप से जारी होते हैं और आवेदकों के ई–मेल में उपलब्ध कराए जाते हैं। पहली जांच रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से भेजी जाती है और आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पेटेंट कार्यालय शाखा से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। ई–मेल के माध्यम से सुनवाई के नोटिस भी भेजे जाते हैं जो प्रक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है।

13.5.5.9 फीडबैक तंत्र

आईपीओ कामकाज और आईपी आवेदनों की प्रोसेसिंग से संबंधित अपने सुझाव / फीडबैक / प्रश्नों को अपलोड करने के लिए हितधारकों सक्षम करने के लिए 1 मार्च 2017 से एक अलग फीडबैक पोर्टल की सुविधा आईपीओ वेबसाइट पर प्रदान की गई है। आईपी कार्यालय तुरंत हितधारकों के सुझावों / शिकायतों पर कार्रवाई करता है और ई–मेल के माध्यम से संबंधितों को फीडबैक देता है।

13.5.5.10 स्टेकहोल्डर बैठक

i. आईपीओ कामकाज में दक्षता और विश्वास के मजबूत वातावरण के निर्माण के लिए हितधारकों की प्रभावी भागीदारी और परामर्श आवश्यक है। इस प्रकार, विभाग ने हितधारकों की शिकायतों / समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए केंद्रित प्रयास किए हैं। प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया / सुझाव प्राप्त करने और उन्हें तुरंत हल करने के लिए, सचिव, डीपीआईआईटी ने दिल्ली और मुंबई में हितधारकों के साथ बैठकें कीं।आईपीओ स्थानों पर सीजीपीडीटीएम द्वारा हितधारकों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

ii. हितधारकों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर विचार किया गया है और हल किया गया है जबकि कुछ मुद्दे विचाराधीन हैं।हितधारकों से प्रतिक्रिया और कार्यालय द्वारा उठाए गए उपचारात्मक उपायों को वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

13.5.5.11एसएमएस अलर्ट

i. सीजीपीडीटीएम के कार्यालय ने 1.11.2017 से एसएमएस अलर्ट सुविधा शुरू की है, जो आवेदकों को सफल फाइलिंग, एफईआर जारी करने, अनुसूचित सुनवाई, निपटान, विपक्ष और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी / अपडेट प्राप्त करने में मदद करता है।

13.5.5.12 मोबाइल ऐप सेवा

i. कार्यालय ने 7–12–2017 से बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप शुरू किया है जिसे हमारी वेबसाइट www.ipindia.gov.in या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

13.5.5.13 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम

पेटेंट कार्यालय में पहले से ही उपयोग में आने वाली प्रणाली को आवेदकों / एजेंटों को पेटेंट कार्यालय के साथ दूरस्थ रूप से सुनने अर्थात अपने कार्यालय/परिसर से सुनने के लिए सक्षम करने की प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है।

13.5.5.14 आईपीओ में उल्लेखनीय उपलब्धियां

i. 2017–18 की तुलना में, 2018–19 में जांचे गए पेटेंट आवेदनों की संख्या में 41.6% की वृद्धि हुई, पेटेंट जारी करने की संख्या 17.2% बढ़ी है और आवेदनों के अंतिम निपटान में 6.7% की वृद्धि हुई है।

ii. व्यापार चिह्न आवेदनों की जांच की पेंडेंसी जनवरी 2017 में लगभग 13 महीने से कम करके 1 महीने तक लाया गया है और 2018–19 और 2019–20 के दौरान समान स्तर पर जारी रहा है। जांच में प्रक्रियात्मक सुधार के परिणामस्वरूप 10% से कम की पहले की स्थिति के मुकाबले लगभग 50% तक प्रकाशन के लिए व्यापार चिह्न आवेदनों की स्वीकृति में वृद्धि हुई। व्यापार चिह्न को दाखिल करने की तारीख से 6–7 महीनों में पंजीकृत किया जाता है, अगर कोई आपत्ति / विरोध नहीं है और यह इस मामले में दुनिया की सबसे तेज गति है।

iii. डिजाइन में, नए आवेदनों की जांच में लगने वाला समय मार्च 2016 के 8 महीने से घटकर मार्च 2017 में एक महीना हो गया और 2018–19 और 2019–20 के दौरान समान स्तर पर जारी रहा।

iv. कॉपीराइट में, जांच में पेंडेंसी को मार्च, 2017 के लगभग 13 महीने से कम करके 1 महीने तक लाया गया है।इस प्रवृत्ति को 2018–19 और 2019–20 के दौरान भी बनाए रखा गया है।

13.5.6 औद्योगिक डिजाइन प्रकोष्ठ

13.5.6.1 डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत औद्योगिक डिजाइनों का पंजीकरण कोलकाता स्थित डिजाइन कार्यालय के डिजाइन विंग द्वारा किया जाता है।पेटेंट कार्यालय अर्थात चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के अन्य स्थानों पर डिजाइन आवेदन दाखिल करने की भी अनुमति है। डिजाइन विंग का आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू किया गया है जिसमें अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, आईटी आधारित प्रोसेसिंग प्रणाली, ऑनलाइन खोज सुविधाएं, उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट का विकास और एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण शामिल है। 2018–19 के दौरान, प्राप्त डिज़ाइन के नए आवेदनों की संख्या 12583 और 12661 डिज़ाइन आवेदनों की जांच की गई, जबकि 9483 डिज़ाइन पंजीकृत किए गए हैं।

13.5.6.2 अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान, डिजाइन पंजीकरण के लिए 10454 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं; जबकि, 10164 आवेदनों की जांच की गई है और 9769 डिजाइन पंजीकृत किए गए हैं।

13.5.7 **व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर):** व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) व्यापार चिह्न एक्ट, 1999 के प्रशासन से संबंधित सांविधिक कार्य करता है और व्यापार चिह्न के रजिस्टर की देख–रेख करता है।हालांकि, सभी

जांच और पंजीकरण संबंधी गतिविधियां व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर), मुंबई में की जाती हैं।

13.5.7.1 फाइलिंग

i. 2018–19 के दौरान, व्यापार चिह्न के लिए 338576 आवेदन दायर किए गए थे (मैड्रिड सिस्टम के तहत व्यापार चिह्न की सुरक्षा के लिए भारत को नामित करने वाले विदेशी आवेदकों से अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण के लिए 14778 आवेदन सहित)। 337541 आवेदनों की जांच की गई और कुल 519185 आवेदनों का निपटारा किया गया, जिनमें से 316798 व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए हैं। कुल दाखिल आवेदनों में से, 310116 आवेदन भारतीय आवेदकों द्वारा दायर किए गए हैं। व्यापार चिह्न आवेदन और सभी प्रपत्रों के लिए ई–फाइलिंग सुविधा और व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2017 के माध्यम से भौतिक रूप से दाखिल करने पर शुल्क में 10% अंतर की शुरूआत के कारण ऑनलाइन फाइलिंग 90% से अधिक तक पहुंच गई है।

ii. अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान, व्यापार चिह्न के लिए कुल 259791 आवेदन दायर किए गए हैं, जिनमें से 242922 आवेदन ई–फाइलिंग सुविधा के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। कुल दाखिलों में से, 238702 आवेदन भारतीय आवेदकों द्वारा दायर किए गए हैं। इस अवधि के दौरान जांच किए गए आवेदन 263121 हैं और निपटाए गए आवेदनों की संख्या 310809 हैं, जिनमें से 214558 ट्रेड–मार्क पंजीकृत किए गए हैं।

iii. 31 दिसंबर 2019 तक भारत में पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या 2068295 है, जिसमें से भारतीय आवेदकों द्वारा पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 1801120 है।

13.5.7.2 मैड्रिड प्रोटोकॉल

i. भारतीय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री भारतीय आवेदकों के लिए मूल के कार्यालय के रूप में कार्य करती है, जो मैड्रिड प्रोटोकॉल के माध्यम से अपने व्यापार चिह्न का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण चाहते हैं और विदेशी आवेदकों के लिए नामित अनुबंध पार्टी के कार्यालय के रूप में जो मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से भारत में अपने व्यापार चिह्न की सुरक्षा चाहते हैं। ये कार्य केवल ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं।

ii. वर्ष 2018–19 के अंत तक, भारत में व्यापार चिह्न की सुरक्षा के लिए कुल 62041 अंतर्राष्ट्रीय आवेदन, 'भारत में ऐसे चिह्न की सुरक्षा की पुष्टि के लिए डब्ल्यूआईपीओ द्वारा भारतीय व्यापार चिह्न कार्यालय को भेजे गए थे, जबकि 31दिसंबर 2019 तक 72532 ऐसे आवेदन डब्ल्यूआईपीओ द्वारा अग्रेषित किए गए हैं।

13.5.7.3 डायनेमिक व्यापार चिह्न खोज पोर्टलः

i. आईपीओ की वेबसाइट में एक डायनेमिक व्यापार चिह्न खोज पोर्टल का विकास किया गया है तथा व्यापार चिह्न संबंधी अनेक डायनेमिक उपयोगिताएं जनसामान्य के लिए उपलब्ध करायी गई है जैसे व्यापार चिह्न रिकार्ड में लिपिकीय त्रुटि ठीक करने के लिए ऑनलाइन टूल, टीएमआर सुनवाई तथा स्थगन के ब्यौरों की उपलब्धता, व्यापार चिह्न आवेदनों की जांच के तत्कालीन ब्यौरे का प्रदर्शन, कारण बताओ सुनवाई, व्यापार चिह्न पत्रिका में प्रकाशन, व्यापार चिह्न पंजीकरण, आवेदनों के अन्य निपटान (छोड़ देने अथवा इंकार करने आदि), माह–वार अथवा तारीख–वार जारी किए गए अन्य नोटिस, व्यापार चिह्न पंजीकरण के उद्देश्यार्थ व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 8 (1) के तहत वस्तुओं तथा सेवाओं का वर्गीकरण तथा व्यापार चिह्न हेतु व्यापक ई–फाइलिंग सेवा के जरिए व्यापार चिह्न आवेदन के संबंध में जांच रिपोर्ट के उत्तर के लिए ऑनलाइन फाइलिंग आदि।

ii. इसके अलावा, बकाया व्यापार चिह्न आवेदनों तथा पंजीकृत व्यापार चिह्नों का समग्र ब्यौरा, दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां, अभियोग इतिहास, जांच रिपोर्ट, आवेदन की प्रति, व्यापार चिह्न प्रमाण–पत्र की प्रति, प्रतिपक्ष का ब्यौरा आदि सहित सरकारी वेबसाइट के जरिए आम जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं।

iii. व्यापार चिह्न के वास्ते एक स्टॉक एवं फ्लो आधारित डायनेमिक युटिलिटी उपलब्ध कराई गई है ताकि आवेदकों/हितभागियों को विभिन्न स्टॉकों के अंतर्गत व्यापार चिह्न तथा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की अवस्था में आवेदनों की स्थिति को देखने के लिए तत्काल आधार पर सुविधा उपलब्ध है।

iv. व्यापार चिह्न (संशोधन) नियमावली, 2017 के जरिए कार्यान्वित नए प्रावधानों में फार्मों की संख्या 74 से घटाकर 8 करना, सभी किस्म के व्यापार चिह्न आवेदनों के लिए एक आवेदन फार्म निर्धारित करना, स्टार्टअप्स और निजी व्यक्तियों तथा छोटे उद्यमियों के लिए रियायत उपलब्ध कराना, सेवा मोड के रूप में ई–मेल सहित, सुनवाई स्थगनों की संख्या को 2 तक सीमित करना, आवेदनों के ऑनलाइन फाइल करने हेतु निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत रियायत, निजी व्यक्तियों/स्टार्टअप्स/लघु उद्यमियों आदि के लिए शुल्क घटाने के साथ–साथ समग्र व्यापार चिह्न अभियोजन प्रक्रिया हेतु त्वरित कार्रवाई की अनुमति देना है।

13.5.7.4 प्रक्रियात्मक सुधार

i. व्यापार चिह्न प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक सुधारों तथा री–इंजीनियरिंग से कार्यकरण में सुधार आया है जिनमें व्यापार चिह्न हेतु वस्तु तथा सेवा के वर्गीकरण हेतु ऑनलाइन खोज सुविधा को अद्यतन बनाना, जांच हेतु आवेदनों का स्वतः आवंटन, स्वतः नवीकरण एवं पंजीकरण प्रक्रिया ताकि पंजीकरण तथा नवीकरण प्रमाण–पत्र स्वतः ही प्रोसेस हो जाएं तथा आवेदन के नामित ई–मेल आईडी पर पहुंच जाएं तथा इलेक्ट्रानिक पंजीयक के पास अपलोड भी हो जाएं, वेबसाइट पर सुनवाई नोटिसों तथा स्थगनों के ब्यौरे उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

13.5.8 भौगोलिक निदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर):

जीआईआर एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना वस्तुओं के भौगोलिक निदर्शन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के संचालन हेतु की गई है जो 15 सितम्बर, 2003 से प्रभावी है। यह रजिस्ट्री चेन्नै में स्थित है। 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 361 भौगोलिक निदर्शन (जीआई) पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष 2018–19 तथा दिसम्बर, 2019 तक पंजीकृत जीआई की सूची http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/portal/Images/pdf/Registered_GI.pdf. पर उपलब्ध है।

13.5.8.9 फाइलिंग:

वर्ष 2018–19 के दौरान, भौगोलिक निदर्शन हेतु 32 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा 23 आवेदन पंजीकृत किए गए थे। अप्रैल से दिसम्बर, 2019 अवधि के दौरान, भौगोलिक निदर्शन रजिस्ट्री को 37 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि 18 जीआई पंजीकृत हुए हैं।

13.5.9 राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) तथा पेटेंट सूचना प्रणाली (पीआईएस), नागपुर

13.5.9.1 आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा अनुसंधान तथा वैचारिक कार्य हेतु एक विशिष्ट संस्थान है। यह पेटेंट एवं डिजाइन परीक्षकों, व्यापार चिह्न एवं जीआई परीक्षकों तथा आईपीओ के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह प्रयोक्ताओं यथा पेटेंट अटॉर्नी, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, उद्योग, विश्वविद्यालय आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

13.5.9.2 पीआईएस नागपुर पेटेंट विनिर्देशनों तथा विश्वव्यापी आधार पर साहित्य से संबंधित पेटेंट का एक व्यापक संकलन रखता है तथा पेटेंट अथवा पेटेंट से सम्बद्ध साहित्य में निहित प्रौद्योगिकीय सूचना अनुसंधान सेवाओं तथा उद्योग के विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए पेटेंट प्रति आपूर्ति सेवा, अनुसंधान एवं विकास संगठन, आविष्कारक, सरकारी विभाग, उपक्रम/उद्यम, व्यवसाय समुदाय तथा देश के अन्य आईपी प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराता है।

13.5.9.3 वर्ष 2018–19 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम ने हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न अवधि के 45 सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 39 एक–दिवसीय आईपी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।इसके अलावा, संस्थान ने पेटेंट कार्यालय के परीक्षकों के लिए एक सप्ताह की अवधि के 2 रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और नव पदोन्नत सहायता नियंत्रकों के लिए 4 न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरजीएनआईआईपीएम ने पेटेंट खोज और जांच पर एशियाई देशों के पेटेंट परीक्षकों के लिए एक सप्ताह का डब्ल्यूआईपीओ–इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं डब्ल्यूआईपीओ के सहयोग से दो–सप्ताह के डब्ल्यूआईपीओ– इंडिया समर स्कूल भी आयोजित किए।

13.5.9.4 अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम ने 6 सप्ताह के इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके बाद नए भर्ती पेटेंट परीक्षकों के लिए 4 महीने की अवधि का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया है। संस्थान ने हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न अवधि के 25 सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 22 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। इसके अलावा, आरजीएनआईआईपीएम ने अपने सहयोगियों के हित के लिए पेटेंट खोज और जांच पर एशिया प्रशांत देशों के परीक्षकों के लिए एक–सप्ताह का डब्ल्यूआईपीओ– भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया तथा आईपी 2019 पर दो सप्ताह के डब्ल्यूआईपीओ–इण्डिया समर स्कूल का आयोजन किया।

13.5.10 प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय

13.5.10.1 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन को अधिसूचित करने वाली मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना सं. 1163 (ई) दिनांक 17.3. 2016 के माध्यम से ''प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 एवं प्रतिलिप्याधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन'' संबंधी प्रविष्टि के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से डीपीआईआईटी को अंतरण के परिणामस्वरूप प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय, प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड तथा प्रतिलिप्याधिकार संवर्धन स्कीम तथा आईपीआर संबंधी संचालन कार्य उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के पास निहित है। सीजीपीडीटीएम को आदेश सं. 04–06/2016–सीओ दिनांक 1.9.2016 के अंतर्गत विभाग प्रमुख (एचओडी) नामित किया गया है। प्रतिलिप्याधिकार पंजीयक भी नियुक्त किया गया है। प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय प्राथमिक रूप से प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन तथा इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के पंजीकरण हेतु उत्तरदायी है। इस कार्यालय के मुख्य कार्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

i. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रावधानों का निष्पादन

ii. आवेदनों की जांच तथा उनका पंजीकरण

iii. पंजीकृत प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटियों के कार्य का पर्यवेक्षण

iv. अंतरराष्ट्रीय मंचों से सम्बद्ध कॉपीराइट संबंधी विभिन्न मामलों को देखना, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना

13.5.10.2 कॉपीराइट कार्यालय में काम सरल और कारगर बनाना: कॉपीराइट कार्यालय में लम्बे समय से कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदनों की लम्बित संख्या को कम कर सुव्यवस्थित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 07.08.2017 को एक पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है। कॉपीराइट कार्यालय को अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली से, बौद्धिक संपदा कार्यालय, बौद्धिक संपदा भवन, द्वारका, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि नई दिल्ली के सभी आईपी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाया जा सके। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के बाद, निम्नलिखित उपलब्धियों हासिल की गई है:–

i. आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के समाप्त होने के बाद मार्च, 2017 में जांच में बकायादारी के समय को 13 माह से घटाकर एक माह से कम कर दिया गया है। वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान भी यह रुझान बना रहा।

ii. सांविधिक प्रतीक्षा अवधि के तहत मामलों को छोड़कर कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए कोई पेंडेंसी नहीं है।

iii. वेबसाइट www.copyrgiht.gov.in को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय द्वारा विभिन्न सुधार किए गए हैं, यथा ई–रजिस्टर टैब जिसमें प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किए गए सभी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की सूची होती है, संबंधित व्यक्तियों को आवेदन का नोटिस देने के लिए माह के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों के ब्यौरे सहित नए आवेदन टैब, बड़ी संख्या में सामान्य जनता से संबंधित विषय पर आपत्तियां/ फीडबैक/टिप्पणियों वाले पब्लिक नोटिस तथा अनुबंध टैब, इसके पोर्टल पर साहित्यिक/ नाटक और कलात्मक कार्यों की साफ्ट कापी तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करना।

iv. कॉपीराइट कार्यालय ने सुनवाई के लिए आने वाले मामलों की सुनवाई के वैकल्पिक माध्यम के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की है।

13.5.11 प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड: प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड को अब वित्त अधिनियम, 2017 के तहत प्रावधानों के तहत बौद्धिक सम्पदा अपीलीय बोर्ड में मिला दिया गया है।

13.6 केन्द्रीय लुगदी और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

13.6.1 प्रस्तावना

13.6.1.1 केन्द्रीय लुगदी और पेपर अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई), सहारनपुर (उ.प्र.) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। यह एक अद्वितीय संगठन है जो आर एंड डी नवप्रयोग/कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय पेपर उद्योग की स्थिरता और प्रतिस्पर्धा में सुधार की दिशा में काम कर रहा है और संसाधन संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल पल्पिंग और ब्लीचिंग टेक्नोलॉजीज, प्रक्रिया उन्नयन, अपशिष्ट पेपर रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग, जल एवं ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के निष्पादन में सुधार, वैकल्पिक आशोधन विकल्प, मूल्यवर्धित उत्पाद के लिए अपशिष्ट रूपांतरण के माध्यम से, अपशिष्ट न्यूनीकरण के क्षेत्र में गुणवत्ता तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है।

13.6.1.2 संघ परिषद प्रमुख निकाय है जो संस्थान के मामलों का प्रबंधन करता है। इसमें उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संगठनों और शैक्षणिक संस्थान के सदस्य शामिल हैं। सचिव, डीपीआईआईटी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। एक अनुसंधान सलाहकार समिति सीपीपीआरआई द्वारा निष्पादित सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान योजनाओं की निगरानी करती है एक अलग अनुसंधान समिति लुग्दी, कागज और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद को आवंटित निधियों द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की निगरानी करती है।

13.6.1.3 संस्थान के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में भारतीय लुग्दी और कागज उद्योग के विकास में लगातार सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। तदनुसार, परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:

i. कच्चे माल और उत्पाद विकास

ii. ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन

iii. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण कार्यकलाप

13.6.2मुख्य उपलब्धियां

i. *सेल्युलोसिक बायोमास का उपयोग:* पुआल, कपास अपशिष्ट, केले के तने, पानी के जलकुंभी आदि से चेमी थर्मो मैकेनिकल पल्प (सीटीएमपी) के उत्पादन के लिए किए गए कार्य। ईएफबी (खाली फलों का गुच्छा) फाइबर और मक्का के पौधे का उपयोग टेबल वेयर के उत्पादन के लिए किया गया था।

ii. *पेपर पुनर्चक्रण:* रीपल्पेबिलिटी और उपयोग की गई पैकिंग सामग्री की कागज बनाने की क्षमता पर प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान की गई थी।

iii. *पर्यावरण प्रबंधन:* सीबीसीबी द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के तहत 39 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रदूषण की स्थिति की निगरानी और

रिपोर्ट की गई। इन उद्योगों में पेपर मिल, उर्वरक इकाइयाँ और कत्लखाने शामिल थे।

iv. *बायोटेक्नोलॉजिकल हस्तक्षेपः* बैगास पल्प के प्री–ब्लीचिंग की उपयुक्तता का प्रयोगशाला स्तर पर प्रदर्शन किया गया। एंजाइम ने बैगास पल्प में लंबे फाइबर अंश को संरक्षित किया।

v. *उत्पाद विकासः* शुष्क डी–प्रिंटिंग प्रक्रिया के डिजाइन को अर्ध–प्रायोगिक पैमाने पर अनुकूलित और प्रदर्शित किया गया; अपशिष्ट पल्पिग ब्लैक शराब से लिग्नोसल्फोनेट का विकास; मुद्रा कागज में केले के फाइबर के उपयोग के लिए प्रक्रिया का विकास किया गया।

vi. *प्रशिक्षण / कौशल विकास / तकनीकी अभिविन्यास आयोजनः* दो प्रशिक्षण कार्यक्रम और तीन तकनीकी बैठकें रिपोर्टिंग की अवधि के तहत आयोजित की गईं। विभिन्न विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के छह छात्रों ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्य पूरा किया।

vii. *सांख्यिकीय सेलः* लुगदी और कागज क्षेत्र के सांख्यिकीय डेटा के नियमित अद्यतन के लिए सेल ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं। जब भी आवश्यक हुआ तब डीपीआईआईटी और अन्य हितधारकों को डेटा इनपुट प्रदान किए गए।

viii. *अनुबंध समझौते / समझौता ज्ञापनः* सहयोगी कार्य और उत्पाद विकास के लिए छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

ix. *शोध प्रकाशन / रिपोर्टः* रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दस शोध पत्र और 100 रिपोर्ट तैयार किए गए थे।दो पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 7.4 और 6.395 के प्रभाव कारकों के साथ प्रकाशित किए गए थे।

13.7 भारतीय रबड़ निर्माता अनुसंधान संघ (आईआरएमआरए), ठाणे

13.7.1 अवलोकन

13.7.1.1 भारतीय रबड़ निर्माता अनुसंधान संघ (आईआरएमआरए), जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है, को 1958 में रबर और संबद्ध सामग्रियों के क्षेत्र में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। आईआरएमआरए की प्रगति की निगरानी और संचालन एक शासी परिषद द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, रबर उद्योग और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के सदस्य शामिल होते हैं, और यह (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। पिछले 60 वर्षों में, आईआरएमआरए ने टायर और नॉन–टायर दोनों क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार और विविधीकरण किया है और दुनिया में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान बनने के साथ एक अद्वितीय अनुसंधान एवं विकास 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बन गया है। आईआरएमआरए ने आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र, एनएबीएल मान्यता, बीआईएस मान्यता, डीजीएमएस मान्यता, सीईएमआईएलएसी आदि जैसे कई गुणवत्ता क्रेडेंशियल प्राप्त किए हैं। आईआरएमआरए का ठाणे (महराष्ट्र) में अपना प्रधान कार्यालय है। इसने पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में भी अपनी सुविधाओं का विस्तार किया है।



आईआरएमआरए मुख्यालय

पताः प्लॉट नंबर 254/1 बी, रोड नंबर 16 वी, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे (डब्ल्यू) –400604

आईआरएमआरए, दक्षिण केंद्र	आईआरएमआरए, पूर्व केंद्र
पता: सेंट्रल एक्सप्रेसवे, श्री सिटी ट्रेड सेंटर के पास, श्री सिटी, चित्तौड़ जिला, आंध्र प्रदेश – 517646	पता: रबर पार्क, सारपोल, पीओ धूलागढ़, पीएस संकरील, जिला: हावड़ा– 711302, पश्चिम बंगाल।

13.7.2 उद्देश्य: आईआरएमआरए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, परीक्षण और प्रमाणन, औद्योगिक परामर्श और जनशक्ति विकास में रबर और संबद्ध उद्योगों की सेवा में लगा हुआ है ताकि भारतीय उद्योग वैश्विक व्यापार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

13.7.3 **उद्देश्य:** रबर और संबद्ध सामग्री के क्षेत्र में छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर रबर और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का संचालन करना और उनकी जन शक्ति को प्रशिक्षित करना।

13.7.4 प्रमुख गतिविधियाँ:

13.7.4.1 अनुसंधान और विकास: –

13.7.4.1.1 आईआरएमआरए ने नैनो फिलर्स, कंपोजिट और रबर केमिकल्स के संश्लेषण और विशेषता वाले वर्णन के क्षेत्रों में रक्षा प्रतिष्ठानों, रेलवे, भाभा जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण रबर घटकों के डिजाइन और विकास के अलावा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय तेल निगम आदि के अलावा मूलभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान किए हैं।

13.7.4.1.2 प्रोपेलर शाफ्ट के लिए सेगमेंट बियरिंग्स जैसे आईआरएमआरए के इंजीनियरों ने कई महत्वपूर्ण रबर घटकों का डिज़ाइन, विकास, परीक्षण और सत्यापन किया जैसे उच्च प्रदर्शन दरवाजे और हैच के लिए सील, बुश पैड और शॉक माउंट, सक्शन और डिस्चार्ज कम्पेसाटर के लिए एक्सपैंशन बेल, भारतीय नौसेना जहाजों (आईएनएस) के लिए रबर डायाफ्राम आदि। आईआरएमआरए ने अनुसंधान के क्षेत्र में बडे आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान समझौते किए है।

13.7.4.2 सामग्री परीक्षण एवं प्रमाणन –यह डिवीजन ग्राहकों द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन को अंजाम देते हुए नॉन–टायर रबर उत्पाद निर्माण उद्योगों का समर्थन कर रहा है।जर्मनी, थाईलैंड और जापान से अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ आयोजित अंतर–प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि हमारे परीक्षण के परिणाम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षण के रूप में अत्यधिक दोहराए जा सकने वाले और विश्वसनीय हैं।

13.7.4.3 टायर अनुसंधान परीक्षण एवं प्रमाणन: –टायर परीक्षण और प्रमाणन के लिए उत्कृष्टता केंद्र नियमित रूप से परीक्षण कर रहा है और डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता आदेश में मानकों के अनुसार निर्धारित किए गए आईएसआई मार्किंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए टायर उद्योगों को प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टायर निर्माताओं से प्राप्त 370 से अधिक टायरों का परीक्षण किया है।इसके अलावा, यह डिवीजन ऑटोमोटिव ओरिजिनल उपकरण उत्पादक (ओईएम) के साथ रोलिंग रेजिस्टेंस और अन्य सुरक्षा मापदंडों के लिए टायरों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए काम कर रहा है।

13.7.4.4 अनुबंध अनुसंधान और प्रायोजित परियोजनाएँ: –यह प्रभाग तकनीकी विकास, परीक्षण और प्रमाणन, सामग्री और उत्पाद विकास, समस्या समाधान, गुणवत्ता में सुधार आदि में एमएसएमई क्षेत्र का सहयोग करता है।

13.7.4.5 प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं / कौशल विकास कार्यक्रम: –चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए आरएसडीसी के साथ पंजीकृत लगभग 430 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए इस तरह के 29 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। चालू वर्ष के दौरान इस तरह के 7 कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 143 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

13.7.4.6 राष्ट्रीय गुणवत्ता सवंर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी) प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) ने आधारित प्रशिक्षण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद से एनबीक्यूपी मान्यता प्राप्त की।

13.7.4.7 शैक्षणिक पाठ्यक्रमः –औद्योगिक पॉलिमर रसायन विज्ञान में एम.एससी का पहला बैच मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और छात्रों को उद्योग में अच्छी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और दूसरेबैच के छात्रों केलिए कक्षाएं शुरू की गई हैं।

13.7.4.8 पेपर प्रकाशित / स्वीकृत / पेटेंट दायरः विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में छः शोध पत्र प्रकाशित और 2 पेटेंट दायर। आईआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र नियमित रूप से बी.टेक / एम.टेक / पीएचडी जैसे अपने अकादमिक पाठ्यक्रमों के हिस्से के रूप में अनुसंधान परियोजनाओं को ले रहे हैं।इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में शोध पत्रों का प्रकाशन भी होता है।

13.8 राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद

13.8.1 परिचय

13.8.1.1 राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद (एनसीबी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संगठन है। यह अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण, परीक्षण और शिक्षा के लिए समर्पित है और सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण क्षेत्रों के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और औद्योगिक सेवाएं प्रदान करता है। एनसीबी बल्लभगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में स्थित अपनी इकाइयों / कार्यालयों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है।

13.8.1.2 एनसीबी की गतिविधियों को निम्नलिखित छह कार्यक्रम केंद्रों के माध्यम से किया जाता है:

i. सीमेंट अनुसंधान और स्वतंत्र परीक्षण (सीआरटी)
ii. खनन, पर्यावरण, प्लांट इंजीनियरिंग और ऑपरेशन (सीएमई)
iii. निर्माण विकास और अनुसंधान (सीडीआर)
iv. औद्योगिक सूचना सेवा (सीआईएस)
v. सतत शिक्षा सेवा (सीसीई)
vi. गुणवत्ता प्रबंधन, मानक और अंशांकन सेवाएँ (सीक्यूसी)

13.8.2 वर्ष 2019–20 के दौरान कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

13.8.2.1 सीमेंट अनुसंधान और स्वतंत्र परीक्षण केंद्र (सीआरटी)

I. क्लिंकर उत्पादन में चूना पत्थर की खपत का युक्तिकरण

लाइमस्टोन कंजम्पशन फैक्टर (एलसीएफ) के अध्ययन पोर्टलैंड क्लिंकर के उत्पादन में चूना पत्थर की खपत के युक्तिकरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, संबंधित सीमेंट प्लांट के आंतरिक सामग्री लेखा–परीक्षण के अलावा उनसे संबंधित कैप्टिव खानों से चूना पत्थर के लिए राज्य को रॉयल्टी का आकलन में सहयोग किया जाता है। एनसीबी ने देश भर के सीमेंट संयंत्रों के लिए एलसीएफ अध्ययन किया है और अब तक 220 अध्ययन किए गए हैं।

II. सतत विकास की ओर

केंद्र निम्न प्रकार से पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति समर्पित है:

i. सीमेंट उत्पादन के दौरान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कम चूने और कम ऊर्जा खपत वाले सीमेंट का विकास और
ii. मिश्रित सीमेंट के विकास में वैकल्पिक कच्चे माल और अपरंपरागत एससीएम की खोज करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
iii. मुख्य अध्ययनों में से कुछ हैं:

क) *कम चूने और कम तापमान क्लिंकर प्रणाली का विकास*

पारंपरिक क्लिंकर के उत्पादन से वातावरण में सीओ$_2$ के साथ–साथ सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर और ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में खपत होती है। उपरोक्त के मद्देनजर, क्लिंकर रसायन और खनिज विज्ञान के साथ तुलनात्मक रूप से कम तापमान निम्न श्रेणी के चूना पत्थर, योजक और औद्योगिक उप–उत्पादों का उपयोग करके कम चूने और कम तापमान वाले क्लिंकर के विकास के लिए एक अध्ययन चल रहा है। संशोधित विकसित क्लिंकर कार्बन फुटप्रिंट और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के संरक्षण को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।

ख) *पीपीसी और पीएससी के लिए उच्च एमजीओ क्लिंकर*

मिश्रित सीमेंट (पीपीसी और पीएससी) के निर्माण में उच्च MgO (मैग्निशियम ऑक्साईड) चूना पत्थर का उपयोग करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। पीपीसी और पीएससी सीमेंट मिश्रणों के निष्पादन के मूल्यांकन पर, उच्च MgO (मैग्निशियम ऑक्साईड) क्लिंकर का उपयोग कर तैयार किया। अब तक प्राप्त परिणाम काफी उत्साहजनक थे जो उच्च एमजीओ चूना पत्थर के लाभकारी उपयोग को बढ़ाएंगे जिससे स्थिरता और खदान के जीवन में भी वृद्धि होगी।

ग) *कम्पोजिट सीमेंट*

i. एनसीबी के अध्ययन के आधार पर, भारतीय मानक ब्यूरो ने आईएस कोडः 16415–2015 (समग्र सीमेंट–विनिर्देश) तैयार किया है, जिसमें फ्लाई ऐश (15–35%) और जीबीएफ स्लैग (20–50%) और सभी घटकों की इंटर ग्राइंडिंग विधि द्वारा मिश्रित सीमेंट के निर्माण में उपयोग की अनुमति है।

ii. अलग पीसने और सम्मिश्रण प्रक्रिया द्वारा उपरोक्त मिश्रित सीमेंट तैयार करने पर आगे की जांच भी चल रही है।

iii. चूंकि, दानेदार ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग भौगोलिक रूप से देश के कई सीमेंट प्लांट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, कम्पोजिट सीमेंट्स के निर्माण में व्यापक मैटेरियल बेस के लिए फ्लाई ऐश–लाइमस्टोन आधारित कम्पोजिट सीमेंट्स की तैयारी के लिए एक अध्ययन चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिरता में वृद्धि हुई है।

घ) *पोर्टलैंड चूना पत्थर सीमेंट (पीएलसी)*

पीएलसी के निर्माण में यूरोपीय मानक ईएन–197–1 35%, अधिकतम चूना पत्थर ($CaCO_3$ ≥75%)के उपयोग की अनुमति देता है। भारत में इस प्रकार के सीमेंट का मानकीकरण नहीं किया जा रहा है। एनसीबी ने पीएलसी के विकास में विभिन्न ग्रेड चूना पत्थर के उपयोग की व्यावहारिकता की जांच करने और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसके मानकीकरण के लिए अध्ययन किया है।

ङ.) *बहुघटक सीमेंट*

फ्लाई ऐश और जीबीएफ स्लैग जैसे सिद्ध पूरक सीमेंट सामग्री के तेजी से घटने के कारण, टर्नरी सीमेंट सिस्टम पर एक व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है, जैसे फ्लाई ऐश–जीबीएफ स्लैग–चूना पत्थर, फ्लाई ऐश–जीबीएफ स्लैग–डोलोमिटिक चूना पत्थर, कैलसीन्ड आधारित सीमेंट आदि।

च) *पीपीसी में फ्लाई ऐश का उपयोग बढ़ाना*

वर्तमान में, भारतीय मानक ब्यूरो पीपीसी, आईएस–1489 (1) –2015 के निर्माण में 35% फ्लाई ऐश (आईएसः 3812–2013 के अनुरूप) की अनुमति देता है। पीपीसी में फ्लाई ऐश के उपयोग के स्तर को 35% से समनुरूप करने के लिए एक अध्ययन चल रहा है।

छ) *स्टील स्लैग (एलडी–स्लैग) क्लिंकर बनाने में कच्चे माल के रूप में*

कैल्शियम युक्त वैकल्पिक कच्चे माल का उपयोग, जो या तो डी–कार्बोनेटेड होते हैं या कैल्शियम में

गैर–कार्बोनेट खनिज होते हैं, वातावरण में कार्बन को कम करने के लिए तकनीकी रूप से उचित विकल्प प्रदान करता है और ऐसे कच्चे माल के डी–कार्बोनेशन के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम करता है। स्टील स्लैग (एलडी–स्लैग), लोहे और इस्पात उद्योग द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पोर्टलैंड क्लिंकर के उत्पादन में एक संभावित सामग्री हो सकती है।

ज) सिंथेटिक स्लैग का विकास

देश में जीबीएफ स्लैग की सीमित उपलब्धता और क्लिंकर बनाने में निम्न ग्रेड और डोलोमिटिक चूना पत्थर के गैर–उपयोग के कारण देश में समग्र ग्रेड के सीमेंट के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न ग्रेड सामग्री और औद्योगिक उप–उत्पादों का उपयोग करके सिंथेटिक स्लैग विकसित करना अनिवार्य है। अध्ययन में पारंपरिक जीबीएफ स्लैग के समान सिंथेटिक स्लैग वाले गुणों को विकसित करने की क्षमता दिखाई गई।

III. सीमेंट संयंत्रों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का आकलन

प्रयोगशाला मूल्यांकन अध्ययन, जिसमें प्रयोगशालाओं का निरीक्षण, बुनियादी ढांचे और उपकरणों का आकलन, उपकरणों का अंशांकन, कौशल स्तर का आकलन, आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना और एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने में संयंत्र प्रयोगशालाओं की सहायता करना शामिल था।

IV. स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाएँ (आईएनटी)

स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाएँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, सीमेंट, क्लिंकर, पॉज़्ज़ोलाना, एग्रीगेट, कंक्रीट, एडमिक्श्चर्स, पानी, रिफ्रेक्टरी, ईंट, कोयला, लिग्नाइट आदि के पूर्ण भौतिक, रासायनिक, खनिज और सूक्ष्म–संरचनात्मक विश्लेषण करती हैं। वर्ष 2019 के दौरान जांचे गए नमूनों की संख्या 11,000 से अधिक थी।

13.8.3 खनन, पर्यावरण, संयंत्र इंजीनियरिंग और संचालन केंद्र

i. 5 सीमेंट संयंत्रों में ऊर्जा लेखा जांच के अध्ययन किए गए।

ii. संयत्र के लिए उपकरणों का तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रमाणन, मेसर्स गल्फ नेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन मैटीरियल कंपनी (बैतक सीमेंट), कुवैत के लिए किया गया था।

iii. मेसर्स आरसीसीपीएल के लिए एएफ के पूर्व–प्रसंस्करण और सह–प्रसंस्करण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया।

iv. मेसर्स ओमान सीमेंट कंपनी के लिए प्रीहीटर और क्लिंकराइजेशन में वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किए गए टायरों की व्यवहार्यता का अध्ययन पूरा हो गया।

v. भारत में सीमेंट उद्योग में सैकेन्डरी NOx नियंत्रण उपायों के लिए अमोनिया के उपयोग के कारण पर्यावरण पर अमोनिया के प्रभाव पर अध्ययन किया गया।

vi. आदित्याना लाइमस्टोन माइंस और मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड के रैन बॉक्साइट माइंस के कारण लवणता क्षरण, एम्बीएंट एयर क्वालिटी, भूजल गुणवत्ता और भूमि उपयोग पैटर्न पर खनन के प्रभाव पर अध्ययन किया गया।

vii. मेसर्स एससीएल और मेसर्स एससीएमएल, लमशोनोंग, मेघालय के लिए सैकेन्डरी एसओ$_2$ कंट्रोल सिस्टम्स की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता पर अध्ययन किया गया।

viii. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की क्रेडिट लाइन (एलओसी) योजना के तहत कांगो गणराज्य, अफ्रीका में 600 टीपीडी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी)कार्य उल्लेखनीय परियोजना है।

13.8.4 निर्माण विकास एवं अनुसंधान केन्द्र

13.8.4.1 सुदृढ़ कंक्रीट ढांचों के बाहरी कारकों और स्थायित्व से संबंधित समस्याओं के कारण नुकसान पहुंचने की संभावना है। प्रबलित कंक्रीट ढांचों के वर्तमान स्टॉक की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन ने इसलिए किसी भी प्रमुख मरम्मत और पुनर्वास कार्य की आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख महत्व प्राप्त किया है जो संरचना के सेवा काल को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसी प्रकार मौजूदा संरचनाओं जैसे इमारतों, पुलों, सुरंगों, बांधों, औद्योगिक संरचनाओं, आदि के संबंध में आपदा का मूल्यांकन, स्थिति का आकलन, मरम्मत और पुनर्वास करना सुरक्षा और सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि ये संरचनाएं काफी पुरानी हो रही हैं। एनसीबी इस तरह की कई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और सरकार और निजी हितधारकों के लिए विभिन्न संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्वास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करता रहा है। संरचनाओं की जांच व्यापक दृश्य सर्वेक्षण, कंक्रीट के गैर–विनाशकारी मूल्यांकन (एनडीई) के माध्यम से की जाती है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरणों और अन्य फील्ड परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, इसके बाद निकाले गए ठोस महत्वपूर्ण नमूनों और कठोर कंक्रीट के रासायनिक विश्लेषण पर प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं। किए गए अध्ययनों के आधार पर, एनसीबी मरम्मत और पुनर्वास के लिए सिफारिशें करता है और विनिर्दिष्ट, लागत अनुमानों और बिलों को कवर करने वाली डिस्ट्रेस्ड आरसी स्ट्रक्चर्स की मरम्मत के लिए अत्याधुनिक मरम्मत सामग्री सहित कार्यान्वयन तकनीकें प्रदान करता है। एनसीबी, आरसीसी संरचनाओं और प्रायोजित आर एण्ड डी परियोजनाओं की मरम्मत और विभिन्न प्रकार की मरम्मत सामग्रियों की प्रभावशीलता को प्रायोजित करने के दौरान गुणवत्ता निरीक्षण सेवाओं और परामर्श सेवाओं को प्रदान करने में भी शामिल रहा है। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 35 परियोजनाओं की जांच की है। हाल ही में पूरी हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से कुछ की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:

i. एनएचपीसी, फरीदाबाद के लिए "घर्षण प्रतिरोध और सीमेंट मरम्मत सामग्री की मजबूती" पर विस्तृत अध्ययन पूरा किया गया।

ii. एम्स, दिल्ली के लिए "आग से क्षतिग्रस्त कंक्रीट की स्थिति का आकलन और मरम्मत और मजबूती पर सिफारिशों का अध्ययन" पूरा किया।

iii. एनटीपीसी, डीडीए, पीजीसीआईएल, गेल, आरबीआई इत्यादि के लिए "आरसी संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्स्थापना / सुदृढ़ीकरण पर स्थिति का मूल्यांकन और सिफारिशों" के लिए प्रायोजित परियोजनाएं जारी हैं।

iv. एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, गेल, आरबीआई, डीडीए आदि के लिए "स्थिति का मूल्यांकन और विभिन्न आरसीसी संरचनाओं की मरम्मत और बहाली / सुदृढ़ीकरण पर सिफारिशों" के लिए प्रायोजित परियोजनाएं पूरी की गई।

v. एनएचपीसी, पीजीसीआईएल और एनटीपीसी आदि के लिए प्रायोजित परियोजनाओं में "आरसीसी संरचनाओं के मरम्मत कार्यों के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता निरीक्षण" जैसी प्रायोजित परियोजनाएँ चल रही हैं।

13.8.4.2 निर्माण विकास और अनुसंधान केंद्र कच्चे माल के संरक्षण, अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उपयोग करते हुए कम यातायात वाली सड़कों का समाधान खोजने, नीचे की राख का उपयोग करने के लिए कुशल तरीके खोजने के द्वारा समाज और राष्ट्र के लिए योगदान दे रहा है। कंक्रीट में प्राकृतिक रेत को बदलने आदि कंक्रीट बनाने की सामग्री जैसे सीमेंट, फ्लाईएश, जीजीबीएस, पानी, रासायनिक मिश्रण के साथ–साथ महीन और मोटे एग्रीगेट, क्षरण अवरोध करने वाला मिश्रण और क्रिस्टलीय जल अशुद्धि यौगिकों का मूल्यांकन कंक्रीट में उपयुक्तता के लिए किया गया था। एनटीपीसी, पीवीयूएनएल, एनयूपीपीएल, एनएचपीसी, एपीसीपीएल, एनएमएचईपी और अन्य निजी उपक्रमों जैसे विभिन्न प्रायोजकों के लिए उनकी संभावित क्षरण कुल क्रियाओं के लिए लगभग 20 मोटे और महीन कंक्रीट का

मूल्यांकन किया गया था। इस अध्ययन में, आईएसः 2386 भाग–VIII के अनुसार पेट्रोग्राफिक और मिनरोलॉजिकल विश्लेषण द्वारा एग्रीगेट का परीक्षण करना, एएसटीएमसी 1260 के अनुसार एक्सीलरेटेड मोर्टार बार टेस्ट करना, आईएसः 2386 भाग–VIII के अनुसार दीर्घावधि परीक्षण करना, ताकि अलकली सिलिका रिएक्शन पर रोक लगाई जा सके और एएसटीएमसी 586 के अनुसार रॉक सिलेंडर प्रक्रिया, एएसटीएम 1105 के अनुसार कंक्रीट की लंबाई में परिवर्तन करना ताकि अलकली कार्बोनेट रिक्शन पर रोक लगाना शामिल है।

i. सतत विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधान के लिए एनसीबी में अनुसंधान और विकास किया गया / किया जा रहा है। ऐसी परियोजनाओं का सारांश निम्नलिखित हैं:

ii. सिविल इंजीनियरिंग के विभिन्न अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 100 से अधिक कंक्रीट मिश्रण डिजाइन किए गए थे, जिसमें एम10 से एम 90 तक ग्रेडर की विस्तृत श्रृंखला को कवर किया गया था। वहाँ आवेदनों में एनटीपीसी के लिए गीले फ्ल्यू गैस के अपघटन, एपीसीपीएल के लिए चिमनी और पाइलिंग संरचनाओं, पीवीयूएनएल के लिए टीजी राफ्ट और टाउनशिप, बांध स्पिलवे की मरम्मत, स्पिलवे बेसिन आदि की मरम्मत और पीडब्ल्यूडी के अन्य सुपरस्ट्रक्चर के कई महत्वपूर्ण संरचनाओं के निर्माण में कंक्रीट का उपयोग शामिल था। दिल्ली नगर निगम / फरीदाबाद / अंबाला, डीडीए, डीजेबी, हरियाणा पब्लिक हेल्थ डिवीजन, इरकॉन और विभिन्न वाणिज्यिक आरएमसी आपूर्तिकर्ताओं ने इसका उपयोग किया।

iii. पनबिजली बांध परियोजना के लिए उच्च प्रदर्शन कंक्रीट (एचपीसी) का विकास।

iv. सीमेंट कंक्रीट में सूक्ष्म एग्रीगेट के प्रतिस्थापन के रूप में नीचे की राख के उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे।

v. जियोपॉलिमर कंक्रीट आधारित निर्माण उत्पादों का विकास।

vi. कंक्रीट में एग्रीगेट के रूप में इसके उपयोग के लिए पुनर्नवीनीकरण सी एंड डी कचरे पर अध्ययन।

vii. फोसरोक लिमिटेड, ऐडो एडिटिव्स टेक्नोलॉजीस् लिमिटेड एसएस टेक्नोलॉजीस् जैसे विभिन्न क्लाइंट के लिए बाइ पोलर संक्षारण अवरोधक का दीर्घकालिक और अल्पकालिक निष्पादन मूल्यांकन किया गया है।

viii. यूएचपीसी के लिए नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कॉंक्रीट (यूएचपीसी) का विकास जारी है।

ix. तारा (सोसायटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट) के लिए नालीदार स्लैब का लचीला परीक्षण।

x. सीपीडब्ल्यूडी के लिए कंक्रीट में इसके उपयोग के लिए वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का मूल्यांकन किया गया।

xi. पर्यावरण के लिए घातक घटकों के खिलाफ फ्लाई ऐश और स्लैग के मल्टी कंपोनेंट मिश्रणों के साथ बनाए गए कंक्रीट के मैकेनिकल और ड्युरेबिलिटी का प्रदर्शन किया गया है।

xii. मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए सीमेंट कंक्रीट और कंक्रीट आधारित प्रीकास्ट बिल्डिंग उत्पादों के प्रदर्शन में सुधार के लिए कार्बन नैनोट्यूब के आवेदन पर जांच की गई है और कार्य प्रगति पर है।

xiii. मेसर्स टाटा स्टील के लिए कंपोजिट स्लैग (बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग का मिश्रण) का उपयोग कर बनाए गए पीएससी पर स्थायित्व का अध्ययन किया गया है।

xiv. मेसर्स टाटा स्टील के लिए कंक्रीट में एक सूक्ष्म एग्रीगेट (वाटर कूल्ड) और मोटे एग्रीगेट (एयर कूल्ड) के रूप में फेरोक्रोम स्लैग के उपयोग पर अध्ययन किया गया है।

xv. मेसर्स एनटीपीसी नेत्रा के लिए कंक्रीट में बारीक एग्रीगेट के प्रतिस्थापन के रूप में कोयला आधारित बॉटम ऐश के उपयोग के लिए विनिर्देशों

और दिशानिर्देशों की तैयारी के लिए अध्ययन किया गया।

xvi. फुटपाथों और प्रीकॉस्ट कंक्रीट निर्माण पर लगाने के लिए जियोपॉलिमर कंक्रीट के विकास पर परियोजना का प्रस्ताव चल रहा है।जियोपॉलीमर कंक्रीट पेवर ब्लॉक का उपयोग करके एनसीबी परिसर में 3 मीटर x 3 मीटर प्रायोगिक स्ट्रैच कास्ट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जियोपॉलिमर कंक्रीट पेवर ब्लॉक के लिए एक पेटेंट दायर किया गया है।

xvii. आर एंड डी परियोजना के निष्कर्षों के ज्ञान प्रसार को सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण सामग्री के क्षेत्र में संशोधन और ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के नए कोडल प्रावधानों में शामिल किया गया है।

13.8.4.3 एनसीबी – निरीक्षण निकाय आईएसओ / आईईसी 17020: 2012 प्रकार 'ए' स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त है और यह बल्लभगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में स्थित एनसीबी भौगोलिक इकाइयों के माध्यम से पूरे भारत में विभिन्न केंद्रीय / राज्य / स्वायत्त संगठनों द्वारा निर्मित भवन, सड़क, पुल और टनल, कंस्ट्रक्शन यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स, अन्य सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, विशेष निर्माण गतिविधियां आदि जैसी विविध निर्माण परियोजनाओं का तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण करके निर्माण क्षेत्र में तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है। एनसीबी के निरीक्षण निकाय ने टिकाऊ इमारतों और संरचनाओं को वितरित करने में गुणवत्ता की कारीगरी, अच्छी निर्माण प्रथाओं, गुणवत्ता सामग्री के उपयोग आदि को सुनिश्चित करके निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों का आश्वासन दिया है। एनसीबी ने एंड्रॉइड मोबाइल ऐप / वेब आधारित ऐप के माध्यम से निरीक्षण गतिविधियों का डिजिटलीकरण किया। वास्तविक समय के आधार पर गतिविधियों, डेटा अभिलेखीय आदि की निगरानी के लिए राष्ट्रीय महत्व की प्रतिष्ठित परियोजनाओं को एनसीपीओ द्वारा आईटीपीओ, आईआईसीसी, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, एम्स, डीडीए, आईडीसीओ –भुबनेश्वर, एनआईटी, आईआईटी, एलवीयूएस– हिसार, केपीटीओ, टीएनटीपीओ, एसएजी आदि द्वारा सम्मानित किया गया। केंद्र गुणवत्ता आश्वासन / नियंत्रण के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता रहा और इस तरह भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे में योगदान देता रहा है।

13.8.5 औद्योगिक सूचना सेवाओं के लिए केंद्र

13.8.5.1 राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण परिषद एनसीबी उद्योगों के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। पुस्तकालय की होल्डिंग्स 46,807 हो गई है। पुस्तकालय ने लगभग 43,214 से संबंधित ग्रंथ सूची डेटाबेस को बनाए रखा है और अद्यतन किया है।इस दौरान 64 पत्रिकाओं की खरीद की जा रही है। एनसीबी में प्राप्त पत्रिकाओं में लेखों की विषय–सूची वेबसाइट www.ncbindia.com पर पोस्ट की गई है।

13.8.5.2 सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 16वीं एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 03 से 06 दिसंबर, 2019 का मानेकशॉ केंद्र, नई दिल्ली में किया गया।

13.8.6 सतत शिक्षा सेवाओं के लिए केंद्र

क. एक दीर्घकालिक पाठ्यक्रम (सीमेंट प्रौद्योगिकी में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा, 23 लघु अवधि पाठ्यक्रम, 16 विशेष समूह प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम *(डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड) केसीपी लिमिटेड; ओमान सीमेंट कंपनी, मस्कट; सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, (आईएमटीआई), जल संसाधन विभाग, पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार (4 बैच); भारतीय वायु सेना; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (4 बैच); भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एनएचपीसी लिमटेड),* सीमेंट उद्योग के लिए 2 विशेष कार्यक्रम, 4 सिम्युलेटर आधारित पाठ्यक्रम, 4 संपर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 818 प्रतिभागियों के लिए सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण प्रौद्योगिकियों को कवर करने वाले विभिन्न विषयों पर आयोजित किए गए थे।

ख) इसके अलावा, लगभग 09 लघु अवधि के पाठ्यक्रम, 2 विशेष समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम और 2 सिम्युलेटर

आधारित पाठ्यक्रम 31 मार्च 2020 तक आयोजित किए जाने वाले हैं। इसके अलावा, कुछ और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और संपर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधि के दौरान आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

13.8.7 गुणवत्ता प्रबंधन, मानक और अंशांकन सेवाओं के लिए केंद्र

क. प्रमाणित संदर्भ सामग्रियों की 8,652 वाईल और मानक हाइड्रेटेड चूने के 1,479 सेटों को सीमेंट और निर्माण उद्योगों, राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों और विदेशी प्रयोगशालाओं को 31 दिसंबर 2019 तक आपूर्ति की गई है। ये विशाल विदेशी मुद्रा बचतकर्ता हैं, जिन्हें अन्यथा आयात किया जाना है क्योंकि भारतीय बाजार में ऐसे कोई उत्पाद उपलब्ध नहीं हैं।

ख. इस अवधि के दौरान सीआरएम की बिक्री के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा 5,526 यूएस डॉलर हैं।

ग. 10 भारतीय निर्देशक द्रव्य (बीएनडी) अर्थात भारतीय प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) का शुभारंभ किया। भारतीय प्रमाणित संदर्भ सामग्री एसआई इकाइयों के लिए चुने जाने योग्य सटीक माप के साथ परीक्षण और अंशांकन के माध्यम से गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बीएनडी भारत में राष्ट्रीय मानकों के संरक्षक, सीएसआईआर– राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एनपीएल) से एसआई इकाइयों के लिए अपनी अनुगामी क्षमता प्राप्त करते हैं। एसआई ट्रेसेबल बीएनडी की उपलब्धता "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम को बढ़ावा देगी और देश की गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे का सामंजस्य स्थापित करेगी।

घ. 1918 उपकरण सीमेंट प्लांट गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं, निर्माण प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों और तकनीकी सेवा संगठनों के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं।

13.8.8 निम्नलिखित प्रवीणता परीक्षण (पीटी) योजनाएं इस अवधि के दौरान पूरी की जाती हैं:

योजना	क्षेत्र	प्रतिभागी की संख्या
चूना पत्थर	रासायनिक	09
ओपीसी	रासायनिक	16
ईंट	यांत्रिक	13
फ्लाई ऐश	यांत्रिक	07
ठोस मिश्रण	रासायनिक	07
पेवर ब्लॉक	यांत्रिक	09
ठोस घन	यांत्रिक	13
मोटी रोड़ी	यांत्रिक	11
सूक्ष्म रोडी	यांत्रिक	10
क्लिंकर	रासायनिक	10
मोर्टार क्यूब	यांत्रिक	10
कोयला	रासायनिक	13

13.8.9 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के लिए एनसीबी का योगदान

13.8.9.1 49 एनसीबी अधिकारी विभिन्न बीआईएस समितियों/ उप समितियों / पैनल में अध्यक्षों /संयोजकों/ सदस्यों जैसे सीमेंट, कंक्रीट, पर्यावरण, सामग्री से निपटने, ईंधन, आग रोकने और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रतिनिधित्व करते हैं।

13.9 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)

13.9.1 परिचय

13.9.1.1 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मल्टी डिसीप्लेनरी संस्थानों में से एक है। 1958 की 'इंडिया रिपोर्ट' में की गई सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार द्वारा सितंबर 1961 में फोर्ड फाउंडेशन और अहमदाबाद के साराभाई फैमिली की सहायता से गुजरात

राज्य में अहमदाबाद (https://www.nid.edu/) में पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया गया था। इसके बाद, इसके गांधीनगर कैंपस और बेंगलुरु कैंपस को क्रमशः पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 2005 और 2007 में स्थापित किया गया था।

13.9.1.2 2007 में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (पूर्व में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)ने राष्ट्रीय डिजाइन नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य देश में डिजाइन–सक्षम नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने और डिजाइन शिक्षा को मजबूत करना था। राष्ट्रीय डिजाइन नीति ने डिजाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में एनआईडी, अहमदाबाद की तर्ज पर डिजाइन संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की थी।इस कार्य योजना के तहत आंध्र प्रदेश (अमरावती), असम (जोरहाट), मध्य प्रदेश (भोपाल) और हरियाणा (कुरुक्षेत्र) में 4 नए एनआईडी बनाए गए हैं।

13.9.1.3 ये संस्थान डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करते हैं।

13.9.1.4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद को संसद के राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (आईएनआई) घोषित किया गया है–तदनुसार, एनआईडी, अहमदाबाद डिजाइन (बी.डिजा.) में स्नातक डिग्री, डिजाइन में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डिजा.) और साथ ही डिजाइन में पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम हो गया।

13.9.1.5 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से 4 नए एनआईडी को भी एनआईडी अधिनियम, 2014 के दायरे में लाया गया है, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है। माननीय राष्ट्रपति ने 29 नवम्बर, 2019 को एनआईडी (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मंजूरी दी है। उक्त अधिनियम को 3 दिसंबर, 2019 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिनियम दिनांक 13 जनवरी 2020 के राजपत्र अधिसूचना के द्वारा 13/01/2020 को अस्तित्व में आ गया है।

13.9.2 नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

क. राष्ट्रीय डिजाइन नीति, 2007 में निर्दिष्ट सिफारिशों के आधार पर, एनआईडी, अहमदाबाद की तर्ज पर चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम में स्थापित किए गए हैं।

ख. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत चार संस्थानों की स्थापना करने और उनको सोसायटी के रूप में पंजीकृत करने के लिए 434 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति मांगी गई थी, जिसे 28 फरवरी 2014 को हैदराबाद, विजयवाड़ा में प्रस्तावित एनआईडी में स्थापित करके संशोधित किया गया था।

ग. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 2016 में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित की, और इसलिए, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के बजाय अमरावती में एनआईडी आ रहा है। दिनांक 12 सितम्बर, 2018 की अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए ही स्वीकृति प्रदान की थी।

घ. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 जुलाई 2019 को अपनी बैठक में इस दिशा में निम्नलिखित अनुमोदन के लिए स्वीकृति प्रदान की है कि चार नए डिजाइन संस्थानों का नाम उन राज्यों के नाम पर रखा जाना चाहिए जिनमें वे स्थित हैं:

ङ. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (18 का 2014) में संशोधन। ड्राफ्टिंग और तद्नुरूपी प्रकृति के ऐसे संशोधनों के साथ परिशिष्ट III में रखे गए मसौदा बिल के अनुसार विधायी विभाग के परामर्श से, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है; और

च. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 27 में "प्रिंसिपल डिजाइनर" को एक प्रोफेसर के समकक्ष नामित करना और इस संबंध में विसंगति को ठीक करना।

छ. मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार जिस राज्य में वे स्थित हैं, तद्नुसार डिजाइन के चार नए संस्थानों के नामों को बिल में निम्नानुसार शामिल किया गया है:

ज. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल के बजाय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश;

झ. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अमरावती के बजाय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश;

ञ. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र के बजाय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा;तथा

ट. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट के बजाय असम।

ठ. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को चार नए एनआईडी की स्थापना से संबंधित योजना, डिजाइन और निर्माण कार्य दिया गया, जिसके लिए संबंधित राज्य सरकारों ने पहले ही आवश्यक जमीन मुफ्त में प्रदान की है।इसमें एनआईडी, मध्य प्रदेश तथा एनआईडी, असम के परिसरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। एनआईडी, हरियाणा पूरा होने के अंतिम चरण में है। एनआईडी, मध्य प्रदेश का निर्माण इस वर्ष 2019–20 में समाप्त हो जाना चाहिए।

ड़. इस बीच, राज्य सरकारों द्वारा 2015–16 और 2016–17 के शैक्षणिक सत्र से शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत क्रमशः एनआईडी, आंध्र प्रदेश और एनआईडी, हरियाणा में उपलब्ध कराए गए अस्थायी ट्रांजिट परिसरों में हुई। एनआईडी, मध्य प्रदेश और एनआईडी, असम में शैक्षणिक गतिविधियां उनके नए परिसरों से 2019–20 के शैक्षणिक सत्र से शुरू हुई हैं।

ढ़. संस्थानों में विभिन्न संकायों, प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर काम करने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी के साथ चार नए एनआईडी में से प्रत्येक में कुल 87 पद सृजित किए गए हैं। सभी चार एनआईडी में निदेशक के साथ–साथ आवश्यक संकाय और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हुए हैं। बाकी पदों पर भर्ती जारी है।

ण. 14 जनवरी, 2019 को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण के लिए राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में, सभी एनआईडी को अगले शैक्षणिक सत्र 2020–21 से उसी को लागू करने की सलाह दी गई है, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया इस अधिसूचना से पहले शुरू हो गई थी।

त. एनआईडी (संशोधन) अधिनियम 2019, 4 नए एनआईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) के रूप में घोषित किया गया है। तदनुसार, नए एनआईडी अब अपने छात्रों को डिप्लोमा के बजाय डिग्री प्रदान कर सकेंगे।

थ. शुरूआती तौर पर नए एनआईडी द्वारा निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

1. औद्योगिक डिजाइन : 20 सीटें
2. संचार डिजाइन : 20 सीटें
3. वस्त्र और परिधान डिजाइन : 20 सीटें

13.9.3 नए एनआईडी के निदेशक:

13.9.3.1 मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र दिनांक 27.11.2018 के अनुसार चार नए एनआईडी के निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी की तारीख से 05 साल की अवधि, पद भार संभालने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए सीधी भर्ती की मंजूरी दे दी है।

क्रम सं.	स्थान	अधिकारी का नाम	शामिल होने की तिथि
1.	एनआईडी, आंध्रप्रदेश	श्री शेखर मुखर्जी	24/12/2018
2.	एनआईडी, हरियाणा	डॉ (श्रीमती) वनिता आहूजा	07/01/2019
3.	एनआईडी, मध्य प्रदेश	श्री धीरज कुमार	07/01/2019
4.	एनआईडी, असम	श्री वी रविशंकर	15/01/2019

13.8.4नए एनआईडी का अवलोकनः

डिजाइन के नए राष्ट्रीय संस्थानः एक दृश्य									
क्र सं.	विवरण	एनआईडी मध्य प्रदेश		एनआईडी असम		एनआईडी हरियाणा		एनआईडी आंध्र पदेश	
1	स्थान	भोपाल		जोरहाट		कुरुक्षेत्र		अमरावती	
2	कैंपस निर्माण के उद्घाटन की तारीख	22 फरवरी 2019		22 फरवरी 2019		–		–	
3	"लोगो" की स्थिति	अनुमोदित		अनुमोदित		अनुमोदित		अनुमोदित	
4	कुल क्षेत्रफल (एकड़)	30		30		20		50	
5	कवर क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	22,400		15,548		20,673		20,150	
6	शैक्षणिक सत्र प्रारंभ	जुलाई 2019		जुलाई 2019		2016.17		2015.16	
7	**सीटों की स्थिति (2019–20 के लिए– यूजी कोर्स)**	**कुल**	**आवंटित/ भरी हुई**	**कुल**	**आवंटित / भरी हुई**	**कुल**	**आवंटित / भरी हुई**	**कुल**	**आवंटित / भरी हुई**
i	सामान्य श्रेणी	30	30	30	30	30	30	30	30
ii	ओबीसी–एनसीएल श्रेणी	16	16	16	16	16	16	16	16
iii	एससी वर्ग	9	9	9	9	9	9	9	9
iv	एसटी वर्ग	5	2	5	5	5	3	5	5
	कुल	60	57	60	60	60	58	60	60

13.10 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली

13.10.1 परिचय

13.10.1.1 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1958 में की गई थी। इसका गठन त्रिपक्षीय है, जिसमें सरकार, उद्योग और श्रमिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व हैं। काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री करते हैं और गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग होते हैं। एनपीसी के महानिदेशक इसके सीईओ हैं। एनपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राज्य की राजधानियों/औद्योगिक केंद्रों में स्थित

13 क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडी) "चेन्नई में एक प्रशिक्षण संस्थान डा. अम्बेडकर उत्पादकता संस्थान के साथ एनपीसी का कामकाज पूरे देश में फैला हुआ है। जमीनी स्तर तक उत्पादकता के संदेश के प्रसार के लिए देश में एनपीसी के 24 प्रत्यायित निकायों का नेटवर्क भी है जिन्हें स्थानीय उत्पादकता परिषद (एलपीसी) भी कहा जाता है।

13.10.1.2 एनपीसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 20 देशों के टोक्यो में स्थित अंतर–सरकारी निकाय एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है जिसका भारत सरकार एक संस्थापक सदस्य है तथा यह भारत के लिए एपीपी कार्यक्रमों /गतिविधियों का कार्यान्वयन करती है।

13.10.1.3 एनपीसी का मिशन अर्थव्यवस्था के निष्पादन प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने तथा कार्य परिस्थितियों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्यों से जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादकता में सुधार के लिए उत्पादकता में ज्ञान और अनुभव को विकसित, प्रचार–प्रसार और लागू करना है।

13.10.1.4 एनपीसी अपने 8 प्रभागों के माध्यम से तकनीकी–इको–प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करता है;

i. औद्योगिक इंजीनियरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, ऑर्गनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, सिस्टम्स एंड प्रोसिजर्स रिडिजाइन, मानव संसाधन आकलन, एचआर प्लानिंग एंड रेशनलाइजेशन, वेज स्ट्रक्चर डिजाइन, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन में परामर्शी सहायता प्रदान करता है।

ii. पर्यावरण प्रबंधन नगर निगमों और उद्योगों, जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण उद्योग, हरित उत्पादकता, जीआईएस, जीपीएस आधारित प्रणालियों, ईआईए और ईएमएस (आईएसओ 14001), शहरी पर्यावरण योजना और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है।

iii. एनर्जी मैनेजमेंट और ऑडिट ऑफ़ इंडस्ट्रीज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, पावर यूटिलिटीज़, डिमांड साइड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी अप–ग्रेडेशन और एसएमई के लिए संसाधन संरक्षण, इंटीग्रेटेड क्लीनर प्रोडक्शन, एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज लागू, एनएमएस (आईएसओ 50001) के क्षेत्र में एनर्जी कार्यों का कार्यान्वयन।

iv. आर्थिक सेवाएं, सेक्टोरल / औद्योगिक / उत्पाद प्रोफ़ाइल अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन, बाजार संभावित मूल्यांकन, सामाजिक आर्थिक प्रभाव अध्ययन (मैक्रो और उप मैक्रो स्तर के अध्ययन), प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान अध्ययन, नीति फोकस / प्रभाव अध्ययन, उत्पादकता डेटा आधार विकास, प्रतिस्पर्धा / रैंकिंग का संचालन करती है।

v. कृषि विकास कार्यक्रमों की निगरानी मूल्यांकन और प्रभाव आकलन के क्षेत्र में कृषि–व्यवसाय के सौदे, कृषि योजनाओं के लिए नीति निर्माण और रणनीतियाँ, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2002 के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों का गुणवत्ता लेखा जांच / निरीक्षण, गोदामों का भौतिक और सामान्य निरीक्षण कोल्ड स्टोरेज, खाद्य और कृषि में मूल्य श्रृंखला प्रबंधन किया जाता है।

vi. मानव संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण आवश्यकताओं और कैरियर योजना, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली, री–इंजीनियरिंग और पुनर्गठन निगम, कार्य संस्कृति / कार्यक्षेत्र परिवर्तन, बहु–कौशल, परिवर्तन प्रबंधन, संगठनात्मक विकास के क्षेत्र में सेवाओं को शामिल करके सेवा पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करता है।

vii. सूचना प्रौद्योगिकी डेटाबेस विकास और इसके प्रबंधन, एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, ई–पोर्टल के विकास, ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए समर्थन, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और प्रबंधन क्षमता निर्माण पर विशेषज्ञ सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करती है।

viii. प्रौद्योगिकी प्रबंधन और प्रशिक्षण जो प्रौद्योगिकी मूल्यांकन अध्ययन भौतिक संपदा, उत्पादकता

कंडीशनिंग के माध्यम से स्थिति निगरानी, उत्पादकता रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स प्रबंधन, सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन, ओएचएसएएस 18001 कार्यान्वयन, रखरखाव लेखा जांच, उत्पादकता ऑडिट, सुरक्षा परीक्षण और जागरूकता सर्वेक्षण के माध्यम से भौतिक संपत्ति उत्पादकता में सुधार के क्षेत्र में संबंधित है।इसके अलावा, प्रशिक्षण के नए क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर और मॉड्यूल का विकास करना भी इसका प्रमुख कार्य है।

13.10.1.5 एनपीसी के पास गुणवत्ता, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, लीन प्रबंधन, एमएफसीए, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी और उन्नत उत्पादकता के क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर्स का स्वयं का पूल है।

13.10.1.6 एनपीसी की उत्पादकता जागरूकता पोर्टफोलियो में हर साल 12 –18 फरवरी के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह समारोह के माध्यम से उत्पादकता जागरूकता के लिए अपने कार्यक्रम, उत्पादकता पुरस्कार प्रस्तुतियों, और ई–उत्पादकता समाचार और उत्पादकता जर्नल प्रकाशित करता हैं।

13.10.1.7 एनपीसी निम्न के माध्यम से उत्पादकता संवर्धन करता है:

i. क्षेत्र विशिष्ट परामर्श
ii. क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण
iii. उत्पादकता अनुसंधान
iv. निगरानी और मूल्यांकन
v. एपीओ के सहयोग से सूचना का प्रचार–प्रसार

13.10.2 एनपीसी की गतिविधि 2019–20 के दौरान विभिन्न डोमेन के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

13.10.2.1 एनपीसी ने मानव संसाधन के निरंतर विकास के लिए दिसंबर 2019 तक 110 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र शामिल हैं। उच्च और मध्यम प्रबंधन के 5476 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और कर्मचारियों के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के अनुप्रयोग के लिए सॉफ्ट स्किल्स और वर्क कल्चर के विषयों को कवर किया गया।

13.10.2.2 एनपीसी ने 127 परामर्शी और एक्शन रिसर्च आधारित कार्य किए हैं। इन कुछ प्रमुख कार्यों में योजना के तहत विभिन्न अपशिष्ट और रसायन प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम ''खतरनाक पदार्थों के लिए प्रबंधन संरचना व्यवस्थित करने, एशिया में 8वें क्षेत्रीय 3आर फोरम और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम तैयार करना शामिल है।

13.10.2.3 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों (बीईई) के लिए 20वें एनसीई, संगठन के पुनर्गठन की तैयारी, सेवा नियम और मानव संसाधन नीतियां और टाइडल पार्क लिमिटेड के लिए वेतन निर्धारण,हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड के लिए जनशक्ति आकलन अध्ययन, पश्चिम बंगाल राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट की सूची बनाने, वाइल्ड मैरीगोल्ड और सीएसआईआर– आईएचबीटी के लिए तत्पर सोसायटी पर आरएंडडी टेक्नोलॉजीज के प्रभावों के आकलन पर अध्ययन करना आदि।

13.10.2.4 एनपीसी ने केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जो 18–23 नवंबर 2019 के दौरान बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। इस कार्यक्रम को विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था। यह कार्यक्रम विकास आयुक्त–एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और यह कक्षा सत्र, समूह अभ्यास और क्षेत्र के दौरे का मिश्रण था।

13.10.2.5 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने उद्योग के लिए आईटी पर उत्कृष्टता केंद्र 4.0 (सीओई: आईटी फॉर 14.0) की स्थापना एनपीसी, नई दिल्ली में एशियाई उत्पादकता संगठन (एपीओ) के साथ मिलकर इस अधिदेश के साथ की है कि उद्योग / एसएमई / उद्यमी / स्टार्ट–अप भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए एक ज्ञान केंद्र

के रूप में कार्य कर सकें। विनिर्माण उद्योगों में उद्योग 4.0 के कार्यान्वयन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, सीओई: आईटी फॉर 14.0, नई दिल्ली, ने दिल्ली के चार–एसएमई कंपनियों में ऑटोमोटिव, फूड प्रोसेसिंग, और गारमेंट्स से उद्योग 4.0 के लिए आईटी पर एक प्रदर्शन परियोजना शुरू की है। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि प्रसार अवधि सहित लगभग 12 महीने है।इस अभ्यास से सीओई को एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन का प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।

13.10.2.6 एनपीसी ने एशियाई उत्पादकता संगठन, टोक्यो, जापान के साथ मिलकर अगस्त 2019 के दौरान ''खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए सतत खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं की क्षमता निर्माण'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है।

13.10.3 इस वर्ष के दौरान, एनपीसी ने विभिन्न संगठनों / संस्थानों और उद्योग संघों के साथ एमओयू किया है, जिससे सेवा पोर्टफोलियो और वैश्विक आउटरीच के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ाकर और भावी तत्परता के लिए रोडमैप विकसित करके परामर्शदाता और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ाया जा सके। एनपीसी ने मार्च, 2020 तक उद्योग 4.0 पर एक वर्षीय प्रमाणपत्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई है।

निष्पादन हाइलाइट्स (अप्रैल–दिसम्बर 2019)

17 करोड़ रु. (गैर–लेखा परीक्षित)

75%
कंसलटेंसी



25%
प्रशिक्षण

एनपीसी गतिविधि राजस्व

127



कंसलटेंसी कार्य

110



प्रशिक्षण कार्यक्रम

5476



प्रशिक्षण भागीदार

13.11 भारतीय गुणवत्ता परिषद

13.11.1 परिचय

13.11.1.1 भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) देश में एक प्रत्यायन ढांचा स्थापित करने तथा एक राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान शुरू करके भारत में गुणवत्ता आंदोलन का विस्तार करने के लिए सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के तहत पंजीकृत एक लाभ न कमाने वाला स्वायत्त संगठन है। क्यूसीआई राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के रूप में काम करता है।

13.11.1.2 क्यूसीआई अपने बोर्डों और डिवीजनों के माध्यम से गुणवत्ता की मान्यता और संवर्धन में लगा हुआ है। प्रत्येक बोर्ड कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में काम करता है।जबकि विशेष परियोजना समूह के नीचे काम करने वाले डिवीजन नई योजनाओं को इनक्यूवेट करते हैं और सरकार और अन्य निकायों की आवश्यकता के

अनुसार परियोजनाओं में गुणवत्ता वितरण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये बोर्ड और डिवीजन विभिन्न योजनाओं / परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करने वाले विशेषज्ञों की भागीदारी के माध्यम से अपनी विभिन्न गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पेशेवरों का नेटवर्क अपने साथ ज्ञान लाता है जो एक वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा का आश्वासन देने वाली गुणवत्ता के प्रति जागरूकता लाने के लिए आवश्यक है।

13.11.1.3 प्रत्यायन बोर्ड हैं:

i. एनएबीसीबी: राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड।

ii. एनएबीईटी: राष्ट्रीय शिक्षण और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड।

iii. एनएबीएच: राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदायक प्रत्यायन बोर्ड।

iv. एनएबीएल: राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला बोर्ड।

v. एनबीक्यूपी: राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (गुणवत्ता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान का हिस्सा)।

13.11.1.4 विशेष परियोजना समूह के तहत विभाजन हैं:

i. जेडईडी (जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट)।

ii. पीएडीडी (परियोजना विश्लेषण और प्रलेखन प्रभाग)।

iii. पीपीआईडी (परियोजना आयोजना और कार्यान्वयन प्रभाग)।

13.11.2 अद्यतन: क्यूसीआई बोर्ड्स गतिविधियां

13.11.2.1 एनएबीएल (राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड): (एनएबीएल) एक परीक्षण, अंशांकन, चिकित्सा प्रयोगशाला, प्रवीणता परीक्षण प्रदाता (पीटीपी) की तकनीकी क्षमता के प्रत्यायन (मान्यता) और संदर्भ सामग्री निर्माता (आरएमपी) एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए प्रत्यायन देता है। एनएबीएल के पास एशिया पैसिफिक एक्रिडिटेशन कोऑपरेशन (एपीएसी) के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन का प्रबंधन (एमआरए) है और यह इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रिडिटेशन कोऑपरेशन (आईएलएसी) के लिए हस्ताक्षरकर्ता भी है।

मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या (कुल 5543)	
परीक्षण प्रयोगशाला	310
अंशांकन प्रयोगशालाएँ	96
चिकित्सा प्रयोगशालाएँ	121
प्रवीणता परीक्षा प्रदाता (पीटीपी)	10
संदर्भ सामग्री निर्माता (आरएमपी)	01

13.11.2.1 एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स): नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) हेल्थकेयर संगठनों के लिए मान्यता और प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करता है। इस बोर्ड को उपभोक्ताओं की वांछित जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य संगठनों की प्रगति के लिए मानक निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है। यह बोर्ड उद्योग, उपभोक्ताओं और सरकार सहित सभी हितधारकों द्वारा समर्थित होने के दौरान गुणवत्ता के समग्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बेंचमार्क के भीतर काम करता है। एनएबीएच इंटरनेशनल सोसायटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर (आईएसक्यूएच) का एक संस्थागत सदस्य है। यह में एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी हेल्थकेयर (एएसक्यूएच) बोर्ड का भी सदस्य है।

कार्यक्रम	प्रत्यायन / प्रमाणन
प्रत्यायन कार्यक्रम	312
प्रमाणन कार्यक्रम	1279
एंपेनलमैंट कार्यक्रम	263

13.11.2.2 एनएबीसीबी (प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड): प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन, निरीक्षण और सत्यापन और सत्यापन निकायों को बोर्ड के मानदंडों के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर मान्यता प्रदान करता है। एनएबीसीबी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और सदस्यता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।एनएबीसीबी अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (आईएएफ) और एशिया पैसिफिक प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) के साथ–साथ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, ग्लोबल जीएपी, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, उत्पाद प्रमाणन के लिए उनके बहुपक्षीय पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमएलए / एमआरए) के हस्ताक्षरकर्ता है। एनएबीसीबी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एपीएसी एमआरए हस्ताक्षरकर्ता भी है। एनएबीसीबी अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (आईएलएसी) और एशिया पैसिफिक प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) का पूर्ण सदस्य है और निरीक्षण के लिए अपने एमआरए के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है।एनएबीसीबी मान्यताएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष हैं और अपने मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा प्रमाणीकरण / निरीक्षण की वैश्विक स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती हैं।

योजना	प्रत्यायन
गुणवत्ता प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	38
निरीक्षण प्रत्यायन निकाय	58
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	17
पर्यावरण प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	11
उत्पाद प्रत्यायन प्रमाणन	13
व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	08
सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	05
ऊर्जा प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	05
सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	01
भरोसेमंद डिजिटल रिपोजिटरी प्रबंधन प्रत्यायन प्रणाली	01
व्यक्तियों के प्रत्यायन का प्रमाणन	01
ग्रीनहाउस गैस सत्यापन और सत्यापन निकाय	01

13.11.2.3 **एनएबीईटी(शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड):** राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी) ने क्षेत्रों में समग्र गुणवत्ता आश्वासन के लिए सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किए हैं: सेवाएं, शिक्षा – औपचारिक और गैर–औपचारिक दोनों, उद्योग, पर्यावरण आदि केंद्रित रणनीतिक दिशा के लिए यह पांच अलग–अलग वर्टिकल के माध्यम से अपनी गतिविधियां करता है; औपचारिक शिक्षा उत्कृष्टता प्रभाग (फीड), कौशल प्रशिक्षण और सेवा प्रभाग, प्रत्यायन प्रभाग, पर्यावरण और एमएसएमई बोर्ड की गतिविधियाँ उन प्रमाणन निकायों को मान्यता देना है जो कार्मिक प्रमाणन, प्रशिक्षण प्रदाताओं और शैक्षिक संगठनों के प्रमाणन के क्षेत्र में काम कर रही हैं।एनएबीईटी कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सेक्टर विशिष्ट संघों / मंडलों के साथ काम करता है ताकि उन्हें तीसरे पक्ष के मान्यता तंत्र के माध्यम से उनकी सेवाओं, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य नियामक प्रक्रियाओं में संरचना और मानक बनाने में मदद मिल सके। सेवाओं, शिक्षा और प्रशिक्षण–शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में रचनात्मक मूल्य जोड़ने के उद्देश्य से एनएबीईटी अपने अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है। एनएबीईटी अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (आईएएफ) और एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (एपीएसी) का सदस्य है।

i. स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता कार्यक्रमः

परियोजना विवरण	स्कूलों की संख्या
स्कूल विकास सूचकांक परियोजना के तहत दिल्ली में स्कूलों का मूल्यांकन और आंकलन (दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग – डीसीपीसीआर)	1429
स्कूल विकास सूचकांक परियोजना के तहत दिल्ली में स्कूलों का पुनः मूल्यांकन (दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग – डीसीपीसीआर)	1385
राजस्थान के झुंझुनू और सीकर जिलों में स्कूलों का आकलन।	258
वृहन मुंबई नगर निगम (पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) के तहत स्कूलों के मूल्यांकन, गुणवत्ता हस्तक्षेप और प्रमाणन।	30

ii. रिपोर्ट की अवधि के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) सलाहकार संगठनों का प्रत्यायन – 6 (कुल 181)

13.11.2.4 एनबीक्यूपी (राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड): राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड (एनबीक्यूपी) भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के विजन पर काम करता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के भाग के रूप में, बोर्ड राष्ट्रीय / क्षेत्रीय गुणवत्ता कॉन्क्लेव, गुणवत्ता माह समारोह, सेमिनार / कार्यशाला अखिल भारतीय नियमित जागरूकता कार्यक्रम, आदि आयोजित करता है। इसने उचित गुणवत्ता के उपकरण और तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं के उन्नयन / उद्योगों को प्रेरित करने के लिए क्यूसीआई – डीएल शाह गुणवत्ता पुरस्कार (परियोजना आधारित और व्यक्तिगत स्तर) भी स्थापित किया गया है। बोर्ड आईएसओ 9001 मानकों को लागू करने के साथ–साथ काइजन / लीन / 5 एस कार्यप्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया सुधार परियोजनाओं को लागू करने में केंद्र / राज्य सरकार दोनों के विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।बोर्ड ने बीईई के माध्यम से आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) के कार्यान्वयन में सार्वजनिक उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए एक परियोजना भी शुरू की है।यह कंसल्टेंट्स / ऑडिटर और प्रबंधन प्रणाली पाठ्यक्रम के साथ–साथ व्यक्तिगत / कॉर्पोरेट व्यावसायिक सदस्यता योजनाओं के पंजीकरण के लिए योजना भी संचालित करता है।

योजना	रिपोर्ट की अवधि के दौरान पंजीकरण / सदस्यता
व्यवसायिक सदस्यता	314
पंजीकृत ऑडिटर	13
पंजीकृत परामर्शदाता	27
पंजीकृत प्रबंधन प्रणाली पाठ्यक्रम	3

13.11.3 शुरू की गई नई योजनाएं

i. एनएबीएल ने आईएसओ 15189 के आधार पर मेडिकल इमेजिंग–अनुरूपता मूल्यांकन निकाय (एमआई–सीएबी) की प्रत्यायन की एक नई योजना शुरू की। सॉफ्टवेयर और आईटी सिस्टम परीक्षण के दो नए विषयों, नैदानिक रेडियोलॉजी क्यूए परीक्षण भी लॉन्च किए गए। मौजूदा मृदा और रॉक समूह के तहत भूभौतिकीय परीक्षण भी जोड़ा गया था।

ii. एनएबीसीबी ने प्रमाणन निकायों के लिए व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) प्रत्यायन योजना शुरू की थी।

13.11.4 परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन प्रभाग (पीपीआईडी): गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों/ तृतीय पक्ष आश्वासन से संबंधित 27 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 24 मंत्रालयों/मंत्रिस्तरीय विभागों से क्यूसीआई संबद्ध रहा है, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं : आयुष्मान भारत (एबी–पीएमजेएवाई), अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी, अटल इनोवेशन मिशन, फार्मेल्डीहाइड के लिए मत्स्य पालन का तीसरे पक्ष द्वारा जांच; स्वच्छ भारत मिशन; थर्ड पार्टी सेम्पलिंग, कोयले का विश्लेषण व परीक्षण; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हरियाणा; स्वच्छ रेल 2019; कायाकल्प; डीएआरपीजी सीजीआरएएमएस;

राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2019; स्टार्ट–अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) और सार्वजनिक अवधारणा सर्वेक्षण आदि।

13.11.5 जीरा डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड): जेड वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय (एमएसमएई) पर काम कर रहा है और इसकी गतिविधियों को नीचे दिखाया गया है:

जेड (जेडईडी) विशिष्ट गतिविधियों का विवरण:

i. पंजीकरण: 1068 (कुल23064)

ii. ऑनलाइन स्व–मूल्यांकन: 286 (कुल 3570)

iii. डेस्कटॉप आकलन: 135 (कुल1053)

iv. साइट–मूल्यांकन: 44 (कुल 546)

v. रेटिंग: कांस्य: 43, रजत: 52, स्वर्ण: 18, डायमंड: 2, कोई रेटिंग नहीं: 67

14
अध्याय

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व

14.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार सुरक्षित करने संबंधी सरकार के प्रयास, भेदभाव एवं पीड़ा मुक्त राष्ट्र का समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सहायक हैं। भारत सरकार की नीति के अनुसार, सरकारी सेवाओं में अ.जा./ अ.ज.जा. वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विभाग में उप–सचिव रैंक के एक संपर्क अधिकारी के अधीन एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस विभाग के एससी/एसटी प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व विभाग के साथ–साथ विभिन्न संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदेशों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना, आरक्षण रोस्टरों का निरीक्षण करना, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमित विवरणी प्रस्तुत करने के कार्य को सुनिश्चित करना है।

14.2 इसी प्रकार, सरकारी सेवा में ओबीसी के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव के पद पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

14.3 विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / ओबीसी / भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के सदस्यों के लिए आरक्षण पर निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन प्रशासनिक अनुभागों के साथ साथ नियुक्त करने वाले प्राधिकारियों को भी समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

14.4 सेवा में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्वः दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि नीति के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण हो। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इस मामले में प्रयास करता रहा है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों को विभाग में लागू किया जा रहा है तथा इस विभाग के तहत सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों में इन्हें परिचालित किया गया है।

14.5 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और इसके सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में काम करने वाले दिव्यांग और पूर्व सैनिक व्यक्तियों की संख्या का विवरण इस प्रकार हैः

क्र. सं	पद की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1.	क	1935	26	1
2.	ख	594	13	2
3.	ग एवं घ#	2045	29	16

पूर्ववर्ती समूह 'घ'

15
अध्याय

महिला कल्याण कार्यकलाप

15.1 भारतीय संविधान में निहित लैंगिक समानता सिद्धांतों को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह सरकार को ऐसी नीतियों को बनाने और कार्यान्वयन में सक्षम बनाता है जिनका उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं का विकास करना है। इस प्रकार क्रॉस–कटिंग नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने; लिंगभेद संबंधी समस्याओं का निराकरण करने; अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने; और अपने अधिकारों को प्राप्त करने और उनकी संपूर्ण क्षमता के अनुसार विकास करने के लिए संस्थागत और विधायी सहायता को सुकर बनाने के लिए सरकार सदैव प्रयास करती रही है।

15.2 भारत सरकार ने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रहने और विकास में समान भागीदार के तौर पर योगदान करने वाली एक सशक्त महिला, विकास और समृद्धि के लिए देश की आधारभूत आवश्यकता है। इन विचारों को समायोजित करते हुए और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निदान) अधिनियम, 2013 का प्रावधान किया है। इस अधिनियम में अनेक संस्थागत और विधायी व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हुए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का होना अपेक्षित है। इस विभाग ने इसके गठन और पदानुक्रम सहित सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

15.3 आंतरिक शिकायत समिति के गठन के अलावा, विभाग ने सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप महिला कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए अनेक सक्रिय कदम उठाए हैं। इस प्रयास के समान सहभागी के तौर पर, महिला कर्मचारियों को उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के लिए सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

16
अध्याय

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

16.1 सरकार की राजभाषा नीति

16.1.1 हमारे संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विभाग में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आवश्यक पहल की गई ताकि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों/लक्ष्यों और नीति के विविध प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

16.1.2 हिंदी के अधिकतम प्रयोग और विस्तार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजभाषा अधिनियम, 1963 में निहित नियमों एवं प्रावधानों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए थे। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों, यथा सामान्य आदेश, नियम, संकल्प, अधिसूचना, लाइसेंस आदि तथा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी कागजातों आदि हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार, हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए।

16.1.3 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्र 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों और कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/संस्थानों आदि के साथ अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में करने हेतु सभी संभव कदम उठाए गए। राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित वर्ष 2019–20 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास किए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार कार्यालयों, उपक्रमों, संस्थानों आदि के साथ क्रमशः 78%, 75% तथा 69% पत्राचार (30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार) हिंदी में किया गया। इस संबंध में और अधिक प्रगति प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

16.1.4 अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से, विभाग के 20 अनुभागों को राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है ताकि अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में किया जाए। इससे सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग संबंधी संवैधानिक अधिदेश का पालन किए जाने में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिक एवं उपयोगी योगदान को बढ़ाने में काफी सहायता मिली है।

16.2 राजभाषा नीति के अनुपालन की मॉनीटरिंग

16.2.1 विभाग तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/ संस्थानों/स्वायत्त निकायों/उपक्रमों आदि में राजभाषा नीति के अनुपालन की यथास्थिति प्राप्त करने हेतु विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अनुभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। विभाग के राजभाषा प्रभाग द्वारा संबंधित नियमों/प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में इन रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में व्यापक स्तर पर समीक्षा की जाती है, जिसमें सभी प्रभागीय प्रमुख अर्थात निदेशक/ उप सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरानए राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिए गए।

16.2.2 माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की उच्चतम स्तर पर निगरानी करती है। इस समिति में माननीय संसद सदस्यों के अलावा विभिन्न भाषा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। समिति की बैठकों में मंत्रालय तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सरकार की राजभाषा नीति एवं इसमें निहित प्रावधानों के कार्यान्वयन की समग्र रूप से समीक्षा की जाती है।

16.2.3 हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने एवं सार्वजनिक रूप से इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से, विभाग के विभिन्न कार्यकलापों/उपलब्धियों आदि के बारे में जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से हिंदी में भी अपलोड की जाती है।

16.2.4 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का ऑन–द–स्पॉट आकलन करने के लिए समय–समय पर विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा विभाग के प्रभागों के साथ–साथ इसके नियंत्रणधीन कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

16.3 प्रशिक्षण

16.3.1 हिंदी में काम करने के लिए कर्मचारियों की रूचि/क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से समय–समय पर कर्मचारियों को गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी/हिंदी भाषा में प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है। इससे विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। हिंदी टाइपिंग और हिंदी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण के लिए फरवरी, 2020 सत्र में 08 अधिकारियों (06 टंकक और 02 स्टेनोग्राफर) को नामित किया गया है।

16.3.2 विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और संबंधित प्रावधानों से अवगत कराने, संबंधित क्षेत्र में उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने और उन्हें इस संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्याशालाओं में व्याख्यान देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। ये विशेषज्ञ राजभाषा नीति, हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग के साथ–साथ कंप्यूटरों पर हिंदी में सुगमतापूर्वक कार्य करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ कार्यशालाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श करते हैं। सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है ताकि कार्य में एकरूपता रहे। सरकारी कामकाज में प्रायः प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अंग्रेजी शब्दों, संक्षिप्त रूपों, वाक्यांशों, संक्षिप्त टिप्पणियों आदि के हिंदी रूपान्तर विभाग में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उन्हें हिंदी में काम करने में सहायता मिले।

16.4 प्रोत्साहन स्कीम

16.4.1 हिंदी में नोटिंग/ड्रॉफ्टिंग के लिए वार्षिक पुरस्कार योजनाः हिंदी के विस्तार और इसके अधिकतम उपयोग के लिएए राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में नोटिंग/ड्रॉफ्टिंग के लिए एक वार्षिक नकद पुरस्कार योजना तैयार की गई है जिसे विभाग में प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों को एक वित्त वर्ष में निर्धारित शब्द–सीमा अथवा अधिक मात्रा में हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए क्रमशः 5000/– रू. (दो पुरस्कार), 3000/– रू. (तीन पुरस्कार) और 2000/– रू. (पांच पुरस्कार) (कुल 10 पुरस्कार) के क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

16.4.2 विभाग के अनुभागों/एककों के लिए छमाही नकद पुरस्कार स्कीमः विभाग के प्रभागों को एक टीम के रूप में सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने को प्रोत्साहित करने तथा उनके बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक छमाही हिंदी टिप्पण/आलेखन नकद पुरस्कार योजना विभाग अनुभागों/एककों हेतु कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक अनुभाग को 7000 रू, 6000 रू तथा 5000 रू के क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार और 3000–3000 रू के दो नकद प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं।

16.5 अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

16.5.1 सरकार की राजभाषा नीति में निहित निर्देशों के अनुसार, हिंदी में कार्य करने के लिए कर्मचारियों

को प्रोत्साहित करने हेतु विविध कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 'हिंदी दिवस' के उपलक्ष्य में ''हिंदी पखवाड़ा'' मनाया गया। सचिव, डीपीआईआईटी की ओर से कर्मचारियों को अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करने की अपील जारी की गई।

16.6 विभाग में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

16.6.1 विभाग में, प्रत्येक वर्ष की भांति, इस वर्ष भी 14–28 सितंबर, 2019 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर, माननीय मंत्री जी का एक संदेश और सचिव महोदय की ओर से एक अपील विभाग में परिचालित की गई।

16.6.2 हिंदी पखवाड़े के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सात प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध, टिप्पण और आलेखन, कविता पाठ, अनुवाद और एम.टी.एस. कर्मचारियों के लिए श्रुतलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए पांच पुरस्कार दिए गए हैं। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। संयुक्त सचिव राजभाषा प्रभारी के निर्देशों के अनुपालन में अवर सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग से तीन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी पखवाड़े के दौरान एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। सचिव महोदय द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण समारोह में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव (ए.ए.), संयुक्त सचिव (आर.आर.) और संयुक्त सचिव (एस.डी.एस.) ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया।

16.6.3 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'हिंदी पखवाड़े' के दौरान छः प्रतियोगिताओं नामतः हिंदी निबन्ध, टिप्पण/आलेखन, टाइपिंग, कविता पाठ, हिंदी अनुवाद एवं एमटीएस



सचिव महोदय राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पुरस्कार देते हुए

कर्मचारियों के लिए श्रुतलेखन आदि का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में दो प्रतियोगिताएं (हिंदी निबंध और टिप्पण/आलेखन) पूर्णतः गैर–हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए थीं।

16.6.4 कर्मचारियों की लेखन क्षमता के उपयोग के उद्देश्य से विभागीय पत्रिका 'सुगंधि' के वार्षिक संस्करण का शीघ्र प्रकाशन किया जाएगा। विभाग तथा इसके अधीन कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की रोचक एवं पठनीय स्व–रचित रचनाओं को पत्रिका में शामिल किया गया है।

16.6.5 इस विभाग के अधीन कार्यालयों/ स्वायत्त निकायों आदि द्वारा राजभाषा अधिनियम एवं उसके तहत तैयार की गई राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखे गए। उनका कार्य निष्पादन प्रशंसनीय था। उनसे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत् रूप से आग्रह किया गया। इस अवधि के दौरान उपर्युक्त सभी कार्यालयों द्वारा हिंदी सप्ताह/पखवाड़े/मास का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

16.6.6 इस प्रकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/संस्थानों/स्वायत्त निकायों द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यथावश्यक प्रभावी उपाय किए गए।

17
अध्याय

सतर्कता मामले

17.1 इस विभाग के सतर्कता अनुभाग के मुखिया मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होते हैं जो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह से की जाती है, मुख्य सतर्कता अधिकारी विभाग में सतर्कता व्यवस्था में एक नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करते हैं। सतर्कता अनुभाग के निम्नलिखित कार्य सौपें गए हैं:–

i. कदाचार/प्रलोभन की संभावना वाले संवदेनशील क्षेत्रें का पता लगाना और सरकारी कामकाज में सत्यनिष्ठा/दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;

ii. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित भ्रष्टाचार निरोधी उपायों के लिए लक्ष्यों को हासिल करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करना–

iii. डीपीआईआईटी के समूह 'क' और 'ख' अधिकारी और इस विभाग के तहत संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे अधिकारियों जिनके मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति हैं, के खिलाफ सतर्कता दृष्टिकोण से अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू करना।

iv. डीपीआईआईटी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के संपत्ति फोल्डर का रख–रखाव करना एआईएस/सीसीएस (आचरण) नियमावली/एफआर एवं एसआर के अंतर्गत मंजूरी जारी करना।

v. संवेदनशील अनुभागों/पदों की पहचान करना और इन अनुभागों/पदों पर नियुक्त अधिकारियों का चरणबद्ध तरीके से बारी–बारी से स्थानांतरण सुनिश्चित करना।

vi. डीओपीटी एवं सीवीसी से सतर्कता संबधी मामलों पर प्राप्त आदेशों/निर्देशों को परिचालित करना।

vii. आईएएस/आईपीएस/आईईएसआईएसएस/सीएसएस/सीएसएसएससीएससीएस/एसएसएस संवर्ग के संबंध में 'स्पैरो' में डीपीआईआईटी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्यानिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का सृजन और रख–रखाव तथा विभाग के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के एपीएआर का रख–रखाव जिनके लिए 'स्पैरो' सुविधा शुरू नहीं की गई है। पेसो और नमक आयुक्त कार्यालय के समूह 'क' अधिकारियों की एपीएआर का रख–रखाव।

viii. यूनियन–वार बुक की व्यवस्था एवं सुरक्षा।

ix. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिए अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। इन अधिकारियों की सतर्कता गतिविधियों की समग्र जिम्मेदारी, डीपीआईआईटी के मुख्य सतर्कता अधिकारी की होती है। सीवीसी की सिफारिशों के आधार पर सतर्कता अनुभाग ने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के लिए अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव संभाला है।

x. संवेदनशील अथवा कदाचार और प्रलोभन की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने पर बल देते हुए निवारक सतर्कता पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाना जारी रहता है। इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

17.2 अधिकारियों और स्टाफ में जागरूकता पैदा करने के लिए 28 अक्टूबर से 02 नबंवर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 मनाया गया।

18
अध्याय

नागरिक घोषणा–पत्र

18.1 यह विभाग अपने दिन–प्रतिदिन के सार्वजनिक कार्यों में अखंडता, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के मूल्यों को सावधानीपूर्वक और परिश्रमपूर्वक बनाए रखता है। यह विभाग आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों एवं प्रथाओं को अपनाकर अपनी सेवाओं को मूल्यपरक बनाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने एवं समय पर कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा है। विभाग निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

i. हितधारकों एवं अन्य हित समूहों/हितधारकों से नीतियों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा हेतु लगातार विचार–विमर्श करना, ताकि नीतिगत दस्तावेजों पर उनके विचार, समझ एवं चिंताएं दर्शाई जा सकें।

ii. हितधारकों एवं हित समूहों को प्रगति में साझेदार समझना एवं उन्हें सम्मान व स्नेह देना, उन्हें नव अवधारणाओं एवं प्रक्रियाओं के लिये प्रोत्साहित करना जिससे औद्योगिक परिवेश समग्र रूप से संवर्धन हो सके।

iii. इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के व्यापक उपयोग से ई–गवर्नेंस के जरिए हितधारकों एवं अन्य हित समूहों के साथ एक इंटरफेस के लिए संचार के अधिक प्रभावी माध्यम तैयार करना।

iv. विभाग को दी गई निजी एवं व्यापार संबंधी सूचना की गोपनीयता को बरकरार रखना।

v. औद्योगिक अनुमोदनों की प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा उतना ही न्यूनतम नियंत्रण रखना जितना अत्यावश्यक हो।

vi. कानून एवं प्रक्रियाओं में हुए सभी परिवर्तनों को अंतिम रूप, देने के बाद उन्हें उपयुक्त मीडिया माध्यमों के द्वारा सार्वजनिक करना।

18.2 मामलों के त्वरित निपटान एवं शिकायतों के शीघ्र समाधान को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए, विभाग ने सभी शंकाओं एवं आवेदनों के लिये उसी वक्त लिखित पावती देना जारी रखा है तथा प्राप्त समीक्षाओं के लिए निर्धारित समय–सीमा के भीतर उत्तर दिया जाता है। उपलब्ध कराई गई सेवाओं की एक विस्तृत सूची, उनके मानकों सहित **तालिका 18.1** पर दी गई है।

18.3 नागरिक घोषणा–पत्र के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए, विभाग को इसके प्रयोक्ताओं से सहयोग की उम्मीद है। इन अपेक्षाओं की सांकेतिक सूची निम्नानुसार है:–

i. हर प्रकार से विधिवत भरे गए आवेदन फार्म प्रस्तुत करना।

ii. विशिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का उचित उपयोग करना और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करना।

iii. विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त करना।

iv. विभाग के साथ किए गए पत्रों एवं पत्राचार का सदैव सही–सही रिकॉर्ड रखना।

अण यदि प्रयोक्ता को मंत्रालय में किसी अधिकारी के साथ मुलाकात करनी है तो वह कृपया इस मुलाकात के लिए निर्धारित समय से 05 मिनट पहले पहुंच जाए।

vi. यदि प्रयोक्ता मुलाकात को रद्द करना चाहता है तो कृपया वह इसके लिए कम से कम दो दिन पहले फैक्स अथवा ईमेल के माध्यम से लिखित सूचना दे।

vii. निर्धारित समय–सीमा में निर्धारित फार्म में सूचना भेजी जाए।

viii. नीतियो, कार्यक्रमों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना अद्यतन करने हेतु नियमित रूप से वेबसाइट की जांच की जाए।

ix. मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए प्रारूपों अथवा उन्हें परिचालित किए गए सुझाव/टिप्पणियां प्रस्तुत करें ।

x. सभी प्रतिनिधि पूर्ण जानकारी के साथ बैठकों में उपस्थित होने चाहिए।

18.4 सेवा संबंधी लेखापरीक्षा

18.4.1 विभाग सख्त बेन्चमार्कों एवं निर्धारित मानकों के आधार पर इकाई तथा राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अपनी सेवाओं की गुणवत्ता की आवधिक लेखा–परीक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हितधारकों के विचार जानने तथा अपनी सेवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण किए जाने की भी परिकल्पना की गई है।

18.5 सूचना सहयोग

18.5.1 विभाग के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक / उपयोगकर्ता सूचना एवं सुविधा केन्द्र तथा जनसंपर्क कार्यालय (आईएफपीआरओ), उद्योग भवन, नई दिल्ली, (गेट नं. 11 के नजदीक) दूरभाष 011–23063651 पर संपर्क कर सकते हैं।

18.5.2 विभाग का निवेश संवर्धन एवं अवसंरचना विकास प्रकोष्ठ, निवेश संवर्धन एवं अवसंरचना विकास के संबंध में सूचना, दिशानिर्देश तथा संबंधी सेवा प्रदान करता है।

18.5.3 इस विभाग की मुद्रित सामग्री, प्रकाशन नियंत्रक के किसी भी विक्रय केन्द्र से प्राप्त की जा सकती हैं। उपयोगकर्त्ता औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, आशय पत्र, विदेशी सहयोग, इत्यादि के लिए आवेदन करने से संबंधित फार्मों को डाउनलोड करने के लिए इस विभाग की वेबसाइट (http://dipp.nic.in और http://dipp.gov.in) का उपयोग कर सकते हैं।

18.6 इनवेस्ट इंडिया के लिए निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ

18.6.1 इनवेस्ट इंडिया में निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ (आईएफसी) विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु है और सभी शंकाओं के लिए प्रारंभिक सहयोगकर्ता के रूप में कार्य करता है और सहायता एवं सम्पर्क सेवाएं प्रदान करता है। विभिन्न देशों भारतीय राज्यों और क्षेत्रों के विशेषज्ञता प्राप्त इसके विशेषज्ञ, निवेशकों को अपने निवेश जीवनचक्र के दौरान से– निवेश से पहले से निवेश के बाद सहायता प्रदान करते हैं। इनवेस्ट इंडिया की वेबसाइट पर बेव– फार्म के भरकर contact@investindia.org.in मेल करके और टेलीफोन नंबर 011–23048155 पर फोन करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

18.7 शिकायतों का समाधान

18.7.1 डीपीआईआईटी देश में औद्योगिक विकास में गति लाने के लिए हितधारकों से प्राप्त सभी शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। डीपीआईआईटी सभी शिकायतों की शीघ्र जांच करने और इनका समाधान करने के लिए एक तंत्र बनाया है। प्राप्त सभी शिकायतों का विभाग के अधिकारियों द्वारा सीधे देखा जाता है ताकि समन्वित और समयबद्ध उत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उच्च अधिकारी नियमित रूप से शिकायतों के निवारण की समीक्षा करते हैं और जहां आवश्यकता होती है प्रभावी राहत प्रदान करने हेतु निर्देश जारी करते हैं। इस विभाग से संबधित शिकायतें निम्नलिखित माध्यमों से किसी भी एक माध्यम द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं:

(i) शिकायत grievance-dpiit@gov.in पर ई–मेल कर सकते है

(ii) शिकायत डीपीआईआईटी की बेवसाइट httpps://dipp.gov.in@public-grievances पर भेज सकते हैं।

तालिका–18.1

नागरिक चार्टर में सम्मिलित कुछ सेवाओं/ लेनदेन की सूची

1. 150 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए बिना मानक चिह्न के सीमेंट के विनिर्माण एवं बिक्री हेतु तदर्थ अनुमति प्रदान करना ।

2. नई परियोजनाओं की स्थापना मौजूदा परियोजनाएं के विस्तार हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र ।

3. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम) और सीमेंट उद्योग विकास परिषद (डीसीसीआई) तथा परियोजना आधारित स्वायत्त निकायों को सहायता के लिए निधि जारी करना।

4. केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई) और लुगदी, कागज और संबद्ध उद्योग विकास परिषद (डीसीपीपीएआई) को निधि जारी करना।

5. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और परियोजना विकास कार्यान्वयन न्यास (एऩआईसीडीआईटीवाई) को योजनागत निधियां जारी करना।

6. भारत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र लिमिटेड, नई दिल्ली को भारत सरकार की इक्विटी के रूप में धनराशि जारी करना ।

7. उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंस वाली वस्तुओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना।

8. एमएचए की दिनांक 14.12.2018 की अधिसूचना दवारा हथियार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत सचिव, डीपीआईआईटी को लाइसेंस प्राधिकारी के रूप में प्रत्यायोजित शक्तियां के अनुसार डीपीआईआईटी के फार्म–VII में हथियारों और गोला बारूद के विनिर्माण और/अथवा प्रूफ परीक्षण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता वाली वस्तुओं हेतु लाइसेंस जारी करना।

9. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के लिए पावती जारी करना ।

10. भारतीय बॉयलर, 1950 के तहत सक्षम प्राधिकारी (सीए), निरीक्षण प्राधिकारी (आईए), विख्यात सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, विख्यात इस्पात निर्माता भट्टी, विख्यात ढलाईखाना दुकानों, विख्यात ट्यूबपाईप निर्माता, नियम एवं विख्यात शेष जीवन मूल्यांकन संगठन को मान्यता।

11. भारतीय बॉयलर विनियम,1950 के विनियमन 393(ख) के तहत देश के बाहर बॉयलर के लिए प्रेशर पार्ट्स की सामग्रियों हेतु अनुमोदन।

12. बॉयलर और बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के अंतर्गत 'सक्षम व्यक्ति' के लिए केंद्रीय बॉयलर बोर्ड प्राधिकार पत्र जारी करना।

13. कार्यान्वित प्राधिकारियों को योजनागत निधि का संवितरण ।

14. आईआईयूएस/एमआईआईयूएस के तहत परियोजनों के लिए निधि जारी करना।

15. विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (http://www.fifp.gov.in) पर सरकार को प्राप्त हुए सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का अंकन और निगरानी।

16. निवेशकों के लिए बुलेटिन बोर्ड सेवाएं।

17. लाइट इंजीनियरिंग उद्योग परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र।

18. थोक मूल्य सूचकांक जारी करना ।

19. मंत्रियों तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के विदेश दौरे का अनुमोदन।

उपयोगी पते

सूचना और सुविधा कांउटर

क्र. सं.	नाम और पदनाम	पता	दूरभाष एवं ईमेल
1	**श्री राम नरेश** अवर सचिव	कमरा नं. 474–ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली	दूरभाषः 011–23062906 ईमेलः ram.naresh69@nic.in
2	**श्री नरेद्र कुमार** उप सचिव	कमरा नं. 378, उद्योग भवन, नई दिल्ली	दूरभाषः 011–23063449 ईमेलः narender.kumar24@nic.in
3	**श्री एस. डी. शर्मा** शिकायत अधिकारी और संयुक्त सचिव	कमरा नं. 327 उद्योग भवन, नई दिल्ली	दूरभाषः 011–23063554 फैक्स : 011–23060625 ईमेलः som.sharma@nic.in
4	**श्री शंशाक प्रिय** बिजनेस ओम्बड्समैन और अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	कमरा नं. 244, उद्योग भवन, नई दिल्ली	दूरभाषः 011–23062756 फैक्सः 011–23062101 ईमेलः spriya@nic.in

19
अध्याय

सूचना का अधिकार

19.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) अपनी स्थापना के समय से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से आरटीआई आवेदन / अपील प्रस्तुत करने के लिए आने वाले नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, गेट नं. 19, उद्योग भवन, नई दिल्ली के सामने, बेसमेंट में सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। पूरे विभाग के लिए आरटीआई आवेदन / अपील प्राप्त करने और उन्हें विभाग के संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित करने और संबंधित अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित करने के लिए विभाग के कमरा नंबर 320, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आरटीआई सेल की स्थापना की गई है। आरटीआई अनुभाग विभाग में प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों / अपीलों का रिकॉर्ड रखता है और उनके समय पर निपटान के लिए निगरानी भी करता है।

19.2 नागरिकों को सूचना / दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए सभी निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपीलों / शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया गया है। श्री अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव, कक्ष सं. 227–ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली विभाग में नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) है।

19.3 डीपीआईआईटी ने विभागीय वेबसाइट (http://dipp.nic.in) पर आवश्यक जानकारी पूर्वोपाय के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रकटीकरण के तहत प्रदान की है। जिन सभी मदों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के संदर्भ में सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है, उन्हें विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और नियमित आधार पर अद्यतन भी किया जा रहा है। डीपीआईआईटी के सभी प्रभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरटीआई आवेदनों की संख्या को कम करने के लिए डीपीआईआईटी वेबसाइट पर अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करें और विभाग के विभिन्न प्रभाग डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

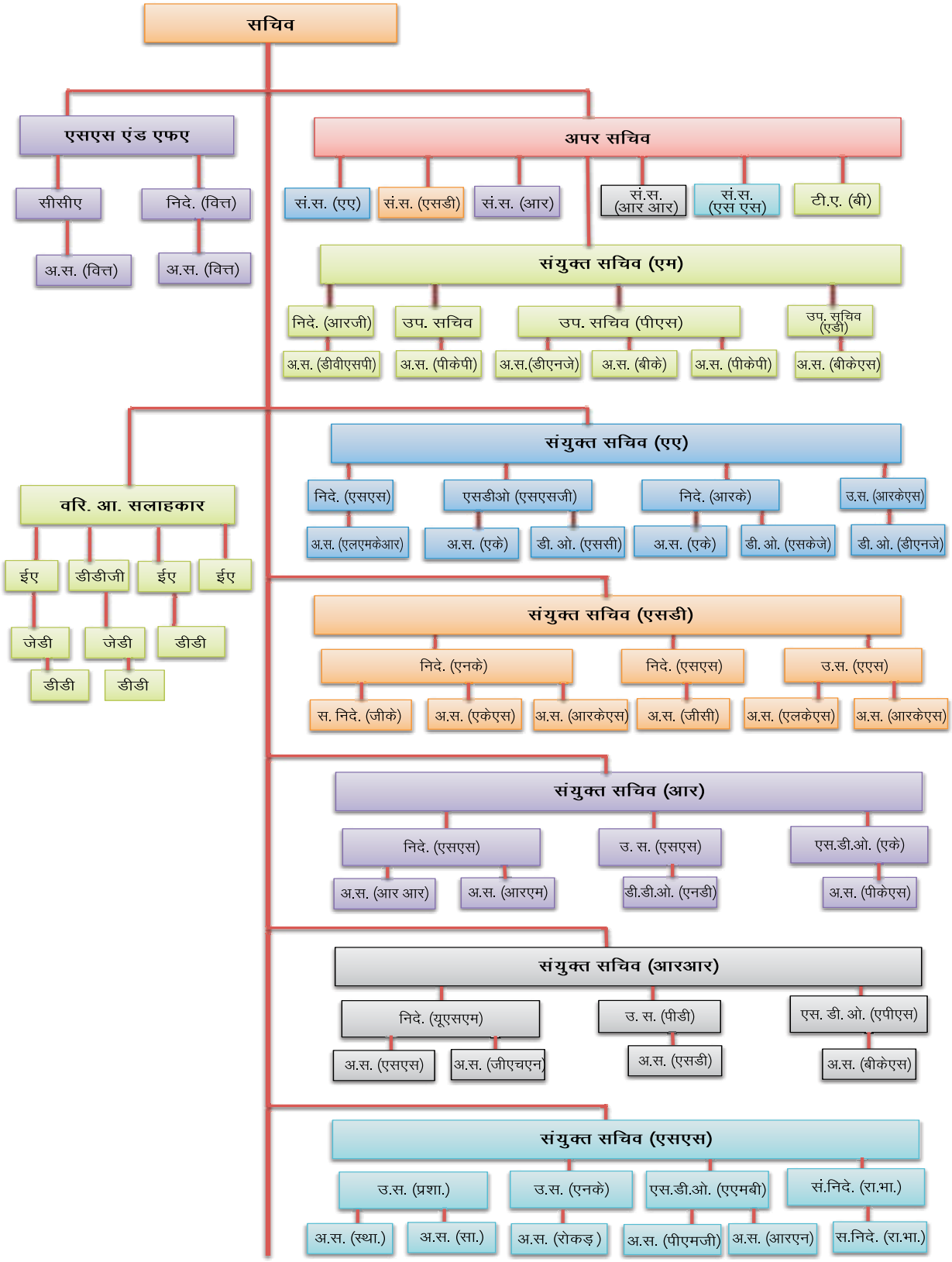
19.4 विभाग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019.20 के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत समर्थक सक्रिय प्रकटीकरण का एक तृतीय पक्ष ऑडिट भी किया है, जो विभाग के अंतर्गत एक नामित प्रशिक्षण संस्थान है। आरटीआई अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के आधार पर, विभाग द्वारा सीपीआईओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया ताकि सीपीआईओ की जानकारी की प्रगति और आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील का निवारण निर्धारित समय पर सुनिश्चित हो सके।

19.5 वित्त वर्ष 2019–20 (31.01.2020 तक), के दौरान इस विभाग में सूचना का अधिकार के कुल 899 और प्रथम अपील के 42 मामले प्राप्त हुए। वर्ष 2019–20 के दौरान आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपील के तिमाही–वार विवरण निम्नानुसार हैं:

तिमाही	आरटीआई आवेदनों की संख्या	प्रथम अपीलों की संख्या
प्रथम तिमाही (1 अप्रैल से 30 जून, 2019)	269	02
दूसरी तिमाही (1 जुलाई से 30 सितम्बर, 2019)	281	21
तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2019)	204	10
चौथा तिमाही (1 से 31 जनवरी, 2020)	145	09
कुल	**899**	**42**

19.6 केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को तिमाही आधार पर आरटीआई अधिनियम के तहत रिपोर्ट, दी जाती है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का संगठनात्मक चार्ट



उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के तहत कार्यालय/संगठन

सम्बद्ध कार्यालय

1. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, नई दिल्ली
2. प्रशुल्क आयोग, नई दिल्ली
3. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर

अधीनस्थ कार्यालय

1. पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक का कार्यालय, मुंबई
2. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर

अन्य संगठन/अनुदानग्राही संस्थाएं

1. केंद्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर, उ.प्र.
2. दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लि. नई दिल्ली
3. इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जिबिशन लि.,द्वारका, नई दिल्ली
4. भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संगठन, ठाणे
5. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), चेन्नई
6. राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम), बल्लभगढ़, हरियाणा
7. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
8. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अमरावती
9. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल
10. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट
11. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरूक्षेत्र
12. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित अन्य गतिविधियां

1. 'स्वच्छता ही सेवा(एसएचएस)' अभियान 2019 (एसएचएस 2019)

(i) **सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्लास्टिक कचरे का निपटानः** सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण का मुद्दा डीपीआईआईटी में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (एमओएचयूए), सीमेंट निर्माताओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बुलाई गई बैठक में उठाया गया था। तदनुसार, एमओएचयूए ने प्लास्टिक कचरे के परिवहन के लिए 2200 नगर स्थानीय निकायों (यूएलबी) की पहचान निर्दिष्ट बिंदुओं तक की है जहाँ से सीमेंट भट्टियों/ संयत्रों द्वारा प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया जाना था। तदनुसार, 14 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) के 46 सीमेंट संयंत्रों ने एसएचएस 2019 अभियान में भाग लिया और 3 अक्टूबर, 2019 से 27 अक्टूबर, 2019 के दौरान कुल 7835 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सह–प्रसंस्कृत किया गया।





(ii) डीपीआईआईटी के अधिकारियों द्वारा 'श्रमदान': डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, सचिव (डीपीआईआईटी) के नेतृत्व में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने केशव पार्क, सरोजनी नगर मार्केट, नई दिल्ली– 110023 और उसके आसपास 2 अक्टूबर, 2019 को 'स्वछता ही सेवा अभियान–2019 के तहत प्लास्टिक कचरे के संग्रह के लिए 'श्रमदान' गतिविधियां शुरू कीं। सचिव, डीपीआईआईटी ने सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने घरों, इलाकों, गांवों और कार्यस्थलों आदि की सफाई के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने के लिए स्वछता की शपथ भी दिलाई। इसके अलावा, विभाग के अधिकारी 2 अक्टूबर, 2019 को देश भर में 57 नामित औद्योगिक संपदाओं द्वारा संचालित 'श्रमदान; गतिविधियों में भाग लिया।





2.10.2019 को सरोजिनी नगर मार्केट में डीपीआईआईटी के अधिकारियों द्वारा श्रमदान

(iii) स्टार्टअप इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक ग्राण्ड चैलेंज: एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, नामतः स्टार्टअप इंडिया द्वारा "स्टार्टअप इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक इंटरनेशनल ग्रैंड चैलेंज" का आयोजन स्टार्टअप इंडिया द्वारा किया गया था। निम्नलिखित श्रेणियों में भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था यथा–(i) सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत को कम करना; (ii) सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग और (iii) सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प। तीन श्रेणियों में स्टार्टअप के 68 आवेदन प्राप्त हुए थे। पुरस्कार राशि के लिए 3.00 लाख रुपये और इनक्यूबेटर सुविधा के साथ प्रत्येक श्रेणी के लिए दो लाख रुपये रखे गए। प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं की घोषणा स्टार्टअप इंडिया द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की गई थी:

क्रसं	स्टार्टअप का नाम	नकद पुरस्कार राशि (रु. में)
क.	**सिंगल यूज प्लास्टिक के उपभोग के उपाय**	
1.	हैप्पी ट्रुटल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	3.00 लाख
2.	वर्कमैप सिस्टम्स	2.00 लाख
ख.	**सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी**	
1.	पॉलीसाइकल प्राइवेट लिमिटेड	3.00 लाख
2.	पैड केयर लैब्स	2.00 लाख
ग.	**सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प**	
1.	सिद्धगंगाबायो प्रोडक्ट्स	3.00 लाख
2.	बेअर नैसेसिटीज्	2.00 लाख

(iv) नेशनल रन फॉर यूनिटी: भारत के पहले गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रुप में मनाया गया। इस अवसर पर अपर सचिव, डीपीआईआईटी द्वारा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद सचिव–डीपीआईआईटी के नेतृत्व में

डीपीआईआईटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता दौड में भाग लिया।



31.10.2019 को नेशनल रन फार यूनिटी का शुभारंभ

(v) संविधान दिवस पर समारोह का आयोजनः उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने दिनांक 26 नवंबर, 2019 को 70वें संविधान दिवस के रुप में मनाया। इस अवसर पर अपर सचिव, और वित्तीय सलाहकार, डीपीआईआईटी के द्वारा डीपीआईआईटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन करवाया गया।



26.11.2019 को भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ

दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का वर्ष–वार तथा राज्य–वार ब्यौरा

राज्य का नाम	2015		2016		2017		2018		दिसम्बर 2019 तक	
	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)
अंडमान एवं निकोबार	0	0	1	47	0	0	1	395	0	0
आंध्र प्रदेश	135	21300	164	34464	154	29537	199	24617	139	18823
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	13	1058	55	3664	39	1437	22	725	23	2361
बिहार	23	1247	19	5794	7	469	13	8529	8	671
चंडीगढ़	3	321	0	0	0	0	0	0	1	1
छत्तीसगढ़	118	36511	50	11853	38	2483	50	4674	61	5132
दादर एवं नगर हवेली	20	590	36	1766	32	1458	18	5006	15	151
दमन और दीव	5	203	13	525	10	484	6	785	14	109
दिल्ली	20	279	5	72	5	199	8	362	8	48
गोवा	9	8	13	1201	12	132	14	1530	13	589
गुजरात	314	64733	415	56156	428	79068	561	101781	433	343834
हरियाणा	80	2872	59	2152	44	2469	93	3326	82	8283
हिमाचल प्रदेश	11	537	9	803	6	96	23	525	15	345
जम्मू और कश्मीर	11	663	8	979	7	1008	7	207	10	346
झारखंड	6	153	15	1329	14	13002	30	9680	25	1159
कर्नाटक	106	31668	285	154173	194	152118	204	95606	251	83492
केरल	8	5107	0	0	3	152	3	154	5	129
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	110	13652	85	16113	76	7162	182	25551	178	17262
महाराष्ट्र	349	33277	378	38193	354	48581	530	98420	410	115277
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	1	45	1	45
मेघालय	2	30	2	114	6	247	3	84	2	0
मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1	48
ओडिसा	26	24524	36	22507	31	6971	59	17089	76	29826
पुदुचेरी	7	598	4	12	4	403	3	10	5	109
पंजाब	37	1989	49	5596	34	1807	59	20974	57	1843
राजस्थान	76	6894	97	5613	99	7252	133	45498	100	10108
सिक्किम	13	553	15	952	23	1229	1	17	3	72
तमिलनाडु	107	19811	106	6172	62	3131	128	15158	129	8562
तेलंगाना	145	10209	139	22146	114	16209	91	6328	71	5432
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	2	64	1	10
उत्तर प्रदेश	136	11522	121	13722	70	12224	177	28586	147	16799
उत्तराखंड	38	3061	42	2764	45	1894	61	2069	46	2142
पश्चिम बंगाल	70	17660	62	5204	61	4074	72	6351	48	5844
कुल	**1998**	**311031**	**2283**	**414086**	**1972**	**395296**	**2754**	**524146**	**2378**	**678852**

परिशिष्ट-V

पिछले पांच वर्षों के दौरान दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की क्षेत्र–वार और वर्ष–वार सूची

	2015		2016		2017		2018		दिसंबर 2019 तक	
अनुसूचित उद्योग का नाम	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
01 धातुकर्मी उद्योग	63	14342	62	49436	87	39311	173	106025	137	21514
02 ईंधन	4	7849	7	880	9	757	9	28779	9	63093
03 बॉयलर तथा भाप उत्पादन संयंत्र	1	99	4	192	t1	32	4	52	3	563
04 प्राईम मूवर्स	7	901	15	3049	7	164	19	2453	19	3114
05 विद्युत उपकरण	259	64797	346	141870	274	58103	286	77576	249	76728
06 दूरसंचार	19	1248	21	1913	21	6536	23	5552	13	1548
07 परिवहन उद्योग	66	5775	71	28204	98	21749	203	20209	127	19618
08 औद्योगिक मशीनरी	30	1586	35	1579	20	1469	38	2586	37	2471
09 मशीन औजार	7	811	8	406	2	214	8	491	9	963
10 कृषि मशीनरी	5	274	2	141	3	192	3	46	4	385
11 अर्थ मूविंग मशीनरी	4	101	1	59	1	54	4	81	3	3500
12 विविध मकैनिकल और इंजीनि. उद्योग	100	7669	123	6782	95	11562	155	17831	155	10512
13 वाणिज्यिक/कार्यालय/घरेलू उपकरण	52	6477	33	4081	52	22391	71	13921	92	70945
14 चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के उपकरण	9	200	14	224	4	471	3	77	3	167
15 औद्योगिक उपकरण	3	458	5	225	5	99	5	124	2	30
16 वैज्ञानिक उपकरण	8	798	3	36	2	36	0	0	4	193
17 गणितीय, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग उपकरण	1	45	1	42	0	0	0	0	0	0
18 उर्वरक	12	1961	12	6331	9	200	24	24886	16	48368
19 रसायन (उर्वरकों के अलावा)	114	23269	142	33995	109	12991	177	54227	193	81579
20 फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म/ कागज	1	16	0	0	0	0	1	24	0	0
21 डाईस्टफ	6	221	6	262	6	258	8	649	6	848
22 औषध एवं भेषज	79	6660	103	13952	105	8113	110	5181	87	5195
23 वस्त्र	251	15080	287	21669	219	15271	294	26207	192	8534
24 कागज तथा लुगदी	56	2779	50	3208	55	4650	87	28727	65	1914
25 चीनी	35	6150	22	4106	15	1223	40	2661	22	1675
26 किण्वन उद्योग	48	4249	68	5162	26	1891	84	9075	44	4017
27 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	199	17301	203	17233	180	12789	259	27636	249	20692
28 वनस्पति तेल तथा वनस्पति	29	746	38	3026	22	1734	26	1760	12	1154
29 साबुन, सौंदर्य तथा प्रसाधन सामग्री	4	359	28	3044	17	789	12	692	12	349
30 रबड़ के सामान	26	5609	13	1353	24	7825	30	4482	21	3015
31 चमड़ा	1	43	4	19	1	59	9	34	8	108
32 ग्लू और जिलेटिन	1	50	4	70	3	82	6	380	5	161
33 कांच	13	1075	6	1880	11	1268	19	2121	23	3828
34 सिरेमिक	42	2407	84	4280	72	3106	55	1869	34	1527
35 सीमेंट तथा जिप्सम	54	10478	62	15558	71	16006	82	11941	54	16894
36 लकड़ी के उत्पाद	5	151	12	1345	14	1149	13	337	12	497
37 रक्षा उद्योग	74	3423	24	3723	0	0	0	0	0	0
38 विविध उद्योग	110	10028	158	9407	146	9234	193	10528	188	8050
अन्य	200	85546	206	25344	186	133518	221	34926	269	195103
कुल	**1998**	**311031**	**2283**	**414086**	**1972**	**395296**	**2754**	**524146**	**2378**	**678852**

कार्यान्वित आईईएम का राज्य–वार ब्यौरा (विगत पांच वर्षों के दौरान)
उद्यमियों द्वारा दायर किए गए आईईएम फार्म के भाग बी पर आधारित

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2015		2016		2017		2018		दिसम्बर 2019 तक	
	संख्या	निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	निवेश (करोड़ रु.)	संख्या	निवेश (करोड़ रु.)
अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	51	4542	79	11395	62	4509	84	12629	73	34696
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	21	0	0
असम	13	578	14	1137	60	4121	26	979	9	322
बिहार	9	610	7	959	2	139	8	811	3	242
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	5	2037	5	3993	5	1553	7	1189	24	14345
दादर एवं नगर हवेली	4	226	4	131	7	268	9	613	7	248
दमन और दीव	3	88	1	25	1	27	3	192	2	57
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1207
गोवा	1	14	2	52	2	110	3	402	3	16
गुजरात	80	5991	101	8267	77	9795	381	48095	434	1518861
हरियाणा	11	901	7	481	5	354	29	4348	34	3842
हिमाचल प्रदेश	8	242	2	73	0	0	7	889	4	247
जम्मू और कश्मीर	1	648	0	0	0	0	5	932	1	114
झारखंड	1	345	2	86	12	1086	14	2557	12	44199
कर्नाटक	29	13780	32	9162	24	2455	96	40807	61	21984
केरल	3	82	0	0	0	0	1	11	2	11
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	30	17277	48	2823	31	11715	84	7352	121	11335
महाराष्ट्र	69	18854	67	40588	112	18993	196	143371	144	34190
मणिपुर	0	0	1	30	1	31	0	0	0	0
मेघालय	3	314	2	544	5	639	1	44	0	0
मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ओडिसा	2	538	1	769	4	179	6	6918	29	47434
पुडुचेरी	1	12	0	0	1	20	0	0	1	54
पंजाब	4	340	9	716	4	708	22	2216	43	27751
राजस्थान	24	3918	32	7277	27	3016	43	4759	55	12258
सिक्किम	5	393	7	382	11	1134	11	947	0	0
तमिलनाडु	6	501	20	4793	9	1574	43	2689	29	2860
तेलंगाना	9	494	18	2405	29	3306	54	8145	38	7364
त्रिपुरा	3	47	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	17	1791	16	522	18	2253	57	13232	38	6162
उत्तराखंड	23	2426	14	494	22	809	40	3202	41	4392
पश्चिमबंगाल	26	983	34	3433	40	2602	34	7471	19	2361
कुल	**441**	**77972**	**525**	**100537**	**571**	**71396**	**1265**	**314821**	**1229**	**1796552**

आईपीआर संबंधी आंकड़े

1. पेटेंट

वर्ष	दायर	जांचे गए	स्वीकृत	निपटान
2005-06	24505	11569	4320	लागू नहीं
2006-07	28940	14119	7539	लागू नहीं
2007-08	35218	11751	15316	15795
2008-09	36812	10296	16061	17136
2009-10	34287	6069	6168	11339
2010-11	39400	11208	7509	12851
2011-12	43197	11031	4381	8488
2012-13	43674	12268	4126	9027
2013-14	42950	18306	4225	11672
2014-15	42763	22631	5978	14328
2015-16	46904	16851	6326	21987
2016-17	45444	28967	9847	30271
2017-18	47854	60330	13045	47695
2018-19	50667	85436	15284	51781
2019-20 (31-12-2019 तक)	41800	59544	18109	43718

2. डिजाइन

वर्ष	दायर	जांचे गए	पंजीकृत
2006-07	5521	4976	4250
2007-08	6402	6183	4928
2008-09	6557	6446	4772
2009-10	6092	6266	6025
2010-11	7589	6277	9206
2011-12	8373	6511	6590
2012-13	8337	6771	7250
2013-14	8533	7281	7178
2014-15	9327	7459	7147
2015-16	11108	9426	7904
2016-17	10213	11940	8276
2017-18	11837	11850	10020
2018-19	12583	12661	9512
2019-20 (31-12-2019 तक)	10454	10164	9769

3. व्यापार चिह्न

वर्ष	दायर	जांचे गए	पंजीकृत	निपटान
2006-07	103419	85185	109361	लागू नहीं
2007-08	123514	63605	100857	लागू नहीं
2008-09	130172	105219	102257	126540
2009-10	141943	25875	67490	76310
2010-11	179317	205065	115472	132507
2011-12	183588	116263	51765	57867
2012-13	194216	202385	44361	69736
2013-14	200005	203086	67873	104753
2014-15	210501	168026	41583	83652
2015-16	283060	267861	65045	116167
2016-17	278170	532230	250070	290444
2017-18	272974	306259	300913	555777
2018-19	338542	337541	316798	519185
2019-20 (31-12-2019 तक)	259791	263121	214558	310809

4. भौगोलिक संकेतक

वर्ष	दायर	पंजीकृत
2006-07	33	3
2007-08	37	31
2008-09	44	45
2009-10	40	14
2010-11	27	29
2011-12	148	23
2012-13	24	21
2013-14	75	22
2014-15	47	20
2015-16	17	26
2016-17	32	34
2017-18	38	25
2018-19	32	23
2019-20 (31-12-2019 तक)	37	18

5. कॉपीराइट्स

वित्त वर्ष	प्राप्त आवेदन	जांचे गए आवेदन	पंजीकरण	कुल निपटान
2015-16	14812	9325	4505	16203
2016-17	16617	16584	3596	5444
2017-18	17841	34388	19997	39799
2018-19	18250	22658	14625	21546
2019-20 (31-12-2019 तक)	16282	14662	12182	14563

परिशिष्ट-VIII

आईआईयूएस/एमआईआईयूएस के तहत पूरी हो चुकी परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	औद्योगिक क्लस्टर का नाम	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित भारत सरकार अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी भारत सरकार अनुदान (करोड़ रुपए में)
1	आईआईयूएस	फार्मा क्लस्टर, हैदराबाद	तेलांगना	66.16	49.62	48.13
2	आईआईयूएस	रसायन क्लस्टर, अहमदाबाद	गुजरात	73.02	41.80	41.39
3	आईआईयूएस	रसायन क्लस्टर, अंकलेश्वर	गुजरात	152.83	50.00	49.50
4	आईआईयूएस	रसायन क्लस्टर, वापी	गुजरात	54.31	40.49	39.28
5	आईआईयूएस	फाउंड्री क्लस्टर, बेलगांव	कर्नाटक	24.78	18.58	18.02
6	आईआईयूएस	मशीन औजार क्लस्टर, बेंगलुरू	कर्नाटक	135.50	49.12	47.65
7	आईआईयूएस	वस्त्र क्लस्टर, इचलकरंजी	महाराष्ट्र	68.49	33.25	32.91
8	आईआईयूएस	ऑटो घटक क्लस्टर, पुणे	महाराष्ट्र	59.99	44.99	44.54
9	आईआईयूएस	आटो घटक क्लस्टर, पीतमपुर	मध्य प्रदेश	65.20	47.23	46.76
10	आईआईयूएस	वस्त्र क्लस्टर, लुधियाना, पंजाब*	पंजाब	17.19	12.24	13.16
11	आईआईयूएस	मार्बल क्लस्टर किशनगढ़	राजस्थान	52.87	26.79	26.53
12	आईआईयूएस	आटो घटक क्लस्टर, चेन्नै	तमिलनाडु	57.06	29.32	29.02
13	आईआईयूएस	अनाज, दाल तथा स्टेपल क्लस्टर, मदुरै	तमिलनाडु	40.20	30.15	29.85
14	आईआईयूएस	फाउंड्री/पंप/मोटर क्लस्टर, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	55.57	39.66	39.08
15	आईआईयूएस	चमड़ा क्लस्टर, अंबूर	तमिलनाडु	113.51	45.08	43.50
16	आईआईयूएस	वस्त्र क्लस्टर, तिरूपुर	तमिलनाडु	143.00	50.00	49.50
17	आईआईयूएस	मल्टी उद्योग क्लस्टर, हल्दीया*	पश्चिम बंगाल	58.85	25.40	34.89
18	आईआईयूएस	लौह एवं इस्पात क्लस्टर, रायपुर	छत्तीसगढ़	58.82	21.16	20.94
19	आईआईयूएस	धातुकर्मीय क्लस्टर, जाजपुर	ओडिशा	88.62	50.00	49.50
20	आईआईयूएस	कॉयर क्लस्टर, अलप्पुज्जा	केरल	56.80	42.60	41.32
21	आईआईयूएस	आटो घटक क्लस्टर, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	30.67	23.01	22.31
22	आईआईयूएस	चमड़ा क्लस्टर, कानपुर	उत्तर प्रदेश	14.34	9.32	9.04
23	आईआईयूएस	रत्न और आभूषण क्लस्टर, सूरत	गुजरात	61.00	45.61	44.36

क्र. सं.	योजना का नाम	औद्योगिक क्लस्टर का नाम	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित भारत सरकार अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी भारत सरकार अनुदान (करोड़ रुपए में)
24	आईआईयूएस	इंजीनियरिंग क्लस्टर, नासिक	महाराष्ट्र	67.26	42.88	42.45
25	आईआईयूएस	हथकरघा क्लस्टर, चंदेरी	मध्य प्रदेश	42.66	22.39	21.78
26	आईआईयूएस	आटोक्लस्टर, आदित्यपुर	झारखंड	65.63	47.79	46.37
27	आईआईयूएस	मराठवाड़ा ऑटोमोबाइल क्लस्टर, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	82.55	60.00	58.20
28	आईआईयूएस	बद्दी अवसंरचना, बद्दी	हिमाचल प्रदेश	88.43	59.95	58.15
29	आईआईयूएस	बांस प्रौद्योगिकी पार्क, गुवाहाटी	असम	62.28	52.63	51.05
30	आईआईयूएस	नरोल वस्त्र अवसंरचना और पर्यावरण प्रबंधन, नरोल	गुजरात	196.56	58.28	56.53
31	आईआईयूएस	कोल्हापुर फाउंड्री क्लस्टर	महाराष्ट्र	44.90	32.59	31.62
32	एमआईआईयूएस	बोबिली वृद्धि केंद्र, विजयनगरम जिला*	आंध्र प्रदेश	10.16	2.54	2.60
33	एमआईआईयूएस	औद्योगिक वृद्धि केंद्र, उर्ला, जिला रायपुर	छत्तीसगढ़	49.83	12.26	12.26
34	एमआईआईयूएस	सिरिगिट्टी इंजीनियरिंग क्लस्टर	छत्तीसगढ़	41.76	8.74	8.74
35	एमआईआईयूएस	औद्योगिक क्षेत्र, उज्जैनी, धार	मध्य प्रदेश	48.48	12.62	12.62
36	एमआईआईयूएस	होसुर इंजीनियरिंग उद्योग क्लस्टर	तमिलनाडु	30.40	7.69	7.69

**भारत सरकार का जारी अनुदान, परियोजना लागत कम होने के कारण अनुमोदित अनुदान से अधिक है; कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए/एसपीवी) को अतिरिक्त राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है।*

परिशिष्ट-IX

आईआईयूएस /एमआईआईयूएस के तहत जारी परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	औद्योगिक क्लस्टर के नाम	राज्य	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित भारत सरकार अनुदान (करोड़ रुपए में)	जारी भारत सरकार अनुदान (करोड़ रुपए में)	वित्तीय प्रगति (% में)
1	आईआईयूएस	रबड़ क्लस्टर, हावड़ा	पश्चिम बंगाल	41.01	15.72	15.24	76.33 %
2	आईआईयूएस	फाउंड्री क्लस्टर, हावड़ा	पश्चिम बंगाल	95.03	38.68	37.52	58.34 %
3	आईआईयूएस	पंधुरना औद्योगिक क्लस्टर, छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	81.10	43.07	41.77	69.88 %
4	आईआईयूएस	रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, जबलपुर	मध्य प्रदेश	60.76	39.68	38.49	84.93 %
5	आईआईयूएस	प्लास्टिक, पॉलीमर और सम्बद्ध क्लस्टर, बालासोर	ओडिशा	81.90	58.28	56.53	96.47 %
6	आईआईयूएस	तिरुचिरापल्ली इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्लस्टर, तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	102.81	58.28	52.45	75.41 %
7	एमआईआईयूएस	हिंदुपुर विकास केंद्र ओर आईपी गोल्लापुरम, अनंतपुर जिला	आंध्र प्रदेश	54.20	14.93	10.45	42.13 %
8	एमआईआईयूएस	आईएमटी मानेसर का औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन*	हरियाणा	39.60	10.24	11.97	24.96 %
9	एमआईआईयूएस	आईएमटी, बावल का औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन	हरियाणा	36.67	9.62	9.62	64.22 %
10	एमआईआईयूएस	औद्योगिक क्षेत्र, कंदरौरी	हिमाचल प्रदेश	58.51	18.96	18.96	88.68 %
11	एमआईआईयूएस	औद्योगिक क्षेत्र, पंडोगा	हिमाचल प्रदेश	74.95	20.79	20.79	91.54 %
12	एमआईआईयूएस	औद्योगिक एस्टेट, कठुआ	जम्मू और कश्मीर	31.84	14.00	14.00	98.15 %
13	एमआईआईयूएस	तुपुंदना औद्योगिक एस्टेट, रांची	बिहार	18.54	5.54	1.66	44.85 %
14	एमआईआईयूएस	कोल्हार औद्योगिक क्षेत्र, बीदर	कर्नाटक	96.66	18.96	18.96	72.20 %
15	एमआईआईयूएस	केआईएनएफआरए रक्षा पार्क, पलक्कड़	केरल	130.94	50.00	50.00	83.35 %
16	एमआईआईयूएस	जुनागटुई औद्योगिक एस्टेट, आइजॉल	मिजोरम	18.02	14.18	14.18	86.00 %
17	एमआईआईयूएस	औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुर, मोरेना	मध्य प्रदेश	75.00	12.75	12.75	99
18	एमआईआईयूएस	लाइट इंजीनियरिंग क्लस्टर, नभा, पटियाला	पंजाब	44.26	13.06	13.06	66.45 %
19	एमआईआईयूएस	पश्चमीलारन औद्योगिक क्षेत्र	तेलांगाना	104.24	25.76	7.07	--
20	एमआईआईयूएस	बोधजंगनगर औद्योगिक क्षेत्र	त्रिपुरा	59.93	43.51	43.44	93.28 %
21	एमआईआईयूएस	आरके नगर औद्योगिक क्षेत्र	त्रिपुरा	52.25	38.76	38.76	94.70 %

**भारत सरकार का जारी अनुदान,परियोजना लागत कम होने के कारण अनुमोदित अनुदान से अधिक है; कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए/एसपीवी) को अतिरिक्त राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है।*

2019–20 के दौरान प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्टों तथा उनके परिणामों की विस्तृत सूची

क्रसं	2019–20 में प्रस्तुत रिपोर्ट की सूची
1	भारत–इजरायल व्यापार एफटीए के तहत व्यापार के तौर तरीकों पर प्रशुल्क आयोग का इनपुट
2	केंद्रीय बजट 2014–15 में विस्तारित अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के प्रभाव आकलन और लागत लाभ विश्लेषण पर रिपोर्ट "सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) शीट्स (आईटीसीएचएस कोड 39201099) के विनिर्माण में प्रयुक्त ईवीए रेजिन (आईटीसीएचएस कोड 39013000) और ईवीए मास्टर बैच (आईटीसी एचएस कोड 39019090) पर विशिष्ट इनपुट संबंधी बीसीडी में 7.5 प्रतिशत से" शून्य "तक कटौती"
3	केंद्रीय बजट 2015–16 में अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के प्रभाव आकलन अध्ययन पर अनुपूरक रिपोर्ट "एथिलीन डाइक्लोराइड (आईटीसीएचएस कोड 29031500) और विनाईल क्लोराइड मोनोमर (आईटीसीएचएस कोड 29032100) पर बेसिक सीमा शुल्क में 2.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक कटौती "
4	स्पैन्डेक्स यार्न (आईटीसी एचएस कोड 54024400 और 54041100) पर इन्वर्टेड शुल्क संरचना पर रिपोर्ट अवलोकनार्थ संलग्न है।
5	टायर कंपनियों द्वारा नियामक टायर मूल्य निर्धारण पर अध्ययन संबंधी रिपोर्ट
6	केंद्रीय बजट 2014–15 में विस्तारित अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहनों के प्रभाव आकलन और लागत लाभ विश्लेषण पर रिपोर्ट "सोलर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल के लिए बैक शीट्स (आईटीसीएचएस कोड 39219099) के विनिर्माण में प्रयुक्त पॉलीथिलीन टेथ्थलेट (पीईटी) / पॉली विनाइल फ्लोराइड (पीवीएफ) / पॉली विनाइल डि फ्लोराइड (पीवीडीएफ) फिल्म (आई इटीसीएचएस) कोड 39206290), हार्डनर (आईटीसीएचएस कोड 38159000) और एडहेसिव रेजिन (आईटीसीएचएस कोड 32081090) विशिष्ट इंपुट संबंधी बीसीडी में कटौती"
7	केंद्रीय बजट 2016–17 में विस्तारित अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के प्रभाव आकलन / लागत लाभ विश्लेषण पर रिपोर्ट "पवन संचालित विद्युत जनरेटर के रोटर ब्लेड के विनिर्माण में मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयुक्त असंतृप्त पॉलिएस्टर रेजिन (यूपीआर) आईटीसीएचएस कोड 39079190 पर उत्पाद शुल्क छूट के स्थान पर 6% की रियायती उत्पाद शुल्क की छूट जो वास्तविक उपयोगकर्ता स्थितियों की शर्त के अध्यधीन है।
8	केंद्रीय बजट 2016–17 में विस्तारित अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के प्रभाव आकलन / लागत लाभ विश्लेषण पर रिपोर्ट "पवन संचालित विद्युत जनरेटर के रोटर ब्लेड के विनिर्माण में मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयुक्त विनाइल ईस्टर एडहेसिव (वीईए) आईटीसीएचएस कोड 39059990 पर उत्पाद शुल्क छूट के स्थान पर 6% की रियायती उत्पाद शुल्क की छूट जो वास्त. विक उपयोगकर्ता स्थितियों की शर्त के अध्यधीन है।
9	केंद्रीय बजट 2016–17 में विस्तारित अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के प्रभाव आकलन / लागत लाभ विश्लेषण पर रिपोर्ट "पवन संचालित विद्युत जनरेटर के रोटर ब्लेड के विनिर्माण में मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयुक्त "हार्डनर्स आईटीसीएचएस कोड 29211990, 38249090 और 38249990 पर उत्पाद शुल्क छूट के स्थान पर 6% की रियायती उत्पाद शुल्क की छूट जो वास्तविक उपयोगकर्ता स्थितियों की शर्त के अध्यधीन है।

क्रसं	2019–20 में प्रस्तुत रिपोर्ट की सूची
10	केंद्रीय बजट 2016–17 में विस्तारित अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन के प्रभाव मूल्यांकन / लागत लाभ विश्लेषण पर रिपोर्ट "पवन संचालित विद्युत जनरेटर के रोटर ब्लेड निर्माण में प्रयुक्त एपोक्सी रेजिन (आईटीसीएचएस 39073010) पर उत्पाद शुल्क छूट के स्थान पर 6% रियायती उत्पाद शुल्क जो वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त के अध्यधीन है।"
11	केंद्रीय बजट 2014–15 में विस्तारित अप्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन केप्रभाव आकलन और लागत लाभ विश्लेषण पर रिपोर्ट "पवन संचालित विद्युत जनरेटर में इस्तेमाल होने वाले स्लीविंग बियरिंग के निर्माण के लिए अधिसूचना सं. 12/2012–सीमा शुल्क दिनांक 17.04.2012 के साथ संलग्न शर्त 46 पूरी करने के अध्यधीन अधिसूचना संख्या 12/ 2014–सीमा शुल्क दिनांक 11.07.2014 के जरिए फॉर्ज्ड स्टील रिंग्स पर बीसीडी में 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की कटौती"

परिणाम

क बजट 2018–19 में शामिल किए गए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर संबंधी प्रशुल्क आयोग के निष्कर्षों की स्थिति निम्नलिखित है:

क्र. सं.	उत्पाद	2018–19 की बजट घोषणा के अनुसार स्थिति
1	कॉक्लियर इंप्लांट्स **एक उत्पाद**	कोक्लेयर इम्प्लान्ट्स के निर्माण के लिए कच्चे मालए पुर्जों या सामान पर बीसीडी वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति के तहत अधिसूचना सं. 6/2018–सीमा शुल्क, दिनांक 2/2/2018 2018 (संदर्भ का नया क्रमांक 578 ए) के माध्यम से 2.5% से घटाकर 'शून्य' कर दिया गया है।

बजट 2017–18 में शामिल किए गए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर संबंधी प्रशुल्क आयोग के निष्कर्षों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उत्पाद	2017–18 की बजट घोषणा के अनुसार स्थिति
1	वायु चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी) के कास्ट कम्पोनेंटस	वायु चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी) के कास्ट कम्पोनेंटस के विनिर्माण में उपयोग के लिए केटेलिस्ट [3815 9000] रेसिन [3909 40 90] पर मौलिक सीमा शुल्क (बीसीडी) को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया बशर्ते कि वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त पूरी करता हो। दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2017 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 6/2017– सीमा शुल्क (नई क्रम सं. 230ग और 230घ देखें)।
	एक उत्पाद	वायु चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी) के कास्ट कम्पोनेंटस के उपयोग के लिए केटे. लिस्ट [3815 90 00] और रेसिन [3909 40 90] पर एसएडी ने छूट दी है बशर्ते कि वास्त. विक उपयोगकर्ता की शर्त पूरी करता हो। एसएडी से यह छूट 30 जून, 2017 तक वैध होगी। अधिसूचना संख्या 21/2012–सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2017 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 4/2017– सीमा शुल्क (नई क्रम सं. 14ज और 14झ देखें)। वायु चालित विद्युत जनरेटर (डब्ल्यूओईजी) के कास्ट कम्पोनेंटस के विनिर्माण में उपयोग के लिए केटेलिस्ट [3815 9000] रेसिन [3909 40 90] पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है बशर्ते कि वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त पूरी करता है। उत्पाद शुल्क की यह छूट 30 जून, 2017 तक वैध होगी। दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2017 की यथासंशोधित 13 अधिसूचना सं. 6/2017– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नई क्रम सं. 145ख और 145ग) देखें।

क्र. सं.	उत्पाद	2017–18 की बजट घोषणा के अनुसार स्थिति
2	कॉ–पोलिमर कोटेड एमएस टेप/स्टेनलेस स्टील टेप **एक उत्पाद**	दूरसंचार ग्रेड ऑप्टीकल फाइबर या ऑप्टीकल फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए कॉ–पोलिमर कोटेड एमएस टेप/स्टेनलेस स्टील टेप पर मूलसीमा शुल्क (बीसीडी) की छूट वापस ले ली है। तद्नुसार 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012–सीमा शुल्क की सूची 5 (क्र. सं. 149 की एवज में) मद सं. 23 का लोप किया जा रहा है। दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2017 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 6/2017– सीमा शुल्क की सूची 5 देखें। दूरसंचार ग्रेड ऑप्टीकल फाइबर या ऑप्टीकल फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए कॉ–पोलिमर कोटेड एमएस टेप/स्टेनलेस स्टील टेप पर 10% रियायती बीसीडी निर्धारित की जा रही है, बशर्ते वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त को पूरा करते हों। दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2017 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 6/2017– सीमा शुल्क की (नई क्रम सं. 333घ) देखें।
3	घरेलू फिल्टरों के लिए रिवर्स ऑसमोसिस (आरओ) मेम्बरेन एलीमेंट **एक उत्पाद**	प्रशुल्क मद 8421 99 00 के तहत आने वाले घरेलू फिल्टरों के लिए रिवर्स ऑसमोसिस (आरओ) मेम्बरेन एलीमेंट पर मूल सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है। वित्त विधेयक 2017 के उपखंड 109 (क) देखें। कर अधिनियम, 1931 के प्रावधान संग्रहण के तहत घोषणा की हैसियत से यह वृद्धि तुरंत प्रभाव से लागू होगी। घरेलू फिल्टरों के लिए रिवर्स ऑसमोसिस (आरओ) मेम्बरेन एलीमेंट के विनिर्माण के उपयोग के लिए प्रशुल्क मद 3921 19 00 के तहत आने वाली मेम्बरेन सीट और ट्राइकोट/सेपर पर उत्पाद शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है, बशर्ते कि वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त को पूरा करता हो। यह रियायती उत्पाद शुल्क 30 जून, 2017 तक वैध होगा। दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2017 की यथासंशोधित अधिसूचना सं. 6/2012– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नई क्रम सं. 148ककक) देखें।

उत्पादों की कुल सं जिसमें आईडीएस को संबोधित किया गया है :– 3

(ख) (i) आंकड़ा आधारित परिष्करण – उत्पाद–वार सूचना प्राप्त करने की बाधा की पृष्ठभूमि में प्रशुल्क आयोग ने इसे पूर्ण औचित्य सहित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू की है कि उत्पादन, आयात, कच्ची सामग्री की खपत, घरेलू बिक्री, निर्यात, दी गई/ प्राप्त की गई सेवाओं, वास्तविक तथा मूल्य के रूप में दोनों में अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रें के संबंध में प्रति यूनिट लागत सहित घटक–वार लागत ब्यौरों आदि के संबंध में उत्पाद–वार आंकडा शामिल करने के लिए इसके पूर्व के प्रपत्र को लागत लेखा परीक्षा प्रपत्रों में अन्तर्निहित किया गया है। आयोग द्वारा प्रदान किए गए व्यापक इनपुट्स के आधार पर कार्पोरेट कार्य मंत्रलय 31 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लागत रिकॉर्ड एवं लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए समर्थ रहा है और मार्च, 2017 से उत्पाद–वार लागत विवरण को आठ अंकों वाले एचएस सीईटीए कोड में लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में देना अनिवार्य बनाया गया है।

(ii) पटसन बोरों के प्रमाणिक मूल्य के लिए डाटा के नियमित प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटसन आयुक्त के साथ संयुक्त प्रक्रिया आयोजित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप डाटा संग्रहण के लिए समय में कमी आई और नवीनतम उपलब्ध डाटा के आधार पर अध्ययन करना सुगम हुआ। आंकड़ा आधार परिष्करण के बाद दो अध्ययन किए गए।

ग) अभिग्रहण, संकेतन, प्रशंसा तथा विश्लेषण एवं निर्णय लेने में ग्राहक द्वारा उपयोग के अलावा ग्राहकों द्वारा दिखाई गई रूचि के जरिए आयोग द्वारा 2013–14 के बाद की अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई अध्ययन रिपोर्टों के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

i. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने दिनांक 25 जनवरी, 2018 के अपने पत्र सं. ओईए–12026(11)/2017–टीएफपी के जरिए एफडीए के तहत प्रशुल्क आयोग की इन्वर्टेड शुल्क संरचना से संबंधित 12 रिपोर्टों का समर्थन किया।

ii. औषध विभाग ने दिनांक 13–12–2017 के अपने पत्र सं 31026/25/2017–एमडी के जरिए काक्लीअर प्रत्यारोपण के संबंध में इन्वर्टेड शुल्क संरचना संबंधी प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया।

iii. भारी उद्योग विभाग ने अपने पत्र संख्या दिनांक 15 सितंबर, 2016 5(1)/2014–पीई–XI द्वारा सूचित किया है कि उनका विभाग स्लीविंग बेयरिंग विनिर्माण के लिए आवश्यक स्टील बाल्स (एचएस कोड 84829119), रबड़ सील (एचएस कोड 40024900), ग्रब स्क्रू (एचएस कोड 73182990) और केज स्ट्रिप (एचएस कोड 84829119) संबंधी बीसीडी के संबंध में प्रशुल्क आयोग के इसे वास्तविक प्रयोक्ता स्थिति के तहत घटाकर 5% तक लाए जाने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करता है।

iv. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के लाइट इंजीनियरिंग उद्योग प्रभाग के पत्र संख्या 14/37/2015 एलईआई दिनांक 17 नवंबर, 2016 के द्वारा सूचित किया गया है कि अंतिम उत्पाद संबंधी आयात शुल्क और कच्ची सामग्री पर 12.5% के आयात शुल्क पर मौजूदा रियायती छूट, संरक्षण की प्रभावी दर घटकर (–) 40.57% हो गयी है। रिपोर्ट में कई ईआरपी दी गई है। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि ईआरपी शून्य होना चाहिए, जिसके लिए कच्ची सामग्री पर शुल्क, अंतिम उत्पाद पर रियायती शून्य शुल्क के बराबर तक घटाए जाने की आवश्यकता है।

v. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दिनांक 21/10/2015 के पत्र के अंतर्गत असंतृप्त पोलिस्टर रेसिन, विनाइल इस्टर योजक, अपोक्सी रेसिन हार्डनर के विनिर्माण में अपेक्षित निविष्टि सामग्री पर इन्वर्टेड शुल्क ढांचा के समाधान हेतु प्रशुल्क आयोग के प्रस्तावों की सिफारिश की है।

vi. राजस्व विभाग ने अपने पत्र संख्या 15012/3/2015–एनसी–1, दिनांक 11/05/2015 के अंतर्गत संप्रेषित किया है कि जीओएडब्ल्यु नीमच तथा गाजीपुर द्वारा उत्पादित विभिन्न क्षारों के मूल्यों को प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है।

vii. जल संसाधन मंत्रलय ने अपने दिनांक 17.6.2014 के पत्र सं. 11/1/2012–पीपी/1153 के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा इसकी प्रस्तावित उपयोगिता के संदर्भ में जल लागत के प्रचालन एवं रखरखाव के संबंध में प्रशुल्क आयोग द्वारा किए गए अध्ययन की सराहना की है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) का ब्यौरा–सीएजी पैरा

वर्ष	पैरा/ पीए रिपोर्ट की संख्या जिस पर लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद पीएसी को एटीएन प्रस्तुत की गई है ।	पैरा/पीए रिपोर्ट का विवरण जिस पर एटीएन लंबित हैं		
		एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजी गई।	एटीएन की संख्या जो भेजी गई परन्तु जो टिप्पणियों के साथ लौटा दी गईए और लेखा–परीक्षा को मंत्रालय द्वारा उनको दोबारा प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।	एटीएन की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से जांच हो गई है लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं की गई है।
2018-19	0	0	0	0
2019-20 (31.12.2019 तक)	0	0	0	0



उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

www.dipp.gov.in